चतुर्थ माला, खंड 39, अंक 31
Fourth Series, Vol. XXXIX, No. 31

सोमवार, 6 अप्रैल, 1970/16 चैत्र, 1892 (शक)
Monday, April 6, 1970/Chaitra 16, 1892 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र]

Tenth Session

Preservation Out
Fumigated
On 3.7.84
Parliament Library

[खंड 39 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XXXIX Contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains English translation of speeches etc. In English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 31, सोमवार, 6 अप्रैल, 1970/16 चैत्र, 1892 (शक)

No. 31, Monday, April 6, 1970/Chaitra 16, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
811. दिल्ली के सिनेमा मालिकों के नाम आयकर की बकाया राशि	Outstanding amount of Income Tax against Cinema Owners of Delhi ..	1—5
812. कपड़े, तम्बाकू और चीनी पर उत्पादन शुल्क के स्थान पर बिक्री कर का लगाया जाना	Replacement of Excise Duty by Sales Tax on Cloth, Tobacco and Sugar	5—14
813. वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को उनके पुत्रों के लिये विदेशों से प्राप्त आतिथ्य की पेशकश	Hospitability offers received by Officers of Finance Ministry from abroad for their sons ..	14—18
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या 13	Short Notice Question No. 13	
फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर के कोचीन डिवीजन में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना	Introduction of Central Industrial Security Force in Cochin Division of F. A. C. T. ..	19—29
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
814. कोचीन में पैट्रो रसायन उद्योग समूह की स्थापना	Development of Petro Chemicals Complex in Cochin ..	30
815. बम्बई में स्नेहकों (लूब्रीकेंट्स) के उत्पादन के लिये एक शोधनशाला की स्थापना	Establishment of Refinery in Bombay for Producing Lubricants ..	30—31

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	Subject		पृष्ठ/Pages
816. ग्रेट ब्रिटेन द्वारा बैंक दर में कटौती करना	Bank Rate cut by Great Britain	..	31—32
817. कलकत्ता में जीवन बीमा निगम के भवन	Buildings owned by LIC in Culcutta	..	32
818. अखिल भारतीय जीवन बीमा कर्मचारी फेडरेशन के प्रतिनिधिमण्डल की प्रधान मंत्री से भेंट	Meeting of a Delegation of All India Life Insurance Employees Federation with Prime Minister	..	33
819. मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्टों की छपाई में किफायत	Economy in printing of Annual Reports of Ministries	..	33—34
820. गुजरात में कार्बनिक रसायन उत्पादन कारखाने की स्थापना के लिये सहयोग करार	Collaboration agreement for setting up of organic chemical production plant in Gujarat	..	34—35
821. भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकरण	Working of the Reserve Bank of India	..	35—36
822. श्री बीजू पटनायक से आय कर की वसूली	Recovery of Income Tax from Shri Biju Patnaik	..	36—37
823. सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा विदेशों से लाई गई वस्तुओं के लिये दी गयी छूट	Relaxation allowed by customs authorities for articles brought from Abroad	..	37
824. केन्द्रीय सीमाशुल्क तथा उत्पादन शुल्क बोर्ड	Central Board of Customs and Excise	..	37—38
825. लड़कियों को नर्सिंग प्रशिक्षण के लिये जर्मनी भेजने से पहले माता पिता से अनुमति लेना	Obtaining of parents' permission before sending Girls to Germany for training in Nursing	..	38
826. श्री एल० के० झा का भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर पद से मुक्त किये जाने का अनुरोध	Request of Shri L. K. Jha to relinquish office of Governor, Reserve Bank of India	..	39
827. पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन लेने में होने वाली कठिनाइयां	Difficulties encountered by pensioners in collecting their pensions	..	39—40
828. विभिन्न राज्यों द्वारा भेजी गई आवास योजनाएं	Housing schemes submitted by various States	..	40—41

विषय ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	Subject		पृष्ठ/Pages
829. देश में संक्रामक तथा परजीवी पैरिसाइटिक रोगों पर नियंत्रण करने के लिये उपाय	Measure to control infectious and Parasitic diseases in the country	..	41—42
830. दिल्ली के केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों में औषधियों की कमी	Shortage of medicines in C. G. H. S. Dispensaries in Delhi	..	42—43
831. राजस्व तथा बीमा विभाग में वरिष्ठ कनिष्ठ विश्लेषकों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां	Filling up of vacancies of Senior Junior Analysis in the Department of Revenue and Insurance	..	43
832. भारत को अमरीकी सहायता	U. S. Aid to India	..	44
833. सरकारी अस्पतालों को सप्लाई की जाने वाली औषधियों की विशेष पैकिंग	Special packing of drugs supplied to Government owned Hospitals	..	44
834. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सहायता के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण नीति	Credit Policy of Nationalised Banks to assist Central Government Employees	..	44—45
835. चालू व्यस्त कार्यवधि में बैंकों द्वारा दिये गये ऋण की राशि	Amount of Bank Credit Advances during current busy season	..	45—46
836. जाली मुद्रा छापने वाले छापेखाने	Counterfeit currency presses	..	46—47
837. तीन विदेशी तेल कम्पनियों पर बकाया आयकर	Arrears of income tax outstanding against 3 foreign oil companies	..	47
838. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को तदर्थ वेतन वृद्धि का दिया जाना	Ad-hoc increment to Central Government Employees	..	47—48
839. भारत तथा यूरोबांड मार्किट	India and Eurobond Market	..	48
840. आयकर और धन कर के निर्धारण के प्रयोजन के लिये पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों की आय और धन को मिलाना	Aggregation of income and Wealth of Husband, Wife and Minor Children for purpose of assessment of Income tax and wealth tax	..	49

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

5166. भारतीय पेट्रो रसायन निगम, गुजरात की एरोमेटिक परियोजना	Aromatics projects of Indian Petrochemicals corporation, Gujarat ..	49—50
5167. एन० डी० एस० ई० कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, नई दिल्ली	NDSE Cooperative House Building Society Limited, New Delhi ..	50—51
5168. चरस की तस्करी से सम्बन्धित व्यक्तियों के पारपत्रों का जब्त किया जाना	Impounding of Passports of persons connected with smuggling of Hashish	51
5169. महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग विकास निगम के श्री अल्लाउद्दीन रशीद मुंशी को दी गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange to Shri Allaudin Rashid Munshi of Maharashtra States S.S.I.D.C. ..	51
5170. बोरली, बम्बई में एक टेलीविजन टावर बनाने के लिये टेंडर	Tenders for the construction of a Television Tower in Worli, Bombay ..	52—53
5171. श्री मुहम्मद यूनस सलीम द्वारा देय आयकर	Income Tax due from Shri Mohammed Yunus Saleem ..	53
5172. घरेलू तथा औद्योगिक प्रयोजनों के लिये मध्य प्रदेश को गैस की सप्लाई	Supply of Gas for domestic and Industrial Purposes to Madhya Pradesh ..	53
5173. बुरहानपुर के विद्युत-चालित करघों के मालिकों को ऋण दिया जाना	Loans to Powerlooms Owners of Burhanpur ..	54
5174. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक द्वारा प्राप्त चन्दे तथा संघ की चल तथा अचल सम्पत्ति पर आयकर तथा धन कर लगाना	Levy of Income Tax and Wealth Tax on donations received by the Founder of R.S.S. and on movable and immovable Property of the Sangh ..	54
5175. मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उद्योग	Public Sector Industries in Madhya Pradesh	54—55
5176. पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा प्रदत्त और बट्टे खाते में डाले गये ऋणों के खातों के नम्बर	Accounts Numbers of loans paid up and written off by Rehabilitation Finance Administration, New Delhi ..	55—56

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5177. औद्योगिक वित्त निगम द्वारा गुजरात में उद्योगों के लिये ऋण मंजूर किया जाना तथा भुगतान किया जाना	Loans sanctioned and paid to industries in Gujarat by Industrial Finance Corporation ..	56
5178. निरोध की वार्षिक खपत	Annual Consumption of Nirodh ..	56
5179. स्मार्ट्स चिट फंड, दिल्ली	Smarts Chit Fund, Delhi	57
5180. गुजरात के भड़ौच जिले में गैस का पाया जाना	Discovery of Gas in Broach District of Gujarat ..	57
5181. गुजरांवाला हाउस बिल्डिंग कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, दिल्ली	Gujranwala House Building Cooperative Society Ltd., Delhi ..	58
5182. दी गुजरांवाला हाउस बिल्डिंग कोआपरेटिव सोसाइटी, दिल्ली	The Gujranwala House Building Co-operative Society, Delhi ..	58—59
5183. केन्द्रीय सचिवालय (साउथ ब्लाक) में आग लगने की घटनाएं	Fire incidents in Central Secretariat (South Block) ..	59—60
5184. उत्तर प्रदेश के बिक्री कर प्राधिकारियों द्वारा मेसर्स राधाकृष्ण विमल कुमार के कार्यालय पर छापा	Raid on offices of Messrs Radhakrishan Vimalkumar by Sales Tax Authorities of Uttar Pradesh ..	60
5185. धागा बनाने वाले मध्यम श्रेणी के संस्थानों का बन्द होना	Closure of Medium Scale Yarn Manufacturing Establishments ..	60—61
5186. मैसर्स पर्ल साईकल एण्डस्ट्रीज द्वारा सप्लाई	Supplies made by M/s Pearl Cycle Industries ..	61
5187. कोलम्बो योजना की क्रियान्विति	Implementation of Colombo Plan ..	61—62
5188. मद्यसार (अल्कोहल) मूल्य ढांचे के बारे में प्रशुल्क आयोग की सिफारिशें	Tariff Commissions Recommendation Re: Alcohol Price Structure ..	62
5189. एक सेवा निवृत्त आई० ए० एस० अधिकारी द्वारा प्रवर्तित उर्वरक कम्पनी के विरुद्ध शिकायत	Complaint against Fertilizer Company Promoted by a retired IAS Officer ..	62—63

विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5190. खनिज तेल का उत्पादन करने वाले सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का विस्तार	Expansion of Public Sector Industries Producing Mineral Oils ..	63—64
5191. औद्योगिक कर्मचारियों को वैकल्पिक आवास स्थान देना	Alternative Accommodation to Industrial Workers ..	64
5192. जीवन बीमा निगम के बारे में मुरारका समिति की सिफारिशें	Recommendations of Morarka Committee on L. I. C. ..	65
5194. राजस्थान में सरकारी क्षेत्र के कारखाने	Factories in Public Sector in Rajasthan ..	65
5195. विटामिनों का उत्पादन	Production of Vitamins ..	66
5196. सरकारी ऋण का साम्य पूंजी में परिवर्तन	Conversion of Government loans into Equities ..	66—67
5197. मैसर्स रिचर्डसन हिन्दुस्तान द्वारा विक्सवेपोरब का निर्माण	Manufacture of Vicks Vaporub by M/s Richardson Hindustan ..	67
5198. दवाइयों की लागत कम करने के लिये उपाय	Measures for Reducing Costs of Drugs ..	68
5199. अलाटियों द्वारा चित्रगुप्ता रोड, नई दिल्ली स्थित सरकारी क्वार्टरों को किराये पर देना	Subletting of Government Quarters on Chitra Gupta Road, New Delhi by Allottees ..	68—69
5200. हरियाणा तथा पंजाब में उर्वरक कारखानों की स्थापना हेतु आवेदन	Request for setting up Fertiliser factories in Haryana and Punjab ..	69
5201. शक्ति चालित करघों के लिये एल० 4 लाइसेंस देना	Grant of L-4 Licences for Power-looms ..	69
5202. एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों के अनिर्णीत लेखे	Unsettled Accounts of Emergency Commissioned Officers ..	69—70
5203. कच्चे तेल पर रायल्टी की दर पर नेहरू पंचाट में संशोधन	Revision of Nehru Award on rate of Royalty on Crude Oil ..	70
5204. दिल्ली के कटरों में रहने की दशा	Living Condition in the Katra's of Delhi ..	71

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
5205. भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में स्टाफ कारें	Staff Cars in various Ministries of Government of India ..	71
5206. नेहरू संग्रहालय, नई दिल्ली में जवाहर ज्योति पर व्यय	Expenditure on Jawahar Jyoti in Nehru Museum, New Delhi ..	72
5207. दिल्ली में सरकारी कार्यालयों का विकेन्द्रीकरण	De-centralisation of Government offices in Delhi ..	72—73
5208. भारत में विदेशी ईसाई मिशनरियों को विदेशी सहायता	Foreign Aid to Foreign Christian Missionaries in India ..	73—74
5209. घड़ियों और पेन की तस्करी करने वाले तस्करों की गिरफ्तारी	Arrest of smugglers smuggling Watches and Pens ..	74
5210. तमिलनाडु के फिल्म निर्माताओं पर आय कर की बकाया राशि	Outstanding amount of income tax against Tamil Nadu's Film Producers ..	74
5211. बम्बई के फिल्म अभिनेताओं द्वारा आयकर का भुगतान	Payment of Income Tax by Film Actors of Bombay ..	75
5212. बम्बई तथा दिल्ली के फिल्म वितरकों द्वारा आयकर का भुगतान	Payment of Income Tax by the Film Distributors of Bombay and Delhi ..	75—76
5213. कृषि धन कर	Agricultural Wealth Tax ..	76—77
5214. शेख अब्दुल्ला अफजल बेग तथा श्रीमती शेख अब्दुल्ला द्वारा आयकर की अदायगी	Payment of Income Tax by Sheikh Abdullah Afzal Beg and Shrimati Sheikh Abdullah ..	77
5215. राष्ट्रीय प्रतिरक्षा धन प्रेषण योजना के अन्तर्गत श्रीमती अरुणा आसफअली को प्राप्त विदेशी धन	Foreign money received by Smt. Aruna Asaf Ali under National Defence Remittance Scheme ..	78
5216. हिन्दी अनुवादकों के पद	Posts of Hindi Translators ..	78—79
5217. वित्त मंत्रालय में कथित अस्पृश्यता तथा जाति भेदभाव	Alleged untouchability and caste Discrimination in Ministry of Finance ..	79—80
5218. राजस्व तथा बीमा विभाग में हिन्दी अनुवादकों की परीक्षायें लेने में अनियमितायें	Irregularities in holding of Hindi Translators tests in Revenue and Insurance Department ..	80—81

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
5219. राजस्व एवं बीमा विभाग में अनुवादकों के पद	Posts of Translators in Revenue and Insurance Department ..	81—82
5220. पांचवें वित्त आयोग द्वारा दक्षिण के राज्यों के प्रति कथित भेदभाव	Alleged discrimination by Fifth Finance Commission against Southern States ..	82—83
5221. अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण	Reservation in promotions to Scheduled Caste Employees	83
5222. कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली में पानी की अपर्याप्त सप्लाई	Insufficient water supply in Kotla Mubarakpur, New Delhi ..	83—84
5223. कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली के निवासियों के लिये सामूहिक आवास पुनःस्थापन	Group relocation of housing for residents of Kotla Mubarakpur, New Delhi ..	84
5224. कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली में सामुदायिक केन्द्र का विकास	Development of Community Centre in Kotla Mubarakpur, New Delhi ..	84—85
5225. कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली में शौचालयों का निर्माण	Construction of Latrines in Kotla Mubarakpur, New Delhi ..	85
5226. चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसन्धान केन्द्र कलकत्ता को चितरंजन कैंसर अस्पताल के साथ मिलाना	Amalgamation of the Chittaranjan National Cancer Research Centre, Calcutta with Chittaranjan Cancer Hospital ..	85—86
5227. पेनिसिलिन की प्रतिक्रिया	Reaction of Penicillin ..	86
5228. कोचीन तेलशोधक कारखाने को 1.26 डालर प्रति बैरल के हिसाब से अशोधित तेल सप्लाई करने का प्रस्ताव	Offer of Supply of Crude Oil at $ 1.26 per Barrel to Cochin Refinery ..	86—87
5229. जापान से ऋण	Loans from Japan	87
5230. आयकर की बकाया राशि	Outstanding Amount of arrears of Income Tax ..	88
5231. मंत्रियों के बंगलों में घिरी हुई जमीन का मूल्य	Value of land covered by Ministers' Bungalows ..	88—89
5232. सरकारी उपक्रमों के वार्षिक प्रतिवेदनों की छपाई में मितव्ययिता	Economy in the Printing of Annual Reports of Public Undertakings ..	89

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5233. मंत्रियों द्वारा विदेश यात्रायें	Tours by Ministers Abroad ..	89—90
5234. नगर तथा ग्राम्य आयोजन संगठन में लोअर डिवीजन क्लर्कों की पदोन्नति	Promotion of Lower Division Clerks in Town and Country Planning Organisation ..	90—91
5235. धेमोमाई कोयला खानों का बन्द होना	Closure of Dhemomain Coal Mines ..	91
5236. सरकारी अस्पतालों से औषधियों की चोरी को रोकने सम्बन्धी उपसमिति का प्रतिवेदन	Report of Sub-Committee on Prevention of Pilferage of Drugs from Government Hospitals ..	91
5237. केन्द्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय सम्बन्ध	Centre State Financial Relations ..	91—92
5238. आयकर अधिकारियों द्वारा कर अपवंचन के लिये दंड देने की शक्तियों का प्रयोग	Use of powers by I. T. Os to impose penalty for tax Evasion ..	92—93
5239. मद्रास तेलशोधक कारखाने में स्नेहक तेल का उत्पादन	Production of Lubricating oils at Madras Refinery ..	93—94
5240. फल और सब्जियों को डिब्बों में बन्द करने वाले उद्योग को उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली चीनी पर उत्पादन शुल्क की अदायगी से छूट	Exemption from payment of Excise duty on Sugar used by Fruits and Vegetables canning Industry ..	94
5241. गरीबों, पिछड़े वर्गों तथा मुसलमानों में परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में प्रगति	Famliy Planning Progress amongst poor and Backward Classes and Muslims ..	95
5242. भारत में तस्करों की कार्य प्रणाली का अध्ययन	Study of Modus operandi of Smuggling in India ..	95
5243. दिल्ली में अप्रयुक्त जल संयंत्र	Water plant lying idle in Delhi ..	95—96
5244. पूंजीगत माल के आयात के लिये पश्चिम जर्मनी तथा भारत के बीच करार	Agreement between India and West Germany for Import of Capital Goods ..	96
5245. छिपाये हुये धन का पता लगाना	Unearthing of black money ..	96—97
5246. मंत्रियों द्वारा विदेशों का दौरा	Vis its by Ministers Abroad ..	97

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5247. दिल्ली में बहुमंजिली इमारतों का निर्माण	Construction of Multi storeyed Building in Delhi ..	97
5248. अमरीकी दूतावास द्वारा पी० एल० 480 निधि से निकाली गई राशि का उपयोग	Utilisation of amount withdraw by American Embassy from PL 480 Funds ..	97—98
5249. विभिन्न मामलों में उच्चतम न्यायालय के निर्माण के परिणामस्वरूप मुआवजे में वृद्धि	Increasing of compensation as a result of Supreme Court Judgement in different cases ..	98—99
5250. पी० एल० 480 की निधि का भारत में समाज कल्याण संस्थाओं द्वारा उपयोग	Utilisation of PL 480 Funds by social Welfare Association in India ..	99
5251. हीरे जवाहरातों को कर से छूट	Exemption of Jewels from Taxation ..	99
5252. सीमा शुल्क विभाग द्वारा छापे	Raids by Customs Department ..	100
5253. राज्यों में राज्य आवास बोर्ड की स्थापना	Setting up of State Housing Board in States ..	100
5254. भारत-पाकिस्तान सीमा पर एक अमरीकी नागरिक की गिरफतारी	Arrest of an American National on Indo Pak border ..	101
5255. ब्रिटेन की अर्थशास्त्री लेडी उरसुला हिक्स द्वारा की गई टिप्पणी	Remarks made by lady Ursula Hicks, British Economist ..	101
5256. कोचीन नगर का दर्जा बढ़ाना	Upgrading of Cochin City ..	102
5257. नर्सिंग में प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजी गई ईसाई लड़कियां	Christians Girls sent abroad for training in Nursing ..	102
5258. भारत में नर्सों के प्रशिक्षण के लिये सुविधायें	Facilities for training in Nursing in India ..	103
5259. आयकर अधिकारियों की सेवा शर्तों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	Recommendations of administrative Reforms Commission on service conditions of Income Tax Officers ..	103

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5260. आयकर अधिकारियों की पदोन्नति	Promotion of Income Tax Officers ..	103—104
5261. श्रेणी दो के आयकर अधिकारियों की श्रेणी एक के पदों पर पदोन्नति के बारे में विचार करने के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाना	Convening of Departmental Promotion Committee meeting to consider promotion of Income Tax Officers Class II to Class I ..	104
5262. राष्ट्रीयकृत बैंकों के बचत बैंक खाते में जमा राशि	Savings Banks Deposits of Nationalised Banks ..	105—106
5263. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा खोली गई शाखाएं तथा एकत्रित जमा राशि	Branches opened and deposits collected by Nationalised Banks ..	106
5264. प्रमुख बैंकों के कृत्य	Functions of Leading Banks ..	106—107
5265. यूनेस्को, नई दिल्ली के श्री एस० पी० दीवान द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का कथित उल्लंघन	Alleged violation of Foreign Exchange Regulation by Shri S. P. Dewan of UNESCO, New Delhi ..	107—108
5266. इलाहाबाद में आयकर दाता	Payees of Income Tax in Allahabad ..	108
5267. पटना में उत्पादन शुल्क तथा आयकर विभागों में काम कर रहे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	Class IV Employees working in the Excise and Income Tax Departments at Patna ..	108—109
5268. दिल्ली राज्य अस्पताल कर्मचारी संघ से ज्ञापन	Memorandum from Federation of Delhi State Hospital Employees Union ..	109
5269. वित्त मंत्रालय के कर्मचारियों के पास शुद्ध सोना	Possession of Pure Gold by the Employees of Ministry of Finance ..	110
5270. दिल्ली के अस्पतालों में परीक्षण रिपोर्टों के लिये लम्बे समय तक प्रतीक्षा	Long Wait for Test Reports in Hospitals of Delhi ..	110
5271. मोतियाबिन्द तथा सबलवायु बीमारियों के लिये विशेष सहायता	Special Aid for the Treatment of Cataract and Sabalwayu diseases ..	111
5272. चिकित्सा (मेडिकल) कालेज खोलने से पूर्व पूरी की जाने वाली शर्तें	Conditions to be fulfilled before Establishment of Medical Colleges ..	111—112

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
5273. मनीपुर में खुले सिक्कों की अत्यधिक कमी	Scarcity of loose coins in Manipur ..	112
5274. स्टेट बैंक आफ इंडिया इम्फाल द्वारा व्यापारियों को दिया गया ऋण	Loans given to Businessmen by State Bank of India, Imphal ..	113
5275. राज्यों को सहायक अनुदान	Grants in Aid to States ..	113
5276. केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में कार्य करने वाले डाक्टरों को विशिष्ट अध्ययन के लिये दी जाने वाली सुविधाएं	Facilities for specialised Studies extended to doctors Employed under Central Health Services ..	113—114
5277. गोआ उर्वरक परियोजना के लिये अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम से सहायता	Aid from International Finance corporation for Goa Fertilizer Project ..	114
5258. श्री शंकर दयाल की ओर करों की बकाया राशि	Out standing amount of Taxes against Shri Shankar Dayal ..	114
5279. भारतीय स्टेट बैंक की "एइसबिस्फ" के साथ वार्ता	Talks of State Banks of India with AISBISF ..	115
5280. चण्डी गढ़ में एक चिकित्सा कालेज का खोला जाना	Opening of a Medical College at Chandigarh ..	115
5281. देश के लिये स्वास्थ्य अवस्थापना (इन्फास्ट्रक्चर)	Health Infra Structure for the Country ..	115—116
5282. आयकर अधिकारियों की पदोन्नति के बारे में आश्वासन	Assurance regarding promotion of Income Tax Officers ..	116
5283. अखिल भारतीय नेत्र सुधार संघ, नई दिल्ली	Akhil Bhartiya Netra Sudhar Sangh, New Delhi ..	116—117
5284. आदर्श नेत्र अस्पताल नई दिल्ली के लेखों की लेखा परीक्षा	Auditing of Accounts of Adarsh Netra Hospital, New Delhi ..	117
5285. डा० भगवानदास ट्रस्ट तथा अखिल भारतीय नेत्र सुधार संघ के लेखों में घाटा दिखाया जाना	Deficit Accounts of Dr. Bhagwan Das Trust and Akhil Bhartiya Netra Sudhar Sangh ..	117
5286. भारत के बाहर काम कर रही भारतीय कच्चे तेल की कम्पनियां	Indian Crude Oil Companies Operating outside India ..	118—119

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
5287. विदेशी तेल कम्पनियों के साथ किये गये करारों की शर्तें	Terms and Conditions of Agreements with Foreign Oil Companies ..	119—120
5288. बम्बई में सोने का पकड़ा जाना	Seizure of Gold in Bombay ..	120
5289. राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशि में कमी	Fall in Deposits of Nationalised Banks ..	120—121
5290. राजस्व तथा बीमा विभाग में अवर सचिवों के रिक्त पदों पर नियुक्ति	Filling up the vacancies of Under Secretaries in the Department of Revenue and Insurance ..	122
5291. दिल्ली में दौरे पर आये मद्रास/कलकत्ता/बम्बई सीमा शुल्क कार्यालयों के अधिकारियों को दैनिक भत्ता देना	Grant of Daily Allowance to officers of Custom Houses of Madras/Calcutta/Bombay on Tour to Delhi ..	122—123
5292. केन्द्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पादन शुल्क बोर्ड	Central Board of Customs and Excise ..	123
5293. मैसूर सरकार के वित्त मंत्री द्वारा की गई टिप्पणियां	Remarks made by Minister for Finance of Mysore Government ..	124
5294. सामान्य बीमे के प्रस्तावित राष्ट्रीयकरण के क्षेत्राधिकार से सहकारी बीमे को बाहर रखने के बारे में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष द्वारा दिया गया सुझाव	Suggestion made by Maharashtra PCC President to keep cooperative Insurance outside Purview of proposed Nationalisation of General Insurance ..	124
5295. गर्भाशयान्तर गर्भ निरोध विधि कार्यक्रम	IUCD Programme ..	124—125
5297. कामोत्तेजक गोलियों के अत्यधिक प्रयोग के कारण देश में सामाजिक बुराइयां	Social Evils in the country on Account of Excessive use of aphrodisiac pills ..	125—126
5298. नई दिल्ली स्थित विलिंगडन तथा सफदरजंग अस्पताल के भौतिक चिकित्सा विभागों के कर्मचारियों में असन्तोष	Discontentment Among Staff of Physiotherapic Departments of Willingdon and Safdarjang Hospitals, New Delhi ..	126
5299. विदेशों में पूंजी विनियोजन	Capital from Abroad ..	126—127
5300. केन्द्रीय सरकार के आय-व्ययक में कराधान सम्बन्धी प्रस्तावों का राज्यों के आय व्ययक प्रस्तावों पर प्रभाव	Effect of Taxation Proposals in Union Government Budget on States, Budget Proposals ..	127

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
5301. मिट्टी के तेल में आत्म-निर्भरता	Self-sufficiency in Kerosene oil ..	128
5302. भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण नीति	Credit policy of Reserve Bank of India ..	128
5303. वित्त मंत्रालय में संसद् सदस्यों से प्राप्त पत्र	Letters received in Ministry of Finance from Members of Parliament	129
5304. पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में संसद् सदस्यों से प्राप्त पत्र और उनका निपटारा	Letters received from M. Ps. in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals and Disposal thereof ..	129
5305. सरोजिनी नगर, नई दिल्ली के निकट गन्दगी	Insanitory condition near Sarojini Nagar, New Delhi ..	130
5306. तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on Tabacco ..	130
5308. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को देने के लिये दिल्ली / नई दिल्ली में गृह निर्माण योजना	Scheme for construction of houses in Delhi/New Delhi to be given to Central Government Employees ..	130—131
5309 विदेशों से चोरी छिपे सोना लाना	Smuggling of gold ..	131—132
5310. रूसी दूतावास को नारियल 'फेनी' की सप्लाई के लिये ठेका	Contract for supply of coconut 'feni' to Russian Embassy ..	132
5311. वित्त मंत्रालय के कब्जे के अन्तर्गत नार्थ ब्लाक के एक भाग में सफाई की कमी	Lack of cleanliness in portion of North Block occupied by the Ministry of Finance ..	132
5312. प्रस्तावित मुद्रा प्रिंटिंग प्रेस देवास का दूसरे स्थान पर लगाना	Shifting of the proposed site of Currency Printing Press, Dewas ..	133
5313. दिल्ली में एस्सो सेवा स्टेशनों द्वारा अधिक दर पर पेट्रोल का बेचा जाना	Excess rate for petrol charged by Esso Service Stations in Delhi ..	133
5314. बिहार के दरभंगा जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना	Opening of branches of nationalised banks in Darbhanga District, Bihar ..	133—134
5315. क्लोरो टेट्रासाइक्लीन का पशुओं के आहार के रूप में प्रयोग	Use of Chlorotetracycline as animal feed ..	134

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5316. संसद् सदस्यों से प्राप्त हुए पत्रों का उत्तर देना	Disposal of letters received from the Members of Parliament ..	134—135
5317. बम्बई में तस्करी की वस्तुओं का पकड़ा जाना	Seizure of smuggled goods in Bombay ..	135
5318. तस्करी की वस्तुओं का मूल्य	Value of Smuggled Goods ..	135
5319. दिल्ली में तस्करी की वस्तुओं का पकड़ा जाना	Seizure of smuggled goods in Delhi	136
5320. डाकुओं द्वारा कलकत्ता स्थित स्टेट बैंक का लूटा जाना	Looting of Calcutta State Bank by Dacoits ..	136—137
5321. विश्व बैंक में राज्य मंत्री (वित्त) की नियुक्ति	Appointment of Minister of State (Finance) in World Bank ..	137
5322. परिवार नियोजन में निरोध का प्रभाव	Effect of 'Nirodh' in Family Planning ..	137—138
5324. राजस्थान के लिये जल सम्भरण योजना	Water Supply Scheme of Rajasthan ..	138
5325. क्वार्टरों का बीमारी के आधार पर बारी के बिना दिया जाना	Out-of-turn Allotment of Quarters on Medical Grounds ..	138
5326. देश में डाक्टरों तथा औषधियों के बिना अस्पताल	Hospitals without Doctors and Medicines in the country ..	139
5327. दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा झील कुरंजा में पटरी पर बनी सब्जी मार्केट का विकास	Development of Pavement Vegetable Market in Jheel Kuranja by DDA ..	139
5328. यू० के० के विश्वविद्यालयों में पटना मेडिकल, कालेज पटना को डिग्री की मान्यता न देना	Non-recognition of Degree of Patna Medical College, Patna in U. K. Universities ..	139—140
5329. बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	Credit Advanced by Banks ..	140—141
5330. भारत के उर्वरक निगम की ट्राम्बे विस्तार योजना के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी संस्था से ऋण	US Aid Loan for Trombay Expansion Scheme of F. C. I. ..	141
5331. लन्दन स्थित टैन्कर ब्रोकर्ज एसोसिएशन द्वारा तेल वाहक जहाजों के लिये भाड़े की दरों का नियत किया जाना	Fixation of freight rates for Oil Tankers by Tanker Brokers Association in London ..	141—142

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
5332. भारत के रिजर्व बैंक के गर्वनरों की नियुक्ति	Appointment of Governor of Reserve Bank of India ..	142—143
5333. फिल्म उद्योग में लोगों द्वारा आयकर का अपवंचन	Income Tax Evasion by persons in Film Industry ..	143
5334. स्टाक एक्सचेंजों में प्रतिनिधित्व को व्यापक बनाना	Widening of representative character of stock exchanges ..	143
5335. रिजर्व बैंक आफ इंडिया के श्रेणी तीन के कर्मचारियों का पद नाम	Designation of Class III employees of Reserve Bank of India ..	143—144
5336. श्री सी० वी० श्री दास को विदेशी मुद्रा देना	Foreign Exchange allocations of Shri C. V. Sridhas ..	144
5337. दिल्ली में वायु का दूषित होना	Air pollution in Delhi ..	144—145
5338. विदेशों में फिल्मों की शूटिंग के लिये भारतीय फिल्म उद्योग को दी गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange granted to Indian Film Industry for shooting of films abroad ..	145—146
5339. तारकोल के ढोलों का निर्माण करने के लिये इस्पात के आकार का मानकीकरण	Standardisation of size of steel for manufacturing bitumen drums ..	146
5340. जी० डी० ओ० की पदोन्नति	Promotion of G. D. Os. ..	146—147
5341. टेंकर बोकर्स एसोसिएशन द्वारा तेल वाहक जहाजों के भाड़े में वृद्धि	Increase in freight rates for oil tankers by Tanker Brokers Association ..	147—148
5342. अलौह धातुओं का खनन	Mining of Non ferrous Metals ..	148
5343. मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में खनिजों के लिये सर्वेक्षण	Survey for minerals in Narsinghpur District of Madhya Pradesh ..	149
5344. पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक ईंधन के लिये योजना	Formulation of scheme for Alternate Fuel in view of rise in petroleum products consumption ..	149
5345. तारकोल बालू (टार-सैण्डल) शिला तेल (आयल-शेल्स) तथा अन्य ईंधन के लिये सर्वेक्षण	Survey for Tar Sands oil shales and other fuels ..	149—150
5346. उत्तर प्रदेश में यूरिया प्लांट के लिये एक बड़े व्यापार-गृह को लाइसेंस देना	Grant of licences for Urea plant in U. P. to a big Business House ..	150—151

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5347. नाभा के महाराजा की मूल्यवान वस्तुओं का देश प्रत्यावर्तन	Repatriation of valuables belonging to the Maharaja of Nabha ..	151
5348. भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ द्वारा कम्पनियों को दिये गये ऋणों को इक्विटी शेयरों में बदलने का विरोध	Opposition to conversion of loans to companies into equity shares by Federation of Indian Chambers of Commerce ..	151—152
5349. दूसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन के पश्चात् केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि	Increase in D. A. to Central Government Emplayees since Second Pay Commission's Report ..	152—153
5350. सोडा ऐश के उत्पादन का संवर्धन	Promotion of Soda Ash Production ..	153—154
5351. भारत को जापान से ऋण	Jupanese Loan to India ..	155
5352. स्मार्टस् चिट फंड दिल्ली द्वारा जाली डिग्रियां प्राप्त करने के बारे में शिकायतें	Complaints of Court Decrees by Smarts Chit Fund, Delhi ..	155
5353. मैसर्ज खेमजी पूनजा एण्ड कम्पनी बम्बई के नाम बकाया धनकर	Wealth tax due from M/s. Khemji Poonja and Company Bombay ..	156
5354. भारतीय तेल निगम के खाना बनाने के लिये प्रयोग की जाने वाली गैस के सिलेन्डरों के लिये जमानत की राशि बढ़ाना	Increase in Security Amount for Cooking Gas Cylinders of I. O. C. ..	156—157
5355. भारत बैरल एण्ड ड्रम मैनुफैक्चरिंग कम्पनी के काली सूची में शामिल किये जाने के बावजूद भारतीय तेल निगम द्वारा इससे ढोल खरीदना	Purchase of Barrels by IOC from Bharat Barrel and Drum Manufacturing Company Inspite of its being Blacklisted ..	157
5356. सीमा शुल्क तथा प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्डों के अधिकारियों की पदोन्नति	Promotion of officers of Central Boards of customs and direct Taxes ..	157—158
5357. दिल्ली में घटिया खाद्य पदार्थ बनाना	Manufacture of Substandard Edibles in Delhi ..	158
5358. चांदी का चोरी छिपे भारत से बाहर ले जाया जाना	Smuggling of Silver out of India ..	158—159

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5359. तस्करी	Smuggling ..	159
5360. कर ढांचे के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	A.R.C's recommendations on Tax Structure ..	159—160
5361. कच्चे तेल का आयात तथा सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र की शोधन-शालाओं द्वारा उसका उपयोग	Import of Crude oil and its use by Public and private sector Refineries ..	160
5362. कर अपवंचन के बारे में शाह आयोग की सिफारिशें	Shah Commission's recommendations on Tax Evasion ..	160—161
5363. महंगाई भत्ते को वेतन के साथ मिलाने का प्रतिकूल प्रभाव	Adverse effect of D.A. Merger with Pay ..	161—162
5364. बम्बई में फर्मों के नाम आय-कर की बकाया राशि	Outstanding amount of Income Tax against firms in Bombay ..	162
5365. पंजाब और दिल्ली के फिल्म वितरकों द्वारा आयकर का भुगतान	Payment of income tax by the film distributors of Punjab and Delhi ..	163
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
अफगानिस्तान से अरब सागर तक पहुंचने के लिये ईरान में से होकर एक राजपथ का निर्माण करने में भारत द्वारा की गई सहायता की पेशकश का समाचार	India's reported offer to help Afghanistan in building a highway through Iran providing an outlet to Arabian Sea ..	163—165
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	165—167
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha ..	167—168
स्थगन प्रस्ताव—अस्वीकृत—	Motion for Adjournment—Negatived—	
पटेल चौक नई दिल्ली में पुलिस द्वारा कुछ संसद् सदस्यों तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध बल-प्रयोग	Use of force by the Police against certain M.Ps. and other near Patel Chowk, New Delhi ..	168—195
डा० रामसुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh ..	174—175
श्री रंगा	Shri Ranga ..	175—176

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री म० ला० सोंधी	Shri M. L. Sondhi	.. 176—178
श्री बेदब्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	.. 178—179
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	.. 179
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	.. 179—180
चौधरी रणधीर सिंह	Chaudhary Randhir Singh	.. 180—181
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	.. 181—182
श्री ई० के० नायनार	Shri E. K. Nayanar	.. 182—183
श्री एस० एम० जोशी	Shri S. M. Joshi	.. 183
श्री रा० ढो० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare	184
श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua	.. 184—185
श्री जी० भा० कृपालानी	Shri J. B. Kripalani	.. 185
श्री जी० वेंकटास्वामी	Shsi G. Venkataswamy	.. 186
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	.. 186
श्री के० नारायण राव	Shri K. Narayan Rao	.. 186—187
श्री बाकर अली मिर्जा	Shri Bakar Ali Mirza	.. 187—188
डा० सुशीला नैयर	Dr. Sushila Nayar	.. 188—189
श्री एम० मुहम्मद इस्माइल	Shri M. Muhammad Ismail	.. 189—190
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	.. 190—191
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	.. 191
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan	.. 191—194
रबी मूल्य नीति के सम्बन्ध में वक्तव्य—	Statement re. Rabi price policy—	
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjivan Ram	.. 196
तीन मंत्रियों के जो राज्य सभा के सदस्य नहीं रहे पदस्थ रहने के बारे में वक्तव्य	Statement re. continuance of three Ministers who have ceased to be Members of Rajya Sabha	.. 196
श्री गोविन्द मेनन	Shri Govinda Menon	.. 196
संयुक्त समितियों के बारे में प्रस्ताव	Motions regarding Joint Committees	.. 197—198
(एक) लाभ के पद	Offices of Profit	.. 197
(दो) नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक के कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्त विधेयक	Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and conditions of service) Bill.	.. 197—198

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 6 **अप्रैल,** 1970/ 16 **चैत्र,** 1892 **(शक)**
Monday, April 6, 1970/Chaitra 16, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली के सिनेमा-मालिकों के नाम आयकर की बकाया राशि

*811. **श्री जुगल मण्डल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के उन सिनेमा-मालिकों के नाम क्या हैं जिनकी ओर आयकर की राशि बकाया है और बकाया राशि को वसूल करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) बकाया राशि पूरी तरह कब तक वसूल किये जाने की संभावना है ; और

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली में सिनेमा गृह पिछले तीन वर्षों से आयकर की बकाया राशि अदा नहीं कर रहे हैं और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं तथा प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). मांगी गई सूचना सदन की मेज पर रखे विवरण-पत्र में दी गई है।

विवरण

सिनेमा मालिकों के नाम	आयकर की वसूल होनी बकाया रकमें		बकाया की वसूली के लिये की गई कार्यवाही	बकाया रकमों को पूरा वसूल हो जाने के समय का अनुमान	क्या दिल्ली के सिनेमा-गृह पिछले तीन वर्षों में आयकर की बकाया रकमों की अदायगी नहीं करते रहे हैं, यदि हां, तो उनके नाम और उनके खिलाफ की गई कार्यवाही
	कर-निर्धारण वर्ष	रकम रु०			
मैसर्स फिल्मिस्तान ऐग्जीबिटर्स प्रा० लिमिटेड	1966-67	6,270	प्रथम अपील का हाल ही में निर्णय हुआ है और बकाया मांग वसूल की जा रही है।	बकाया रकमों की पूरी वसूली मई 1970 के अन्त तक होने की संभावना है।	नहीं
मैसर्स न्यू दिल्ली थियेटर्स प्रा० लि०	1965-66 1966-67 1968-69	18,394 14,393 6,380	मांगें हाल ही में वसूली योग्य हुई हैं।	—यथोपरि—	नहीं
मैसर्स त्यागी आनन्द एण्ड कं० (प्रा०) लिमिटेड	1963-64 1965-66 1966-67 1967-68 1968-69	2,661 1,610 6,446 36,307 34,415	कम्पनी को किस्तों में अदायगियां करने की अनुमति दी गयी है।	बकाया रकमों की पूरी वसूली जुलाई 1970 के अन्त तक होने की संभावना है।	नहीं

श्री जुगल मण्डल : क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व सरकार ने गोलचा सिनेमा की सम्पत्ति का अधिग्रहण कर उसका प्रबन्ध बकाया कर वसूल करने के लिए अपने हाथ में ले लिया था ? यदि हां, तो वे यही तरीका अन्य सिनेमाओं के सम्बन्ध में, जिनके नाम मनोरंजन कर और आय कर के रूप में 5 लाख रुपया बकाया है क्यों नहीं अपना रहे हैं। दूसरे सम्भवतः मंत्री महोदय को इसकी जानकारी है कि लगभग सभी सिनेमाओं के मालिक नई फिल्म पर वितरकों या निर्माताओं से 10,000 से 15,000 रुपये तक अतिरिक्त अथवा काला धन लेते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे इस धन को अपनी वार्षिक विवरण में दिखाने के लिए सिनेमाओं के मालिकों को बाध्य करने के हेतु कोई कार्यवाही करने का विचार कर रहे हैं ? यह राशि बहुत बड़ी है तथा भारत भर में यही तरीका अपनाया जाता है।

श्री प्र० चं० सेठी : सरकार ने गोलचा बन्धुओं की सम्पत्ति का अधिग्रहण नहीं किया है। वास्तविकता यह है कि 1968 में उनका परिसमापन हो गया था तथा इस कर के वसूल करने सम्बन्धी हमारा प्रार्थना पत्र सरकारी परिसमापक के विचाराधीन है। (**एक माननीय सदस्य** : कितना कर बकाया है ?) 9.40 लाख रुपये। दिल्ली के अन्य सिनेमाओं की सूची काफी बड़ी है, उनमें से दो-तीन ये हैं : फिल्मिस्तान एक्जीबीटर्स, न्यू देहली थियेटर्स, त्यागी आनन्द कम्पनी लि०। मनोरंजन कर राज्य का विषय है तथा उसके आंकड़े हमारे पास नहीं हैं। हमारा सम्बन्ध केवल आय कर से है तथा फिल्मिस्तान एक्जीबीटर्स की ओर 6270 रुपये बकाया हैं तथा पहली अपील का फैसला हाल ही में हुआ है और मई 1970 के अन्त तक इस धन के वसूल हो जाने की आशा है। त्यागी आनन्द लि० से भी बकाया धन जुलाई, 1970 तक वसूल होने की आशा है। किश्त बांध दी गई है।

श्री जुगल मण्डल : प्रत्येक नई फिल्म पर 10,000 से 15,000 रुपये लेने की प्रथा के सम्बन्ध में क्या किया गया है।

श्री प्र० चं० सेठी : यदि यह काला धन है तो इसकी जांच करना स्वाभाविक है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : माननीय मंत्री ने बताया कि गोलचा बन्धुओं से 9.40 लाख रुपए वसूल करने हैं। अब क्योंकि कम्पनी का परिसमापन हो चुका है तो क्या मंत्रालय अथवा विभाग ने इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रार्थना न्यायालय में की है। यह बकाया राशि कौन से साल की है ? इतने लम्बे समय से यह राशि वसूल क्यों नहीं की गई ? दूसरे शब्दों में इस राशि की वसूली समय पर क्यों नहीं की गई जिससे कि वसूली के लिए अदालत में जाने की आवश्यकता पड़ी ? तीसरे अपराधियों द्वारा कुछ गोलमाल करने से पहले वसूली करने के लिये पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं अथवा नहीं ?

श्री प्र० चं० सेठी : एक मामले में 1960-61 की वसूली नहीं हुई है जो कि 1.12 लाख रुपये है। यह कर निर्धारण 21-4-66 को पूरा हो गया था।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : यह असम्भव है। यह 1966 में पूरा नहीं किया जा सकता। 4 साल बाद समय सीमा सम्बन्धी प्रतिबन्ध है।

श्री प्र० चं० सेठी : मैं तथ्य बता रहा हूं। जहां तक 8.27 लाख का सवाल है यह राशि 1962-63 की है, इसका कर निर्धारण 29-3-67 को पूरा हो गया था। 1968 में उनका परिसमापन हो गया था। इसलिए धारा 78(2) के अन्तर्गत वसूली के लिए दावा किया गया।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : इस राशि को समय पर वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई, जिससे कि अदालत में जाने की आवश्यकता न पड़ती ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कानूनी तौर पर पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं अथवा नहीं ?

श्री प्र० चं० सेठी : मेरे पास इस बात का ब्यौरा नहीं है कि क्या किया गया है क्योंकि उनका प्रधान कार्यालय जयपुर में है और हमें यह ब्यौरा वहां से लेना होता है।

श्री बलराज मधोक : यह सर्वविदित है कि दिल्ली के सिनेमा मालिक प्रतिवर्ष अत्यधिक लाभ कमा रहे हैं। यदि ऐसी गलती किसी छोटे आदमी से हो जाती है तो सरकार उसका खून तक चूसने का प्रयत्न करती है। और यदि अपराधी बड़े लोग होते हैं तो सरकार उनसे आय कर समय पर वसूल ही नहीं करती वरन् वह उन्हें किस्तों में उसका भुगतान करने की रियायत भी देती है। मंत्री महोदय ने केवल तीन वितरकों के नाम बताए हैं। क्या वे सभी सिनेमा मालिकों की एक सूची देंगे जिसमें यह दर्शाया गया है कि पिछले पांच सालों में उन्होंने कितना आयकर दिया और कितनों ने आयकर अदा नहीं किया तथा उसकी वसूली के लिये क्या कदम उठाए गए ?

श्री प्र० चं० सेठी : प्रश्न दिल्ली के सिनेमा मालिकों के नामों के बारे में था। विवरण में दिए सिनेमा मालिक दिल्ली के थे। गोलचा का नाम उसमें नहीं दिया गया था क्योंकि उनका प्रधान कार्यालय जयपुर में है। उनकी ओर जितना बकाया है, उसके आंकड़े मैं दे चुका हूं। प्लाजा और मिनर्वा सिनेमा और हैं। उनके मालिक मैसर्स ईगल थियेटर्स लि० हैं। उनके मामले में हाल ही में 13 लाख रुपये और जोड़े गये हैं। यह कर निर्धारण हाल ही में पूरा हुआ है तथा इसकी अदायगी कर निर्धारण के 35 दिन बाद करनी होती है।

दिल्ली में 37 सिनेमा हैं। विवरण में दिए गये 3 सिनेमाओं तथा अभी बताए गये 2 सिनेमाओं के अतिरिक्त अन्य किसी पर कोई भी कर बकाया नहीं है।

श्री बलराज मधोक : आपने उन्हें किस्तों में कर देने की रियायत दी है। क्या आप यह रियायत अन्य छोटे अपराधियों को भी देंगे ? क्या इससे सम्बन्धित कोई नीति है या यह केवल मनमाने ढंग से ही किया जाता है ?

श्री प्र० चं० सेठी : सरकार किस्तों की रियायत नहीं देती। यह तो इस पर निर्भर करता है कि कोई मामला किस प्रकार का है तथा इससे सम्बन्धित विवेकाधिकार आयकर अधिकारियों को है।

श्री श्रीचन्द गोयल : फिल्मिस्तान के सम्बन्ध में आपने बताया कि पहली अपील का फैसला अभी-अभी हुआ है इसलिए पहले वसूली नहीं की जा सकी। क्या इस सम्बन्ध में रोकादेश प्राप्त कर लिया गया था, जिसके कारण वसूली नहीं हो सकी ? मैसर्स न्यू देहली थियेटर्स के सम्बन्ध में आपने बताया कि उनपर कर हाल ही में देय हुआ है। वह कर 1965-66 से 1968-69 तक का है। इन चार पांच वर्षों में कर का अन्तिम निर्धारण न किये जा सकने के क्या कारण हैं, जिसके कारण वे अभी-अभी देय हुए ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह इस बात पर निर्भर करता है कि कर निर्धारण कब पूरा हुआ। जहां तक पहले मामले का सम्बन्ध है जैसा कि उत्तर में बताया गया है उन्होंने अपील कर दी। अपील का फैसला हाल ही में हुआ है तथा 6270 रुपये की धनराशि मई, 1970 तक वसूल कर ली जायेगी।

श्री श्रीचन्द गोयल : परन्तु जब तक कि वे रोकादेश नहीं ले लेते तब तक अपील करने पर आपकी वसूली करने पर कोई रोक नहीं लगती। कानून के अधीन स्थिति यही है।

श्री प्र० चं० सेठी : तत्सम्बन्धी ब्यौरा मेरे पास नहीं है। न्यू देहली थियेटर्स लि० का कर हाल ही में देय हुआ है तथा वह राशि भी मई, 1970 तक वसूल कर ली जायेगी।

श्री एस० एम० कृष्ण : दिल्ली में और दिल्ली से बाहर सिनेमा मालिकों को हो रहे अत्यधिक लाभ को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार देश के सिनेमा घरों का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में विचार करेगी क्योंकि इस क्षेत्र में सरकार को घाटा नहीं उठाना पड़ेगा ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह एक सुझाव है।

कपड़े, तम्बाकू और चीनी पर उत्पादन-शुल्क के स्थान पर बिक्री कर का लगाया जाना

+

*812. **श्री कंवर लाल गुप्त** :
श्री ओंकार सिंह :
श्री सूरज भान :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांचवें वित्त आयोग ने कपड़ा, तम्बाकू और चीनी पर अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क के स्थान पर बिक्री कर लगाने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो इस सिफारिश के विरुद्ध सरकार को प्राप्त हुए अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यदि सरकार द्वारा आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया तो इससे भ्रष्टाचार फैलेगा और छोटे व्यापारियों को परेशानी होगी ; और

(घ) क्या आयोग की सिफारिशों पर कोई कार्यवाही करने से पूर्व सरकार का विचार संसद् सदस्यों से परामर्श करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) पांचवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि वस्त्रों, चीनी और तम्बाकू पर बिक्रीकर के बदले में अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने की वर्तमान व्यवस्था को चालू रखना तब तक अभीष्ट नहीं होगा जब तक उसको चालू रखने के सम्बन्ध में आगे चर्चा करके राज्य सरकारों के साथ सामान्य समझौता नहीं हो जाता।

(ख) से (घ). विभिन्न व्यापारिक संगठनों से सरकार को प्राप्त अभ्यावेदनों में अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुरोध भी किया गया है कि वर्तमान योजना को उलटने से कर का अपवंचन होगा और व्यापारियों को बहुत असुविधा हो जायगी। इसके अलावा, इससे वसूली का खर्च भी बढ़ जायगा और सरकार को बढ़े हुए खर्च के अनुरूप लाभ नहीं होगा।

राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में इस मामले पर राज्यों के साथ चर्चा करने से पहले इसके सब पहलुओं की जांच, राष्ट्रीय विकास परिषद् की एक समिति द्वारा की जायगी। जिन निर्णयों के कार्यान्वियन के लिये संसद की मंजूरी आवश्यक होगी, उन पर संसद की मंजूरी प्राप्त की जायगी।

Shri Kanwar Lal Gupta : The States have difference of opinion regarding the recommendations of the Fifth Finance Commission to impose sales tax in lieu of the additional excise duty on textile, tobacco and sugar. Jammu and Kashmir and Nagaland Governments have said that it should remain as it is. Some of the State Governments objected to it and said that the Central Government imposed special excise duty on those things only and thus their income increased but it did not increase proportionately by this additional excise duty. Although this scheme benefited small traders a lot, leakage is less and it is convenient for the Government from administrative point of view also and also to the traders and consumers. Keeping these in view, I would like to know what steps Government are going to take to remove the objections of the State Governments regarding the introduction of special excise duty and will the Government seek the opinion of all State Governments, small traders' organisations and industrialists before taking any final decision ?

Shri P. C. Sethi : Mr. Deputy Speaker, Sir, so far as the State Governments are Concerned, although two-three State Governments had surely raised objections earlier but recently in the meeting of National Development Council almost all the State Chief Ministers were Unanimously of the view that we should return to the old pattern. So far as the additional Excise duty is concerned the States are getting double the amount what they were getting in 1958-59. This august House is aware of the benefits of this scheme. In this respect, Government is also of the same view, but the question is that the final decision can be taken only after having the views of the State Chief Ministers in the meeting of the National Development Council, we will place the representations received fiom the traders and Trade Associations before the meeting.

Shri Kanwar Lal Gupta : Their objection is that due to the introduction of special excise duty during the last ten years, it has increased by 70 percent and there has been an increase of 40 percent in additional excise duty. How the Government is going to remove this objection ? This is my first question the second question I will ask later on.

Shri P. C. Sethi : There are only two ways to do that : either we should revert to the old pattern or we should find out some other way after having the consent of State Governments. If some way comes out then the present system will continue and if not and the State Governments put a pressure then we will have to think over it in this direction.

Shri Kanwar Lal Gupta : Some of the States and Industrial organisation demanded of the Commission that this system is so good that it has given a lot of relief to consumers and as such will they consider to adopt the same system in relation to iron, cement, paper and tea and on the first point will you charge from the consumer and withdraw the sales tax ?

Secondly, whether it is also correct that Finance Commission recommended to give more share to Union Territories. They are getting less at present.

Shri P. C. Sethi : The representative of no other State except Delhi expressed this view because generally traders are in favour of the present system. But the State Governments are against it and as I have already said it will be discussed in all its aspects with all the States in the meeting of National Development Council. So far as the changes in this system are concerned they will be done only after seeking the suggestions of National Development Council. The share of the Union territories is determined on the basis of the recommendations of Finance Commission.

Shri Suraj Bhan : Mr. Deputy speaker, Sir, State Governments disagree because they get less amount. For getting more they put forth such proposals. Will the Government therefore, find out any method by which the States may get more funds and they may agree with you ? Otherwise, the present system may be continued. What system Government propose to adopt out of these two ? Either you give more to States or continue the old method.

Shri P. C. Sethi : The amount which the State Governments are getting now out of this tax is almost double the amount they were getting in 1958-59. In comparison to that there has been a great increase in consumers duty. Now the question is whether Government should change this scheme or replace it by a different scheme so that the States may get more share. This will be decided after holding consultations with them in respect of this entire issue.

श्री एस० आर० दामानी : जब इन वस्तुओं के बिक्री कर को उत्पादन कर में बदला गया था तो ऐसा करने के कुछ विशेष कारण थे जैसे इस व्यवसाय को अपनाने के लिए छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन देना। वह उद्देश्य सिद्ध हो गया है। क्योंकि बिक्री कर आदि का कोई झंझट नहीं है, बहुत से छोटे व्यापारी व्यापार चालू कर सकते हैं और यह व्यवसाय अपना सकते हैं तथा वे ऐसा कर रहे हैं। यदि इस उत्पादन कर को पुनः बिक्री कर में बदल दिया जाता है तो इससे छोटे व्यापारियों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा तथा इससे बेरोजगारी पैदा होगी। इसलिए, कोई निर्णय लेने से पहले सरकार इस बात पर विचार कर ले कि छोटे व्यापारियों पर जिनकी कि हमें अधिक चिन्ता है, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है।

दूसरे जहां तक उत्पादन-कर का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार का रवैया राज्य सरकारों के प्रति अधिक अच्छा नहीं रहा है। उनकी शिकायतें उचित और सही हैं। जब कभी भी इन वस्तुओं पर उत्पादन कर बढ़ाया गया, अतिरिक्त उत्पादन कर, जिसमें से कि राज्यों को हिस्सा मिलना है, नहीं बढ़ाया गया। राज्यों की शिकायतों को दूर करने के लिए सर्वसम्मति से कोई निर्णय किया जाना चाहिए, जिससे कि यह सुविधा जारी रहे, कुछ अन्य चीज़ों पर भी जिन पर बिक्री कर लिया जाता है, उत्पादन कर लगाया जा सके, छोटे व्यापारियों को स्वतः नियोजन के अवसर मिल सकें और व्यापार में वृद्धि हो सके।

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक इस योजना के अन्तर्गत अन्य वस्तुओं को लाने का सवाल है, इस बात की जांच डा० बी० सी० राय की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने की थी।

श्री रंगा : यह बहुत पहले हुआ था।

श्री प्र० चं० सेठी : अन्य राज्य सरकारों से सलाह की गई थी और बहुत ही कठिनाई से केवल एक अन्य वस्तु कृत्रिम रेशम को इसके अन्तर्गत लाया जा सका। अतः राज्य सरकारों का इस बात से सहमत होना अत्यन्त कठिन है।

श्री कंवर लाल गुप्त : मंत्री महोदय की क्या राय है ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक वर्तमान योजना का सम्बन्ध है, मैं सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि केसकर समिति ने यह सलाह दी थी कि चुंगी कर लगाना व्यापार के लिए हानिकर है तथा इससे वस्तुओं और लोगों के आसानी से आने-जाने में सहायता नहीं मिलती। अतः चुंगी कर को किसी प्रकार के म्युनिसिपल कर या बिक्री कर में बदल कर लगाना चाहिए तथा इस विचार के अनुसार भी पुनः बिक्री कर लगाने की बात पर विचार करना चाहिए। पर यह सच नहीं है कि अतिरिक्त उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई हैं। अतिरिक्त उत्पादन कर भी 1958-59 की तुलना में दुगुना हो गया है।

श्री चेंगलराया नायडू : बिक्री कर लगाने पर जोर डालने का कारण यह है कि कुछ मुख्य मंत्री यह सोचते हैं कि उत्पादन कर से उन्हें जितने प्रतिशत धन मिलता है, वह कम है। यदि बिक्री कर लगाया गया तो ईमानदार व्यापारियों को नुकसान होगा तथा भ्रष्टाचार और बेईमानी में बढ़ोतरी होगी। बेईमानी और भ्रष्टाचार को रोकने और व्यापारियों को सच्चाई से व्यापार करने के लिए क्या सरकार उत्पादन कर में एक चौथाई की वृद्धि करने पर विचार करेगी और इस दिक्कत से बचने के लिए इसे राज्य सरकारों को देगी ? एक बात और। आप इस मामले को राष्ट्रीय विकास परिषद को क्यों सौंपते हैं। इसे उन्हें सौंपने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार इस सम्बन्ध में निर्णय ले सकती है। क्या मैं सरकार से यह जान सकता हूं कि क्या वह इस मामले को राष्ट्रीय विकास परिषद से वापिस ले लेगी और सीधे यह घोषणा कर देगी कि उत्पादन शुल्क बरकरार रहेगा ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक वर्तमान योजना के लाभों का सम्बन्ध है, इससे राज्य सरकारें और मुख्य मंत्री पूरी तरह अवगत हैं क्योंकि वर्तमान योजना से बहुत-सी कठिनाइयों से बच जाते हैं जो कि बिक्री कर लगाने पर पैदा हो जायेंगी। यहां कर को साधन के रूप में इकट्ठा किया जाना है इसलिए इसे वसूल करना आसान है। इसमें कर अपवंचन के कम अवसर हैं। राज्य सरकारें यह शिकायत करती रही हैं कि यदि उन्हें पूरी स्वतंत्रता दे दी जाये तो उन्हें बिक्री कर से अधिक आय हो सकती है। इसी कारण वे केन्द्रीय सरकार को पुनः पुराने तरीके के अपनाने पर जोर डाल रही हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के बीच इस बात का फैसला हो गया है और इसलिए राष्ट्रीय विकास परिषद और सम्बन्धित राज्य सरकारों से सलाह किए बिना किसी निर्णय पर पहुंचना उचित नहीं होगा।

Shri Manibhai Patel : I would like to draw the attention of the Hon. Minister to the fact that from 1952 to 1970 Finance Commission had put forth and change their opinion several times. At one time they say that sales tax should be imposed and at another time they say that it be abolished. Once they said that excise duty should be levied at another time they

said that it be abolished. This sort of changing their opinion time and again creates many difficulties. I request the Government to come to a firm decision and then put it into action. My suggestion is that after removing all kinds of sales tax they should impose taxes in the form of excise duty and they may impose as much as duty as they want. Secondly, there should be Government godowns and the goods should be kept there. If the goods remain there, it will be good to charge excise duty only once. Its administration will be easy and these day-to-day difficulties will end once for all. Other countries of the world also have this type of arrangement. Some representatives have put forward this view. Will the Hon. Minister think over it.

श्री प्र० चं० सेठी : पांचवें वित्त आयोग ने इस पर विचार किया है। आयोग ने भी यही कहा है कि वर्तमान योजना को लागू रखना सुविधाजनक है। पर उसी समय विभिन्न राज्य सरकारों के विरोध को देखते हुए उन्होंने यह सिफारिश की कि जब तक राज्य सरकारों की अनुमति मिलती है वर्तमान प्रणाली को चालू रखा जाये तथा इस मामले को राष्ट्रीय विकास परिषद में लिया जाये। इसी कारण से यह मामला पांचवें वित्त आयोग की सिफारिश पर लिया गया। सब वस्तुओं को सरकारी गोदामों में रखना कठिन है।

श्री एस० कन्डप्पन : पांचवें वित्त आयोग ने अपने प्रतिवेदन में अतिरिक्त उत्पादनकर को बिक्री कर में बदलने के सम्बन्ध में पर्याप्त विचार किया है तथा जिन राज्य सरकारों ने अपने मामले पर जोर दिया है उनकी संख्या उन्होंने आठ बताई है और मेरे विचार से माननीय मंत्री ने हमें यह बता कर कि केवल तीन राज्यों ने इसकी मांग की थी, हमें गुमराह किया है। तथापि अब एक अन्य सवाल के उत्तर में उन्होंने यह बात साफ कर दी कि हाल ही की राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में लगभग सभी राज्यों ने अतिरिक्त उत्पादन कर के बदले बिक्री कर लगाने की मांग की। राज्यों को इस मांग को देखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य सरकारों की मांग को मानने में सरकार को कितना समय लगेगा और अगर वे उसे नहीं मान रहे हैं तो उनका उसके बदले में क्या करने का विचार है तथा उस दिशा में उन्होंने क्या प्रगति की है ?

श्री प्र० चं० सेठी : मैंने सभा को गुमराह नहीं किया है। जैसा कि माननीय सदस्य श्री कंवर लाल गुप्ता ने कहा है, मैंने कहा था कि पहले इसका विरोध दो या तीन राज्यों ने किया था। अब मेरा कहना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद···

श्री एस० कन्डप्पन : मैं उस प्रतिवेदन का हवाला दे रहा हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि आठ राज्यों ने इसका विरोध किया है।

श्री पीलु मोडी : क्या आपने प्रतिवेदन पढ़ा है ?

श्री एस० कन्डप्पन : मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री को इस प्रतिवेदन को मुझसे अधिक सावधानी से पढ़ना चाहिए।

श्री प्र० चं० सेठी : उस समय कुछ मतभेद था तथा दो या तीन राज्य सरकारों ने हमें लिखा था। जहां तक वित्त आयोग का सम्बन्ध है, कुछ राज्य पक्ष में थे और कुछ विपक्ष में, इसीलिए मैंने इसे यह कह कर साफ कर दिया कि राष्ट्रीय विकास परिषद में दिल्ली को छोड़कर लगभग अभी राज्य सरकारें एक मत थीं।

अन्तिम निर्णय पर पहुंचने में हम जल्दी करेंगे। परन्तु जब तक यह होता है, हम एक अधिनियम के अन्तर्गत अन्तिमरूप से प्रणाली को बदलने से पहले वर्तमान प्रणाली को चालू रख सकते हैं।

श्री एस० कन्डप्पन : मेरा सवाल बिल्कुल सीधा था। मंत्री महोदय ने बार-बार यही उत्तर दिया कि अन्तिम निर्णय मुख्य मंत्रियों से सलाह करने के बाद ही किया जायेगा और मुख्य मंत्रियों ने केन्द्रीय सरकार की इच्छा के विरुद्ध निर्णय किया। अब सवाल यह है कि उनका क्या करने का विचार है ? क्या वे मुख्य मंत्रियों से अलग-अलग बातचीत कर रहे हैं और उनकी मांगों को किसी प्रकार पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिससे कि वे इस प्रणाली को चालू रख सकें ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह कहना गलत है कि उन्होंने हमारी इच्छा के विरुद्ध निर्णय किया है। हम पूरी पृष्ठभूमि और दोनों मत मुख्य मंत्रियों और सरकारों के सम्मुख रख रहे हैं। उनके बीच एक परिपत्र जारी कर दिया गया है तथा इसके जारी करने के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद की एक समिति, जिसमें मुख्य मंत्रियों का प्रतिनिधित्व होगा, इस समूचे मामले पर विचार करेगी। इस समिति द्वारा परीक्षण करने के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद की एक पूर्ण बैठक इस प्रश्न पर विचार करेगी।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : बहुत ही आश्चर्य की बात है कि वित्त आयोग जैसे अनुभवी निकाय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष वस्तुतः प्रतिगामी हैं। इस सिफारिश की निन्दा प्रायः सभी लोगों ने की है और सदन में सिवाय श्री एस० कण्डप्पन के, अधिकांश माननीय सदस्यों का विचार है कि उत्पादन-शुल्क को बिक्री-कर में पुनः बदलने की कार्रवाई प्रतिगामी सिद्ध होगी और ऐसा करना राष्ट्र-हित के विरुद्ध होगा। इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा और छोटे व्यापारियों को आनुपातिक लाभ नहीं मिलेगा और परेशानी होगी। मेरा प्रश्न यह है कि जब बिक्री-कर को अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क में बदला गया था तो उस समय राजस्व की मात्रा कितनी थी और आजकल अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क से कितना राजस्व प्राप्त होता है ? क्या सरकार ने यह अनुमान लगाया है या गौर किया है कि यदि पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाए तो बिक्री-कर से कितना राजस्व प्राप्त होगा ? कर वसूल करने पर कितना व्यय होगा ?

श्री प्र० चं० सेठी : राज्यों के लिए वित्त आयोग द्वारा किए गए परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए मूल धन-राशि 32.3 करोड़ है। जहां तक इस धन-राशि का सम्बन्ध है, उन्हें धन-राशि देने का आश्वासन दिया गया है। इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त शुल्क से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त धन-राशि 73 करोड़ रुपये बैठती है। इस विचार से राज्यों को बिक्री-कर के बदले में जाने वाली धन-राशि प्रारम्भ में 32 करोड़ थी। अब यह राशि 72.3 करोड़ रुपये है। इसलिए मैंने कहा है कि यह धन-राशि आगे से दुगुनी हो गई है। यह वर्तमान स्थिति है। जहां तक वित्त आयोग का सम्बन्ध है, उनका अनुभव है कि वर्तमान पद्धति अच्छी है। फिर भी, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्य-सरकारों ने इस बात पर जोर दिया है कि पुरानी

पद्धति को फिर चालू किया जाए, वे स्वयं इस बात की सिफारिश करते हैं कि इस मामले को राष्ट्रीय विकास परिषद में विचार-विमर्श द्वारा सुलझाया जाए ।

जहां तक बिक्री-कर से प्राप्त आय का सम्बन्ध है, वह अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के अन्तर्गत आती है । हालांकि हम कर-वसूली के मामले को राज्य-सरकारों के हवाले कर दें, अगर वे इस कोटि में नहीं आतीं, तो भी वे प्रत्येक वस्तु पर तीन प्रतिशत से ऊपर कर नहीं लगा सकतीं । अतः सदन को धारा 14 एवं 15 को बदलने एवं अन्तरण के बारे में अपना निर्णय देना होगा ।

श्री अमृत नाहाटा : क्या सरकार को यह पता है कि बिक्री-कर बहुत बुरा कर है । यह लचीला नहीं है अर्थात् अगर कर वसूल करने वाले कर्मचारी न बदले जाएं तो बिक्री-कर से प्राप्त धन-राशि न अपने आप बढ़ती है और न ही कम होती है । दूसरे इससे कर अपवंचन की काफी गुंजायश है और तीसरे इससे छोटे व्यापारियों को बड़ी परेशानी होती है । क्या सरकार को पता है कि बिक्री-कर की तुलना में उत्पादन शुल्क कम बुरा है, अतः **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिये ।

श्री अमृत नाहाटा : महोदय, कर लगाने के इस प्रारम्भिक सिद्धान्त को देख कर कोई भी अर्थशास्त्री यह सलाह देगा कि बिक्री-कर को समाप्त कर उत्पादन-शुल्क में शामिल कर दिया जाए । इस विचार का विरोध केवल वही राज्य कर सकते हैं जो बिक्री-कर से काफी मात्रा में धन कमाते हैं । क्या सरकार उन राज्यों को यह आश्वासन नहीं दे सकती कि बिक्री-कर को समाप्त कर उत्पादन शुल्क में मिलाने से जो राजस्व प्राप्त होगा, उसे सभी राज्यों में पूरा-पूरा बांट दिया जाएगा ? बिक्री-कर को समाप्त कर उत्पादन शुल्क में मिलाने से यह निश्चित है कि पिछड़े राज्यों का हित होगा । क्या केन्द्रीय सरकार इस बात पर विचार करेगी और विशेषज्ञों की राय लेगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : अच्छा है कि श्री नाहाटा भी श्री कोठारी से सहमत हैं । **(व्यवधान)** जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, बिक्री-कर अधिक बोझल है और सामान्यतः इसे वसूल करना कठिन होता है और इसी कारण कई असुविधाएं उत्पन्न हो जाती हैं । अतः स्त्रोत पर कर-संग्रह करना लाभदायक होता है । लेकिन राज्य सरकार का यह दावा है कि अगर उन्हें वस्तुओं पर कर लगाने की अनुमति दी जाए तो शायद उन्हें बिक्री-कर से जो आय प्राप्त होगी, वह अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क से प्राप्त धन-राशि के हिस्से से अधिक होगी । इसलिए मैंने कहा है कि इस मामले पर राष्ट्रीय विकास परिषद में विचार-विमर्श किया जाना चाहिए । यदि माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए गए विकल्प क्रियान्वित किए जा सकें या समस्या का कोई अन्य हल निकाला जा सके, तो हम इसका स्वागत करेंगे, परन्तु इन्हें मानना राज्य-सरकार की सामान्य स्वीकृति पर ही निर्भर होगा ।

श्री ई० के० नायनार : महोदय, सभी कर बुरे होते हैं । लेकिन यहां, कुछ पिछड़े राज्यों को केन्द्र से न्याय अथवा उनका हिस्सा नहीं मिल रहा है । क्या सरकार करों को समाप्त करने

से सम्बन्धित विषय पर केन्द्रीय विक्री-कर परिषद् की स्थापना करेगी ? **(व्यवधान)** क्योंकि उत्पादन-शुल्क एवं विक्री-कर दो समस्याएं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछें।

श्री ई० के० नायनार : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार नीति निर्धारित करने, कर वसूल करने की विधा तथा अन्य वित्तीय मामलों पर विचार करने के लिए केन्द्रीय विक्री-कर परिषद् की स्थापना के प्रश्न पर विचार करेगी और क्या यह प्रस्तावित परिषद् सभी समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए अपना एक सचिवालय खोलेगी और क्या परिषद् सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगी ? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह कहना ठीक नहीं है कि केन्द्रीय सरकार प्राप्त राजस्व को बांटने में ईमानदारी नहीं बरतती क्योंकि राजस्व का वितरण उन विभिन्न वित्त आयोगों की सिफारिशों पर आधारित है जो इस मामले पर गहराई से विचार कर चुके हैं। वर्तमान वित्त आयोग का निर्णय सरकार ने स्वीकार कर लिया है और इसलिए **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : वित्त आयोग ने न्याय नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें उत्तर देने दीजिए।

श्री ई० के० नायनार : वित्त आयोग की सिफारिशें राजनीतिक लक्ष्यों से प्रेरित हैं। **(व्यवधान)**

श्री प्र० चं० सेठी : बात यह है कि राजस्व का वितरण सरकारी निर्णय के अनुसार न होकर वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर होता है। यह काफी शक्तिशाली आयोग है जो समस्याओं पर गहराई से विचार करता है। अतः वित्त आयोग पर कीचड़ उछालना उचित नहीं। पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों को धन प्राप्त होने सम्बन्धी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने योजना आयोग से अपील की है कि वे राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से बातचीत करें ताकि उन्हें और धन-राशि उपलब्ध कराई जा सके। इसलिये विनियोग-विधेयक में 275 करोड़ रुपये एवं 175 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

श्री ई० के० नायनार : सरकार की मेरे प्रस्ताव पर क्या राय है ? क्या सरकार इसे स्वीकार करेगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : सरकार के विचार में इस मामले में वित्त आयोग द्वारा विचार किया जाना ही उचित है। अतः सरकार का विचार इसको बदलने का नहीं है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : जहां तक उत्पादन शुल्क को विक्री-कर में पुनः मिला देने का प्रश्न है, इसका सारे माननीय सदस्यों ने विरोध किया है। इसके कारण देश के विभिन्न भागों

में कठिनाइयां एवं उत्तेजना पैदा हो रही है। उत्पादन-शुल्क का पुनः बिक्री-कर में मिला देना कुछ राज्यों के लिए लाभदायी हो सकता है। जब सी० राजगोपालाचारी ने सबसे पहले इसे पेश किया तो इसे कामधेनु समझा गया। क्या मैं जान सकता हूं कि इस दुगुने कर लगाने से सत्ता का दुरुपयोग एवं छोटे व्यापारियों को परेशानी नहीं होगी ? छोटे व्यापारियों ने विभिन्न प्रतिवेदनों में कहा है कि वे परेशानी से दूर होने की बजाय अतिरिक्त उत्पादन शुल्क देना अधिक पसन्द करेंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस मामले को आपसी विचार-विमर्श द्वारा सुलझाने तथा वर्तमान पद्धति को चालू रखने के लिये मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाएगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : माननीय सदस्यों का अपना बड़ा प्रभाव है और उन्हें चाहिए कि वे राज्य-सरकारों से यह मामला उठायें। जैसा कि मैंने कहा सरकार अपने विचार मुख्य मंत्रियों के समक्ष रखेगी और तभी निष्कर्ष पर पहुंचेगी।

श्री धीरेश्वर कलिता : मैं जानना चाहता हूं कि इन वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क लगाने के बाद कितना धन प्राप्त हुआ है ? इस धन-राशि में से इन वर्षों में प्रत्येक राज्य को कितना धन दिया गया है ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक 1958-59 में लगाए गए मूल उत्पादन-शुल्क का सम्बन्ध है, प्राप्त धन राशि 46-52 करोड़ रुपये थी। 1969 में 80.06 करोड़ रुपये की धन-राशि वसूल की गई थी।

1968-69 में अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क से प्राप्त धन-राशि 13.75 करोड़ थी और अब यह राशि 16.75 करोड़ रुपये है। तम्बाकू से प्राप्त धन-राशि 1958-59 में 7.26 करोड़ रुपये थी और अब यह 23.09 करोड़ रुपये है। कपड़ों तथा अन्य वस्तुओं से अतिरिक्त शुल्क 21.23 करोड़ वसूल किया गया था। अब यह राशि 22.75 करोड़ रुपये हो गई है।

श्री धीरेश्वर कलिता : मेरा प्रश्न कर-वसूली के बारे में था। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं यह जानना चाहता था कि इन वस्तुओं पर वसूल की गई धन-राशि कितनी थी और इन वर्षों में प्रत्येक राज्य को कितना-कितना धन दिया गया ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक मूल उत्पादन-शुल्क का सम्बन्ध है, इनसे प्राप्त धन राशि वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप राज्यों मे बांट दी जाती है। जहां तक अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क का सम्बन्ध है, उससे प्राप्त धन-राशि वसूली पर हुए व्यय को घटाकर राज्य-सरकारों को दी जाती है।

श्री नन्द कुमार सोमानी : जब कोई माननीय सदस्य वित्त आयोग की सिफारिशों के पक्ष-विपक्ष पर बोलता है तो पता नहीं चलता कि तकनीकी एवं राजनीतिक मामलों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की अवैध रूप से बनाई गई उपसमिति के बारे में इतनी दलीलें क्यों दी जाती हैं ? फिर भी, जो भी कठिनाइयां बताई गई हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहूंगा कि जब बिक्री-कर को उत्पादन-शुल्क में बदला गया था तो क्या उस समय राष्ट्रीय विकास परिषद से राय ली गई थी ?

दूसरे, अब चूंकि उपसमिति बनाई जा चुकी है तो क्या उनसे कहा गया है कि वह इस मामले से सम्बद्ध सभी की, जिसमें वित्त मंत्रालय भी शामिल है, राय ले लें ?

श्री प्र० चं० सेठी : राष्ट्रीय विकास परिषद की उपसमिति को गैर-कानूनी बताना संगत नहीं है । जब पद्धति में परिवर्तन किया गया तो उसकी राय ली गई थी और राज्य-सरकारों की सहमति से 1950 में यह परिवर्तन किया गया था । जब इस मामले पर दुबारा विचार हुआ, मुख्यमंत्री की राय ली गई और श्री बिधान चन्द्र राय ने अन्य मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर इस प्रश्न पर विचार किया और अन्ततः सिफारिश की कि नकली रेशम को भी शामिल कर लिया जाए । अतः प्रारम्भ से ही, जब से यह परिवर्तन किया गया, सरकार ने राज्य-सरकारों से राय ली थी और अब भी सरकार उनकी राय लेना चाहती है ।

वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को उनके पुत्रों के लिये विदेशों से प्राप्त आतिथ्य की पेशकश

+

*813. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :**

श्री राम चरण :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त मंत्रालय (सचिवालय में) ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है, जिन्हें 1969 के दौरान उनके पुत्रों के लिये विदेशों के लोगों से आतिथ्य की पेशकश प्राप्त हुई ;

(ख) विदेशियों से प्राप्त पत्रों के आधार पर कितने अधिकारियों ने अतिथ्य की पेशकश स्वीकार करने के लिये सरकार से अनुमति मांगी ;

(ग) अधिकारियों के विदेशियों से गलत सम्पर्क के कितने मामलों के बारे में सरकार को बताया गया तथा सूचना विभाग द्वारा उनकी जांच कराने की मांग की गई और उसका क्या परिणाम रहा ;

(घ) कितने मामलों में अनुमति दी गई और कितने मामलों में अनुमति नहीं दी गई ; और

(ङ) क्या विदेशियों से प्राप्त उन सभी पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी जिनके आधार पर अनुमति दी गई अथवा नहीं दी गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). 1969 में एक ऐसा मामला था जिसमें वित्त मंत्रालय के सचिवालय के एक अधिकारी ने, अपने पुत्र को एक विदेशी राष्ट्रजन द्वारा विदेश में उसके साथ दो सप्ताह की छुट्टी बिताने के लिए दिये गये निमंत्रण को स्वीकार करने की अनुमति मांगी थी । आवश्यक जांच-पड़ताल करने के बाद, अनुमति दे दी गई थी ।

(ग) प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित मामले के बारे में ही वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय में एक-एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिनमें अन्य बातों के साथ साथ यह सुझाव दिया गया था कि निमंत्रण देने वाले विदेशी के साथ इस अधिकारी का जो सम्पर्क है, उस पर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है। जो दूसरा पत्र गृह मंत्रालय में प्राप्त हुआ था, उसमें खुफिया ब्यूरो (इंटेलीजेन्स ब्यूरो) द्वारा जांच किये जाने की आवश्यकता भी बताई गई थी। पर ये दोनों पत्र, अनुमति मांगने और अनुमति दिये जाने के काफी देर बाद प्राप्त हुए थे।

(घ) वित्त मंत्रालय के मूल सचिवालय में, प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित मामले को छोड़ कर और ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें ऐसी 'कोई अनुमति मांगी और प्रदान अथवा अस्वीकार की गई हो।

(ङ) जी, नहीं।

Shri Chandra Shekhar Singh : May I know the reasons why a copy of the letter of the foreign national, on the basis of which the officer's son was permitted to go to Bangkok, can not be laid on the Table of the House. Will the Hon'ble Speaker grant permission to lay a copy of the letter on the Table of the House.

Shri P. C. Sethi : The letter referred to by the Hon'ble Member was received by the officer in his individual capacity and it is improper to lay such correspondence on the Table of the House.

Shri Yogendra Sharma : Was that a personal letter, on the basis of which permission was granted to the son of the officer for going a broad.

श्री हेम बरुआ : हमारे पास पत्र की प्रतिलिपियां हैं। हम उनके नाम बता सकते हैं। बैंकाक में रह रहे एक विदेशी पाल ग्रैन्डी ने हिन्दी अधिकारी श्री पारसाई को लिखा है। जब श्री मोरार जी देसाई वित्त तथा उप प्रधान मंत्री थे, इस व्यक्ति के विरुद्ध उन्हें शिकायत की गई थी। किन्तु उनके खिलाफ कोई कर्यवाई नहीं की गई। वह ज्योतिष विद्या का दुरुपयोग करते हैं। इसकी जांच कराई जाए।

Shri Chandra Shekhar Singh : How far it is true that this officer has presented to the Prime Minister and some other Ministers amulets made in gold. It appears no inquiry is being made on account of that.

Shri P. C. Sethi : It is not true that such amulets have been presented. There is no doubt that astrology has been a favourite persuit in the family of this officer since long and they have been making astrological predictions.

Shri Ram Charan : Before asking any question, I would like to throw some light on the past history of this Hindi Officer Shri K. B. Parsai. He was declared unfit by the Directorate of Revenue Intelligence in 1965. Thereafter he was appointed as an officer in the Ministry of Finance. His business is to make golden amulets, for which he has been granted permission by the Government. He receives secret donations from foreigners and Ministers. He has constructed a building at Indore worth Rs. two or three lakhs. Hon'ble Minister has said that letter can not be laid on the Table of the House. I want to read out few lines from that letter. The letter is dated 7th April, 1969 and has been written by Shri Paul Grandy to Shri Parsai. It is

written there in :

"Business now is also getting better and I know that I will make it".

"The milk account hasn't come through yet but I think if the company will use advertising as sales builder, P. A. G. will get the account."

What is this milk account. Is it something about gold—(**Interruptions**)

Shri Suraj Bhan : I want to raise a point of order. The letter, from which Shri Ram Charan is quoting should be laid on the Table of the House.

श्री एस० कंडप्पन : यह सामान्य नियम है कि जब इस प्रकार के प्रलेख से उद्धरण दिया जाता है, तब उसे सभा-पटल पर रखना पड़ता है ।

Shri Ram Charan : He has further said "....things sure did not look too rosy. Business taking a good turn now however...."

I want to know what I have said about that letter is it contained in that letter or not ? I also wish to know whether they have any link with smugglers of Bangkok and those of foreign countries ? What is the profession of the officer named by me and just now my friend has said that he presents golden amulets to Ministers, Deputy Ministers and Prime Minister. I do not want to go into the details. Has the government permitted him to keep pure gold and can he sell these golden amulets in the market ? Will the government appoint a committee to look into these aspects of the matter ?

I also want to know whether he has requested the government for permission to file a suit against those five or six M. P's who have complained against him ?

Shri P. C. Sethi : So far as the question of amulets of gold is concerned it has been asked whether he has such amulets or not. I have told that he has got a golden amulet.

Dr. Ram Subhag Singh : Who has got it.

Shri P. C. Sethi : Shri Parsai, the Hindi officer. For the first time I have come to know that he presents such amulets to people. I will look into it. But as I have told he has not presented such an amulet to the Prime Minister.

So far as the letter is concerned, you know some of our people also have weakness for astrology, it is also possible that some foreigners may have such weakness and because of it he may have got some relation with them.

Shri Ram Charan : The letter, from which I have quoted, should be placed on the Table of the House and the reality will come to light. One can easily make out from the language of the letter that he has got some link with smugglers and you are trying to conceal it.

Shri P. C. Sethi : There is no such complaint that he has connection with smugglers. The Hon'ble Member has mentioned it for the first time in the House. We will look into it.

Shri Ram Charan : Can he name those five or six M. P's who have written to him and against whom permission has also been sought to file a suit—(**Interruptions**)

श्री हेम बरुआ : इस अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अनेक आरोप लगाए गए हैं। आपको इसकी जांच करानी चाहिए ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मेरे सहयोगी ने कहा कि उन पर पहले यह आरोप नहीं लगाया गया था। अब जब यह कहा गया है हम निश्चय ही इसकी जांच कराएंगे।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : यह घटना उन अनेक घटनाओं में से एक है जिनमें कि विदेशी सहायता लेकर विभिन्न उपायों से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भंग किया जाता है। क्या मंत्री महोदय इस बात को जानते हैं कि 'इन्टरनेशनल और फर्टीलाइजर कम्पनी' के निदेशक मंडल में वित्त मंत्रालय के भूतपूर्व सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष, गृह-मंत्रालय के भूतपूर्व सह-सचिव, 'राष्ट्रीय खनिज विकास निगम' के भूतपूर्व अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक श्री रहमतुल्ला हैं और इन लोगों का विदेश मंत्रालय के सचिव से भी घनिष्ठ सम्बन्ध है और साथ ही अमरीका की फर्मों के साथ भी इनका सम्बन्ध है। इस प्रकार यह भारत सरकार की उर्वरक नीति को भंग कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस मामले की जांच कराएगी और निष्कर्षों को सदन के सम्मुख प्रस्तुत करेगी।

श्री प्र० चं० सेठी : यह मामला इस प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : इस प्रश्न का उठना स्वाभाविक है क्योंकि वित्तमंत्रालय के भूतपूर्व सचिव इसमें अन्तर्ग्रस्त हैं।

श्री प्र० चं० सेठी : मैं सदन में यह बताना चाहूंगा कि सम्बद्ध व्यक्ति के प्रति प्रशासनिक कार्यवाही के लिए कोई आरोप नहीं है। वह अंग्रेजी का हिन्दी में अनुवाद करते हैं अतः यह ऐसा मामला नहीं है जहां कि अधिकारी ने..... (**व्यवधान**)

प्रधान मंत्री ने कहा है तथा मैं भी कह चुका हूं कि कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ ऐसे प्रश्न उठाये हैं जिनके लिए निश्चय ही हम इस मामले की जांच करेंगे तथा आगे जांच करेंगे..... (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

Shri Suraj Bhan : He has got buildings built worth Rs. Two lakh, one is in his name and the other is in the name his wife—it shows—(**Interruptions**)

उपाध्यक्ष महोदय : शान्त, शान्त। श्री विश्वम्भरन।

श्री हेम बरुआ : सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस आदमी को मंत्रालय से बर्खास्त कर दिया जाय (**व्यवधान**)

श्री कंवर लाल गुप्त : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया एक एक करके बोलिये।

श्री क० लकप्पा : इस पर आधे-घंटे की चर्चा होने दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लकप्पा, आपके पास बहुत से साधन हैं। मैं तो सदन की कार्यवाही का केवल मार्गदर्शन कर रहा हूं। अब बारह बज गये हैं इसलिये मैं अगली कार्यवाही को ले रहा हूं।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Deputy Speaker, I rise on a point of order. According to rules questions in the House can be asked upto 12 O'Clock but you have stopped two or three minutes ahead of time..

उपाध्यक्ष महोदय : मैं वहां पर लगी दीवालघड़ी की ओर नहीं देख रहा हूं । मैं तो अपनी मेज पर रखी हुई घड़ी की ओर देख रहा हूं ।

Shri Kanwar Lal Gupta : You must not shield the Minister like this. This is a wrong practice. The Prime Minister is listening to it sitting silently. Let her say that full-fledged enquiry would be made. I request that the Prime Minister should say that enquiry would be held. Why does she not want the enquiry to be held..(**Interruptions**)..

कई माननीय सदस्य खड़े हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप उत्तरों से संतुष्ट नहीं हैं तो और भी बहुत रास्ते हैं— आप कोई सा भी अपना सकते हैं ।

श्री क० लकप्पा : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत से अधिकारी इसमें शामिल हैं तथा आप और अधिक अनुपूरक प्रश्नों को पूछने की इजाजत नहीं दे रहे हैं । (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लकप्पा, आप कृपया लिख कर दे दीजिये तो उस पर विचार कर लिया जायेगा ।

श्री पीलु मोडी : महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि आपकी घड़ी को सदन की अन्य दीवाल-घड़ियों से मिलाने के लिये कितने रास्ते खुले हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसकी जांच की जा सकती है । यांत्रिक त्रुटि हो सकती है । मैं मानता हूं कि यंत्र काम करने में गड़बड़ कर सकते हैं और मानव भी कर सकते हैं ।

श्री कंवरलाल गुप्त : अधिकारी के विरुद्ध सरकार को जांच करनी चाहिये । (**व्यवधान**)

कई माननीय सदस्य खड़े हुए ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं समझती थी कि मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि जो कोई आरोप लगाये गये थे उनकी जांच की जायगी अब कुछ भिन्न प्रकार के आरोप लगाये गये हैं तथा यह भी कहा गया है कि उसके कुछ वाक्यों का दूसरा अर्थ निकल सकता है । इसका अर्थ गुप्त अथवा कुछ और हो सकता है । मैंने स्पष्ट शब्दों में यह कहा है कि इन मामलों की जांच की जायेगी । (**व्यवधान**)

श्री क० लकप्पा : बहुत से वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल हैं । कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

अल्प-सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर के कोचीन डिवीजन में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना

अ०सू०प्र०सं० 13. श्री पी० विश्वम्भरन : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड ने कम्पनी के कोचीन डिवीजन में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या कोचीन डिवीजन में सुरक्षा और अग्नि-शमन विभाग के कर्मचारियों को उक्त विभाग को समाप्त करने के बारे में नोटिस जारी कर दिये गये हैं ; और

(ग) क्या कर्मचारियों ने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना के विरुद्ध फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल, त्रावनकोर के प्रबन्धक और सरकार को अभ्यावेदन दिया है और उनसे अनुरोध किया है कि उनकी सेवायें जारी रखी जायें ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर का प्रस्ताव है कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 कोचीन फर्टिलाइजर परियोजना में लागू किया जाये। तदनुसार सुरक्षा और आग-बुझाने के कर्मचारियों से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में शामिल होने के लिये अपना-अपना विकल्प देने का अनुरोध किया गया है।

(ग) फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर कोचीन प्रभाग कर्मचारी संघ ने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना के विरुद्ध प्रबन्धकों को अभ्यावेदन दिया है। भारत सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री पी० विश्वम्भरन : यदि मैंने ठीक से सुना हो तो सम्भवतः उनके उत्तर के अन्तिम वाक्य का आशय यह था कि भारत सरकार ने अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

श्री दा० रा० चह्वाण : मैंने कहा था कि कर्मचारी संघ से भारत सरकार को किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री पी० विश्वम्भरन : इस वर्ष 2 मार्च को ट्रावनकोर उर्वरक तथा रसायन के कोचीन प्रभाग के कर्मचारी व्यवस्थापक ने उस प्रभाग के सुरक्षा एवं आग विभाग के सब सदस्यों को ज्ञापन दिया जिसमें यह कहा गया है कि ट्रावनकोर उर्वरक तथा रसायन के कोचीन प्रभाग में सरकार ने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तुरन्त रखने का निर्णय किया है तथा इस विभाग के कर्मचारियों से 12 मार्च से पूर्व उनका विकल्प मांगा गया है। 9 मार्च को तो ज्ञापन जारी किया गया था तथा कर्मचारियों को 12 मार्च तक विकल्प दे देने को कहा गया था। जिसका अर्थ यह था कि उन्हें तीन दिन के अन्दर-अन्दर अपना विकल्प देना था कि वे केन्द्रीय औद्योगिक

सुरक्षा बल में जाने को तैयार हैं अथवा नौकरी से निकाले जाने के लिये तैयार हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि उस कारखाने में यह स्थिति उत्पन्न ही कैसे हुई। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम की धारा 14 के अनुसार किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के प्रबन्ध निदेशक के अनुरोध पर इस बल के किसी अनुभाग को आवश्यकता होने पर उस उपक्रम में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है ; उसी धारा के उप खंड (2) के अनुसार उस स्थिति के ठीक होने पर बल के वहां से वापिस बुलाया जा सकता है। मेरे ज्ञान के अनुसार कोचीन में कोई गम्भीर स्थिति नहीं है। अब मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ट्रावनकोर उर्वरक तथा रसायन के प्रबन्धकों ने कोचीन प्रभाग में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिरीक्षक से उस दल को वहां भेजने का अनुरोध किया था और यदि हां, तो क्या वहां के प्रबन्धकों ने उसकी आवश्यकता को स्पष्ट किया था ? इस अनुरोध के क्या कारण हैं और क्या ट्रावनकोर उर्वरक तथा रसायन के प्रबन्धकों ने केन्द्रीय सरकार अथवा इस बल के महानिरीक्षक को यह सूचना दी थी कि यदि यह बल वहां नहीं भेजा गया तो उस कारखाने में कानून तथा व्यवस्था कायम नहीं रखी जा सकती तथा कारखाने की सम्पत्ति की रक्षा नहीं की जा सकती। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या ट्रावनकोर उर्वरक तथा रसायन ने यह भी शिकायत की है कि उन्हें इस मामले में सहयोग देने तथा रक्षा करने में राज्य सरकार असफल हो गई ?

श्री दा० रा० चह्वाण : प्रथम प्रश्न के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि ट्रावनकोर उर्वरक तथा रसायन के प्रबन्ध निदेशक द्वारा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महा निरीक्षक से कोचीन प्रभाग में, जो कि ट्रावनकोर उर्वरक तथा रसायन का दूसरा प्रभाग है, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल रखने का अनुरोध किया था। जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है कि कोचीन प्रभाग में क्या उस बल को रखने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तो इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 14 से प्रबन्ध निदेशक की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। धारा 14 के अनुसार :

> "केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले किन्हीं सामान्य निदेशों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के किसी औद्योगिक उपक्रम के सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक की ओर से ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर जिसमें बल की प्रतिनियुक्ति करने की आवश्यकता दिखाई गई हो, महानिरीक्षक को यह कानूनी अधिकार होगा कि पर्यवेक्षी अधिकारी तथा इतने सैनिकों की प्रतिनियुक्ति करे जितने सैनिकों को औद्योगिक उपक्रमों तथा उससे सम्बद्ध संस्थानों को सुरक्षा करने के लिये आवश्यक समझे तथा इस प्रकार प्रतिनियुक्त किये गये अधिकारों तथा सैनिक प्रबन्ध निदेशक के अधीन होंगे।"

इसलिये यह सिद्ध हो गया कि प्रबन्ध निदेशक ने ही महानिरीक्षक को लिखा कि औद्योगिक उपक्रम में शान्ति एवं सुरक्षा कायम रखने के लिये उस बल का रखना आवश्यक है। आखिर यह सरकार नहीं बल्कि प्रबन्ध निदेशक ही है जिसे कि औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत घटनास्थल पर स्थिति का अवलोकन करना पड़ता है। प्रबन्ध निदेशक

ने महानिरीक्षक को जो अनुरोध किया उसका कारण यही था कि उसने कारखाने की सुरक्षा के हित में ऐसा किया। इसीलिये मैंने यह उत्तर दिया कि सरकार का इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है। जैसाकि मैंने अपने उत्तर के बाद वाले भाग में कहा सरकार से न तो कोई परामर्श ही लिया गया और न ही उसे कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ।

श्री धीरेश्वर कलिता : महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री जी कह रहे हैं कि सरकार का इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है तो वह फिर प्रश्न का उत्तर क्यों दे रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने वह उत्तर किसी भिन्न संदर्भ में दिया था।

श्री पी० विश्वम्भरन : उन्होंने एक प्रश्न का जवाब नहीं दिया। क्या सरकार को उर्वरक तथा रसायन ट्रावनकूट से कोई शिकायत प्राप्त हुई थी कि राज्य सरकार और पुलिस उन्हें सुरक्षा और सहयोग देने में असफल रही ?

श्री दा० रा० चह्वाण : राज्य सरकार से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

श्री पी० विश्वम्भरन : कहा जाता है कि इस खास विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को सुरक्षादल में स्वेच्छा से शामिल होने की अनुमति दी गई है। लेकिन अगर वे सुरक्षा दल में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो केन्द्रीय उद्योग सुरक्षादल के अधिकारी इनके बारे में जांच करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सुरक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों को औद्योगिक सुरक्षा दल में लिया जायगा या नहीं ? यदि कोई जांच से सहमत नहीं होता, तो क्या उसे उस कारखाने में अन्य नौकरी दिला दी जायेगी दूसरा, इन कर्मचारियों को जिन्हें एफ० ए० सी० टी० में कुछ विशेष सुविधायें और अधिकार प्राप्त हैं एक सुप्रभाव में सेना के समानांतर सुरक्षा दल में परिवर्तित कर दिया गया। क्या इससे वे अपने पूर्व सुविधाओं और विशेषाधिकारों से वंचित रह जायेंगे ?

श्री दा० रा० चह्वाण : पहले प्रश्न के उत्तर में मैं यह बताना चाहता हूं कि जब ये कर्मचारी औद्योगिक सुरक्षा दल में शामिल होने की इच्छा प्रकट करते हैं, और जब उन्हें चुन लिया जाता है, तो उनका इसमें विलय किया जाता है। जो स्वास्थ्य या अन्य दृष्टि से अयोग्य ठहराये जाते हैं उनके लिये दूसरी नौकरी प्रदान करने का दायित्व कारखाने की प्रबन्ध समिति पर है। दूसरी बात है, अगर ये औद्योगिक सुरक्षा दल में नियुक्त किये जाते हैं, तो उनकी वर्तमान सेवा शर्तें वैसी ही रहेंगी।

श्री पी० विश्वम्भरन : मैं उन कर्मचारियों के अधिकारों और विशेषाधिकारों के संबंध में पूछ रहा था।

श्री दा० रा० चह्वाण : सारे अधिकार, सारी उपलब्धियां, वेतन, भत्ते आदि पहले जैसे ही उन्हें मिलते रहेंगे।

श्री ए० श्रीधरन : उर्वरक तथा रसायन ट्रावनकोर लिमिटेड के मामलों में सरकार की अनभिज्ञता देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। उस कारखाने के कर्मचारियों ने 15 अप्रैल, 1970

से हड़ताल करने का निर्णय किया है । कर्मचारियों के प्रतिनिधियों द्वारा मुझे भेजे गये एक पत्र में कहा गया है कि सारे उपद्रवों का कारण प्रबन्ध समिति की ओर से जानबूझकर की जानेवाली उपेक्षा है । मैंने कई बार सूचित किया हैं कि जब तक वर्तमान प्रबन्ध समिति, खासकर प्रबन्ध निदेशक श्री एम० के० के० नायर बने रहेंगे, तब तक इस कारखाने का सारा काम अव्यवस्थित रहेगा । सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने इसकी निन्दा की है । केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा प्रबन्ध निदेशक के बारे में जांच चल रही है । राजनैतिक तौर पर और खासकर विधि मंत्री श्री पी० गोविन्द मेनन के द्वारा दबाव डालकर इस जांच को दबा देने का प्रयत्न चल रहा है ।

एक माननीय सदस्य : यह एक गम्भीर आरोप है ।

श्री ए० श्रीधरन : चूंकि मजदूरों के प्रति प्रबन्धकों की नीति में किये गये परिवर्तन के निहितार्थ को उन्हें समझा देने में प्रबन्धक समिति असफल रही, इसीलिये इस कारखाने में सारा उपद्रव मच गया । सबसे पहले मजदूरों को यह स्पष्टरूप से नहीं समझाया गया कि कुछ खास परिस्थितियों में उन्हें दूसरी नौकरी दिला दी जाएगी और पारिश्रमिक और अन्य बातें पहले जैसी रहेंगी । परसोनल मैनेजर श्री एन० गोपालकृष्णन नायर द्वारा जारी किये गये एक परिपत्र की प्रतिलिपि मुझे मिली है । उसमें इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं बताया गया है कि किस प्रकार की नौकरी दी जायेगी । उसमें यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि औद्योगिक सुरक्षा दल में शामिल होने की असहमति व्यक्त करने पर, उन्हें दूसरी नौकरी दी जायेगी । इस परिपत्र से यह बात भी स्पष्ट नहीं है कि जिन लोगों को औद्योगिक सुरक्षा दल द्वारा योग्य घोषित किया जाता है, उनका क्या होगा । इसमें केवल इतना कहा गया है कि जो अयोग्य घोषित किये जाते हैं, उन्हें दूसरी नौकरी प्रदान की जायेगी । उन कर्मचारियों का क्या होगा जो केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल में शामिल होने से असहमत होते हैं क्योंकि जब उनकी भर्ती हुई थी, उस समय उनसे यह नहीं बताया गया था कि आगे किसी भी समय केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल में भर्ती हेतु उन्हें बुला लिया जा सकता है । अगर वे इसमें शामिल होने की इच्छा नहीं व्यक्त करते हैं तो क्या सरकार उन्हें वर्तमान पद पर बना रहने देगी ? अगर सरकार उन्हें अपने वर्तमान पद पर बना रहने न देगी तो क्या उन्हें दूसरी नौकरी प्रदान करेगी जिसमें वर्तमान वेतन और सेवा शर्तें कायम रहें ? और क्या उनकी वरिष्ठता को मान्यता देकर उसे प्रभावी बना दिया जायगा ?

जिन कर्मचारियों को दूसरी नौकरी प्रदान की जायगी, उन्हें क्या वही वेतन प्राप्त होगा जो उन्हें कारखाने के सुरक्षादल की हैसियत से मिलता है, क्या उनकी वरिष्ठता और अन्य शर्तें पूरी की जायेंगी ?

श्री दा० रा० चह्वाण : जो लोग केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षादल में शामिल होने की इच्छा प्रकट करते हैं , मगर अयोग्य घोषित किये जाते हैं, उन्हें दूसरी नौकरी प्रदान की जायगी जिसमें उन्हें वही वेतन एवं अन्य सुविधायें प्राप्त होंगी जो उन्हें पहले मिलती थीं । जहां तक इससे अनिच्छा प्रकट करने वालों का सम्बन्ध है , केवल इस कारण कि औद्योगिक सुरक्षा अधिनियम वहां लागू किया गया है या कारखाने में सुरक्षादल को प्रवेश कराया गया है,

इन लोगों को नौकरी से निकाल नहीं दिया जायगा । जो केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षादल में जाना नहीं चाहते हैं, वे अपने पदों पर ही रहेंगे और उन पर वे ही पुरानी सेवाशर्तें लागू होंगी ।

हड़ताल के सम्बन्ध में, मेरा विश्वास है कि माननीय मित्र ने एक अल्प-सूचना प्रश्न पूछा था और तुरन्त ही मैंने जानकारी एकत्र की, नहीं तो मैं इस प्रश्न का उत्तर न दे सकता । मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई, वह यह है कि कोचीन प्रभाग कर्मचारी संघ ने हड़ताल की सूचना दी है जिसमें उन्होंने 15 अप्रैल 1970 के बाद किसी भी दिन हड़ताल करने की धमकी दी है । इसका कारण यह बताया गया है कि कर्मचारियों द्वारा रखी गई मांगों पर हुए समझौते पर प्रबन्ध समिति हस्ताक्षर करने पर राजी नहीं हुई । श्रमिक संघों के साथ समझौता वार्ता जारी है । यहां एक विशेष बात की ओर हमें ध्यान देना चाहिये । कोचीन उर्वरक परियोजना के श्रमिक, सुरक्षादल के कर्मचारी, दमकल विभाग के कर्मचारी आदि श्रमिक संघ के सदस्य नहीं हैं । एक मांग यह है कि परियोजना के निर्माण कार्य के लिये नियुक्त किये गये श्रमिकों को स्थायी बना दिया जाय । निर्माण कार्य के लिये अस्थायी तौर पर नियुक्ति की जाती है और काम कम हो जाने पर, इन्हें निकालना पड़ता है । अतः सारे श्रमिकों को स्थायी तौर पर लेना असम्भव है । एक समझौता हुआ था जिसके अनुसार यह स्वीकार किया गया कि जो स्थायी तौर पर काम करने के लिये योग्य माने जायेंगे, उनको स्थायी तौर पर नियुक्ति के लिये प्राथमिकता दी जायगी । मगर इस मामले पर कुछ मतभेद पैदा हो गये और इस पर समझौते का प्रयत्न जारी है ।

एफ० ए० सी० टी० के प्रबन्ध समिति से यही जानकारी हमें प्राप्त हुई है ।

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : महोदय, श्री श्रीधरन ने प्रश्न के दौरान मेरे नाम का उल्लेख किया अतः मैं बीच में बोल रहा हूं·····

श्री ए० श्रीधरन : मैंने जो आप के नाम का उल्लेख किया, ठीक ही किया । आप आरम्भ से ही यह काम कर रहे थे ।

श्री गोविन्द मेनन : मैं उस आरोप का खण्डन करता हूं ।

श्री ए० श्रीधरन : आप आरोप का खण्डन करते हैं और वही काम रोज करते हैं । हमें मालूम है कि क्या हो रहा है ।

श्री प० गोपालन : मैं समझता हूं कि क्या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल का उपयोग संकटकालीन परिस्थितियों में ही किया जाता है । इस समय कोचीन उर्वरक परियोजना में इस को रखा गया है । पता नहीं इस समय वहां कोई संकटकालीन परिस्थिति उत्पन्न हो गई है या नहीं । मैं एक खास प्रश्न पूछना चाहता हूं । क्या यह सरकार की नीति या मंशा है कि सरकारी उपक्रमों में जो पहरा और रक्षा विभाग है, उसे हटाकर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल को वहां रख ले ।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार जैसे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के मामले में करती है वैसे, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल के भेजने के सम्बन्ध में भी राज्य

सरकारों से सलाह लेगी और यदि हां, तो इस मामले में क्या सरकार ने राज्य सरकार से बातचीत की थी ? क्या राज्य सरकार ने जैसे रिजर्व पुलिस का सहर्ष स्वागत किया था, वैसे ही इस प्रस्ताव का भी स्वागत किया ?

श्री दा० रा० चह्वाण : सरकारी उपक्रम, जोकि सीधे सरकारी विभागों के अन्तर्गत आता है जैसे गोला बारूद के कारखाने आदि और सार्वजनिक उपक्रम जोकि निगम के अन्तर्गत आता है, में अंतर है । जहां तक सरकारी उपक्रमों का सम्बन्ध है, वहां स्थायी रूप से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षादल को रखा जाता है । मगर जहां तक एफ० ए० सी० टी० जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का सम्बन्ध है, वहां सुरक्षादल को अस्थायी तौर पर रखा जाता है, सिर्फ चार या पांच साल के लिये । इसके बारे में निर्णय कि किसी सुरक्षादल का उपयोग किया जाना है या नहीं, उपक्रम के प्रबन्ध निदेशक के मतानुसार किया जायगा । औद्योगिक सुरक्षादल अधिनियम की धारा 14 (2) में इसके बारे में कहा गया है । "यदि महानिरीक्षक को मालूम हो जाय कि किसी उपक्रम में उपधारा (1) के अन्तर्गत सुरक्षादल के अधिकारियों और कर्मचारियों को भेजना अनिवार्य करने वाली स्थिति अब न रही, या अन्य किसी कारण से, यह करना अनिवार्य हो तो उस उपक्रम के प्रबन्धक निदेशक को सूचना देकर वह दल को वापस बुला सकते हैं ।

परन्तु, प्रबन्ध निदेशक महानिदेशक को एक महीना पूर्व ही लिखित सूचना देकर यह बतायें कि सुरक्षादल को वापस बुला लिया जाय ।"

इससे स्पष्ट होता है कि सुरक्षादल को अस्थायी रूप से रखा जाता है ।

श्री प० गोपालन : महोदय, माननीय मंत्री का जवाब भ्रांति पैदा करने वाला है । मैं उनसे स्पष्टीकरण मांगना चाहता हूं । उन्होंने कहा कि सुरक्षादल को अस्थायी तौर पर रखा जाता है । मैं उनसे खास तौर पर पूछना चाहता हूं कि इस सार्वजनिक उपक्रम में जो पहरा और रक्षा विभाग था उसे खतम करने की क्या आवश्यकता थी ? यह बहुत संगत प्रश्न है । महोदय मुझे तत्सम्बन्धी स्पष्टीकरण चाहिये । मैं चाहता हूं कि आप इसमें हस्तक्षेप करें और संरक्षण दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर वे जबाव नहीं देते हैं तो मैं क्या करूं ?

श्री प० गोपालन : इसका जबाव नहीं दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब वे जवाब नहीं देते, तो मैं उन्हें विवश नहीं कर सकता हूं ।

श्री मनुभाई पटेल : महोदय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल अस्थायी नहीं है । यहां मंत्री महोदय ने कहा कि उसे केवल चार या पांच वर्षों तक के लिये वहां रखा गया है **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गोपालन, प्रश्न किया जा चुका है । आपने केवल स्पष्टीकरण मांगा है । **(व्यवधान)**

श्री दा० रा० चह्वाण : मैं पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं । जो कर्मचारी औद्योगिक सुरक्षा दल में जाना चाहते हैं, वे दल के अंग रहेंगे । मैं यह पहले ही कह चुका हूं ।

श्री एस० कन्डप्पन : क्या राज्य-सरकार इससे सम्बन्धित है ?

श्री दा० रा० चह्वाण : राज्य-सरकार इससे सम्बन्धित नहीं है ।

श्री मनुभाई पटेल : इन्होंने सभा को भ्रम में डाल दिया है । दल अस्थायी नहीं है ।

श्री दा० रा० चह्वाण : आपने अधिनियम में दिए गये उपबन्ध को नहीं समझा है ।

श्री वासुदेवन नायर : वस्तुत, मंत्री महोदय हम सबको कठिन परिस्थिति में डाल रहे हैं । हम कम्पनी के प्रबन्ध-निदेशक से कोई सूचना प्राप्त नहीं कर सकते । मंत्री महोदय को ही सूचना देनी पड़ेगी । इसलिए हमने मंत्री महोदय से यह प्रश्न पूछा है । यह सारा प्रबन्ध फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के हाथ है और यह फैक्टरी पिछले कई वर्षों से चल रही है । फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के पास कोई औद्योगिक सुरक्षा-दल नहीं है और कोचीन प्रभाग में कर्मचारी भर्ती किये जा रहे हैं । अब मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि ऐसी कौन सी विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थीं कि कोचीन प्रभाग को संभालने के लिए औद्योगिक सुरक्षा-दल को भेजा गया ? वही प्रबन्धक कई वर्षों से फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड को बिना औद्योगिक सुरक्षा-दल के राज्य की सामान्य कानून की सहायता से किस प्रकार चला रहा है । अब यदि माननीय मंत्री संतोषजनक उत्तर देने की स्थिति में नहीं है तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे सम्बद्ध प्रबन्ध-निदेशक से जानकारी प्राप्त करें और उसे सभा-पटल पर रखें ।

श्री दा० रा० चह्वाण : जो जानकारी मुझे प्राप्त है उससे यदि माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हैं तो मैं और जानकारी एकत्र करूंगा ।

जहां तक फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड का सम्बन्ध है, राज्य-सरकार से बातचीत की गई है । राज्य-सरकार की भी इस मामले में रुचि है अतः उनसे बात की गई है ।

जहां तक उद्योग-मंडल के एकक का सम्बन्ध है, केरल राज्य के पुलिस इन्सपेक्टर-जनरल से बात की गई है और उसने केरल सरकार को इस संयंत्र के बड़े उपकरणों की रक्षा के लिए आवश्यक प्रबन्ध करने के लिए कहा है । अतः प्रबन्ध-निदेशक का विचार है कि संयंत्रों तथा उपकरणों की सुरक्षा हेतु यह आवश्यक है कि कोचीन प्रभाग में औद्योगिक सुरक्षा-दल को भेजा जाए ।

श्री वासुदेवन नायर : एक प्रश्न उठता है । राज्य-सरकार फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्ज ट्रावनकोर लिमिटेड का संरक्षण कर रही है । क्या राज्य-सरकार ने कोचीन प्रभाग को भी संरक्षण देने के लिए कहा था जिसके न दिए जाने पर राज्य-सरकार ने औद्योगिक सुरक्षा-दल भेजने की मांग की ?

श्री दा० रा० चह्वाण : अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार तभी सम्बद्ध है जब प्रभाग पर राज्य सरकार का स्वामित्व हो और तभी राज्य सरकार से परामर्श किया जा सकता है । राज्य सरकार से परामर्श किए बिना कुछ नहीं हो सकता । जहां तक कोचीन प्रभाग का सम्बन्ध है, राज्य सरकार से परामर्श लेने की कोई आवश्यकता नहीं ।

श्री जी० विश्वनाथन : औद्योगिक सुरक्षा-दल राज्य सरकारों पर इस संदेह एवं अविश्वास पर आधारित है कि वे केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति की सुरक्षा करने में असफल हो सकती हैं। फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के मामले में जब सरकार ने औद्योगिक सुरक्षा दल भेजने का निर्णय किया तो क्या इसका यह अर्थ है कि श्री अच्युत मेनन की सरकार केरल में केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति की रक्षा करने में असमर्थ हैं ? मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि औद्योगिक सुरक्षा दल के रखने का जो विरोध विभिन्न राज्य-सरकारों ने किया है उसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार बिना किसी राज्य सरकार से सलाह लिए औद्योगिक सुरक्षा दल को रखने पर प्रतिबन्ध लगाएगी ?

श्री दा० रा० चह्वाण : यह अधिनियम इस सदन में पारित हुआ है और प्रबन्ध निदेशक ने जो कार्रवाई की है वह अधिनियम में दिये गये उपबन्ध के अनुसार है। अतः यदि अधिनियम में किसी संशोधन अथवा परिवर्तन करने का सुझाव है तो गृह मंत्रालय से बात की जानी चाहिये क्योंकि गृह-मंत्रालय ने ही इस अधिनियम पर विचार करना है।

श्री क० लकप्पा : जहां तक सरकारी उपक्रमों में औद्योगिक सुरक्षा दल रखने का प्रश्न है, औद्योगिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 में यह उपबन्ध किया गया है कि कुछ सामान्य निदेशों, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये जा सकते हैं, के अधीन इन्सपेक्टर जनरल के लिए यह विधिसंगत होगा कि वह सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रम के प्रबन्ध-निदेशक की प्रार्थना पर औद्योगिक उपक्रम की सुरक्षा के लिये निरीक्षक अधिकारियों एवं सुरक्षा-दल के सदस्यों को लगाये और नियुक्त किए गए ऐसे अधिकारी प्रबंध-निदेशक के अधीन होंगे, लेकिन इस मामले में प्रबन्ध निदेशक ने सुरक्षा-दल की सहायता मांगने का कारण नहीं बताया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न कीजिए।

श्री क० लकप्पा : श्री श्रीधरन ने ठीक ही कहा है कि स्थिति गंभीर है। प्रबन्ध निदेशक एक खतरा बना हुआ है। वह राजनीतिक खेल खेल रहा हैं और वह कई राज्यों के मंत्रि-मंडलों को उलटने का प्रयत्न कर रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार तथा मंत्रालय को प्रबन्धकों के विरुद्ध प्राप्त अनेक शिकायतों के बावजूद भी उसको न बदलने में क्या आर्थिक लाभ है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न कीजिए।

श्री क० लकप्पा : केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा जांच-पड़ताल करने के बाद पता चला है कि प्रबन्ध-निदेशक के विरुद्ध गम्भीर आरोप हैं और वह कम्पनी के लिये उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता। यह सब सिद्ध होने पर मंत्रालय एवं सरकार उसको क्यों नहीं हटाती ? क्या मैं यह अर्थ लगाऊं कि मंत्रालय एवं सरकार को प्रबन्ध-निदेशक के उस पद पर बने रहने से कुछ आर्थिक लाभ है ? मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इसका स्पष्ट उत्तर दें।

श्री दा० रा० चह्वाण : सरकार को कोई आर्थिक लाभ नहीं है और न ही उसकी प्रबन्ध-निदेशक के साथ कुछ सांठ-गांठ है। बात केवल इतनी है कि यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित है या नहीं। मैं कहूंगा कि यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री क० लकप्पा : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने बहुत ही संगत प्रश्न पूछा था। धारा 14 में स्पष्ट कहा गया है कि विशिष्ट कारण दिये जाने चाहिये। वे कारण क्या हैं ? माननीय मंत्री ने कारण क्यों नहीं बताये ? उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें विवश नहीं कर सकता।

श्री क० लकप्पा : क्या मैं यह समझूं कि इस मंत्रालय को प्रबन्ध-संचालक के पद पर बने रहने से आर्थिक लाभ है ? मैंने उसके विरुद्ध आरोप लगाए हैं और मंत्रालय को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिये। मैं इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं।

श्री हेम बरुआ : अगर मंत्री महोदय उत्तर नहीं देते तो उपाध्यक्ष महोदय को बताना चाहिए कि क्या प्रश्न असंगत है। उपाध्यक्ष महोदय ने यह नहीं कहा कि प्रश्न असंगत है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय को आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिये विवश नहीं कर सकता।

श्री क० लकप्पा : महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। यह मंत्रालय प्रबन्ध-निदेशक को हटाने में असमर्थ है।

[**इसके पश्चात् श्री क० लकप्पा सभा भवन से उठ कर चले गये**
Shri K. Lakkappa then left the House]

श्री विश्वनाथ मेनन : मैं 3 अप्रैल को अम्बलामेड में था और मैंने कर्मचारियों द्वारा आयोजित सत्याग्रह सभा में भाषण दिया था। वहां की स्थिति माननीय मंत्री द्वारा बताई गई स्थिति से नितान्त भिन्न है। प्रबन्ध संचालक ने कर्मचारियों को नोटिस दे दिये हैं। उनका कहना है कि वह तो केवल संसद् के अधिनियम को क्रियान्वित कर रहे हैं। उन्होंने कानून एवं व्यवस्था की स्थिति या ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि अमुक अधिनियम संसद् में पारित हुआ है और वे इसे कार्यान्वित कर रहे हैं। मैं आपके सूचनार्थ बता देना चाहता हूं कि वहां 15 अप्रैल को हड़ताल रहेगी। मंत्री महोदय को यह आश्वासन देना चाहिये कि वे फायरमैनों एवं वाच एण्ड वार्ड कर्मचारियों की छंटनी नहीं करेंगे। यह जगह मेरे निर्वाचन-क्षेत्र के अन्तर्गत आती है। इस फैक्टरी में 45 करोड़ रुपये लगाये गये हैं और सारा कार्य एक व्यक्ति की वजह से खराब हो रहा है। एक व्यक्ति की मनमानी से ही यह स्थिति उत्पन्न हुई है। कुल 1300 कर्मचारी हैं जिनमें से 800 अधिकारी है और 500 मजदूर हैं। आग बुझाने वाले कर्मचारियों एवं वाच एण्ड वार्ड के कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है। इसके लिये तर्क यह दिया जा रहा है कि ऐसा कार्य औद्योगिक सुरक्षा दल अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिये किया जा रहा है। सच तो यह है कि केरल सरकार केरल में इस अधिनियम के पुरःस्थापित किए जाने का विरोध कर रही है। श्रम-मंत्री श्री मांजुरान इस अधिनियम का विरोध कर रहे हैं। माननीय मंत्री सदन को भ्रम में डाल रहे हैं। यह बहुत गम्भीर बात है। बहुत ही जल्द हड़ताल होने वाली है। यदि माननीय मंत्री 15 अप्रैल से पहले हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं हैं तो मैं नहीं जानता कि क्या स्थिति उत्पन्न हो जाए। यह बहुत गंभीर स्थिति है। इसलिये मैं कह रहा हूं

कि केरल सरकार अधिनियम का विरोध कर रही है। यह रवैया श्रम-मंत्री श्री मथाई मांजुरान ने अपनाया है। जिस प्रबन्ध निदेशक की बात हो रही है, वे प्रवर समिति में हैं और कर्मचारियों की छंटनी द्वारा अधिनियम को कार्यान्वित करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया प्रश्न पूछें।

श्री विश्वनाथ मेनन : श्री गोपालकृष्णन् नायर पर्सनल मैनेजर, ने एक परिपत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि जो कर्मचारी केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा-दल में शामिल नहीं होना चाहते, उन्हें नौकरी से निकाल दिया जायगा। इसका अर्थ यह है कि यदि कर्मचारी सुरक्षा-दल में शामिल नहीं होंगे तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। फायर ब्रिगेड एवं वाच एण्ड वार्ड विभाग में काफी कर्मचारी हैं। मैं चाहता हूं कि श्री त्रिगुण सेन मेरे प्रश्न का उत्तर दें। वे मौके पर जाएं और स्थिति का अध्ययन करें। मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दिया जाए। मेरा प्रश्न यह है कि क्या कर्मचारियों, जिसमें फायर ब्रिगेड एवं वाच एण्ड वार्ड के कर्मचारी भी शामिल हैं, की छंटनी के आदेश रद्द किए जायेंगे ?

श्री दा० रा० चह्वाण : जहां तक औद्योगिक सुरक्षा दल का सम्बन्ध है, मैं पहले ही वाच एण्ड वार्ड के तथा दमकल विभाग के कर्मचारियों का औद्योगिक सुरक्षा-दल में जाने से सम्बन्धित प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। मैं अन्य कर्मचारियों के बारे में यह आश्वासन कैसे दे सकता हूं कि उन्हें वैकल्पिक नौकरी दी जाएगी। जब कर्मचारियों की आवश्यकता ही नहीं है, तो उनकी छंटनी तो करनी ही पड़ेगी।

श्री विश्वनाथ मेनन : वे उन कर्मचारियों को निकालना चाहते हैं जिन्होंने फैक्टरी के निर्माण में सक्रिय कार्य किया है।

श्री म० ल० सोंधी : दमकल विभाग वालों को नौकरी से कैसे हटाया जा सकता है। आग किसी भी समय लग सकती है।

श्री दा० रा० चह्वाण : मुझे प्रबन्ध-निदेशक से जो जानकारी मिली है, मैं उसे पढ़कर सुना चुका हूं। मैं इसमें कुछ और जोड़ना नहीं चाहता।

श्री विश्वनाथ मेनन : मेरा प्रश्न है कि क्या श्री त्रिगुण सेन मौके पर जाकर स्थिति का अध्ययन करेंगे ?

श्री मनुभाई पटेल : सरकारी उपक्रमों की जिम्मेदारी सीधे केन्द्रीय-सरकार पर होती है। यही कारण है कि सदन ने केन्द्रीय उपक्रमों के लिए औद्योगिक सुरक्षा दल विधेयक पारित किया है। इसको स्थानीय सुरक्षा-दल से नहीं मिलाना चाहिए। फैक्टरी से बाहर कानून एवं व्यवस्था की स्थिति का सामना करना उसका काम नहीं। यह दल तो केवल फैक्टरी की चार-दिवारी के अन्दर ही कार्य करता है। लेकिन मंत्री महोदय ने यह वक्तव्य देकर कि यह दल अस्थायी तौर पर पांच वर्ष के लिए बनाया गया है और अवधि समाप्त होने पर हटा लिया जाएगा, इस मामले को और उलझा दिया है। क्या मैं जान सकता हूं कि एक निश्चित समय के अन्तर्गत स्थानीय दल को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा-दल में समाविष्ट कर दिया जायेगा या नहीं

या उनके विस्तारण जैसी कोई कार्रवाही की जायेगी या नहीं उनको रखे जाने का तो कोई प्रश्न नहीं है मगर जो यह धारणा उत्पन्न हो गई है कि या तो उन्हें रखा जायेगा या निकाल दिया जायेगा। मेरे विचार में उनको केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा-दल में समाविष्ट कर दिया जायेगा। लेकिन इस स्थानीय दल को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा-दल में कब मिलाया जायेगा ?

श्री दा० रा० चह्वाण : मैंने इस प्रश्न का पहले ही उत्तर दे दिया है। मैंने अधिनियम की धारा 14 को पढ़कर सुना दिया है और प्रबन्ध-निदेशक द्वारा अनुबन्ध के अनुरूप की गई कार्रवाई से सम्बन्धित स्थिति बता दी है।

श्री मनुभाई पटेल : मंत्री महोदय ने कहा है कि दल केवल पांच वर्ष के लिये है। इसी से भ्रम उत्पन्न हो गया है।

श्री धीरेश्वर कलिता : यह घृणास्पद अधिनियम सन् 1968 में पारित किया गया। वस्तुतः हमारे दल ने इसका विरोध किया परन्तु कांग्रेस दल के अत्याधिक बहुमत जिसमें सिन्डीकेट एवं इन्डीकेट दोनों थे, के कारण यह बिल पारित हो गया। अब भी वे इसका समर्थन कर रहे हैं।

श्री मनुभाई पटेल : अब भी वह उनका समर्थन कर रहे हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : वे पैसा लेकर इन्डीकेट के लिए काम करते हैं।

श्री धीरेश्वर कलिता : उस समय यह उनके साथ थीं और इस अधिनियम को पारित करवाया था। अब इस मामले में राजनीति प्रवेश कर गई है। मैं नहीं जानता कि सरकार समस्त सरकारी उपक्रमों में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा-दल भेजने के लिये बल क्यों दे रही है।

श्री मनुभाई पटेल : इसलिए कि मंत्री महोदय वहां गड़बड़ी पैदा करना चाहते हैं।

श्री धीरेश्वर कलिता : धारा 14 के अन्तर्गत प्रबन्ध निदेशक केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल बुलाने के लिये उत्तरदायी है। भारतीय तेल-निगम ने अपने अधीन सभी सरकारी उपक्रमों में इस अधिनियम को पुरःस्थापित करने का निश्चय किया है। यह निगम जिस सरकारी उपक्रम में औद्योगिक सुरक्षा-दल को भेजना चाहता है, वहां के कर्मचारी इसका विरोध करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि जहां कहीं भी विरोध होगा, सरकार वहां सुरक्षा-दल को नहीं भेजेगी।

श्री दा० रा० चह्वाण : कुछ आरोप श्री श्रीधरन ने लगाये थे और उसका खंडन मेरे माननीय मित्र विधि-मंत्री ने किया था। मैं भी इस आरोप का जोरदार खंडन करना चाहता हूं। (**व्यवधान**)

श्री ए० श्रीधरन : श्री गोबिन्द मेनन का भतीजा फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड में काम करता है। मैं उस सीमा तक नहीं जाना चाहता था परन्तु चूंकि आपने इसका खंडन किया है, आप श्री गोविन्द मेनन से पूछिये कि क्या उनका भतीजा वहां काम करता है या नहीं।

श्री धीरेश्वर कलिता : मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया गया है ?

कोचीन में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना

*814. **श्री अ० कु० गोपालन :** **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री प० गोपालन : **श्री सी० के० चक्रपाणि :**

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार कोचीन में पैट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). एक विकासक्षम नेफ्था क्रैकर के लिए कोचीन क्षेत्र से नेफ्था के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने की आशा नहीं है। लाभप्रद पैट्रो-रसायन परियोजना स्थापित करने के लिये शोधनशाला गैसों की मात्रा और किस्म भी उपयुक्त नहीं है।

बम्बई में स्नेहकों (लूब्रीकेंट्स) के उत्पादन के लिये एक शोधनशाला की स्थापना

*815. **श्री हेम बरुआ :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में बम्बई में विदेशी सहयोग से स्नेहकों (लूब्रीकेंट्स) के उत्पादन के लिये एक शोधनशाला की स्थापना की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस शोधनशाला की कुल कितनी क्षमता हैं, सहयोग के लिये किस देश के साथ करार किया गया है और करार की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) इसमें कब से उत्पादन होने लगेगा ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां।

(ख) इन विषयों का एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है।

(ग) दिसम्बर, 1969 में कारखाने में उत्पादन शुरू हुआ।

विवरण

भारत सरकार और अमरीका के एस्सो स्टैण्डर्ड ईस्टर्न इन्क के बीच हुए करार की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं :

(1) लूब कम्पनी में भारत सरकार का हिस्सा 50 प्रतिशत होगा और दूसरा 50 प्रतिशत विदेशी सहयोगियों का ।

(2) लूब शोधनशाला अपशिष्ट कच्चे तेल को साफ करेगी और इसके बेस आयल्स की प्रारम्भिक क्षमता प्रतिवर्ष 145,000 मीटरी टन होगी । ट्रांसफारमर आयल बेस स्टाक्स के प्रति वर्ष 19,000 मीटरी टन को शामिल करने के लिये क्षमता प्रति वर्ष 164,000 मीटरी टन तक बढ़ाई गई है ।

(3) भारत सरकार अपने साम्य अंश को रुपया-मुद्रा और एस्सो अपने हिस्से को विदेशी मुद्रा में अदा करेगी तथा शेष विदेशी मुद्रा आवश्यकताएं विदेशी मुद्रा ऋणों के रूप में पूरी की जायेंगी । एस्सो, उस समय के अनुकूलतम उपलब्ध व्यापारिक शर्तों पर ऐसे ऋणों को प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयत्न करेगी । एस्सो ने मैनुफैक्चरर्स हैनोवर ट्रस्ट से 7·5 मिलियन डालर की विदेशी मुद्रा ऋण की व्यवस्था कर ली है और 8.5 मिलियन डालर का रुपया ऋण ए० आई० डी० से ।

(4) कार्यकारी पूंजी को शामिल न करते हुए परियोजना लागत, अब 24 मिलियन डालर अनुमानित है ।

(5) लूब कम्पनी को एस्सो शोधनशाला से अपशिष्ट कच्चे तेल की अपेक्षित मात्राओं की सप्लाई के लिए, एस्सो का अधिकार और दायित्व होगा ।

(6) भारत सरकार और एस्सो से प्रत्येक को लूब शोधन शाला द्वारा तैयार किये गये लूब बेस आयल्स और अन्य पदार्थों का 50 प्रतिशत लेने का अधिकार होगा ।

(7) लूब कम्पनी देशीय सामग्री और प्रदायों का अधिक से अधिक प्रयोग करेगी ।

(8) एक नई भारतीय कम्पनी निगमित की जायगी ; जिसका प्रबन्ध 8 निदेशकों के बोर्ड द्वारा किया जायगा । प्रत्येक शेयर धारी 4 निदेशकों को नामित करेगा । एस्सो का एक नामक प्रबन्ध निदेशक के रूप में नामित होगा और भारत सरकार का नामक, वित्तीय निदेशक । दोनों निदेशक कम्पनी के पूर्ण-समय के कर्मचारी होंगे । भारत सरकार का एक नामक, कम्पनी के चेयरमैन का कार्यभार संभालेगा ।

ग्रेट ब्रिटेन द्वारा बैंक दर में कटौती करना

*816. **श्री बाल्मीक चौधरी :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रेट ब्रिटेन ने हाल ही में बैंक दर में कटौती की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो इससे भारत की अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां । 5 मार्च, 1970 से ब्रिटेन में बैंक दर को घटाकर 8 प्रतिशत से 7½ प्रतिशत कर दिया गया है ।

(ख) ब्रिटेन की बैंक-दर में होने वाली कमी का भारतीय अर्थ-व्यवस्था के लिये केवल सीमान्तिक महत्व है । इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन में ऋण-लागत में जितनी कमी होगी, उसी सीमा तक, उस देश से दिये जाने वाले हमारे आयात की लागत में कुछ कमी हो सकती है और उस देश को किये जाने वाले हमारे निर्यात में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है ।

कलकत्ता में जीवन बीमा निगम के भवन

*817. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में भारत के जीवन बीमा निगम के पूरी मलकियत वाले तथा आंशिक मलकियत वाले भवनों की संख्या कितनी है ;

(ख) जीवन बीमा निगम ने उनपर अब तक कुल कितनी धनराशि लगायी है ;

(ग) उक्त सम्पत्ति का वास्तविक वार्षिक किराया कितना है ;

(घ) जीवन बीमा निगम अपने भवनों को गैर-सरकारी लोगों को रिहायशी उद्देश्य के लिये किस आधार तथा प्रक्रिया के अनुसार देता है ; और

(ङ) उन लोगों द्वारा देय किराये को किस प्रकार निर्धारित किया जाता है और क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम के फ्लैट धनी लोगों को रिहायशी उद्देश्य के लिये बहुत ही कम किराये पर दिये गये हैं ?

पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रा० के० खाडिलकर) : (क) 66 (कुल किरायेदार 776) ।

(ख) 8.86 करोड़ रुपये ।

(ग) 62.36 लाख रुपये (बाहरी व्यक्तियों को किराये पर दी गई सम्पत्तियों की आय)

(घ) और (ङ). रिहाइशी मकानों का आवंटन, भारत के जीवन बीमा निगम (स्थान-आवंटन) अनुदेश 1966 के अन्तर्गत किया जाता है । क्षेत्रीय कार्यालय के नियंत्रणस्थ मकानों के संबंध में सक्षम अधिकारी क्षेत्रीय प्रबंधक होता है, जो क्षेत्रीय समिति/स्थानीय समिति की सहायता से रिहायशी मकानों का आवंटन करता है ।

पश्चिम बंगाल स्थान अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, किराये बाजार दरों के आधार पर इस प्रकार निर्धारित किये जाते हैं कि परिव्यय पर कम से कम 8 प्रतिशत शुद्ध आमद हो सके । कलकत्ता में धनी व्यक्तिओं को असाधारण कम किराये पर फ्लेट अलाट करने के कोई मामले सरकार की जानकारी में नहीं आये हैं ।

अखिल भारतीय जीवन बीमा कर्मचारी फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल की प्रधान मंत्री से भेंट

*818. **श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री सामिनाथन :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री दण्डपाणि :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय जीवन बीमा कर्मचारी फेडरेशन के प्रतिनिधि मण्डल ने प्रधान मंत्री से भेंट की थी तथा उनसे निवेदन किया था कि वे जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की मांगों का निबटारा करने के लिए हस्तक्षेप करें।

(ख) यदि हां, तो क्या प्रधान मंत्री ने कोई आश्वासन दिया है ; और

(ग) इस मामले को सुलझाने में उनकी सहायता करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). शिष्टमंडल द्वारा दिये गये ज्ञापन को विचार के लिए जीवन बीमा निगम के पास भेज दिया है। वैसे आश्वासन जैसा कुछ नहीं कहा गया है।

मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्टों की छपाई में किफायत

*819. **श्री जय सिंह :**
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय** विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली वार्षिक रिपोर्टों को अत्यधिक भड़कीला बनाया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन रिपोर्टों की छपाई के लिये आयातित अथवा आर्ट पेपर प्रयोग किया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा में व्यय सहित, यदि कोई है, डिजाइन बनाने, मुद्रण, आयातित कागज, आर्ट पेपर आदि सम्बन्धी व्यय को मिलाकर प्रत्येक रिपोर्ट की एक प्रति पर लागत का ब्योरा क्या है ;

(घ) क्या बचत करने की दृष्टि से इन प्रकाशनों को अधिक सादा बनाने का सरकार का विचार है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी नहीं। वार्षिक रिपोर्टें, जो सामान्यत: भारत सरकार मुद्रणालयों में छापी जाती हैं, उनका मुद्रण और सज्जा सीधी सादी और व्यवहारिक ढंग की होती है।

(ख) इन प्रतिवेदनों के मुद्रण में आयात किए गए कागज का प्रयोग नहीं किया जाता है। बिरले ही, मामलों में, जहां फाइन स्क्रीन हाफटोन इलस्ट्रेशन रिपोर्ट का भाग हो, केवल इन भागों की छपाई के लिये ही उपयुक्त स्वदेशी आर्ट पेपर का उपयोग किया जाता है।

(ग) क्योंकि रिपोर्ट बिना मूल्य वाले प्रकाशन हैं ; उनके उत्पादन की लागत नहीं निकाली जाती।

(घ) और (ङ). भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए और अधिक बचत की कोई गुन्जाइश नहीं है।

गुजरात में कार्बनिक रसायन उत्पादन कारखाने की स्थापना के लिये सहयोग करार

*820. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्बनिक रसायनों के निर्माण के लिये गुजरात में स्थापित किये जा रहे कारखाने सम्बन्धी सहयोग करार की शर्तें क्या हैं और इस कारखाने की विशेषताएं क्या हैं ; और

(ख) विदेशी मुद्रा के रूप में कितनी बचत होगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) पश्चिमी जर्मनी के मैसर्स क्राइड क्रुप्प गम्बह केमीनलगेननों के साथ हुए सहयोग करार में निम्न व्यवस्था है :

(1) पैरा-जाइलीन और डी० एम० टी० के निर्माण के लिये मैसर्स क्रुप्प का प्रक्रिया-लाइसेंस देना।

(2) मैसर्स क्रुप्प द्वारा सन्यन्त्रों के लिये बेसिक इंजीनियरिंग डिजाइन (रूपांकन) की व्यवस्था करना।

(3) मैसर्स क्रुप्प विस्तृत इन्जीनियरिंग, निर्माण कार्य के लिये पर्यावेषण सेवाओं की व्यवस्था करेंगे और भारत में सन्यन्त्र को चालू करायेंगे।

(4) मैसर्स क्रुप्प देश में अनुपलब्ध उपकरण और फालतू पुर्जों की सप्लाई करेंगे।

अमरीका के मैसर्स एंगलहर्ड मिनर्लस एण्ड केमीकल्स कारपोरेशन के साथ हुए सहयोग करार में, प्रक्रिया लाइसेंस की मंजूरी और एंगलहर्ड उत्प्रेरकों के इस्तेमाल के लिये लाइसेंस से सम्बन्धित ओक्टा फानिंग प्रक्रिया की तकनीकी सूचना तथा कैटेलिरिक रिफार्मिंग प्रौसेस के लिये तकनीकी सूचना की व्यवस्था है। इसी करार के अन्तर्गत उत्प्रेरकों के सप्लाई

के लिये एक अलग करार मैसर्स काली-कैमीक एंगलहर्ड, कटालय-स्टोरेन, गम्बह के साथ भी किया गया है।

उपर्युक्त समस्त सेवाओं पर कुल विदेशी मुद्रा 39 डी० एम० (डालर) मिलियन अनुमानित है। इस कारखाने की निम्न विशेषताएं हैं :

(1) एरौमैटिक्स के उत्पादन के लिये, एक कैटेलिटिक रिफार्मिंग प्लांट का प्रतिवर्ष 120,000 मीटरी टन नेफ्था तैयार करना।

(2) प्रतिवर्ष 21,000 मीटरी टन आर्थो-जाइलीन के उत्पादन के लिये सन्यन्त्रों का प्रतिवर्ष लगभग 170,000 मीटरी टन एरौमैटिक्स तैयार करना।

(3) एक पारा-जाइलीन सन्यन्त्र का प्रतिवर्ष लगभग 130,000 मीटरी टन एरौमैटिक्स चार्ज तैयार करना और प्रतिवर्ष 17,000 मीटरी टन पारा-जाइलीन एवं प्रतिवर्ष 3500 मीटरी टन मिश्रित जाइलीन का उत्पादन करना ;

(4) प्रतिवर्ष लगभग 105,000 मीटरी टन आसोमीरेट के उत्पादन के लिये एक आइसौमीराईजेशन प्लांट का पारा-जाइलीन प्लांट से लगभग 110,000 मीटरी टन मातृ-द्राव को तैयार करना ;

(5) एक डी० एम० टी० (डाइमेथाइल टेरी थालेट) सन्यन्त्र का प्रति वर्ष 24,000 मीटरी टन डी० एम० टी० उत्पादन करना।

(ख) विदेशी मुद्रा में बचत निम्न प्रकार होगी :

डी० एम० टी० आर्थो-जाइलीन और मिश्रित जाइलीन जैसे कच्चे माल के सीधे आयातों के प्रथम चरण प्रति-स्थापन से प्रतिवर्ष लगभग 10 करोड़ रुपये की बचत अनुमानित है।

(2) देश के विभिन्न भागों में स्थापित/स्थापनाधीन कारखानों में डी० एम० टी० से पोलिएस्टर फाइबर्स का उत्पादन किया जायेगा ; जिससे कपास और ऊन का प्रतिस्थापन होगा। यह दूसरा चरण प्रतिस्थापन होगा और इससे प्रति वर्ष लगभग 50 करोड़ रुपये की बचत अनुमानित है।

(3) पोलियस्टर फिल्म और कृत्रिम जरी से जरी के निर्माण के लिये सोना, चांदी और तांबा के आयात के दूसरे चरण प्रतिस्थापन से प्रतिवर्ष लगभग 4 करोड़ रुपये की बचत अनुमानित है।

Working of the Reserve Bank of India

*821. **Shri Raghvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether Government propose to streamline the working of the Reserve Bank of India and to make any structural change in it in view of the changed economic situation in the country and the nationalisation of big banks ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b). There is no proposal at present to make any significant change in the structure of the Reserve Bank. However, Government and the Reserve Bank of India maintain close contact with each other and keep the working of the Bank under continuous review so that such changes as may be necessary may be made at the appropriate time.

श्री बीजू पटनायक से आय-कर की वसूली

*822. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री बीजू पटनायक तथा उनकी फर्मों से आयकर की बकाया राशि वसूल करने के सम्बन्ध में सरकार को किसी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि बकाया है और कर वसूल करने के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). मांगी गई सूचना सदन की मेज पर रखे विवरण-पत्र में दी गई है ।

विवरण

श्री बीजू पटनायक और उनकी कम्पनियों पर बकाया सकल मांग, उनको वसूल करने के लिये किये गये उपाय और उनको वसूल करने में होने वाली कठिनाइयों की वर्तमान स्थिति यह है :—

(1) **श्री बीजू पटनायक : 9.50 लाख रुपये :**

वर्ष 1965-66 के कर निर्धारण से संबंधित 9.50 लाख रुपये की मांग हाल ही में की गई है और निर्धारिती से उसको अदा करने के लिए कहा गया है ।

(2) **कलिंग कंस्ट्रक्शन कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड : 7.47 लाख रुपये :**

आयकर अधिनियम की धारा 222 (1) के अन्तर्गत वसूली प्रमाण-पत्र, कर वसूली अधिकारी को पहले ही जारी किये जा चुके हैं । कंपनी को देय रकमों को कुर्की के लिए प्रधान अधिकारी हीराकुड डाम परियोजना, उड़ीसा सरकार, की धारा 226 (3) के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया था । परन्तु, अब तक कोई वसूली नहीं हो सकी है, क्योंकि उड़ीसा सरकार से प्राप्य रकमों के संबंध में निर्धारिती का दावा विवादग्रस्त है ।

(3) **कलिंग ट्यूब लिमिटेड : 59.10 लाख रुपये :**

58.10 लाख रुपये की मांगें उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश से रुकी हुई हैं । शेष 1 लाख रुपया वसूल किया जा रहा है ।

(4) **बी० पटनायक एंड कंपनी (प्रा०) लि० : 0.65 लाख रुपये :**

कम्पनी परिसमाप्त हो गई है और वसूली प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं ।

(5) **बी० पटनायक माइन्स (प्रा०) लि० : 14.64 लाख रुपये :**

14.64 लाख रुपये की पूरी मांग की वसूली, उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित रखी गयी है ।

(6) **कलिंग एयरलाइंस (प्रा०) लि० : 1.58 लाख रुपये :**

इस मांग की वसूली, उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित रखी गयी है । तथापि, कर निर्धारिती ने जमानत के तौर पर एक वायुयान को बन्धक रख दिया है ।

(7) **कलिंग इंडस्ट्रीज लि० : 26.46 लाख रुपये :**

पूरी मांग की वसूली, उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित रखी गई है ।

इस प्रकार, श्री बीजू पटनायक और उनकी कंपनियों पर बकाया 119.40 लाख रुपये की कुल मांगों में से 100.78 लाख रुपये की मांगों की वसूली उच्च न्यायालयों द्वारा स्थगित कर दी गई है ।

सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा विदेशों से लाई गई वस्तुओं के लिये दी गयी छूट

*823. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पादन तथा सीमा शुल्क बोर्ड ने विदेशों से आने वाले यात्रियों द्वारा वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात के लिये नियम बनाए हैं ;

(ख) क्या उक्त नियमों के अन्तर्गत निर्धारित सीमा का कड़ाई से पालन किया जाता है या अधिकारी अपने विवेक से सीमा बढ़ा सकते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो गत छह मास में मंत्रियों/संसद सदस्यों के कितने मामलों में सीमा बढ़ाई गई या छूट दी गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां ।

(ख) असबाब नियमावली के अन्तर्गत निश्चित सीमाओं को अधिकारी अपनी इच्छानुसार बढ़ा नहीं सकते । अधिकारियों को यह विवेकाधिकार दिया गया है कि निष्कपट मामलों में सीमा का कोई साधारण-सा अतिक्रमण हो तो उसकी उपेक्षा कर दें ।

(ग) किसी भी मामले में सीमा नहीं बढ़ाई गई थी । एक मामले में शुल्क मुक्त निकासी की अनुमति, असबाब नियमावली के आशय के अनुसार दी गई थी ।

Central Board of Customs and Excise

*824. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Excise Department is more important than the Customs Department in so far as the area under them and the revenue collected by them is concerned ;

(b) whether it is also a fact that almost all Members of the Joint Board running both the said Departments are from the Customs Department and they are unable to do full justice to the Excise Department ;

(c) if so, whether Government propose to include officers in the said Board proportionately from both these Departments or appoint separate Boards for both of them ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) The revenue earnings from duties of Central Excise are at present much higher than those from the duties of Customs. Jurisdiction-wise, Customs have an all-India jurisdiction including all major and minor seaports, airports and land frontiers. Similarly, Central Excise network is spread all over the country. As each Department has its own assigned role and tasks in the economy of the country, there can be no question of one Department being considered more important than the other merely on the basis of revenue receipts or area of jurisdiction.

(b) Indian Customs Service Class I and the Central Excise Service Class I ceased to exist as separate Services when the two were merged in 1959. Further, officers of the Indian Customs Service recruited after 1944 were liable to serve in Customs as well as Central Excise Departments and accordingly received training in both. While appointing Members to the Central Board of Excise and Customs, the Government takes particular care to ensusre that adequate expertise both on the Customs and Central Excise sides is available in the Board. In fact, all the present Members of the Board including the Chairman have actually worked in the Central Excise Department at one time or another.

(c) and (d). Do not arise in view of the reply to (b) above.

Obtaining of Parents' Permission before Sending Girls to Germany for Training in Nursing

*825. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether any permission of the parents or guardians of the Indian girls was obtained before sending them to Germany for training in nursing last year ;

(b) whether an officer of the Indian Embassy was appointed to look after their welfare during the period of their training in Germany ; and

(c) the measures adopted by Government to ensure that these girls are not engaged in spying work or some other work which is not related to their nursing profession ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) and (b). Government of India did not send any person for training in nursing to Germany last year and hence the question of either obtaining permission of the parents or guardians or appointing an officer of the Indian Embassy to look after their welfare in Germany does not arise.

(c) The hypothesis underlying this question are not accepted by Government. But if any concrete information is received by the Government with regard to undesirable activities by girls going for training in nursing, Government will take appropriate action.

श्री एल० के० झा का भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर पद से मुक्त किये जाने का अनुरोध

*826. **श्री मधु लिमये :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री एल० के० झा ने अपने पद से भार मुक्त किये जाने का स्वतः अनुरोध किया है ;

(ख) क्या इसका कारण उनका सरकार की मूल नीतियों से सहमत न होना है ;

(ग) क्या उन्होंने गैर-सरकारी क्षेत्र का अनुचित रूप से पक्ष लिया था ;

(घ) क्या ऐसा इस कारण है कि नव निर्मित बैंकिंग विभाग भारतीय रिजर्व बैंक की स्वायत्तता में हस्तक्षेप कर रहा है ; और

(ङ) सरकार के इस वचन का पालन करने के लिये कि भारतीय रिजर्व बैंक की प्रतिष्ठा (दर्जा) तथा गौरव बनाये रखा जायेगा, मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) और (घ). इस प्रकार के विचार का कोई आधार नहीं है।

(ङ) सरकार ने, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अपने सम्बन्धों में देश की केन्द्रीय बैंकिंग संस्था के रूप में उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान को सदा बनाये रखा है और भविष्य में भी, उसे बनाये रखेगी।

पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन लेने में होने वाली कठिनाइयां

*827. **श्री जे० के० चौधरी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकार को सुझाव दिया है कि पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन लेने में होने वाली कठिनाइयों को दूर किया जाय ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). आयोग ने, राजकोषों पर अपनी रिपोर्ट में पेंशनों की अदायगी के सम्बन्ध में जो सिफारिशें की हैं, वे संक्षेप से एक विवरण में दी गयी हैं, जो सभा की मेज पर रख दिया गया है। रिपोर्ट अभी हाल ही में मिली है और उसके सम्बन्ध में, यथाशीघ्र निर्णय लिये जायेंगे। रिपोर्ट की जांच करते समय, सरकार पेंशन भोगियों की असली कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से सुधार करने की बात पर भी विचार करेगी।

विवरण

प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा राजकोषों पर अपनी रिपोर्ट में पेंशनों के सम्बन्ध में की गयी सिफारिशें

(1) पशनभोगियों को राजकोषों से नगदी के रूप में जिस सीमा तक पेंशनों की अदायगी

की जा सकती है, उस सीमा को बढ़ाकर 300 रुपया प्रतिमास कर दिया जाना चाहिये ।

(2) पेंशनभोगियों की प्रार्थना पर, 100 रुपया प्रतिमास तक की पेंशन सरकारी खर्चे से मनीआर्डर द्वारा भेजीं जानी चाहिए ।

(3) जो पदाधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त हों या जिनका मुख्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में हो, जैसे तहसीलदारों या खण्ड विकास स्तर के अधिकारियों आदि, उनको भी ऐसे पेंशनभोगियों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित घोषणाओं को सत्यापित (तसदीक) करने का प्राधिकार दिया जाना चाहिए, जो बुढ़ापे या कमजोरी के कारण यह चाहते हों कि उनकी पेंशन मनीआर्डर द्वारा उनके पास भेज दी जाय ।

(4) जो पेंशनभोगी अपनी पेशनें, अनुसूचित बैंकों के माध्यम से लेते हों, उनके सम्बन्ध में बैंकों को भी ये अधिकार दिये जाने चाहिए कि वे इस प्रकार के पेंशनभोगियों को "जीवित-प्रमाण-पत्र" दे सकें ।

(5) यदि बाद के महीने के पहले दो दिन सरकारी छुट्टी हो, तो जिले के कलेक्टर को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वह महीने के अन्तिम कार्यदिवस को पेंशनों की अदायगी करने की मंजूरी दे सके । यह अधिकार सभी पेंशनों की अदायगी के सम्बन्ध में लागू होने चाहिए चाहे मासिक पेंशन की दर कितनी भी क्यों न हो ।

(6) जिन मामलों में पेंशनों की वह रकम बकाया पड़ी हो, जिसे एक साल से ज्यादा अर्से से लिया न गया हो, उनमें कलेक्टर को भी यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वह इस तरह की बकाया रकमों की अदायगी की अनुमति दे सके, यदि रकम 5,000 रुपये से ज्यादा न हो ।

विभिन्न राज्यों द्वारा भेजी गई आवास योजनाएं

*828. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवर्तक निधि बनाने संबंधी निदेश को ध्यान में रखते हुए पंजाब, हरियाणा, जम्मू तथा काश्मीर, हिमाचल प्रदेश और संघराज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ ने आवास के बारे में अपने प्रस्ताव भेज दिये हैं ;

(ख) क्या उपरोक्त सरकारों ने केन्द्रीय सरकार द्वारा मकान बनाने के लिये दी गई राशि का पूरी तरह उपयोग कर लिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस राशि का किस हद तक उपयोग किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) पंजाब, हरियाणा, और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने कुछ प्रारंभिक प्रस्ताव भेजे थे । ये आवर्तन निधि की परिकल्पना के अनुरूप प्रतीत नहीं हुए ; अतएव

सम्बन्धित सरकारों को जरूरी आवश्यकताएं बता दी गई हैं, ताकि वे पुनरीक्षित परियोजनाएं बना सकें। हिमाचल प्रदेश सरकार से एक पुनरीक्षित प्रस्ताव अब प्राप्त हो चुका है। जम्मू और काश्मीर सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि चण्ड़ीगढ़ के संघीय प्रशासन ने सूचित किया है कि उन्हें आवर्तन निधि से किसी सहायता की जरूरत नहीं है।

(ख) और (ग). सामाजिक आवास योजनाओं के आरम्भ होने से लेकर 1968-69 तक नियत की गई तथा ली गई केन्द्रीय सहायता और जीवन बीमा निगम ऋणों के बारे में वांछित सूचना नीचे दी जाती है :—

राज्य/संघीय क्षेत्र का नाम	केन्द्रीय सहायता		जीवन बीमा ऋण नियत किए गए/ लिए गए
	नियत की गई	ली गई	
	(लाख रुपयों में)		
पंजाब	1334.90	1010.18	884.36
हरियाणा	18.60	2.97	102.00
जम्मू और कश्मीर	429.92	264.50	116.74
हिमाचल प्रदेश	132.70	62.57	—
चण्डीगढ़	57.00	57.00	—
	1,973.12	1,397.22	1,103.10

नोट—(क) हरियाणा के बारे में नियत तथा ली गई केन्द्रीय सहायता केवल 1967-68 और 1968-69 वर्षों के लिए है।

(ख) चण्डीगढ़ के बारे में नियत तथा ली गई केन्द्रीय सहायता में गैर-प्लान की निधियां शामिल हैं।

(ग) 1969-70 के वर्ष से आगे, राज्य क्षेत्र के सभी कार्यक्रमों के लिए, जिसमें आवास शामिल है, राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता, वित्त मंत्रालय द्वारा "ब्लाक ऋण" और "ब्लाक अनुदानों" के रूप में दी जा रही है, जो किसी योजना विशेष या विकास-शीर्ष से सम्बद्ध नहीं है।

देश में संक्रामक तथा परजीवी (पैरेसाइटिक) रोगों पर नियंत्रण करने के लिये उपाय

*829. **श्री वेणीशंकर शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, संक्रामक तथा परजीवी (पैरेसाइटिक) रोगों पर नियंत्रण करने के लिये, जो रोगों से मरने वाले एक चौथाई व्यक्तियों की मृत्यु का कारण है, सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि उन्नत देश उक्त रोगों पर नियंत्रण करने में सफल हो गये जबकि भारत इस मामले में पीछे है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-3100/70]**

(ख) भारत एक विकासशील देश होने तथा आर्थिक एवं भौतिक साधनों की कमी होने के कारण संक्रामक और परजीवी रोगों का नियंत्रण/उन्मूलन करने में उन्नत देशों से पीछे है। परन्तु देश में व्यापकरूप से फैले हुए संचारी रोगों के नियंत्रण एवं उन्मूलन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य स्थिति में यथेष्ट सुधार हुआ है।

दिल्ली के केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों में औषधियों की कमी

*830. **डा० सुशीला नैयर :**
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों में औषधियों की कमी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दिल्ली में एक औषधालय के निरीक्षण के समय रोगियों ने उनसे शिकायतें की थीं कि रोगियों को पर्ची में लिखी दवायें नहीं दी जाती हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच की गई है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

प्रश्न के विभिन्न भागों से सम्बन्धित आवश्यक सूचना निम्नलिखित है :—

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की विस्तृत सूची में सम्मिलित सभी औषधियां केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में आमतौर पर उपलब्ध है । यदि किसी विशेष औषधि का स्टाक समाप्त हो जाता है तो केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के डिपो से उसकी पूर्ति के लिये तुरन्त प्रबन्ध कर दिये जाते हैं। यदि कोई विशेष औषधि डिपो में उपलब्ध न हो, अथवा केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना की सूची से बाहर हो, तो उसे सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करा कर औषधालय के अधिकारी द्वारा किसी मान्यता प्राप्त केमिस्ट से खरीद कर उस सदस्य को दे दी जाती है । यह

सामान्यत: एक दिन में ही कर दिया जाता है। अनिवार्य जीवन रक्षक औषधियों के लिये चिकित्सक सीधे ही अनुमोदित केमिस्ट को मांग भेज देता है। सदस्य अथवा उसका प्रतिनिधि मांग को केमिस्ट के पास ले जाता है और उससे औषधि प्राप्त करलेता है। इस कार्य में सामान्य कुछ घण्टों से अधिक नहीं लगते।

(ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालय गोल मार्किट में कुछ रोगियों ने सिगोण्टिन गोलियां न मिलने और वैसलीन की कमी की शिकायत की।

(ग) और (घ). जी हां। प्रारम्भिक जांच से पता चला कि सिगोण्टिन गोलियां और वैसलीन जनवरी, 1970 में कुछ समय के लिये स्टाक में नहीं थीं। इस अवधि में अनुमोदित केमिस्टों से स्थानीय खरीद द्वारा रोगियों की मांग पूरी की गई।

राजस्व तथा बीमा विभाग में वरिष्ठ/कनिष्ठ विश्लेषकों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां

*831. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्व तथा बीमा विभाग में वरिष्ठ/कनिष्ठ विश्लेषकों के कुछ पद मंजूर किये गये तथा भरे गये ;

(ख) यदि हां, तो क्या आरम्भ में ये पद निरन्तर जारी रहने वाले कार्य के लिए तथा दीर्घकालीन आधार पर थे ;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त पदों के लिए भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से अथवा आयोग की सहमति से बनाये गये भर्ती नियमों के आधार पर की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां। 8 पद वरिष्ठ विश्लेषकों के और 7 पद कनिष्ठ विश्लेषकों के मंजूर किये गये थे। इनमें से वरिष्ठ विश्लेषकों के 5 पद और कनिष्ठ विश्लेषकों के 3 पद भर दिये गये हैं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) में बताये गये पदों में से वरिष्ठ विश्लेषकों के 7 पद और कनिष्ठ विश्लेषकों के 4 पद, निरन्तर चलने वाले कार्य के लिये हैं और दीर्घकालीन आधार पर हैं।

(ग) और (घ). भरती-नियमों को गृह मंत्रालय और संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके अन्तिम रूप देने से पहले, वरिष्ठ विश्लेषकों के 4 पदों पर छः महीने की अवधि के लिए तदर्थ आधार पर नियुक्तियां की गयी हैं, क्योंकि इन पदों को तुरन्त भरना बहुत जरूरी था। छः महीने की अवधि समाप्त होने से पहले ही स्थिति की समीक्षा की जायगी। ऐसी तदर्थ नियुक्तियां करने की अनुमति, संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमावली 1958 के नियम 4 में निहित है। वरिष्ठ विश्लेषकों के एक पद पर और कनिष्ठ विश्लेषकों के 3 पदों पर नियुक्तियां केवल विशिष्ट निर्धारित कार्य के लिए की गई हैं, जो दीर्घकालीन आधार पर नहीं हैं।

भारत को अमरीकी सहायता

*832. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री जोन हम्नाह ने, जो अमरीका के विश्व सहायता अभियान दल के अध्यक्ष थे, हाल के दौरे में सरकार को भारत को दीर्घकालीन अमरीकी सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा दिये गये सहायता सम्बन्धी आश्वासन का ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि सहायता देने के लिये कोई शर्तें हैं, तो वे क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

सरकारी अस्पतालों को सप्लाई की जाने वाली औषधियों का विशेष पैकिंग

*833. **श्री रवि राय** :

श्री वेदव्रत बरुआ :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औषधि निर्माताओं ने उनका यह सुझाव मानने से इन्कार कर दिया है कि औषधियों की चोरी रोकने के लिए सरकारी अस्पतालों को सप्लाई की जाने वाली औषधियों का विशेष पैकिंग होना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). अनौपचारिक विचार-विमर्श के दौरान औषधि-उद्योग के प्रतिनिधि, सरकारी अस्पतालों के लिए, बाजारू पैकिंगों से बिल्कुल भिन्न पैकिंगों में औषधियां सप्लाई करने में सरकार को सहयोग देने के लिये सहमत हो गये हैं । सरकार को इसके विपरीत कोई सूचना नहीं मिली है।

Credit Policy of Nationalised Banks to Assist Central Government Employees

*834. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether credit policy of big nationalised Banks has since been formulated ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether the said banks have laid down any policy for extending assistance to Central Government employees and other salaried people ;

(d) if so, whether all the banks have the same policy or it differs from bank to bank ; and

(e) whether the said banks would extend loans to salaried persons so as to enable them to purchase built houses, and if so, the details thereof ; and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b). For assistance to hitherto neglected sectors and small borrowers engaged in the production of goods and services of a viable nature, the nationalised banks have introduced changes in their lending policies and procedures so as to meet the credit requirements of small agriculturists, small scale industries, retail traders, small transport operators, artisans and self-employed persons. A statement indicating brief particulars of the schemes is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT 3101/70]**

(c) and (d). Banks in the public sector are expected to regard any borrower who has a commercially viable and socially productive scheme as eligible for grant of credit. The basic policies of these banks are of the same nature though details of lending schemes vary from one bank to another.

(e) Banks in the public sector have not evolved any scheme for the specific purpose of giving loans to salaried persons for purchase of built houses. However, a few nationalised banks grant loans under the Personal Loans Schemes upto a maximum of Rs. 25,000 for construction of houses.

"चालू व्यस्त कार्यावधि" में बैंकों द्वारा दिये गये ऋण की राशि

*835. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **वित्त** मंत्री 9 मार्च, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 315 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'चालू व्यस्त कार्यावधि' में राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा स्टेट बैंक ने कितना ऋण दिया तथा गैर-सरकारी बैंकों ने कितना ऋण दिया ;

(ख) बैंक ऋणों पर अधिक नियन्त्रण रखने के लिये क्या ठोस कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है कि 31 दिसम्बर, 1970 को समाप्त होने वाली अवधि में मूल्यों में और वृद्धि न हो और यदि हां, तो क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) 31 अक्टूबर, 1969 से 13 मार्च, 1970 तक की अवधि में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये ऋण:

(करोड़ रुपयों में)

	बैंक-ऋण की स्थिति		
	31 अक्टूबर, 1969 को	**13 मार्च, 1970 को**	**अधिक काम काज के मौसम में घट-बढ़**
सरकारी क्षेत्र के बैंक			
(i) भारतीय स्टेट बैंक	805.7	880.7	+ 75.0
(ii) भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंक	241.9	304.1	+ 62.2
(iii) 14 राष्ट्रीयकृत बैंक	1841.9	2119.3	+ 277.4
जोड़ (i+ii+iii)	2889.5	3304.1	+ 414.6
अन्य बैंक (विदेशी बैंकों सहित)	602.6	608.7	+ 6.1
सभी वाणिज्यिक बैंक	3492.1	3912.8	+ 420.7

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने, ऋणों पर नियन्त्रण को कड़ा करने के लिये हाल के महीनों में कई उपाय किये हैं। 21 जनवरी, 1970 को जिन उपायों की घोषणा की गयी थी उनके अनुसार, तेलहन और तेलों, कच्ची रुई और कपास तथा अन्न के एवज में बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में आवश्यक मार्जिनों को बढ़ा दिया गया था तथा कुल मिलाकर ऋण की उच्चतम सीमा घटा दी गयी थी। इन जिन्सों के एवज में दिये जाने वाले ऋणों के न्यूनतम व्याज की दर 10 प्रतिशत निर्धारित कर दी गयी थी। इसके अलावा, अग्रिमों के व्याज की $9\frac{1}{2}$ प्रतिशत की उच्चतम दर को समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद, भारतीय रिजर्व बैंक ने, ऋणों पर नियन्त्रण रखने के लिए पहले 5 फरवरी, 1970 को और उपायों की घोषणा की थी। बैंकों को उपलब्ध पुनर्वित्त सम्बन्धी सुविधाओं में भी कुछ संशोधन किये गये थे। बैंकों की नकदी और नकदी जैसी परिसम्पत्ति की सांविधिक आवश्यकताओं को 25 प्रतिशत से बढ़ा कर 26 प्रतिशत कर दिया गया था और अप्रैल, 1970 में इसे और बढ़ा कर 27 प्रतिशत कर दिया जायगा। इसी तरह नकदी और नकदी जैसी शुद्ध परिसम्पत्ति का अनुपात भी, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को दिये जाने वाले पुनर्वित्त के खर्च का निर्धारण होता है, बढ़ा दिया गया था।

(ग) सरकार, मूल्यों पर नियन्त्रण रखने के लिए लगातार प्रयत्न कर रही है। फिर भी, मूल्यों का स्तर, ऋण और राजस्व नियन्त्रण सम्बन्धी उपायों पर ही निर्भर नहीं होता बल्कि यह वस्तुओं, खासकर अत्यावश्यक वस्तुओं की उपलब्धि पर भी निर्भर होता है। अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत निवेश में वृद्धि करने और उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से 1970-71 के बजट में कई उपायों का प्रस्ताव किया गया है। सरकार की आयात नीति भी उत्पादन-सहायक है। इसके अतिरिक्त सरकार ने अन्न का एक बड़ा स्टाक पहले से ही जमा कर रखा है ; दिसम्बर, 1969 के अन्त में 42 लाख मैट्रिक टन का स्टाक जमा था। सरकार ने अत्यावश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए सरकारी वितरण प्रणाली कायम रखी हुई है और 1969 के अन्त में उचित मूल्यों की 1,38,250 दुकानें थीं। अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर तथा इनके वितरण पर, केन्द्र में स्थापित सिविल पूर्ति आयुक्त के माध्यम से तथा अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत राज्य सरकारों और संघीय राज्य क्षेत्रों को सौंपी गयी शक्तियों के माध्यम से बराबर नजर रखी जाती है।

जाली मुद्रा छापने वाले छापेखाने

*836. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चोरी छिपे जाली मुद्रा छापने वाले छापेखाने अभी भी भारत में किसी न किसी रूप में कार्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इसे रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). यह कहना सम्भव नहीं है कि भारत में चोरी छिपे जाली मुद्रा छापने वाले छापेखाने हैं या नहीं। लेकिन जब भी जाली नोटों आदि की किसी घटना का पता चलता है तो ऐसे छापेखानों का पता लगाने के लिए जोरदार कार्रवाई की जाती है।

(ग) जाली करेंसी नोट और बैंक-नोट बनाने के अपराध भारत दण्ड संहिता के अन्तर्गत आते हैं, जिसमें इनके सम्बन्ध में निवारक दण्ड दिये जाने की पहले से ही व्यवस्था है। जाली नोट आदि बनाने और जालसाजी के अपराधों के बारे में कार्रवाई राज्यों के पुलिस प्राधिकारियों द्वारा की जाती है जो इस सम्बन्ध में नजर रखते हैं। जाली नोट आदि बनाने की विभिन्न तकनीकों का रेकार्ड रख कर और जाली भारतीय मुद्रा के बाजार में आने की घटनाओं की समय-समय पर समीक्षा करके, गृह मंत्रालय का केन्द्रीय जांच कार्यालय (सेन्ट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन) जाली भारतीय मुद्रा बनाये जाने की समस्या का लगातार अध्ययन करता रहता है। इस कार्यालय ने, जाली मुद्रा बनाने के गम्भीर अपराधों की जांच करने और राज्यों में किये जाने वाले जांच-कार्य में तालमेल बिठाने के लिये अपनी आर्थिक अपराध प्रशाखा (इकनामिक आफेन्स विंग) में एक 'कक्ष' भी स्थापित किया है।

Arrears of Income Tax Outstanding against 3 Foreign Oil Companies

*837. **Shri Deven Sen :**
Shri Atam Das :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the arrears of Income-tax outstanding against the ESSO, Caltex and Burma Shell Oil Companies separately ;

(b) whether it is a fact that a sum of Rs. 2.80 crores as Income-tax is outstanding against the ESSO and is being demanded by Government ; and

(c) if so, the lastest positions in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) The net arrears of income-tax (excluding demands stayed by appropriate authorities) outsanding againts the Esso Standard Ref. Co. of India Ltd., Caltex Oil Ref. Co. and Burmah Shell Ref. Ltd., are nil at present.

(b) and (c). The gross income-tax demand outstanding at present againts M/s. Esso Ref. Co. of India Ltd., Bombay is Rs. 116.69 lakhs, the collection of which has been stayed by the department till the disposal of appeals by the Appellate Assistant Commissioner.

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को तदर्थ वेतन-वृद्धि का दिया जाना

*838. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा के कुछ सदस्यों ने उनसे अपील की है कि केंद्रीय सरकार के ऐसे

कर्मचारियों को तदर्थ वेतन-वृद्धि दी जाये, जो गत दो वर्षों अथवा इससे अधिक अवधि से अपने वेतन-मान की अधिकतम राशि ले रहे हैं ;

(ख) क्या रेलवे कर्मचारियों को यह रियायत पहले ही दी जा चुकी है ; और

(ग) यदि हां, तो अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से ऐसा आदेश कब तक जारी किये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) मामले की जांच की जा रही है ।

भारत तथा 'यूरोबांड' मार्किट

*839. **श्री वीरेन्द्रकुमार शाह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 फरवरी, 1970 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में क्या भारत 'यूरोबांड' मार्किट की उपेक्षा कर सकता है, शीर्षक के अन्तर्गत छपे एक लेख की ओर दिलाया गया है ;

(ख) चौथी योजना में हमारी आवश्यकता से कम विदेशी सहायता मिलने को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार यह सोचती है कि 'यूरोबांड' मार्किट में भारत द्वारा धन लगाये जाने की सम्भावना पर गम्भीरता से विचार किया जाये ;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीयों द्वारा 'यूरोबांड' मार्किट में दिये जाने वाले ऋण के लिए गारण्टी देने को सरकार तैयार होगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) पहले से ही यह बताना सम्भव नहीं है कि आयोजना के लिए विदेशी साधनों में कमी पड़ेगी या नहीं और पड़ेगी तो किस सीमा तक और फिर उस स्थिति में देश के हित में क्या कार्रवाई करनी जरूरी होगी । हालांकि बाण्डों के रूप में ऐसा कोई निर्गम नहीं हुआ है, फिर भी कुछ मामलों में, वाणिज्यिक बैंकों आदि के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा मंडियों में उपलब्ध रकमों का उपयोग किया गया है ।

(ग) और (घ). किसी विशिष्ट योजना के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में रकमें जुटायी जायंगी या नहीं और जुटायी जायंगी तो उनके बदले में किस हद तक कोई सरकारी गारण्टी दी जायगी, ये सब बातें उस समय की स्थिति और मामले के गुणावगुणों पर निर्भर करती हैं ।

आयकर और धन-कर के निर्धारण के प्रयोजन के लिए पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों की आय और धन को मिलाना

*840. **श्री रामावतार शर्मा :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री सीताराम केसरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महान्यायवादी ने सरकार को करारोपण के प्रयोजनों के लिए पति, पत्नी तथा नाबालिग बच्चों की आय और धन को एक मानने के विरुद्ध सलाह दी है ;

(ख) क्या उन्होंने यह भी कहा है कि यह प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (एफ) और 19 (1) (जी) के विरुद्ध होगा ;

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या सरकार ने महान्यायवादी की सलाह स्वीकार कर ली है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). महान्यायवादी ने सरकार को सलाह दी है कि यदि यह सिद्ध हो सके कि परिवार के सदस्यों में आय अथवा धन के विभाजन के जरिये कर अपवंचन की संभावनाओं को कम करने के लिये, किसी व्यक्ति की आय अथवा धन में उसकी पत्नी अथवा अवयस्क संतान की आय अथवा धन को सम्मिलित करना आवश्यक है, जिससे उन पर एक इकाई के रूप में कर लगाया जा सके तो इस व्यवस्था की अनुमति मिल सकती है। परन्तु, सभी परिस्थितियों में ऐसा औचित्य स्थापित करने की संभावना में उन्होंने कुछ शंकाएं व्यक्त की हैं।

(ग) से (ङ). इस मामले की महान्यायवादी द्वारा व्यक्त किये गये मत को ध्यान में रखते हुए अभी भी जांच की जा रही है।

भारतीय पेट्रो-रसायन निगम, गुजरात की ऐरोमेटिक परियोजना

5166. **श्री सोमचन्द सोलंकी :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पेट्रो-रसायन निगम, गुजरात, गुजरात में ऐरोमेटिक परियोजना कब तक आरम्भ करेगा ; और

(ख) गुजरात ऐरोमेटिक एण्ड नेफ्था क्रेकर परियोजना क्रियान्वित करने के लिये अधिकतम अधिकृत पूंजी कितनी होगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) भारतीय पेट्रो-रसायन निगम लि० ने गुजरात ऐरोमेटिक परियोजना का निर्माण/स्थापना कार्य शुरू कर दिया है। आशा है कि परियोजना 1972 के आरम्भ में मुकम्मल हो जायेगी।

(ख) निगम की वर्तमान अधिकृत पूंजी 30 करोड़ रुपये है, जो ऋणों से अनुपूरित होकर ऐरोमेटिक और नेफ्था परियोजनाओं की वित्त सम्बन्धी व्यवस्था करने के लिये काफी है।

एन० डी० एस० ई० कापरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, नई दिल्ली

5167. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एन० डी० एस० ई० कापरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, नई दिल्ली को आवंटित भूमि का पूर्ण रूप से विकास किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ग गज भूमि का मूल्य और प्रतिवर्ग गज भूमि के विकास की लागत कितनी है ;

(ग) उपर्युक्त सोसाइटी की प्रबन्धक समिति द्वारा सदस्यों से प्रतिवर्ग गज कितना मूल्य लिया गया है या लिया जा रहा है ;

(घ) भूमि का विकास कब तक किया जायेगा और सोसाइटी के सदस्यों को भूमि कब तक आवंटित कर दी जायेगी ; और

(ङ) हिस्सों, आवेदन-पत्रों की फीस तथा भूमि के मूल्य की किश्तों के रूप में सोसाइटी के पास कुल कितनी राशि है और वह किस बैंक में जमा है और क्या सोसाइटी के खातों की प्रतिवर्ष लेखा-परीक्षा की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) समिति के अनुसार भूमि की कीमत 9.45 रुपये प्रति वर्ग गज है। विकास की लागत का पता तभी चलेगा जब भूमि का पूरी तरह विकास हो जायेगा।

(ग) 50.00 रुपये प्रति वर्ग गज।

(घ) समिति भूमि को लगभग छः महीनों में पूरी तरह विकासित करने की आशा करती है। इसके पश्चात आवंटन किये जायेंगे।

(ङ)	1. शेयर पूंजी	–	52,000 रुपये
	2. सदस्यता शुल्क	–	कुछ नहीं
	3. भूमि की कीमत के प्रति सदस्यों से प्राप्त अदायगियां	–	2,83,151 रुपये

भूमि की कीमत अदा करने के बाद शेष राशि दिल्ली स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि० में जमा कर दी गई है। क्योंकि समिति के लेखे पूरे नहीं थे, 1965-66 के पश्चात लेखा-परीक्षा नहीं की जा सकी। अब लेखों को पूरा कर लिया है और लेखा-परीक्षा शीघ्र की जायेगी।

चरस की तस्करी से संबंधित व्यक्तियों के पारपत्रों का जब्त किया जाना

5168. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालकाजी, नई दिल्ली और जनपथ स्थित जापान एयर लाइन्स के गोदामों से पकड़ी गई तस्करी की चरस के सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों के पारपत्र जब्त कर लिये गये हैं जिससे वे जमानत पर रिहा होने के बाद भाग न सकें ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). नई दिल्ली में कालकाजी और जापान एअरलाइन्स के जनपथ स्थित गोदामों से पकड़ी गयी चरस के तस्कर-आयात के सिलसिले में गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों के पासपोर्ट इस समय आगे जांच-पड़ताल के लिये दिल्ली सीमाशुल्क के संरक्षण में हैं। क्षेत्रीय पासपोर्ट प्राधिकारियों से कहा गया है कि उनके पासपोर्टों को छीनने के प्रश्न पर विचार किया जाय।

महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग विकास निगम के श्री अल्लाउद्दीन रशीद मुंशी को दी गई विदेशी मुद्रा

5169. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग विकास निगम के निर्यात प्रबन्धक श्री अल्लाउद्दीन रशीद मुंशी को कितनी विदेशी मुद्रा दी गई थी और वह किस-किस तारीख को अमरीका और फ्रांस गये और प्रत्येक दौरे के प्रयोजन का मुख्य ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि बैंक आफ बड़ौदा ने महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास निगम को 14 लाख रुपये का ऋण दिया था और यदि हां, तो इसके क्या कारण थे और क्या बैंक आफ बड़ौदा ऋण का भुगतान करने के लिये दबाव डाल रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो ऋण का भुगतान कब तक किया जायेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3102/70]**

(ख) और (ग). बैंकों में प्रचलित प्रथा और दस्तूर के अनुसार अलग-अलग खातेदारों के लेनदेनों के सम्बन्ध में जानकारी नहीं दी जाती।

वोरली, बम्बई में एक टेलीविजन टावर बनाने के लिये टेंडर

5170. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने वोरली, बम्बई में लगभग 55 लाख रुपये के मूल्य का एक टेलीविजन टावर बनाने के लिये अक्तूबर, 1969 में टेंडर मांगे थे जिनमें ठेकेदारों से डिजाइन और दर बनाने के लिये कहा गया था ;

(ख) किन-किन ठेकेदारों ने डिजाइन सहित टेंडर भेजे थे और प्रत्येक ठेकेदार ने कितनी राशि जमा करवाई थी ;

(ग) क्या यह सच है कि डिजाइन तैयार करवाने के लिये प्रत्येक ठेकेदार को 25,000 रुपये खर्च करने पड़े थे ;

(घ) क्या यह सच है कि जनता के सामने टेंडर खोलने की तिथि 16 फरवरी, 1970 को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने घोषणा की थी कि वे भारत सरकार के एक उपक्रम इलाहाबाद के त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स जिसने टेंडर तक नहीं भेजा था, टावर का निर्माण करने के बारे में बातचीत कर रहे हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो जब सरकार ने त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स को ठेका देने का पहले ही निर्णय कर लिया था तो जनता से टेंडर क्यों मांगे गये और 9 ठेकेदारों को 2,25,000 रुपये का अनावश्यक घाटा क्यों पहुंचाया गया ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा औपचारिक रूप से कोई टेंडर नहीं मांगे गये, परन्तु प्रमुख इंजीनियरिंग फर्मों से दर आमंत्रित किये गये थे और उन्हें अपने डिजाइन प्रस्तुत करने के लिये कहा गया।

(ख) निम्नलिखित फर्मों से दरें प्राप्त हुईं :—

(1) सर्वश्री एस० ए० ए० एस० कम्पनी प्रा० लि०, कलकत्ता।

(2) सर्वश्री काममी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, बम्बई।

(3) सर्वश्री न्यु स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लि०, बम्बई।

(4) सर्वश्री रिचार्डसन क्रुदास लि० बम्बई।

(5) सर्वश्री एलकाक एशडाउन एण्ड कम्पनी लि०, बम्बई।

(6) सर्वश्री ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लि०, कलकत्ता।

(7) सर्वश्री शाह कन्सट्रक्शन कम्पनी लि०, बम्बई।

(8) सर्वश्री गैमन इंडिया लि०, बम्बई।

(9) सर्वश्री ई० सी० सी० लि०, (लारसेन एण्ड टोवरू लि०) बम्बई।

किसी फर्म द्वारा कोई रकम जमा नहीं की गई और ना ही उन्हें कुछ जमा करने को कहा गया।

(ग) सरकार को डिजाइन की तैयारी पर प्रत्येक फर्म द्वारा खर्च की गई रकम का ज्ञान नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मुहम्मद यूनस सलीम द्वारा देय आयकर

5171. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विधि मंत्रालय में उप-मंत्री श्री मुहम्मद यूनस सलीम की ओर आयकर की कितनी राशि बकाया है ;

(ख) उनके द्वारा बकाया राशि का भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं और यदि उन्होंने भुगतान कर दिया है तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि हैदराबाद के आयकर अधिकारी ने कर वसूली अधिकारी को वसूली प्रमाणपत्र भेज दिये थे परन्तु उप-मंत्री की आयकर सम्बन्धी फाइल हैदराबाद से दिल्ली भेज दी गई है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) बकाया राशि कब तक और किस प्रकार वसूल कर ली जायगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी।

Supply of Gas for Domestic and Industrial Purposes to Madhya Pradesh

5172. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Madhya Pradesh have been demanding the supply of Gas for domestic and industrial consumption for the last several years and that the demand is not being met ; and

(b) if so, the measures so far taken to meet their requirements and the outcome thereof and the details of the future plan in this respect ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R Chavan) : (a) No.

(b) Marketing of LPG in the State of Madhya Pradesh (Bhopal and Gwalior) has already commenced. Plans to progressively extend the marketing of LPG to Indore, Ujjain and Jabalpur are currently under consideration. Industries in these cities can also negotiate for the purchase of LPG.

Loans to Powerlooms Owners of Burhanpur

5173. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme to advance loans liberally to about 4500 powerloom owners of Burhanpur town in Madhya Pradesh after bank nationalisation and if so, the amount ear-marked for this scheme ;

(b) the details of the said scheme, the terms and conditions on which loans would be advanced and the criteria for advancing loans ; and

(c) whether it is a fact that Government propose to adopt different policies for Maharashtra and Madhya Pradesh in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b). Government has not formulated any such scheme and the question of earmarking any amount for the purpose does not arise. Information regarding credit facilities extended by nationalised banks to handloom weavers in East Nimar region of Madhya Pradesh which includes Burhanpur town is being collected and will be laid on the Table of the house.

(c) Government has no such intention.

Levy of Income Tax and Wealth Tax on donations recieved by the Founder of R. S. S. and on Movable and Immovable Property of the Sangh

5174. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shri Sadashiv Golwalker, founder of the Rashtriya Swayam Sewak Sangh, receives donations in the form of Gurudakshina every year ;

(b) if so, whether any Income-tax is levied on this amount if not, the reasons thereof ;

(c) whether any Income-tax is levied on immovable property in the name of Shri Golwalker and the Rashtriya Swayam Sewak Sangh in different parts of the country ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Public Sector Industries in Madhya Pradesh

5175. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that public sector industries in Madhya Pradesh have been suffering losses inspite of their having been monopolised ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b). Of the Central Government industrial and mining enterprises operating in Madhya Pradesh the National Coal Development Corporation (some collieries of this Corporation are situated in Madhya Pradesh) and National Newsprint and paper Mills have made profits in 1968-69. The enterprises which have incurred losses during 1968-69 were the following :

(i) Heavy Electricals (India) Ltd., Bhopal.

(ii) Bhilai Steel Plant of Hindustan Steel Ltd.

(iii) National Minerals Development Corpn. Ltd. (Panna Diamond Project and Bailadilla Project).

Except for Heavy Electricals (India) Ltd. (in some items) and the Panna Diamond Project of the National Minerals Development Corporation Ltd., the other units cannot be said to be monopolies. In respect of Heavy Electricals, the losses were due to the long gestation period, shortage of raw-materials and lack of demand for certain items. In Bhilai Steel Plant, repairs to the blast furnaces, shortage of material and labour troubles affected production and profitability. In National Mineral Development Corporation, losses of Panna Diamond Project were due to the fact that the rate of targetted capacity was expected to be achieved by 1970-71 only, whereas in Bailadilla the main reasons for losses were uneconomic cost of mining, increase in railway freight, port charges and export duty, etc.

पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा प्रदत्त और बट्टे खाते में डाले गये ऋणों के खातों के नम्बर

5176. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन प्रथम दो सौ ऋण खातों के नम्बर क्या हैं, जिनकी पूरी राशि का पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा भुगतान किया गया और उसे बट्टे खाते डाला गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : पुनर्वास वित्त प्रशासन ने, जिसकी स्थापना पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को उचित शर्तों पर वित्तीय सहायता देने के लिए एक स्वायत्त निगम के रूप में की गयी थी, लगभग 15000 ऋण-खातों के अन्तर्गत कुल मिला कर 11.22 करोड़ रुपये के ऋण दिये थे। चूंकि ऋण देने का काम काफी कम हो गया था, इसलिए सरकार ने 31 दिसम्बर 1960 को काम बन्द हो जाने के समय से प्रशासन को समाप्त कर दिया और ऋण की वसूली का काम वित्त मंत्रालय के अधीन पुनर्वास वित्त प्रशासन एकक नामक नये बनाये गये अधीनस्थ कार्यालय को सौंप दिया गया। कई कारणों से ऋण लेने वाले व्यक्ति, विशेष रूप से वे व्यक्ति जो पूर्वी पाकिस्तान से आये थे, व्यापार/उद्योग में सफलतापूर्वक जम न सके। अतः पुनर्वास वित्त निगम एकक, ऋण लेने वालों/गारण्टी देने वालों की ऋण वापस करने की क्षमता की जनवरी 1961 से लेकर, समय-समय पर समीक्षा करता रहा है। इसी समीक्षा के आधार पर, यह एकक, आंशिक रूप में एकमुश्त ऋण चुकाने के युक्तिसंगत प्रस्ताव स्वीकार करके खाते बन्द कर रहा है और बकाया रकमों को बट्टे खाते डाल रहा है। 30 नवम्बर, 1969 तक ब्याज सहित कुल मिलाकर 10.48 करोड़ रुपये की रकम वसूल की जा चुकी थी। इसी तारीख तक ब्याज सहित कुल 2.25 करोड़ रुपये की रकम बट्टे खाते डाली गयी थी। अब तक 11772 खाते बन्द किये जा चुके हैं जिनमें वे खाते शामिल हैं जिनके मूल और ब्याज की कुल रकम वसूल कर ली गयी है।

एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है जिसमें उपर्युक्त समीक्षा के आधार पर, पहली जनवरी, 1961 से 30 नवम्बर, 1969 तक की अवधि में बट्टे खाते डाली गयी रकमों की मात्रा के अनुसार, पहले 200 ऋण-खातों की संख्या दी गयी है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3103/70**] इन 200 खातों के सम्बन्ध में बट्टे खाते डाली गयी कुल रकम

32.10 लाख रुपये है और अलग-अलग मामलों में यह रकम 58,600 रुपये से 11,300 रुपये तक के बीच बैठती है।

औद्योगिक वित्त निगम द्वारा गुजरात में उद्योगों के लिये ऋण मंजूर किया जाना तथा भुगतान किया जाना

5177. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में गुजरात राज्य में उद्योगों के विकास के लिये औद्योगिक वित्त निगम द्वारा गुजरात के उद्योगों के लिये कितनी राशि के ऋण मंजूर किये गये और कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा, गुजरात में विभिन्न औद्योगिक कम्पनियों को, 30 जून, 1967, 30 जून, 1968 और 30 जून, 1969 को समाप्त होने वाले पिछले तीन लेखा वर्षों के दौरान, ऋणों की मंजूरी (शुद्ध) और उनके भुगतान का ब्यौरा क्रमशः विवरण I और II में दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०- 3104/70]**

निरोध की वार्षिक खपत

5178. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गर्भ निरोधक 'निरोध' पर उसके बनाये जाने की ओर प्रयोग की अन्तिम तिथि लिखी होती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) प्रत्येक निरोध पर सरकार कितनी राजसहायता देती है ; और

(घ) गर्भ निरोधक निरोध की प्रतिवर्ष लगभग कितनी खपत होती है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) जी हां।

(ख) यह एक खराब हो जाने वाली वस्तु है। औषध तथा अंगराग नियम, 1945 की अनुसूची 'आर' के अन्तर्गत ऐसा करना आवश्यक है। इस नियम के अन्तर्गत ऐसे निरोध की, जिनकी प्रमाणित अवधि समाप्त हो गई है, बिक्री वितरण मना है।

(ग) प्रत्येक निरोध पर दी जाने वाली सहायता की राशि इस प्रकार है :

लगभग रकम	योजना का संचालन
8.33 पैसे	व्यवसायिक वितरण
10 पैसे	निःशुल्क सप्लाई
11 पैसे	डिपो होल्डर योजना

(घ) 1968-69 में निरोध की खपत 5 करोड़ 90 लाख थी। 1969-70 में यह खपत लगभग 10 करोड़ हो जाने की आशा है।

स्मार्ट्स चिट फंड, दिल्ली

5179. **श्री रा० बरुआ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्मार्ट्स चिट फंड, दिल्ली द्वारा आय-कर का अपवंचन किये जाने के समाचार हैं ;

(ख) क्या उपर्युक्त फर्म द्वारा सार्वजनिक धन का दुर्विनियोजन किये जाने के भी समाचार प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). स्मार्ट्स चिट फंड, दिल्ली द्वारा कर का अपवंचन तथा सरकारी धन के दुर्विनियोग किये जाने के बारे में शिकायतें आई हैं या नहीं, इस बारे में सूचना इकट्ठी का जा रही है तथा वह सूचना सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

(ग) सरकार कर-अपवचन सम्बन्धी सभी शिकायतों की जांच करती है और जहां कहीं आवश्यक होता है उचित कार्यवाही की जाती है । जब तक आरोपों की जांच-पड़ताल नहीं हो जाती तथा वे साबित नहीं हो जाते तब तक उन्हें जाहिर करना संभव नहीं है ।

गुजरात के भड़ौच जिले में गैस का पाया जाना

5180. **श्री न० कु० सांघी :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के भड़ौच जिले में काफी मात्रा में गैस पायी गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस क्षेत्र से तेल प्राप्त होने की भी सम्भावना है ; और

(ग) इस क्षेत्र से लगभग कितनी मात्रा में तेल मिलने की आशा है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, बरौच जिले में अंकलेश्वर और कोखम्भा से पहले ही तेल और सम्मिलित गैस का उत्पादन कर रहा है ।

(ग) प्रत्येक क्षेत्र से कच्चे तेल और गैस के उत्पादन की दरों से सम्बन्धित सूचना गोपनीय विषय है और इसलिये वह नहीं बताई जा सकती ।

गुजरांवाला हाउस बिल्डिंग कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, दिल्ली

5181. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 9 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2016 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरांवाला हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, दिल्ली के प्लाट पाने के अधिकारी कितने सदस्यों को पृथक-पृथक कितने आकार के प्लाट दिये गये हैं और किस तिथि तक पंजीयन कराने वाले सदस्यों को प्लाट दे दिये गये हैं ;

(ख) कितने सदस्यों को प्लाट दिये जाने के लिये अधिकारी नहीं पाया गया तथा उन्होंने समिति में पृथक-पृथक कितने आकार के प्लाट के लिये अपना पंजीयन कराया था और प्रत्येक मामले में उन्हें अधिकारी न पाये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) उन अन्य सदस्यों को, जो पंजीयन किये गये प्लाटों के लिये पूर्ण राशि का भुगतान कर चुके हैं ; कब तक प्लाट मिलने की सम्भावना है ; और

(घ) उन्हें अब तक न दिये गये प्लाटों के लिये पूर्ण राशि के भुगतान के बदले में क्या लाभ मिलेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) 14 फरवरी, 1960 तक बनाए गए 598 पात्र सदस्यों को 167 और 360 वर्गगज के बीच के आकार के प्लाट आवंटित/नियत कर दिये गये हैं।

(ख) और (ग). सभी बनाये गये सदस्य उस आकार के प्लाटों के पात्र थे जिनका उन्होंने आरम्भ में ही वैकल्प दिया था। क्योंकि बड़े आकार के प्लाटों की इच्छा करने वाले सदस्य ऐसे प्लाटों की संख्या से अधिक थे। अतः ऐसे प्लाटों का आवंटन उनकी सदस्यता की तारीख की प्रवरता के आधार पर किया गया था। जिन सदस्यों ने बड़े आकार के प्लाटों के लिये कहा था उनसे कहा गया कि वे या तो छोटे प्लाटों को स्वीकार करके अथवा सरकार द्वारा अतिरिक्त भूमि के आवंटन की प्रतीक्षा करें। जिन्होंने छोटे प्लाटों को स्वीकार करने की सहमति दी उनको ऐसे प्लाट आवंटित/नियत कर दिये गये। शेष 63 सदस्यों को उन द्वारा मांगे गये आकार के प्लाटों के आवंटन के लिये तभी विचार किया जायगा जब समिति को अतिरिक्त भूमि प्राप्त हो जायेगी तथा उसका विकास पूरा हो जायेगा।

(घ) उन द्वारा मांगे गये आकार के प्लाटों के उन्हें आवंटित किए जाने की आशा है।

दी गुजरांवाला हाउस बिल्डिंग कोआपरेटिव सोसाइटी, दिल्ली

5182. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री गुजरांवाला हाउस बिल्डिंग कोआपरेटिव सोसाइटी, दिल्ली के बारे में 9 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2017 और 2018 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 और 1967-68 में हानि के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह हानि वर्ष 1965-66 में फलों की बिक्री से 1500 रुपये, लकड़ी और पेड़ों आदि की बिक्री से 37,001 रुपये तथा ब्याज के रूप में 28177.96 रुपये की आय तथा 1967-68 में फलों की बिक्री से 2000 रुपये और ब्याज के रूप में 61710.81 रुपये की आय के हिसाब में लेने के बाद है ; और

(ग) विकास निधि खाते में अब तक कुल कितनी राशि जमा की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज, दिल्ली के अनुसार 1965-66 और 1967-68 के दौरान हानि के कारण यह हैं, वेतनों की अदायगी, विधिक खर्चे, ब्याज तथा राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में अंशदान, जो आय से अधिक थे ।

(ख) 1965-66 के दौरान लकड़ी और वृक्षों के विक्रय से तथा 1967-68 के दौरान फलों के विक्रय से प्राप्त हुई राशि को पूंजी में परिणित कर दिया गया है और विकास-निधि के खाते में जमा कर दिया गया है और उसे लाभ और हानि के खाते में नहीं दिखाया गया है ।

(ग) 30 जून, 1968 तक इस खाते में 1,19,166.06 रुपये की राशि जमा किए जाने की सूचना मिली है ।

केन्द्रीय सचिवालय (साउथ ब्लाक) में आग लगने की घटनाएं

5183. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री वि० कु० मोडक :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय (साउथ ब्लाक), नई दिल्ली में गत तीन महीनों के दौरान कितनी बार आग लगी है ;

(ख) इस प्रकार आग लगने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा स्टोर के रूप में उपयोग में लाया जा रहा साउथ ब्लाक के आंगन के तह खाने के एक कमरे में 17 जनवरी, 1970 को एक बार ।

(ख) आग के सही कारण का सुनिश्चिय नहीं हो सका । सम्भवतः यह किसी व्यक्ति द्वारा फेंकी गई जलती हुई सिग्रेट/बीड़ी या माचिस की तीली के कारण लगी हो ।

(ग) सभी मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी किये जा चुके हैं कि वे स्टाफ को जलती हुई सिग्रेट/बीड़ी या माचिस की तीली न फेंकने के, तथा आग की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक सतर्कता बरतने के आदेश दें ।

Raid on Offices of Messrs Radhakrishan Vimal Kumar by Sales Tax Authorities of Uttar Pradesh

5184. **Shri Sharda Nand :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that recently the authorities of Sales Tax Department of Uttar Pradesh have conducted raid on one of the offices of Messrs. Radha Krishan Vimalkumar, Kerosene Oil and Petrol Agents, Indian Oil Company and siezed several documents of suspicious nature; if so, the information revealed therefrom ; and

(b) whether Government would issue orders for an enquiry by C. B. I. on the basis of the said information into the case of corrupt practices adopted by the said firm and the Indian Oil Company ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b). A raid was conducted on the premises of M/s. Radha Krishan Vimal Kumar, on January 24, 1970 by the special Investigation Branch of the State Sales Tax Department. The State Government is examining the seized documents and taking steps to promptly complete the enquiry. The question of what action should be taken in the matter would be considered after the enquiry is completed and the nature of irregularities committed, if any, has been ascertained.

धागा बनाने वाले मध्यम श्रेणी के संस्थानों का बन्द होना

5185. **श्री मयावन :** **श्री सामिनाथन :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री नि० रं० लास्कर :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में धागा बनाने वाले मध्यम श्रेणी के संचालन अत्यधिक उत्पादन शुल्क लग जाने के कारण बन्द होने की स्थिति में हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उन्होंने कहा है कि रेयन के छोटे कारखानों पर लगी पूंजी से इतना कम लाभ होता है कि वे अपने व्यापार को चलाये रखना लाभदायक नहीं समझते ;

(ग) क्या छोटे कारखानों के प्रतिनिधियों ने वित्त मन्त्रालय से एक लम्बी बैठक की थी ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी सहायता करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ;

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). यह सच है कि रेयन धागे के छोटे छोटे निर्माताओं से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि रेयन धागे पर,

उत्पादन शुल्क सम्बन्धी जो छूट उन्हें मिली हुई है उसे जारी रखा जाय तथा उसे और अधिक उदार बनाया जाय। यह भी सच है कि कुछ अवसरों पर उनके प्रतिनिधियों ने वित्त मन्त्रालय के अधिकारियों से बातचीत भी की है।

सरकार को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है कि रेयन धागे का उत्पादन करने वाले कारखानों में से कई कारखाने बन्द होने की स्थिति में हैं। लेकिन, कुछ अभ्यावेदनों में ऐसा कहा गया है कि उनके निवेश के प्रति लाभ की दर बहुत ही कम है और यदि उत्पादन शुल्क का भार नहीं घटाया जाता है तो उन्हें, अलाभकारी कार्य-संचालन के कारण अपने कारखाने बन्द करने पड़ सकते हैं।

(घ) विदेश व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय के साथ परामर्श करके, इस मामले की जांच की जा रही है।

Supplies made by M/s Pearl Cycle Industries

5186. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Supply** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5187 on the 24th December, 1969 regarding tenders for links cartridges and state :

(a) whether it is a fact that M/s Pearl Cycle Industries did not make supplies in time against the orders placed on them by Government, from time to time and a large number of orders are still pending with them ; and

(b) if so, the justification in giving fresh contract to this firm when it has not been able to supply goods against the orders already placed on it ?

The Minister of Supply and the Minister of State in the Ministry of Finance (Shri R. K. Khadilkar) : (a) and (b). The firm's performance in the matter of making supplies has been generally satisfactory and a large number of orders were not pending on them when they were awarded a fresh contract on 3-6-69.

Implementation of Colombo Plan

5187. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the date when Colombo Plan was implemented, the aim behind the said Plan and the names of the countries which are signatories to the said plan; and

[b] the benefits accruing there-from to India ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) The Colombo Plan was implemented in May 1950. Its aim is to promote economic development in the South and South East Asia Regions. At present the following 24 countries are Members of the Colombo Plan :

1. Australia	2. Britain	3. Canada
4. Ceylon	5. India	6. New Zealand
7. Pakistan	8. Cambodia	9. Laos
10. United States	11. Vietnam	12. Burma
13. Nepal	14. Indonesia	15. Japan

16. Philippines	17. Thailand	18. Singapore
19. Bhutan	20. Republic of Korea	21. Afghanistan
22. Republic of the Maldives	23. Iran	24. Malaysia

(b) India has been receiving technical and economic assistance in the shape of services of experts, training facilities and equipment from the developed member countries.

मद्यसार (अल्कोहल) मूल्य ढांचे के बारे में प्रशुल्क आयोग की सिफारिशें

5188. **श्री दण्डपाणि :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री मयावन :
श्री सामिनाथन :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रशुल्क आयोग के मद्यसार मूल्य-ढांचे सम्बन्धी प्रतिवेदन पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब किये जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या अखिल भारतीय मद्य-निर्माण-शाला संघ ने मद्यसार के मूल्य में राहत तथा मद्यसार की और मात्रा के निर्यात की अनुमति के बारे में अपील की थी ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) अल्कोहल के मूल्य ढांचे पर टैरिफ आयोग की रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है।

(ख) मूल्यों के बारे में निकट भविष्य में निर्णय किया जायेगा। उन मामलों में, जिनमें राज्य सरकारों तथा अन्य पार्टियों के परामर्श की आवश्यकता है, शायद अधिक समय लगे।

(ग) जी हां।

(घ) अखिल भारतीय मद्य-निर्माण-शाला संघ की मूल्य में राहत की अपील टैरिफ आयोग की रिपोर्ट पर सरकार के निर्णय के अन्तर्गत तय की जायेगी। जहां तक अल्कोहल के निर्यात का सम्बन्ध है, सप्लाई और मांग की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रख कर इसके 2 मिलियन गैलनों के निर्यात की अनुमति पहले ही दे दी है। स्थिति का लगातार पुनरीक्षण किया जायेगा।

एक सेवा निवृत्त आई० ए० एस० अधिकारी द्वारा प्रवर्तित उर्वरक कम्पनी के विरुद्ध शिकायत

5189. **श्री मजहरि महतौ :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री वि० प्र० मंडल :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को, गुजरात संवर्ग के सेवा निवृत्त आई० ए० एस० अधिकारी के

द्वारा, जो पिछले दिनों गुजरात राज्य उर्वरक निगम में कार्य कर रहे थे, आरम्भ की गई एक नई उर्वरक कम्पनी के बारे में किसी व्यक्ति अथवा संगठन से कोई शिकायत/ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या ऐसे ज्ञापनों की प्रतिलिपियां सभा-पटल पर रखी जायेंगी ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने इस भूतपूर्व आई० ए० एस० अधिकारी की परिसम्पत्तियों तथा आचरण के बारे में जांच पड़ताल करने के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो से अनुरोध किया है ; और

(घ) क्या सरकार उर्वरक संगठन को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की एक संस्था के रूप में मान्यता देती है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). सदर्न पेट्रो-केमिकल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन के विरुद्ध प्राप्त बिना हस्ताक्षरों की शिकायत की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3105/70]**

(ग) जी नहीं।

(घ) भारतीय उर्वरक संगठन उर्वरकों के उत्पादकों की संस्था है।

खनिज तेल का उत्पादन करने वाले सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का विस्तार

5190. **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिज तेलों के विभिन्न उत्पादों के विक्रय से सरकारी क्षेत्र को होने वाले भारी लाभ को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार खनिज तेलों का उत्पादन करने वाले सरकारी-क्षेत्र-उद्योगों का विस्तार करने के लिए कौन सी योजना बनाने का है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र में उत्पादित पेट्रोल तथा डीजल तेल की पर्याप्त मात्रा देश के विभिन्न भागों में विक्रय के लिए अभी भी विदेशी कम्पनियों को सप्लाई की जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस कारण सरकार द्वारा हानि उठाये जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये, सरकार नये शोधन कारखानों की स्थापना से और सरकारी क्षेत्र के मौजूदा शोधन कारखानों के विस्तार से शोधन क्षमता में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

(ख) सरकारी क्षेत्र शोधन कारखानों में उत्पादित डीजल तेल की बिक्री भारतीय तेल निगम द्वारा की जाती है। किन्तु मोटर गैसोलीन (पेट्रोल) की कुछ मात्राएं विदेशी तेल

कम्पनियों को उनके पेट्रोल पम्पों से फुटकर बिक्री के लिये बेची जाती है, क्योंकि भारतीय तेल निगम को अपने फुटकर पेट्रोल पम्प केन्द्रों के विस्तार के लिये समय चाहिये ।

(ग) गोहाटी, बरौनी और बड़ौदा स्थित भारतीय तेल निगम के 3 शोधन कारखानों को शामिल करते हुये, देशीय तेल शोधक कारखानों, जिनमें पूर्णतया देशी कच्चे तेल का शोधन होता है, के मोटर गैसोलीन के उत्पादन के वितरण में प्राथमिकता दी जाती है। दिगबोई शोधन कारखाने में उत्पादित थोड़ी सी मात्राओं के सिवाये, भारतीय तेल निगम के शोधन कारखानों के मोटर गैसोलीन के उत्पादन से इस समय कांडला, औखा, बम्बई कोयाली, कलकत्ता, आसाम और बरौनी सप्लाई क्षेत्रों की समूची आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। परिणाम स्वरूप बम्बई शोधन कारखानों को भारतीय तेल निगम का गैसोलीन बेचना पड़ता है और मोटर-गैसोलीन/नेफ्था के अपने उत्पादन का निर्यात करना पड़ता है ।

औद्योगिक कर्मचारियों को वैकल्पिक आवास देना

5191. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुझाव दिया है कि राज सहायता प्राप्त गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत जिन औद्योगिक कर्मचारियों के पास आवास है उनकी मंजूरी 350 रुपये प्रति माह से अधिक हो जाने पर उनकी राज्य सरकारें निम्न आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत वैकल्पिक आवास स्थान दें ;

(ख) अब तक किन राज्यों ने इस सुझाव पर विचार किया है ;

(ग) इस सुझाव पर उन राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) अन्य राज्यों द्वारा सुझाव पर शीघ्र विचार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जून 1969 में बंगलोर में हुए आवास, नगर विकास और नगर आयोजना मंत्रियों के सम्मेलन ने यह सिफारिश की कि राज्य सरकारें उन आवंटी कर्मचारियों को निम्न आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत वैकल्पिक वास देने का प्रयत्न करें, ज्योंही उनकी वेतन सीमा 350.00 रुपये प्रति माह को पार कर लें। भारत सरकार द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया था तथा सभी राज्य सरकारों को कार्यान्वियन के लिए सूचित कर दिया गया था ।

(ख) से (घ). राज्य सरकारें, जो इस योजना के कार्यान्वियन के लिए वास्तव में उत्तर-दायी हैं, इस सिफारिश के कार्यान्वित करने के लिए निस्संदेह उचित कार्यवाही कर रही होंगी । अभी तक किसी राज्य सरकार ने इसे कार्यान्वित करने के लिए अनिच्छा प्रकट नहीं की है ।

जीवन बीमा निगम के बारे में मुरारका समिति की सिफारिशें

5192. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के कार्यकरण के बारे में मुरारका समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो स्वीकार की गई सिफारिशों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पूर्ति मन्त्री और वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) मोरारका समिति की सिफारिशों की अभी भी जांच की जा रही है ।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते ।

राजस्थान में सरकारी क्षेत्र के कारखाने

5194. **श्री ओंकार लाल बोहरा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय राजस्थान में सरकारी क्षेत्र के कुल कितने कारखाने हैं तथा उनमें से कितने गत तीन वर्षों के दौरान स्थापित किये गये हैं तथा उनका ब्योरा क्या है ;

(ख) गत वर्ष इन कारखानों में से प्रत्येक कारखाने को कितना लाभ अथवा हानि हुई और हानि के क्या कारण हैं ;

(ग) हानि को कम करने के लिये क्या कारगर उपाय किये जा रहे हैं ; और

(घ) स्थिति में कब तक सुधार हो जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). राजस्थान में केन्द्रीय सरकार के छः उद्यम हैं इनमें से निम्नलिखित तीन उद्यम 1968-69 को समाप्त तीन वर्षों में निगमित किये गये थे और 1968-69 के सम्बन्ध में उनके कार्यचालन सम्बन्धी परिणामों का ब्योरा नीचे दिया गया है :

क्रम संख्या	उपक्रम का नाम	निगमन-वर्ष	1968-69 लाभ (लाख रुपयों में)
1.	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर	1966	5.0
2.	मशीन टूल कारपोरेशन आफ इण्डिया, अजमेर	1967	निर्माणाधीन
3.	हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड, खेतड़ी	1967	,,

(ग) और (घ) . ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

विटामिनों का उत्पादन

5195. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम तथा पूर्व के प्रगतिशील औद्योगिक देश विभिन्न प्रकार के विटामिनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत में इनका उत्पादन विशेषकर डाक्टरों द्वारा बतायी गई औषधीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अभी भी छोटे पैमाने पर होता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या आगामी पांच वर्षों में विटामिनों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के बारे में सरकार का कोई कार्यक्रम है ; और

(घ) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) प्रत्येक प्रगतिशील देश के विटामिनों के उत्पादन के यथार्थ आंकड़े तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं, किन्तु यह विश्वास है कि उत्पादन काफी है ।

(ख) इस देश का उत्पादन पैटर्न प्रत्येक योजना अवधि में प्रत्येक मद के लिये निर्धारित लक्ष्यों पर आधारित है । घरेलू मांग और सम्भाव्य निर्यातों को ध्यान में रखकर लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं ।

(ग) और (घ) . विटामिन बी 1, विटामिन बी 2 निकोटिनिक एसिड/एमाइड, फौलिक एसिड तथा विटामिन सी जैसे कुछ विटामिनों का उत्पादन, मैसर्स इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० और मैसर्स हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि०, नामक दो सरकारी क्षेत्रीय परियोजनाओं के कार्यक्रम में पहले से ही शामिल कर लिया गया है । विटामिन 'सी' के उत्पादन के लिये एक गैर-सरकारी क्षेत्रीय कारखाने को आशय पत्र दे दिया गया है । गैर-सरकारी क्षेत्र के कुछ कारखानों में विटामिन बी-12 और विटामन 'ए' की क्षमताओं को बढ़ाने की भी अनुमति दे दी गई है ।

सरकारी ऋण का साम्य पूंजी में परिवर्तन

5196. **श्री अदिचन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राइवेट कम्पनियों को दिये गये सरकारी ऋणों का साम्य पूंजी में परिवर्तित करने के प्रस्ताव पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ; और

(ख) इस समय मामला किस स्थिति में है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) . केन्द्रीय सरकार को, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 81 (4) के अन्तर्गत, किसी कम्पनी द्वारा जारी किये गये ऋण-पत्रों या उस कम्पनी को सरकार से (जिसमें राज्य सरकार शामिल है) प्राप्त ऋणों की रकम को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सामान्य शेयरों में परिवर्तित करने का निदेश जारी

करने का अधिकार है बशर्ते ऐसी परिवर्तन की शर्तें परिस्थितियों के अनुसार युक्तिसंगत प्रतीत होती हों और केन्द्रीय सरकार की राय में ऐसा करना लोक हित में हो । अभी तक केन्द्रीय सरकार ने अपने इस अधिकार का उपयोग नहीं किया है ।

जहां तक सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत ऋणों का सम्बन्ध है, सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस नीति विषयक जांच समिति की सिफारिशों के अनुसार यह निर्णय किया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र की उन बड़ी-बड़ी प्रायोजनाओं के मामले में, जिन्हें सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं से काफी सहायता मिली हो, ये संस्थाएं अपने वित्तीय सहायता प्रबन्धकों के अंग के रूप में भविष्य में इन प्रायोजनाओं को दिये जाने वाले ऋणों और जारी किये जाने वाले ऋण पत्रों को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से एक निश्चित अवधि में सामान्य शेयरों में बदल सकेंगी । जहां तक पहले से दिये गये ऋणों और पहले जारी किये गये ऋण-पत्रों का सम्बन्ध है, सम्बद्ध वित्तीय संस्था को चूक के मामलों में इन रकमों को मामान्य शेयरों में बदलने के लिये बातचीत करने का अधिकार है । वित्तीय संस्थाओं द्वारा इस निर्णय पर अमल किये जाने के लिये विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार किये जा रहे हैं ।

मैसर्स रिचर्डसन हिन्दुस्तान द्वारा विक्सवेपोरब का निर्माण

5197. **श्री शशि भूषण :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स रिचर्डसन हिन्दुस्तान ने भारत में विक्स वैपोरब के निर्माण की अनुमति इस शर्त पर दी है कि वे भारत में मैन्थोल का निर्माण आरम्भ करेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इस करार पर किस तारीख को हस्ताक्षर हुए तथा मैसर्स रिचर्डसन हिन्दुस्तान में किस तारीख को भारत में मैन्थोल का निर्माण आरम्भ किया तथा कितनी मात्रा में अब तक निर्माण किया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी नहीं । मैनथोल, डीमैन्थोलाइज्ड पैप्परमिण्ट आयल और वेपोरब सहित कई भेषजीय निरूपणों के निर्माण के लिये, एक नये उपक्रम की स्थापना हेतु, मैसर्स रिचर्डसन हिन्दुस्तान लि० बम्बई को 17 नवम्बर, 1962 को एक औद्योगिक लाइसेंन्स मंजूर किया गया था ।

(ख) प्रश्न स्पष्ट नहीं है । परन्तु यूनिट ने नवम्बर, 1967 से मैनथोल का उत्पादन शुरू किया और पिछले दो सालों में इसका उत्पादन निम्न प्रकार था :

1968 ... 5,024 किलो ग्राम

1969 ... 6,152 किलो ग्राम

दवाइयों की लागत कम करने के लिये उपाय

5198. **श्री शशि भूषण :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की दूसरी अनुसूची के अन्तर्गत औषध तथा भेषज विकास परिषद को जो कार्य सौंपे गये हैं, उनमें से एक दवाइयों की लागत कम करने के उपाय सुझाना है ; और

(ख) क्या यह सच है कि यह परिषद् दवाइयों के मूल्य कम करने के उपाय सुझाने में असफल रही है; यदि परिषद् ने इस बारे में कोई उपाय सुझाए हैं तो वे क्या है ?
और दवाइयों की लागत में कितनी कमी हुई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) अपव्यय समाप्त करने , अधिकतम उत्पादन करने, किस्म में सुधार और लागतें कम करने की दृष्टि से दक्षता के उपाय सुझाना विकास परिषदों को सौंपे गये कई कार्यों में से एक कार्य है ।

(ख) औषधियों तथा फार्मास्यूटिकल्स की विकास परिषद ने मूल्य निर्धारित करने के लिये कुछ उपायों का सुझाव दिया है जिससे लागतों के युक्तिकरण और नई औषधियों के मूल्य नियन्त्रण पर प्रभाव पड़ा है। इन उपायों के आधार पर, ड्रग्स प्राइसिस (डिस्पले एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर लागू करने से पहले मार्किट में भेजी गई औषधियों के मूल्यों में कमी करना संभव नहीं है क्योंकि उन कीमतों को 1963 स्तर पर रोका गया था और उक्त आर्डर, जैसा कि वह है, में इन मूल्यों में कमी करने की व्यवस्था नहीं है।

अलाटियों द्वारा चित्रगुप्ता रोड, नई दिल्ली स्थित सरकारी क्वार्टरों को किराये पर देना

5199. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में चित्र गुप्ता रोड पर जिन सरकारी कर्मचारियों को 'एक्स वाई जेड' क्वार्टर आवंटित किये गये हैं, उन्होंने अपने क्वार्टर अत्यधिक किराये पर गैर-सरकारी कर्मचारियों को दे दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन सब कर्मचारियों ने अपने क्वार्टर किराये पर देने के बारे में सरकार से अनुमति प्राप्त की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या प्रत्येक मामले में कोई जांच की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सम्पदा निदेशालय में चित्र गुप्ता रोड एक्स-वाई-जैड क्वार्टरों के बड़े पैमाने पर उप-किरायेदारी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। केवल एक

शिकायत प्राप्त हुई थी, जो चित्र गुप्ता रोड के एक क्वार्टर के आवंटी द्वारा उप-किराये पर देने के बारे में थी, और जांच करने पर यह मालूम हुआ कि अधिकारी, जो छुट्टी पर विदेश गया हुआ था, का परिवार उक्त क्वार्टर में रह रहा था।

(ख) और (ग) . प्रश्न ही नहीं उठता।

हरियाणा तथा पंजाब में उर्वरक कारखानों की स्थापना हेतु आवेदन

5200. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब तथा हरियाणा राज्य सरकार ने सरकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखानें स्थापित करने के लिये अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम की ओर से भटिंडा में एक उर्वरक कारखाना लगाने के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

(ख) आवेदक से अभी विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। प्रस्ताव मिलने पर ही मामले पर विचार किया जायगा।

Grant of L-4 Licences for Power-Looms

5201. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government have received some applications for L-4 Licences for power-looms from East Nimad District, Madhya Pradesh ;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action taken so far in this respect ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) to (c). The applications for L-4 licences for powerlooms are not received by the Government. These are received in a Collectorate by competent licensing authority. The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों के अनिर्णीत लेखे

5202. **श्री दण्डपाणि :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवा मुक्त हुए आपतकालीन कमीशन अधिकारियों के ऐसे कितने मामले हैं जिनमें प्रतिरक्षा लेखा कार्यालय पूना के नियन्त्रक द्वारा उपदान, सामान्य भविष्य निधि के लेखा का अब तक निपटारा नहीं किया गया है ; और

(ख) कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं, तथा इसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) रक्षा लेखा (अधिकारी) नियंत्रक पूना के कार्यालय में 15 मार्च 1970 के बाद प्राप्त हुए, केवल 54 मामले ही फिलहाल बकाया हैं।

(ख) ऊपर (क) में उल्लिखित 54 दावों में से, 10 मामलों की, भुगतान से पूर्व, सांविधिक लेखा-परीक्षा द्वारा जांच की जा रही है। चार मामलों में या तो पद-स्वत्वसम्बन्धी प्रमाण-पत्रों के लिये अथवा मियाद बाहर होने के कारण, प्रशासनिक प्राधिकारियों से पत्र-व्यवहार किया जा रहा है तथा बाकी 40 मामलों का निपटान किया जा रहा है।

कच्चे तेल पर रायल्टी की दर पर नेहरू पंचाट में संशोधन

5203. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात की राज्य सरकार को देय कच्चे तेल पर रायल्टी की दर के बारे में नेहरू पंचाट पहली नवम्बर, 1966 को संशोधन योग्य हो गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रधान मंत्री पंचाट के अनुसार औसत "फुल पौस्टिड" 10% दिये जाने की दर विश्व में सबसे कम प्रतीत होती है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या "फुल पौस्टिड" कीमत का 10% देने का आधार गुजरात में उत्पादित तेल के मूल्य स्तर के अनुरूप है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) 1962 के पंचाट में भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने सिफारिश की थी कि निर्धारित दर "निर्दिष्ट अवधि अर्थात् चार वर्ष तक लागू रहेगी और उस अवधि की समाप्ति पर, उसका पुनरीक्षण किया जा सकता है"। इस पंचाट का आशय था कि इस उपबन्ध को सिफारिशी उपबन्ध के रूप में माना जाए ; इसे चार वर्ष के बाद, दर को स्वतः पुनरीक्षण की मांग का आधार नहीं बनाया जा सकता। नेहरू पंचाट की समाप्ति के बाद तत्काल ही पुनरीक्षण किया गया और दिसम्बर, 1968 में अन्तिम रूप दिया गया।

(ख) उन देशों में जहां कच्चे तेल का उत्पादन अधिक होता है, मुख्यरूप से निर्यात के लिये, और तेल-आय सरकारी-आमदनी का आधार होता है, प्रतिशतता उच्चतर होती है। परन्तु उन देशों में, जहां निर्यात के बजाये आन्तरिक खपत के लिये कच्चे तेल के अन्वेषण को उन्नत करने में दिलचस्पी ली जाती है, रायल्टी की उचित दर लगाई जाती है, ताकि निवेश को प्रोत्साहन मिले।

(ग) रायल्टी की दर एक रूप अखिल-भारत दर पर निर्धारित की गई है ; जो उस प्रकार के आयातित कच्चे तेल के औसत प्रकाशित मूल्य और देश में उत्पादित तेल के मूल्यों पर आधारित है।

दिल्ली के "कटरों" में रहने की दशा

5204. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के "कटरों में रहने की दशा में सुधार करने की जन संघ की योजना को सरकार ने अस्वीकृत कर दिया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने अनुदानों में कटौती भी कर दी थी और यदि हां, तो कितनी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). 1969-70 के वित्तीय वर्ष के दौरान 'घनी बस्तियों के सुधार' की योजना के अन्तर्गत कटरों के सुधार के लिए 25 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई थी। इसके अतिरिक्त, गन्दी बस्ती सफाई/सुधार योजना के लिये 40 लाख रुपये के नियतन में से इस कार्य के लिये 8 लाख रुपये की राशि निर्धारित की थी। नियत की गई निधियां बिना कटौती के दे दी गई हैं। अतएव, योजना की अस्वीकृति का अथवा अनुदान में कमी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में स्टाफ कारें

5205. **श्री हरदयाल देवगुण** :
श्री जय सिंह :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालयों तथा मंत्रियों द्वारा प्रयोग की जा रही आयातित स्टाफ कारों तथा भारतीय स्टाफ कारों का पृथक-पृथक औसतन लागत मूल्य कितना है ;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष कितनी आयातित कारें खरीदी गईं ;

(ग) मंत्रियों द्वारा कितनी आयातित कारें उपयोग की गईं ; और

(घ) सभी प्रकार की स्टाफ कारों में से प्रत्येक कार की मरम्मत तथा इसके रख-रखाव पर वार्षिक औसत लागत कितनी आती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ). सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

नेहरू संग्रहालय, नई दिल्ली में जवाहर ज्योति पर व्यय

5206. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री जय सिंह :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की स्मृति को निरन्तर बनाये रखने के लिये 'जवाहर ज्योति' नामक शुद्ध घी का एक दीपक नेहरू संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है ;

(ख) यदि हां, तो 'जवाहर ज्तोति' में अब तक कितना तथा कितने रुपये का शुद्ध घी जल गया है ; और

(ग) 'जवाहर ज्योति' को बनाये रखने में गत तीन वर्षों में चौकीदार आदि पर होने वाले व्यय तथा अन्य ऊपरी व्यय सहित, कुल कितना खर्च किया गया ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी नहीं । 'जवाहर ज्योति' में सरसों का तेल, बिनौले और कपूर का मिश्रण डाला जा रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) पिछले तीन वर्षों में 'जवाहर ज्योति' के अनुरक्षण पर वर्षानुसार खर्चा, जिसमें श्रमिकों पर किया गया खर्चा तथा अन्य ऊपरी प्रभार शामिल है, नीचे दिया जाता है :

1967-68	32,265 रुपये
1968-69	18,582 रुपये
1969-70	29,420 रुपये

दिल्ली में सरकारी कार्यालयों का विकेन्द्रीकरण

5207. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री जय सिंह :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आवास सुविधाओं की अत्यधिक कमी, शहर की परिवहन बसों में अत्यधिक भीड़-भाड़, दिल्ली में मकानों आदि के अत्यधिक किराये का कारण बहुत बड़ी सीमा तक केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों का राजधानी में केन्द्रीकृत होना है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कार्यालयों का केन्द्रीकरण प्रतिरक्षा तथा सामरिक दृष्टि से भी उचित नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कुछ कार्यालयों को अन्य स्थानों पर स्थानान्तरित करने का है, जहां वे उन क्षेत्रों के विकास में सहायक सिद्ध हो सकें ; और

(घ) यदि हां, तो उनका विस्तृत ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) सरकार की नीति यह है कि कार्यालय और रिहायशी वास, दोनों मामलों में, घनत्व को कम करने की दृष्टि से तथा भूमि और विभिन्न नागरिक सेवाओं से राहत देने के लिये, कार्यालयों को दिल्ली से बाहर भेजा जाये । कार्यालयों को बाहर भेजने के प्रस्तावों पर सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय से परामर्श किया जाता है तथा ऐसे कार्यालयों; जिनका दिल्ली में मौजूद होना बहुत आवश्यक नहीं है, तथा जो दिल्ली के बाहर के स्थानों में अपनी प्रशासनिक कुशलता में हर्ज किये बिना कार्य कर सकते हैं, उन्हें दिल्ली के बाहर के स्थानों में स्थानांतरित किया जाना अपेक्षित है ।

(घ) भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित नीति के अनुसरण में पिछले दो दशकों में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय दिल्ली से शिमला, मसूरी, नागपुर, फरीदाबाद, नांगल, गोरखपुर, लखनऊ, देहरादून, जैपुर आदि को स्थानान्तरित किये जा चुके हैं । दिल्ली के बाहर कार्यालय स्थानान्तरित करने के प्रयत्न जारी हैं ; परन्तु निम्न कारणों से प्रगति धीमी रही है :—

(क) अन्य नगरों में उपयुक्त कार्यालय तथा रिहायशी वास, दोनों की कमी ;

(ख) दिल्ली से दूरी ;

(ग) अन्य बातों के साथ साथ सचिवालय के साथ सम्पर्क रखने की आवश्यकता प्रशासनिक तथा कार्यात्मक कठिनाइयों के कारण कार्यालयों की ओर से दिल्ली के बाहर जाने की अनिच्छा ।

भारत में विदेशी ईसाई मिशनरियों को विदेशी सहायता

5208. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 के अन्तर्गत भारत में ईसाई मिशनरियों द्वारा प्राप्त की गयी विदेशी आर्थिक सहायता का ब्योरा क्या है ; और

(ख) उनके द्वारा इस धन का किस प्रकार उपयोग किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) ईसाई मिशनरियों द्वारा विदेशों से प्राप्त किये जाने वाले धन का अलग से हिसाब नहीं रखा जाता । इस प्रकार की सूचना इकट्ठी करने में जितना समय लगेगा और इसके लिये जितना परिश्रम करना पड़ेगा, परिणाम उसके अनुरूप नहीं होंगे ।

(ख) ऐसा कोई कानून नहीं है, जिनके अनुसार, विदेशी ईसाई मिशनरियों के लिये उनके द्वारा किये जाने वाले खर्च का हिसाब रखना और उसे सरकारी जांच-पड़ताल के लिये पेश करना जरूरी हो।

Arrest of Smugglers Smuggling Watches and Pens

5209. **Shri Shiv Charan Lal :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of smugglers, who smuggled foreign watches and pen, have been held in the North Eastern part of the country;

(b) if so, the complete details in this regard ;

(c) whether it is also a fact that a gang of the said smugglers operates in Agra (Uttar Pradesh) also ; and

(d) if so, the action being taken by Government to check the said smuggling ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b). Number of persons arrested in North Eastern part of the country for smuggling foreign watches and pens during the year 1968, 1969 and 1970 (upto March) are as under :—

Commodity	Year	No. of Persons Arrested
Watches	1968	31
	1969	15
	1970	5
Pens	1968	5
	1969	2
	1970	Nil

(c) No such gang of smugglers operating in Agra (U. P.) has come to the notice of the Government.

(d) Action taken by the Government to check smuggling include intensive patrolling in the border areas, checking of vehicles near the border, collection of intelligence and organisation of raids on suspected places.

तमिलनाडु के फिल्म निर्माताओं पर आय-कर की बकाया राशि

5210. **श्री जुगल मंडल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु के फिल्म निर्माताओं पर आय-कर की भारी राशि बकाया है ;

(ख) यदि हां, तो उन निर्माताओं के नाम क्या हैं और उनसे कितनी राशि बकाया है तथा यह राशि कितने वर्षों से बकाया है ; और

(ग) बकाया राशि की वसूली के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना सभा की मेज पर रखे गये विवरण-पत्र में दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-3106/70]**

बम्बई के फिल्म अभिनेताओं द्वारा आय-कर का भुगतान

5211. **श्री जुगल मंडल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई फिल्म उद्योग के उन अभिनेताओं के नाम क्या हैं जिन्होंने गत तीन वर्षों में फरवरी, 1970 तक, आय-कर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत अपने आय-करों का भुगतान नहीं किया है ;

(ख) क्या उन अभिनेताओं ने अपनी आय-कर विवरणियां समय पर दाखिल की थीं और क्या उन्होंने उन पर लगने वाले करों का स्व-निर्धारण के आधार पर उसी अवधि में भुगतान कर दिया था ;

(ग) क्या भुगतान न करने पर अथवा कर विवरणियों को विलम्ब से दाखिल करने पर सरकार द्वारा उक्त अवधि में दण्ड-कार्यवाही आरम्भ की गई थी ;

(घ) क्या आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कर-भुगतान सूचना को जारी करने की तिथि के 35 दिन के अन्दर सरकार द्वारा मांगी गई राशि का भुगतान सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा कर दिया गया था ; और

(ङ) क्या ऊपर वर्णित व्यक्तियों में से किसी के विरुद्ध इस बात का पता चला है कि उसने अपनी आय-वास्तव में छिपाई है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी : (क) से (ङ). बम्बई फिल्म उद्योग में बहुत बड़ी संख्या में फिल्म अभिनेता/अभिनेत्रियां हैं और उनके सम्बन्ध में आवश्यक सूचना केवल तब ही इकट्ठी की जा सकती है जबकि कर-निर्धारण सम्बन्धी बहुत सारे रिकार्डों की छान-बीन की जाय। इसमें काफी समय तथा श्रम लगेगा। यदि माननीय सदस्य किसी खास अभिनेता/अभिनेत्री अथवा अभिनेताओं/अभिनेत्रियों के बारे में सूचना चाहते हों तो वह प्रस्तुत की जायगी।

बम्बई तथा दिल्ली के फिल्म वितरकों द्वारा आयकर का भुगतान

5212. **श्री जुगल मंडल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई तथा दिल्ली के किन फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स ने गत तीन वर्षों में आय-कर अधिनियम 1961, के अन्तर्गत अपने आय-करों का भुगतान नहीं किया ;

(ख) क्या उक्त फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपनी कर-विवरणियां समय पर दाखिल की थीं और क्या उन्होंने उन पर लगने वाले करों का स्व-निर्धारण के आधार पर उक्त अवधि में भुगतान कर दिया था ;

(ग) क्या भुगतान न करने अथवा कर-विवरणियों को विलम्ब से दाखिल करने पर सरकार द्वारा उक्त अवधि में दण्ड कार्यवाही आरम्भ की गई थी ;

(घ) क्या ऊपर वर्णित फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स में से किसी के विरुद्ध इस बात का पता चला है कि उसने अपनी आय वास्तव में छिपाई थी तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ; और

(ङ) क्या आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत कर-भुगतान सूचना को जारी करने के 35 दिन के अन्दर सरकार द्वारा मांगी गई राशि का भुगतान सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा कर दिया गया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ङ). बम्बई तथा दिल्ली के फिल्म-वितरकों के सम्बन्ध में मांगी गयी सूचना केवल तब ही इकट्ठी की जा सकती है जब कि कर-निर्धारण सम्बन्धी बहुत सारे रिकार्डों की छान-बीन की जाय और इसमें काफी समय तथा श्रम लगेगा। लेकिन, यदि माननीय सदस्य किसी खास वितरक (वितरकों) के बारे में सूचना चाहते हों, तो वह प्रस्तुत की जा सकती है।

कृषि धन-कर

5213. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1970 से कृषि धन-कर को वसूल करने के लिये सरकार द्वारा की गई व्यवस्था का ब्योरा क्या है ;

(ख) इस स्रोत से प्राप्त होने वाली वार्षिक आय कितनी होगी और उसे वसूल करने में कितना धन व्यय होगा ;

(ग) सरकार के कृषि धन-कर लगा सकने के बारे में क्या सरकार ने कानूनी विशेषज्ञों की राय ली है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क)

(1) कृषि-भूमि पर धन-कर लगाने से उत्पन्न अतिरिक्त कार्यभार के कारण, आय-कर विभाग में अतिरिक्त पदों का निर्माण नीचे दिये अनुसार, किया गया है :

(i) आय-कर आयुक्त	—	4 पद
(ii) सहायक आयकर आयुक्त	—	10 पद
(iii) आय-कर अधिकारी	—	150 पद
(iv) आयकर निरीक्षक	—	300 पद
(v) उपर्युक्त के लिये अधीनस्थ कर्मचारी		

(2) जिन व्यक्तियों के पास कृषि योग्य भूमि है तथा जिन के मामले में-धन-कर लगाया जा सकता है, उनका पता लगाने के लिये सर्वेक्षण प्रारम्भ कर दिया गया है।

(ख) वित्तीय वर्ष 1970-71 में, कृषि सम्बन्धी धन-कर से 4.75 करोड़ रुपयों की सकल प्राप्तियां होने का अनुमान है। अनुमानतः 0.75 करोड़ रुपये की वसूली-लागत को घटाने के बाद, 4 करोड़ रुपयों की शुद्ध-वसूली होने का अनुमान है।

(ग) और (घ). जी, हां। अप्रैल 1968 में, तत्कालीन महान्यायवादी श्री सी० के० दफ्तरी ने सरकार को परामर्श दिया था कि व्यक्तियों तथा कम्पनियों की परिसम्पतियों के पूंजी-मूल्य पर करों से सम्बन्धित, संविधान की सातवीं अनुसूची में दी गई केन्द्रीय-सूची की प्रविष्टि 86 की परिधि से, कृषि-भूमि को यद्यपि विशिष्ट रूप से अलग रखा गया है, तथापि संविधान के अनुच्छेद 248 के अन्तर्गत दी गई अवशिष्ट शक्ति का प्रयोग करके, संसद् को कृषि-भूमि के पूंजी-मूल्य पर कर लगाने विषयक कानून बनाने का अधिकार है। वर्तमान महान्यायवादी ने, मार्च 1969 में दिये गये अपने मत में तथा इस मामले पर 1 मई 1969 को लोक सभा के समक्ष अपने स्पष्टीकरण में भी व्यक्त किये गए इस दृष्टिकोण के साथ सहमति प्रकट की है।

शेख अब्दुल्ला, अफजल बेग तथा श्रीमती शेख अब्दुल्ला द्वारा आयकर की अदायगी

5214. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री शारदानन्द :
श्री सूरज भान :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शेख अब्दुल्ला, श्रीमती शेख अब्दुल्ला तथा मिर्जा अफजल बेग ने अपने आयकर तथा धनकर के विवरण दे दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस आय पर तथा किन वर्षों के लिये ;

(ग) उक्त मामलों में धनकर आयकर का निर्धारण किस आय पर किया गया है ; और

(घ) सरकार ने उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध समय पर आयकर तथा धनकर का विवरण न देने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). श्री शेख अब्दुल्ला और श्रीमती शेख अब्दुल्ला ने अभी तक अपनी आयकर तथा धनकर सम्बन्धी विवरणियां दाखिल नहीं की हैं। लेकिन श्री मिर्जा अफजल बेग ने, कर निर्धारण वर्ष 1969-70 के सम्बन्ध में आयकर तथा धनकर सम्बन्धी विवरणियां दाखिल की हैं और क्रमश: 1500 रुपये की आय तथा 5000 रुपये के शुद्ध धन की घोषणा की है।

(ग) कर-निर्धारण अभी पूरे होने हैं अतः यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आयकर तथा धनकर नियमों में, देरी का समुचित कारण बताए बिना, विवरणियां देर से दाखिल करने पर दण्ड लगाए जाने की व्यवस्था मौजूद है। इन मामलों में देरी का कोई समुचित कारण है अथवा नहीं, इस बात का निर्णय आयकर अधिकारी तथा धनकर अधिकारी द्वारा अपने न्यायिक विवेक द्वारा किया जायगा। इस सम्बन्ध में, सरकार उक्त अधिकारी के स्वविवेक में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

Foreign money received by Smt. Aruna Asaf Ali under National Defence Remittance Scheme

5215. **Shri Kanwarlal Gupta :** **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Ram Singh Ayarwal : **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the dates on which Shrimati Aruna Asaf Ali received funds under the National Defence Remittance Scheme from the foreign countries and the dates upto which she kept the said funds with herself;

(b) whether she has paid Wealth-Tax and Capital Gains Tax thereon to Government ;

(c) if so, the amount on which it was paid and the amount paid as said taxes, separately ;

(d) the total amount received by her so far from the foreign countries, country-wise ; and

(e) the complete details of her present wealth and the wealth possessed by her ten years back ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Shrimati Aruna Asaf Ali received a sum of Rs. 6,337/- on 8-2-1966 and a sum of Rs. 7,95,544/- on 17 th may, 1966. The sum of Rs. 7,95,544/- was used in paying back on 17th and 18th May, 1966, money which she had brrowed earlier.

(b) Yes, Sir.

(c) She has paid on self-assessment a sum of Rs. 1, 24,740/- as Income-tax, and a sum of Rs. 4,980/- as Wealth-tax in respect of the relevant assessment year in which the money was received and the Capital Gains arose. The assessments for the said year has not yet been completed.

(d) The details are as under:-

Switzerland	Rs. 7,95,544
U. K.	Rs. 6,337
	Rs. 8,01,881

(e) She was assessed on a wealth of Rs. 2,12,910/- for the assessment year 1963-64, which is the first year for which her wealth-tax assessment was made. Her present wealth as on 31-3-1969, for which return of wealth has been filed, shows a wealth of Rs. 3,17,400/-. The assessment has not yet been completed for this year.

हिन्दी अनुवादकों के पद

5216. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :**
श्री जगेश्वर यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के परिपत्र संख्या एफ० संख्या 29/3/69 एड 1, दिनांक 27 फरवरी, 1970 के द्वारा 320-530 रुपये के वेतन-क्रम में हिन्दी अनुवादकों के जिन पदों के लिये प्रार्थना-पत्र मांगे गये हैं, क्या उन्हें आर्थिक-कार्य विभाग के समान वेतन-क्रम के

हिन्दी अनुवादकों के पदों से किसी प्रकार उत्कृष्ट समझा जाता है ; और यदि हां, तो किस रूप में समझा गया है ;

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो आर्थिक-कार्य विभाग के अनुवादकों के पदों की तुलना में राजस्व तथा बीमा विभाग के इन पदों पर नियुक्ति के लिये उच्चतर शिक्षा-योग्यताएं निर्धारित करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या वर्तमान रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने से पहले उनके मंत्रालय के सभी विभागों में इन पदों के लिये नियमों में समानता लाने की दृष्टि से इन पदों से सम्बन्धित नियुक्ति-नियमों को पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). इन दोनों विभागों में हिन्दी अनुवादकों के ये पद एक ही वेतनमान और ग्रेड में होने के कारण, एक पद का दूसरे पद से श्रेष्ठ होने का प्रश्न ही नहीं उठता। राजस्व तथा बीमा विभाग में हिन्दी अनुवादकों के पदों के लिये योग्यतायें, इस विभाग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भरती-नियमावली में निर्धारित की गयी थी। भरती सम्बन्धी इन नियमों को गृह मंत्रालय और विधि मंत्रालय के साथ परामर्श करके अन्तिम रूप दिया गया था। प्रश्न में उल्लिखित परिपत्र में, उक्त भरती-नियमावली में निहित योग्यता को ही उद्धृत किया गया है, जिनमें सीमा-शुल्क, आयकर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा अन्य मामलों के कार्यों की तकनीकी और विशिष्ट प्रकृति का ध्यान रखा गया है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वित्त मंत्रालय में कथित अस्पृश्यता तथा जाति भेदभाव

5217. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :**
श्री राम चरण :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय (सचिवालय) के कर्मचारियों को अस्पृश्यता तथा जाति भेद बरतने में निरुत्साहित किया जाता है यदि हां, तो किस प्रकार ;

(ख) क्या मंत्रालय के कर्मचारियों को इस विषय से सम्बन्धित अनुदेशों की जानकारी है, यदि हां, तो वे अनुदेश क्या हैं ;

(ग) मंत्रालय (सचिवालय) के कितने कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार को पिछले दो वर्षों के दौरान जाति-भेदभाव की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(घ) इन शिकायतों में से कितनी शिकायतें (एक) संसद् सदस्यों (दो) सामाजिक संगठनों और (तीन) अन्य व्यक्तियों से प्राप्त हुईं ; और

(ङ) क्या इन मामलों की कोई जांच की गई है, यदि हां, तो उस अधिकारी का नाम तथा पदनाम क्या है जिसने जांच की थी तथा जांच किये गये मामलों की संख्या क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). जी, हां। सभी सरकारी कर्मचारियों के ध्यान में यह बात ला दी गयी है कि किसी भी रूप में अस्पृश्यता का व्यवहार संविधान के अधीन तथा अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के अधीन एक अपराध है तथा किसी भी रूप में अस्पृश्यता के व्यवहार का दोषी पाये जाने वाला सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवा के लिये अयोग्य समझा जायगा तथा उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायगी।

(ग) और (घ). एक कर्मचारी के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से चार शिकायतें संसद सदस्यों से, एक शिकायत एक सामाजिक संगठन से तथा एक शिकायत एक कर्मचारी से प्राप्त हुई।

(ङ) इन शिकायतों की जांच की जा रही है।

राजस्व तथा बीमा विभाग में हिन्दी अनुवादकों की परीक्षायें लेने में अनियमितताय

5218. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :**
श्री जगेश्वर यादव :

क्या **वित्त** मंत्री 22 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4915 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिन्दी अनुवादकों की परीक्षायें लेने तथा परीक्षाओं के उपरान्त राजस्व और बीमा विभाग में लोगों की नियुक्ति करने में अनियमितताओं, कदाचार, तथा भाई भतीजावाद की कोई शिकायतें एक संसद सदस्य से पहले अप्रैल, 1968 में तथा फिर मई, 1969 में प्राप्त हुई थीं ;

(ख) वे शिकायतें क्या थीं ; और

(ग) इन शिकायतों की प्रत्येक बात पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). अप्रैल 1968 में प्राप्त हुई एक शिकायत में इस आरोप का उल्लेख था कि 1968 में ली गयी परीक्षा के आधार पर की गयी हिन्दी अनुवादकों की भरती में अनियमितता तथा भाई-भतीजावाद बरता गया।

मई 1969 में प्राप्त हुई दूसरी शिकायत में इस पहली शिकायत का उल्लेख किया गया। भरती संबंधी उक्त परीक्षा के बारे में प्राप्त हुई शिकायतों में सबसे बड़ा इलजाम यह लगाया गया है कि जिन उम्मीदवारों की अनुपूरक परीक्षा ली गई थी उनमें से एक उम्मीदवार को हिन्दी अनुवादक के पद पर नियुक्ति के लिये इसलिये चुना गया था कि वह राजस्व तथा बीमा विभाग के हिन्दी अधिकारी का रिश्तेदार था हालांकि उसकी आयु नियत आयु से अधिक थी।

(ग) हिन्दी अनुवादकों के ग्रेड में उम्मीदवारों को नियुक्त करने अथवा इस सम्बन्ध में आयु अथवा अन्य अर्हताओं के बारे में रियायत देने के लिये हिन्दी अधिकारी सक्षम प्राधिकारी नहीं है। वह साक्षात्कार समिति के तीन सदस्यों में से एक सदस्य के रूप में उक्त भरती परीक्षा

से सम्बद्ध थे और उन्होंने उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की थी। जैसा कि आरोप लगाया गया था, इस सम्बन्ध में की गई जांच पड़ताल से पता चला कि यह उम्मीदवार हिन्दी अधिकारी का रिश्तेदार नहीं है। भरती सम्बन्धी नियमों के अनुसार, इस मामले में आयु संबन्धी कोई ढील नहीं दी गई। शिक्षा-सम्बन्धी निर्धारित योग्यताओं का अक्षरशः अनुपालन करने के बारे में इस उम्मीदवार के मामले में, (जो एम० ए०, एल० एल० बी० तथा पी० एच० डी० भी था और जिसके लिये उसने अपना शेष प्रबन्ध हिन्दी में प्रस्तुत किया था), जो ढील दी गई थी, वह ऐसे अधिकारी द्वारा दी गयी थी जो ऐसी ढील देने के लिये सक्षम था और यह ढील भरती सम्बन्धी नियमों में उल्लिखित उपबन्धों के अनुसार ही दी गई थी। कुछ अन्य उन उम्मीदवारों के बारे में भी, जिन्हें हिन्दी अनुवादकों के पद पर नियुक्ति के लिये उपयुक्त समझा गया था, इस प्रकार की ढील दी गयी थी।

राजस्व एवं बीमा विभाग में अनुवादकों के पद

5219. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :**

श्री जगेश्वर यादव :

क्या **वित्त मंत्री** 22 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4915 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्व एवं बीमा विभाग में अनुवादकों के पदों के भर्ती नियमों में न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं एवं आयु-सीमा कितनी निर्धारित की गई है ;

(ख) क्या 1968 में इस विभाग द्वारा ली गई परीक्षा के परिणाम के आधार पर भर्ती किये समस्त अनुवादक इन शर्तों की पूर्ति करते हैं यदि नहीं, तो किन-किन बातों में ;

(ग) क्या सरकार द्वारा प्राप्त शिकायतों के कारण कुछ व्यक्तियों के मामले में उनके चुने जाने के बाद पात्रता की शर्तों में छूट दी गई थी ; और

(घ) क्या भर्ती नियमों का पालन न करने लिये किसी अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया गया है ; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) **शिक्षा सम्बन्धी योग्यताएं : अनिवार्य :** हिन्दी में एम० ए० तथा स्नातक स्तर पर अंग्रेजी विषय और साथ की संस्कृत का पर्याप्त ज्ञान।

अथवा

हिन्दी में बी० ए० (आनर्स) की उपाधि और ऐच्छिक विषय के रूप में अंग्रेजी तथा साथ ही संस्कृत का पर्याप्त ज्ञान।

अथवा

ऐच्छिक विषयों के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी के साथ बी० ए० की उपाधि तथा साहित्य-

रत्न और संस्कृत का पर्याप्त ज्ञान ।

वांछनीय : (i) एक अथवा अधिक प्रादेशिक भाषाओं का ज्ञान ;

(ii) अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद कार्य का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव ।

आयु :—सीधी भरती के लिये 21 से 30 वर्ष ।

(ख) से (घ). राजस्व विभाग द्वारा 1968 में ली गयी परीक्षा के परिणाम के आधार पर जिन तीन अनुवादकों को भरती किया गया, वे निर्धारित की गयी शिक्षा सम्बन्धी उन योग्यताओं को अक्षरशः पूरा नहीं करते थे जो उक्त पद के लिये भरती नियमों में निर्धारित की गयी हैं । एक अनुवादक, जो एम० ए०, एल० एल० बी० और पी० एच० डी० (थीसिस हिन्दी में लिखी गयी) होने से यद्यपि उच्च योग्यता प्राप्त था और जिसने पहले बी० ए० में हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी ऐच्छिक विषयों के रूप में लिये थे, उसने तकनीकी तौर पर साहित्य रत्न की परीक्षा पास नहीं की थी । एक अन्य अनुवादक ने साहित्यरत्न की परीक्षा पास नहीं की थी परन्तु पंजाब विश्वविद्यालय से प्रभाकर परीक्षा पास की थी । तीसरे अनुवादक ने स्नातक परीक्षा में अंग्रेजी ऐच्छिक विषय के रूप में नहीं ली थी, यद्यपि उसने सामान्य अंग्रेजी की परीक्षा पास की थी और वह साहित्य-रत्न परीक्षा पास था । भरती नियमों के कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन में, इन मामलों में शिक्षा सम्बन्धी योग्यताओं में ढील देना आवश्यक था । सक्षम प्राधिकारी ने इन तीनों मामलों में यथास्थिति विचार करने के बाद भरती नियमों के नियम 6 के अनुसार आवश्यक ढील देने का आदेश देने का निर्णय किया । नियमों में दी गयी ढील का, प्राप्त हुई किसी भी शिकायत के साथ कोई वास्ता नहीं था । कोई चूक अथवा नियमों का पालन नहीं करने की बात नहीं थी ।

पांचवें वित्त आयोग द्वारा दक्षिण के राज्यों के प्रति कथित भेदभाव

5220. **श्री अ० कु० गोपालन :** **श्री प० गोपालन :**
श्री के० एम० अब्राहम : **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल के वित्त मंत्री के उस कथित वक्तव्य की ओर दिलाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि पांचवें वित्त आयोग ने अपने पंचाट में दक्षिण के राज्यों के साथ भेदभाव किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). पांचवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में उन मानकों और कसौटियों को सूचित किया है जिन्हें इस आयोग ने साधनों के अन्तरण की अपनी योजना का आधार बनाया है, और इन्हीं को सभी राज्यों पर समान रूप से लागू किया गया था । इसलिये यह नहीं कहा

जा सकता कि इसके फैसले से किसी एक राज्य या राज्यों के समूह के साथ भेदभाव किया गया है । राज्यों को विशेष सहायता देने के मामले में जिन बातों को ध्यान में रखा जाता है, उनमें से एक बात यह भी है कि पांचवें वित्त आयोग ने अन्तरण की जिस योजना की सिफारिश की है, उसका राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है ।

अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण

5221. **श्री अ० दीपा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को सलेक्शन ग्रेड क्लर्क के पदों के लिये 12½ प्रतिशत पदोन्नति का उचित आरक्षण महालेखापाल, वाणिज्य, निर्माण और विविध, नई दिल्ली के कार्यालय में नहीं दिया जाता है जैसा कि गृह-मंत्रालय के परिपत्र संख्या 8/20/65 एस्ट (सी) दिनांक 31 मई, 1965 में वर्णित है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सलेक्शन ग्रेड क्लर्क की कुल संख्या कितनी है तथा अब तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने कर्मचारी सलेक्शन ग्रेड में पदोन्नत किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी नहीं । अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिये, उच्च श्रेणी लिपिकों की सेलेक्शन ग्रेड लिपिकों के रूप में पदोन्नति करने के सम्बन्ध में, 12½ प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सेलेक्शन ग्रेड लिपिकों की कुल संख्या ... 103

अनुसूचित जाति के कर्मचारी ... 5

अनुसूचित जन जाति के कर्मचारी. कुछ नहीं

कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली में पानी की अपर्याप्त सप्लाई

5222. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोटला मुबारकपुर नई दिल्ली में यहां के निवासियों के लिये पर्याप्त पानी की सप्लाई नहीं है ;

(ख) क्या सरकार ने कोटला मुबारकपुर के कुओं में पानी की जांच की है ;

(ग) क्या सरकार कोटला मुबारकपुर में पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिये तत्काल कदम उठा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली जल पूर्ति एवं मल निष्कासन उपक्रम द्वारा कुशक नाला के किनारे पर स्थित अलीगंज ग्राम के एक कुएं के पानी की जांच किये जाने और उसे पीने के अयोग्य पाये जाने के बारे में सूचना मिली है।

(ग) और (घ). दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि कोटला मुबारकपुर क्षेत्र में पानी के मुख्य नल विद्यमान हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल ही में इस क्षेत्र में पुनर्विकास करने का काम अपने हाथ में ले लिया है। यहां के निवासियों के लिये सामुदायिक जीवन के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित आधारभूत सुविधाओं की योजना के एक प्रारूप पर प्राधिकरण द्वारा विचार किया जा रहा है।

कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली के निवासियों के लिये सामूहिक आवास पुनःस्थापन

5223. **श्री म० ला० सोंधी : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली के उन निवासियों के लिये, जिन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, सुविधाजनक स्थानों तथा स्वच्छ रिहायशी मकानों की व्यवस्था करने के लिये सामूहिक पुनःस्थापना आवास खोजने के लिये कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :(क) और (ख). दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अभी हाल ही में कोटला मुबारकपुर क्षेत्र की पुनर्विकास योजना को दिल्ली नगर निगम से ले लिया है। इसका विकास आरम्भ करते समय प्राधिकरण द्वारा क्षेत्र में सुविधाजनक स्थानों पर पर्याप्त सफाई व्यवस्था से युक्त रिहायशी एककों की व्यवस्था के बारे में ध्यान रखा जायेगा।

कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली में सामुदायिक केन्द्र का विकास

5224. **श्री म० ला० सोंधी : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली में एक सामुदायिक केन्द्र का विकास करने का विचार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखेगी कि यह जमीन सिनेमा अथवा किसी अन्य व्यापारिक मनोरंजन केन्द्र के निर्माण के लिये नहीं दी जायेगी ; और

(ग) सरकार कोटला मुबारकपुर में शीघ्रातिशीघ्र सामुदायिक जीवन को बनाये रखने और उसमें नवीनता लाने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल ही में

दिल्ली नगर निगम से कोटला मुबारकपुर क्षेत्र के पुनर्विकास की योजना ले ली है। योजना, जिसमें सामुदायिक केन्द्र भी शामिल है, अभी प्राधिकरण के विचाराधीन है और उसे अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण का पुनर्विकास योजना के चरणों में निष्पादित करने का प्रस्ताव है। पहले चरण में भूमिगत शौचालयों और शापिंग सेन्टर की व्यवस्था की जायेगी।

कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली में शौचालयों का निर्माण

5225. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **स्थास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली में 100 शौचालयों के निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि प्राप्त करने के लिये कोटला मुबारकपुर के साथ लगने वाले क्षेत्रों के अधिक आय वाले वर्ग के मकानों पर विशेष उपकर लगाने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री ब० सू० मूर्ति) : जी नहीं। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कोटला मुबारकपुर पुनर्विकास योजना को हाल ही में अपने हाथ में लिया है। प्रारम्भ में 0.84 एकड़ भूमि के एक प्लाट पर प्राधिकरण आधुनिक साज-सामान से युक्त दो भूमिगत शौचालयों तथा लगभग 12 व्यापारिक दुकानों का निर्माण कर रहा है। प्राधिकरण का विचार इन भूमिगत शौचालयों का रख रखाव इन व्यापारिक दूकानों से मिलने वाले किराये में से करने का है।

चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता को चितरंजन कैंसर अस्पताल के साथ मिलाना

5226. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 22 दिसम्बर, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 747 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता को चितरंजन कैंसर अस्पताल के साथ मिलाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित एकीकृत संस्थान का वित्त सम्बन्धी उत्तरदायित्व पूर्णतः अथवा अंशत केन्द्र के ऊपर होगा ;

(ग) क्या गत वर्ष बन्द किये गये कैंसर का पता लगाने वाले केन्द्र को अस्पताल के एक विभाग के रूप में फिर खोला जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो कैंसर का प्रारम्भिक अवस्था में बड़े पैमाने पर पता लगाने वाले केन्द्र द्वारा की जाने वाली निःशुल्क सेवाओं से जनता को वंचित रखने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति):(क) यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र का कैंसर का पता लगाने वाले केन्द्रों को फिर से खोलने का कोई विचार नहीं है क्योंकि कैंसर का पता लगाने और निदान की सुविधाएं समीपस्थ चितरंजन कैंसर अस्पताल में उपलब्ध हैं।

पेनिसिलिन की प्रतिक्रिया

5227. **श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री दंडपाणि :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्रीमती सावित्री श्याम :**
श्री सामिनाथन : **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मौलाना आजाद मेडिकल कालेज में अनुसंधान कर रहे दो वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि पेनिसिलिन, जो अब तक विष रहित दवा मानी जाती थी, मानव शरीर में अनेक एलर्जिक प्रतिक्रिया पैदा करती है जिससे मृत्यु हो सकती है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने देश में पेनिसिलिन के प्रयोग पर रोक लगाने का निर्णय किया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) यह दीर्घ काल से ज्ञात है कि पेनिसिलिन से मानव शरीर में अनेक एलर्जिक प्रतिक्रियाएं पैदा हो सकती हैं जिससे मृत्यु भी हो सकती है।

(ख) पेनिसिलिन बहुत उपयोगी तथा जीवन रक्षक औषध है तथा इसके प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं के प्रति जागरूक रहने वाले योग्यता प्राप्त चिकित्सकों द्वारा इसका उपयोग करना उतना ही सुरक्षित है कितना कि बहुत सी अन्य जीवन रक्षक औषधियों का उपयोग करना। अस्पतालों को पेनिसिलिन की प्रतिक्रिया विषयक मामलों में क्या कार्यवाही करनी चाहिए, इसके बारे में अनुदेश जारी कर दिये गये हैं।

(ग) जी नहीं।

कोचीन तेलशोधन कारखाने को 1.26 डालर प्रति बैरल के हिसाब से अशोधित तेल सप्लाई करने का प्रस्ताव

5228. **श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री बाल्मीकि चौधरी :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री मणि भाई जे० पटेल :**
श्री सामिनाथन : **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**
श्री दंडपाणि :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के कोचीन तेलशोधक कारखाने को 1.26 डालर

प्रति बैरल के हिसाब से अशोधित पैट्रोलियम सप्लाई किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जोकि आजकल गैर-सरकारी तेल कम्पनियों द्वारा लिये जा रहे मूल्य से दो सैंट कम है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या विश्व में अशोधित तेल के मूल्यों के वर्तमान रुख से पता चलता है कि उनमें शीघ्र ही निरन्तर गिरावट आने की संभावना है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि एन० ओ० सी० के साथ किये गये करार में मूल्य सम्बन्धी खण्ड में संशोधन करने के लिये उनके मंत्रालय के अधिकारियों का एक दल तेहरान गया था ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार प्राइवेट तेल कम्पनियों के कच्चे तेल के मूल्य में और कमी प्राप्त करने के प्रश्न पर तब विचार करेगी जब विश्व-बाजार में मूल्य निम्न स्तर पर लागू हो जायेगा ।

(ग) हाल ही में मूल्यों में कमी हुई है लेकिन यह पूर्वानुमान लगाना कठिन है कि यह रुख जारी रहेगा ।

(घ) जी नहीं, परन्तु दल शीघ्र ही तेहरान का दौरा करेगा ।

जापान से ऋण

5229. **श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री सामिनाथन :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री दंडपाणि :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान के आयात-निर्यात बैंक तथा अन्य 16 जापानी विदेशी मुद्रा बैंकों ने टोकियो में भारत को 19.1 करोड़ रुपये का ऋण देने सम्बन्धी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) ब्याज की दर कितनी है ; और

(घ) सरकार का विचार इस ऋण का उपयोग किस प्रकार करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). यह ऋण 18 वर्षों में चुकाया जाना है जिसमें 5 वर्ष की रियायती अवधि भी शामिल है और इस पर 5.25 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगेगा । ऋण की रकम कच्चे माल, मशीनों के हिस्सों, फालतू पुर्जों आदि के आयात के लिये खर्च की जायगी ।

आयकर की बकाया राशि

5230. **श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री सामिनाथन :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री दंडपाणि :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 30 जून, 1969 तक बीस ऐसे व्यक्ति थे जिन पर एक करोड़ रुपये से 3.13 करोड़ रुपये तक की आयकर की राशि बकाया थी ;

(ख) यदि हां, तो उनसे उसे वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या और भी अन्य ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर 30 जून, 1969 से मार्च 1970 तक की अवधि के कर की राशि बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां। ऐसे 20 व्यक्ति थे जिनकी तरफ, 30 जून, 1969 को, 1 करोड़ रुपये से अधिक की आयकर की बकाया थी।

(ख) उनकी तरफ पड़ी करों की बकाया की वसूली के लिये, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर सभी कानून-सम्मत सम्भव उपाय किये जा रहे हैं।

(ग) जी, हां। ऐसे कई लोग हैं जिनकी तरफ 30 जून, 1969 से मार्च 1970 तक की अवधि के दौरान, आयकर की अदायगी होनी शेष थी।

मंत्रियों के बंगलों में घिरी हुई जमीन का मूल्य

5231. **श्री जय सिंह :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मंत्रिमंडलीय मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री के बंगलों में क्रमशः कितनी जमीन घिरी हुई है ;

(ख) दिल्ली की वैभवशाली बस्तियों की जमीनों की कीमत को देखते हुए प्रचलित मूल्य के अनुसार उक्त तीनों श्रेणियों के मंत्रियों के बंगलों में घिरी हुई जमीन का अलग-अलग मूल्य क्या है ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में वर्षवार हर महीने औसतन इन बंगलों की मरम्मत, रख-रखाव, परिवर्तन, नवीनीकरण, घास के मैदानों, फूलों आदि पर अलग-अलग कितना रुपया खर्च हुआ ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) भूमि का क्षेत्रफल प्रत्येक बंगले में अलग-अलग है। मंत्रि मंडल के मंत्रियों के दखल में लिये गए बंगलों के क्षेत्रफल के मामले में यह 1.47 एकड़ से 3.86

एकड़ तक के बीच है। राज्य मंत्रियों के मामले में यह 1.49 से 3.36 एकड़ के बीच है, जबकि उप-मंत्रियों के मामले में यह 0.50 एकड़ से 3.36 एकड़ के बीच है।

(ख) जहां ये बंगले स्थित हैं, उनकी भूमि की कीमत 150 रुपये प्रति वर्ग गज अनुमानित की जाती है।

(ग) जैसा कि सभा पटल पर रख गये विवरण में है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3107/70]**

सरकारी उपक्रमों के वार्षिक प्रतिवेदनों की छपाई में मितव्ययिता

5232. **श्री जय सिंह :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न सरकारी उपक्रमों द्वारा जो वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित किये जाते हैं, उन्हें अत्यन्त मूल्यवान कागज पर बड़े ही शानदार रूप में छापा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन प्रतिवेदनों के प्रकाशन में आयातित या आर्ट पेपर का प्रयोग किया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक प्रतिवेदन की एक प्रति पर डिजाइन बनाने, छपाई आयातित कागज, आर्ट पेपर आदि पर विदेशी मुद्रा समेत, यदि कोई व्यय हुई है, कितनी लागत आई ;

(घ) क्या सरकार का मितव्ययिता की दृष्टि से इन प्रकाशनों को सादे ढंग से छापने का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ङ). सरकारी उद्यमों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सभी प्रकार के खर्चों में, जिनमें वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करने का खर्च भी शामिल है, कड़ाई से किफायत करेंगे। सरकार ऐसे मामलों में दखल देना नहीं चाहती जो सरकारी उद्यमों के आन्तरिक प्रशासन के क्षेत्र के अन्तर्गत आते हों। इस प्रकार के आंकड़े इकट्ठे करने में जितना समय लगेगा और जितना परिश्रम करना पड़ेगा, प्रत्याशित परिणाम उसके अनुरूप नहीं होंगे।

मंत्रियों द्वारा विदेश यात्रायें

5233. **श्री जय सिंह :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रियों द्वारा गर्मियों में अर्थात् मई से सितम्बर के बीच प्रति

वर्ष 90 प्रतिशत से अधिक यात्राएं की जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस कारण, सरकारी कार्य में किस हद तक बाधा पड़ती है और इन विदेशों की यात्राओं का समय पूरे वर्ष में न बांटने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यात्राओं के उद्देश्यों को पूरी तरह प्राप्त कर लिया गया था और क्या इन यात्राओं से प्राप्त परिणाम उन पर किए गए व्यय के अनुकूल हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). राजनय, वाणिज्य, व्यापार तथा सांस्कृतिक सम्बन्धों के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के संचालन से उत्पन्न होने वाला यह एक अपरिहार्य दायित्व है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अथवा बैठक में अथवा विभिन्न प्रकार के करारों के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व मंत्री स्तर पर किया जाना होता है । इस बात का इतमीनान करने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जाता है कि ऐसी यात्राएं केवल तभी की जाएं जबकि आवश्यक हों तथा यात्रा की अवधि न्यूनतम रहे । इन यात्राओं का समय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/बैठकों के निर्धारित कार्यक्रम तथा उन सरकारों की सुविधा पर निर्भर करता है जिनके साथ बातचीत की जानी होती है । लेकिन, यह सच नहीं है कि मंत्रियों की 90 प्रतिशत से अधिक विदेश यात्राएं मई और सितम्बर के महीनों में ही होती हैं ।

नगर तथा ग्राम्य आयोजन संगठन में लोअर डिवीजन क्लर्कों की पदोन्नति

5234. **श्री जय सिंह :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अन्तर्गत नगर तथा ग्राम्य आयोजन संगठन में लोअर डिवीजन क्लर्कों को अपर डिवीजन क्लर्कों के पदों पर पूर्णतः वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत किया जाता है ;

(ख) यदि नहीं, तो यह पदोन्नति किस आधार पर की जाती है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो 1 अगस्त, 1969 से 31 जनवरी, 1970 तक की अवधि में लोअर डिवीजन क्लर्क से अपर डिवीजन क्लर्क की पदोन्नति के कितने मामलों में (अवकाश, रिक्तियों पर कार्य कर रहे व्यक्तियों के मामलों सहित) वरिष्ठता नियम का पालन नहीं किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां, परन्तु जो पदोन्नति के लिये अयोग्य हैं, उन्हें अस्वीकार करते हुए ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) कोई नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

धेमोमेन कोयला-खान का बन्द होना

5235. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धेमोमेन कोयला खान के मालिकों के बीच आन्तरिक झगड़े के कारण इस कोयला खान को बन्द कर दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) सरकार के पास उपलब्ध सूचना इस प्रकार से है कि धेमोमेन कोयला खान श्रमिक कठिनाइयों तथा अलाभप्रद कार्यकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली वित्तीय कठिनाइयों के परिणामस्वरूप बंद की गई थी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी अस्पतालों से औषधियों की चोरी को रोकने सम्बन्धी उप-समिति का प्रतिवेदन

5236. **श्री जी० वाई० कृष्णन** :
श्री गाडिलिंगन गौड :
श्री जगेश्वर यादव :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अस्पतालों में औषधियों की चोरी को रोकने के लिये सरकार द्वारा गठित की गई उप-समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उसकी कौन-कौन सी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) प्रतिवेदन की जांच की जा रही है ।

केन्द्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय सम्बन्ध

5237. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 जनवरी, 1970 को बम्बई में भारतीय रिजर्व बैंक की

बैठक में लोक वित्त के सम्बन्ध में एक विदेशी विशेषज्ञ ने केन्द्र तथा राज्यों के बीच वित्ती सम्बन्धों के बारे में एक भाषण दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और क्या सरकार इन विचारों से सहम है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार राज्यों में संसाधनों का विकास करने तथा उनक पुनर्वितरण करने के लिये एक स्थायी वित्त आयोग गठित करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां । यह भाषण केम्ब्रि विश्वविद्यालय की लेडी उर्सुला हिक्स ने दिया था ।

(ख) और (ग) . भाषण का विस्तृत विवरण प्राप्त नहीं है । पर जो सूचना उपलब्ध है उससे मालूम होता है कि लेडी हिक्स ने अपने भाषण में, विकास की और साधनों के अन्तर की समस्याओं का विश्लेषण विश्व के दूसरे राज्यसंघों की समस्याओं और कार्यप्रणालियों क पृष्ठभूमि में किया था । यह भी मालूम होता था कि उन्होंने स्थायी वित्त आयोग स्थापित कर का समर्थन किया ।

सरकार के विचार से संविधान के वे वर्तमान उपबन्ध, कुल मिलाकर, पर्याप्त हैं जिन अनुसार केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तीय प्रबन्ध किये जाते हैं ।

आयकर अधिकारियों द्वारा कर अपवंचन के लिये दण्ड देने की शक्तियों का प्रयोग

5238. **श्रीमती शारदा मुकर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय-कर अधिकारियों को आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत कर-अपवंच अथवा कर देने के कारण दंड देने के लिये निर्बाध विवेकाधिकार प्राप्त हैं ;

(ख) क्या सरकार इस बात से संतुष्ट है कि आय-कर अधिकारियों के इस विवेकाधिका का न्यायसंगत ढंग से एवं निष्पक्षतापूर्वक उपयोग किया जाता है ; और

(ग) सर्वोच्च न्यायालय चूंकि देश की सर्वोच्च अदालत है अतः क्या सरकार आय-क अधिकारियों द्वारा दंड के सम्बन्ध में दिये जाने वाले अर्द्ध-न्यायपूर्ण निर्णयों का पुनर्विलोकन कर की शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्रदान करेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) कर से बचने में कानून किसी प्रकार के उल्लंघन की बात नहीं आती । तथा इसलिये कर से बचाव के लिये कोई दण लगाने की व्यवस्था नहीं की गई है । अतः, कर से बचाव के लिये दण्ड लगाने के सम्बन्ध आयकर अधिकारी को अबाधित विवेकाधिकार देने का प्रश्न बिल्कुल ही नहीं उठता । जहां त कर-अपवंचन का प्रश्न है, आयकर अधिनियम में उस हालत में दण्ड लगाने की व्यवस्था है । यदि किसी व्यक्ति ने अपनी आय छुपाई हो अथवा उसके बारे में गलत विवरण पेश किया हो । इस देर से आय-विवरणी दाखिल करने के लिये भी दण्ड की व्यवस्था है । यदि आय का छिपाय जाना सिद्ध हो जाये तो आयकर अधिकारी के पास कोई विकल्प नहीं रह जाता तथा उसे दण

लगाना ही होता है। यदि विलम्ब बिना उपयुक्त कारण के हुआ हो तो विवरणी देर से दाखिल करने के लिये दण्ड लगाया जा सकता है।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, जहां तक आय के छिपाये जाने अथवा कर से बचाव के लिये दण्ड लगाये जाने का सम्बन्ध है, इसका प्रश्न ही नहीं उठता। जहां तक विलम्ब से विवरणी दाखिल करने के लिये दण्ड लगाये जाने का सवाल है, सरकार के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि विवेक का न्यायोचित तथा निष्पक्ष प्रयोग नहीं किया जा रहा है।

(ग) आयकर अधिकारी द्वारा दण्ड लगाये जाने के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है। पहली अपील तो अपीलीय सहायक आयकर-आयुक्त के समक्ष दायर की जाती है तथा उसके आदेश के विरुद्ध दूसरी अपील आयकर न्यायाधिकरण के समक्ष की जाती है। आयकर न्यायाधिकरण के आदेशों से उत्पन्न कानून-सम्बन्धी प्रश्नों को कर-निर्धारिती तथा आयकर आयुक्त दोनों ही द्वारा, उच्च-न्यायालय तक ले जाया जा सकता है तथा उच्च-न्यायालय के आदेशों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

मद्रास तेलशोधक कारखाने में स्नेहक तेल का उत्पादन

5239. **श्रीमती शारदा मुकर्जी :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास तेल शोधक कारखाने में स्नेहक तेल(लुब्रीकेटिंग आयल) का उत्पादन कब से आरम्भ होगा ;

(ख) स्नेहक तेल का कारखाने-वार अनुमानित उत्पादन कितना है और देश में उसकी कितनी मांग है ; और

(ग) स्नेहक तेल की मांग को ध्यान में रखते हुए, तथा तेल की कमी को पूरा करने के लिये, क्या सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में कोई अन्य कारखाना स्थापित करने का सरकारी विचार है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) मद्रास शोधनशाला ने जनवरी, 1970 में स्नेहक तेलों का उत्पादन शुरू किया।

(ख) 1970 के दौरान, 544,000 मीटरी टन की अनुमानित मांग के मुकाबले में देशीय एककों की स्थापित क्षमता/उत्पादन के निम्न प्रकार होने की आशा है :

(प्रति वर्ष, 000 मीटरी टनों में आंकड़े)

	कुल स्थापित क्षमता	**कुल अनुमानित क्षमता**
दिग्बोई शोधनशाला	50	50
बरौनी शोधनशाला	46	46
मद्रास शोधनशाला	200	150
लूब इण्डिया, बम्बई	164	124
	460	370

(ग) प्रति वर्ष लगभग 200,000 मीटरी टन की क्षमता का एक दूसरा सन्यन्त्र हल्दिया में लगाया जायेगा जो सरकारी क्षेत्रीय शोधनशाला के साथ समाकलित होगा । इससे 1973 के अन्त तक स्थानीय उपलब्धि लगभग 660,000 मीटरी टन तक बढ़ जायेगी जब कि मांग के प्रति वर्ष लगभग 686,000 मीटरी टन होने की आशा है ।

Exemption from Payment of Excise Duty on Sugar used by Fruits and Vegetables Canning Industry

5240. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that fruits and vegetables canning industry in foreign countries gets sugar at the rate of 6 to 10 dollars per quintal, whereas the controlled price of sugar in India is 23 dollars per quintal and it is for this reason that India is lagging behind so far as export of fruits and vegetables are concerned ; and

(b) if so, whether Government propose to exempt the sugar used in the manufacture of these items mean for export by the said industry from the levy of sugar-cane and exise duty on sugar ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) The Government of India have no definite information regarding the price at which the fruits and vegetables canning industry in foreign countries gets sugar. However, according to the report on "Survey of India's Export Potential of Fresh and Processed Fruits and Vegetables" published in 1968 by the Indian Institute of Foreign Trade, the industry is reported to be getting sugar between 6 and 10 dollars per quintal in certain foreign countries.

During the period April 1969 to January 1970, the value of exports of fruits and vegetables of canned fruits and vegetables was about Rs. 190 lakhs as against the value of about Rs. 90 lakhs during the period from April 1968 to January 1969. This would show that exports from India are not lagging behind. Besides, release of sugar to the industry at levy price, the industry gets also the following concessions with a view to neutralise the high cost of Indian sugar.

(i) Cash assistance ranging from 3% to 17% on f. o. b. value of exports of certain fruits products.

(ii) Refunds of excise duty levied on sugar.

(iii) Drawback on tin plate imported for use in tin cans.

(iv) Replenishment licences varying at 2% to 20% of f. o. b. value of exports for import of raw materials, chemicals and packing materials.

(v) Railway freight rebate at 50% for movement and export of preserved fruits and vegetables, fruit juices etc. from certain centres of production to port towns.

(b) The rebate of excise duty on the sugar content of fruit products manufactured in accordance with the provisions of the Fruits Products Order, 1955, and exported out of India being already admissible, the question of exemption from excise duty does not arise. The sugar-cane levy being a State subject, the Central Government is not in a position to say anything about the exemption from this levy.

Family Planning Progress amongst Poor and Backward Classes and Muslims

5241. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state the progress made in respect of family planning programme amongst the poor and backward classes and Muslims during the last three years?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing aud Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : Surveys and studies carried out in various parts of the country have indicated that large majority of the acceptors of family planning programme are from low income group. As regards progress of the programme amongst Muslims, analytical studies of acceptors of family planning services at various places have shown that family planning facilities are being availed of by members of all communities.

Study of Modus Operandi of Smuggling in India

5242. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have conducted any study of the modus operandi of the smugglers in the country and also of the routes through which the goods are smuggled into the country;

(b) if so, the names of the said routes ; and

(c) the findings of the said study and the action Government propose to take on the basis of this study?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (c). The modus operandi of smugglers and the routes through which the goods are smuggled into the country are the subject of continuous study by the officers engaged on anti-smuggling duties. Goods are generally smuggled by concealment on person/in baggage in post parcels/in aircrafts, etc.

The areas of smuggling keep on changing from time to time. The West Coast of India, the coast of Tamil Nadu and the Indo-Nepal border are the active routes these days besides smuggling through internal airports. The following steps have been taken to prevent smuggling of foreign goods into the country :—

Systematic collection and follow-up of information, keeping a watchful eye on the suspected smugglers, rummaging of suspected vessels or aircrafts, and patrolling of vulnerable sectors along the coast and the land frontiers. Customs Act, 1962 has been amended making additional provisions to take special measures for the purpose of checking illegal import and export of certain commodities and facilitating their detection. These measures are kept constantly under review.

दिल्ली में अप्रयुक्त जल संयंत्र

5243. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम के जल सम्भरण तथा मल निस्सारण

उपक्रम ने जल संयंत्र का केवल चौथा हिस्सा चालू किया है जिससे प्रतिदिन 4 करोड़ गैलन की सप्लाई हो सकती है और उसका तीन-चौथाई भाग अप्रयुक्त पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो संयंत्र की पूरी क्षमता का उपयोग न करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां। 4 करोड़ गैलन पानी की क्षमता वाले वजीराबाद स्थित दूसरे जल संयंत्र से इस समय लगभग 1 करोड़ गैलन पानी सप्लाई किया जा रहा है।

(ख) संयंत्र की पूरी क्षमता का उपयोग इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि संयंत्र से विभिन्न जलाशयों को ले जाने वाले नलों का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है।

पूंजीगत माल के आयात के लिये पश्चिम जर्मनी तथा भारत के बीच करार

5244. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूंजीगत माल के आयात के लिये पश्चिम जर्मनी तथा भारत के बीच कोई करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या शर्तें हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां। पूंजीगत माल सम्बन्धी भारतीय अन्तर्मन्त्रालयी समिति द्वारा मंजूरशुदा वस्तुओं और सेवाओं का जर्मन संघीय गणराज्य से आयात करने के लिये, भारत सरकार और क्रेडिटांस्टाल्ट फर वेड्राफूव (विकास बैंक, जिसके जरिये भारत को सहायता दी जाती है) के बीच 30 दिसम्बर, 1969 को, 3.50 करोड़ ड्यूश मार्क (7.17 करोड़ रुपये) के ऋण के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे।

(ख) ऋण की शर्तें इस प्रकार हैं :—

(i) 2 करोड़ ड्यूश मार्क (4.10 करोड़ रुपये) के लिये 7 वर्षों की रियायती अवधि सहित 25 वर्षों में वापसी अदायगी और ब्याज की वार्षिक दर 3 प्रतिशत।

(ii) 1.50 करोड़ ड्यूश मार्क (3.07 करोड़ रुपये) के लिये-8 वर्षों की रियायती अवधि सहित 30 वर्ष में वापसी अदायगी और ब्याज की वार्षिक दर 2½ प्रतिशत।

छिपाये हुए धन का पता लगाना

5245. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे आयकर अधिकारियों को, जो छापे मारने में और छिपाये हुए धन का पता लगाने आदि में सफल हों, उपयुक्त पुरस्कार देने के कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उन्हें कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). आयकर विभाग के अधिकारियों को विशिष्ट रूप से सराहनीय सेवा के लिये पुरस्कार देने की योजना चालू करने के प्रस्ताव

विचार किया जा रहा है। इस प्रकार के पुरस्कार देने का प्रस्ताव व्यवहार्य पाये जाने पर ही योजना के ब्यौरों का प्रश्न उत्पन्न होगा।

मंत्रियों द्वारा विदेशों का दौरा

5246. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, 1969 से अब तक भारत सरकार के जो मंत्री, राज्य मंत्री और उप-मंत्री विदेशों के दौरे पर गये, उनके नाम क्या हैं ;

(ख) उन्होंने किन-किन देशों का दौरा किया ; और

(ग) उनके निजी खर्च के लिये कितनी विदेशी मुद्रा नियत की गई/दी गई थी और उपर्युक्त दौरों पर सरकारी खजाने में से कितनी राशि खर्च की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). 1 अगस्त 1969 से 28 फरवरी 1970 तक की सूचना अनुबन्ध में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3108/70]**

Construction of Multi-Storeyed Building in Delhi

5247. **Shri Om Prakash Tyagi:** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state;

(a) whether Government propose to construct multi-storeyed buildings in Delhi on the pattern of Bombay and allot flats therein of different individuals so as to encourage people to live collectively keeping in view the scarcity of land and residential accommodation in Delhi and the tendency of the people of our Society to discriminate on grounds of religion and caste;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) (a) to (c). The Delhi Development Authority have already constructed two storeyed flats in East of Kailash and Tagore Garden, and two, three and four storeyed flats in Safdarjang and Naraina areas.

The Authority propose to continue the construction of two to four storeyed buildings for allotment of flats to persons in the different income groups.

Utilisation of Amount Withdrawn by American Embassy from PL-480 Funds

5248. **Shri Om Prakash Tyagi:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the total amount withdrawn by the American Embassy from P. L.-480 funds during the last three years ;

(b) the amount out of it in regard to which Government had no information as to how it has been spent;

(c) whether Government have asked for the details from the American Embassy as to how the said amount has been spent;

(d) if so, the details of the reply received from them ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (e). Government are aware of the amounts withdrawn by the American Embassy from their rupee funds in India and the purposes for which they have been used. Details of their expenditures during the last three years are given in the following statement. (The statement does not include deposits in U. S. banks since these continue in U. S. Government ownership).

(Rs. crores)

Purpose	Amount Withdrawn and Spent		
	1966-67	1967-68	1968-69
A. For their own uses, including USIS, US AID and other U. S. agencies. These figures also include :—	24.55	26.40	31.98
(a) Freight paid by the U. S. on their relief supplies to India;			
(b) expenditure on account of grants given by them for research in health, agriculture, education etc.;			
(c) rupee costs of the U. S. technical assistance programme.			
B. For expenditure by American tourists	0.02	0.04	0.12
C. Other withdrawals			
1. Conversions from rupees into other currencies.	4.51	3.75	8.21
2. Aid to Nepal.	5.66	5.32	5.91
3. Cooley loans to Indo-US enterprises.	12.10	10.73	3.53
4. Loans to Govt. of India	350.00	250.00	171.40
5. Grants to Govt. of India	—	—	10.50
6. Grants to educational and medical institutions.	0.09	0.10	0.26

Increasing of Compensation as a Result of Supreme Court Judgement in Different Cases

5249. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of cases in which the Supreme Court has increased the amount of compensation or the value of any movable or immovable property fixed by Government through its judgment as a result of which only a few rich persons have been benefited as in the case of bank nationalisation ;

(b) the reaction of Government in regard to those judgments ; and

(c) the details of such judgments delivered during the last 3 years ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (c). Information regarding the number and details of cases in which the amount of compensation payable has increased as a result of Supreme Court decision, is not readily available. Collecting such information on a comprehensive scale will involve an enormous amount of time and labour as it would have to be obtained not only from the different Ministries of the Central Government but also from the State Governments.

As for the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1969 which was struck down by the Supreme Court, the Court did not fix any specific figure of compensation but laid down certain principles for determining the compensation payable.

The Act recently passed by Parliament, in the wake of Supreme Court's judgment, does not lay down principles for the determination of compensation, but fixes a specific figure of compensation in respect of each banking company for the acquisition of its undertaking. Among the ultimate beneficiaries of compensation there are many who cannot be regarded as rich.

(b) Judgments of the Supreme Court are binding on the parties concerned.

Utilisation of PL-480 Funds by Social Welfare Associations in India

5250. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the American Government gives financial aid from their PL-480 funds to some associations for social welfare programmes in India ;

(b) if so, the names of the said associations ; and

(c) the aid given to them annually ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (c). The US Government finance, with the approval of the Government of India, specific survey evaluation and research-cum-rehabilitation programmes undertaken by social welfare organisations. The programmes financed by them and the amounts authorised for the duration of the schemes are furnished in the statement laid on the Table of the House for the years 1967, 1968 and 1969. **[Placed in Library. See No. LT—3109/70].**

Exemption of Jewels from Taxation

5251. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the reaction of Government to the judgment of the Supreme Court in respect of exempting jewels from tax;

(b) whether the attention of Government has been invited to the fact that people would invest their money only in purchasing jewels as a result of exemption from levying tax thereon ; and

(c) if so, the steps proposed to be taken by Government for taking some action in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (c). Presumably the Hon'ble Member refers to the granting of exemption in respect of jewellery under the Wealth Tax Act, 1957. The matter is under consideration.

सीमा शुल्क विभाग द्वारा छापे

5252. **श्री रामकिशन गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 में देश के विभिन्न भागों में सीमा-शुल्क विभाग ने कुल कितने छापे मारे ; और

(ख) उनमें कुल कितने मूल्य की वस्तुएं पकड़ी गईं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) वर्ष 1969-70 में (केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता-कार्यालय, हैदराबाद को छोड़ कर) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा 5617 छापे मारे गये थे ।

(ख) 508 लाख रुपये ।

राज्यों में राज्य आवास बोर्ड की स्थापना

5253. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने राज्य आवास बोर्डों की स्थापना की है ; और

(ख) शेष राज्यों में ये बोर्ड स्थापित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) अब तक, निम्नलिखित राज्य सरकारों ने सांविधिक आवास बोर्डों की स्थापना की है :—

1. आंध्र प्रदेश
2. गुजरात
3. मध्य प्रदेश
4. महाराष्ट्र
5. मैसूर
6. उड़ीसा
7. तामिल नाडु, और
8. उत्तर प्रदेश

(ख) बोर्डों की स्थापना सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये कानून के अन्तर्गत होती है । यह विभाग केवल राज्य सरकारों की आवास बोर्डों की स्थापना करने की आवश्यकता पर ही बल देने का प्रयत्न कर सकता है । ऐसा प्रत्येक सम्भव अवसर पर किया जा रहा है ।

भारत-पाकिस्तान सीमा पर एक अमरीकी नागरिक की गिरफ्तारी

5254. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 जनवरी, 1970 को सीमा शुल्क कर्मचारियों ने हुसैनीवाला में एक अमरीकी नागरिक को, जब उसने पाकिस्तान से भारत में प्रवेश किया, गिरफ्तार किया था ;

(ख) उसकी गिरफ्तारी के क्या कारण थे ; और

(ग) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). 8 जनवरी, 1970 को पाकिस्तान से हुसैनीवाला भू-सीमा शुल्क चौकी पर पहुंचने पर, मैक्स जैम्स कोपेनहैगन नामक एक अमरीकन राष्ट्रिक को, अपने पास 3.3 किलोग्राम चरस छिपाने के जुर्म में, सीमा शुल्क के कर्मचारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया ।

(ग) अभियुक्त को, तथा पकड़ी गई चरस को पुलिस अधिकारियों के सुपुर्द किया गया । इलाका मैजिस्ट्रेट, फीरोजपुर की अदालत में इस्तगासे की कार्यवाही किये जाने पर अभियुक्त को छः महीने के कठोर कारावास की सजा दी गयी तथा 500 रुपया जुर्माना किया गया । जुर्माना अदा नहीं करने पर कठोर कारावास की एक महीने की अतिरिक्त सजा उसे भुगतनी होगी ।

ब्रिटेन की अर्थशास्त्री लेडी उरसुला हिक्स द्वारा की गई टिप्पणी

5255. **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री गाडिलिंगन गौड़ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन की विख्यात अर्थशास्त्री लेडी उरसला हिक्स ने 15 जनवरी, 1970 को नई दिल्ली में "विकासशील अर्थ-व्यवस्था में संघीय वित्त" पर बोलते हुए कहा था कि भारतीय संघीय वित्त नीति की मूल कमी राज्यों के बजटों, जो कि मुख्यतः अज्ञान और आर्थिक जानकारी के अभाव पर निर्भर होते हैं, पर नियंत्रण न होना है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या कुछ और सुझाव भी दिये गये थे और यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ग). जी, हां । उन्होंने यह सुझाव भी दिया था कि एक स्थायी वित्त आयोग का होना श्रेयस्कर होगा ।

(ख) सरकार, केन्द्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों का नियंत्रण करने वाले वर्तमान सांविधानिक उपबन्धों को प्रायः पर्याप्त समझती है । इसके अलावा, आयोजना तैयार करने की प्रक्रिया ऐसी है जिसके अन्तर्गत वित्तीय और अन्य मामलों के बारे में केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच विचार-विनिमय करने की काफी गुंजाइश रहती है ।

कोचीन नगर का दर्जा बढ़ाना

5256. **श्री पी० विश्वम्भरन : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संस्थाओं तथा कोचीन नगर निगम से कोई अभ्यावेदन मिले हैं जिनमें मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता देने के लिये कोचीन नगर का दर्जा बढ़ा कर उसे 'बी' श्रेणी का नगर बनाया जाये ;

(ख) क्या सरकार ने कोचीन नगर में वर्तमान जन संख्या का निर्वाह व्यय सूचकांक का निर्धारण किया है ; और

(ग) क्या सरकार ने कोचीन का दर्जा बढ़ाने के प्रश्न के बारे में कोई निर्णय किया हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). सावधानी से विचार करने के बाद, शहरों/कस्बों के वर्गीकरण की समीक्षा करने के मामले को 1971 की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध होने तक स्थगित रखने का निर्णय किया गया है । तीसरे वेतन आयोग द्वारा भी, जो शीघ्र ही नियुक्त किया जाने वाला है, इस मामले की जांच किये जाने की सम्भावना है ।

Christian Girls Sent Abroad for Training in Nursing

5257. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 240 minor Christian girls were sent from India to Germany last year for training in nursing and that it is compulsory for them to serve there for a period of four years after the completion of training ;

(b) if so, the complete details in respect of the selection of the said girls, the expenditure incurred on them, issuing of passports to them releasing of foreign exchange and sanctioning their travelling expenses and issuing of 'P' Form by the Reserve Bank of India ; and

(c) the reasons for which the followers of Christianity have been given preference in the selection ?

The Minister of State in the Ministry of Health aad Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) and (c). Government of India did not send any person for training in nursing to Germany last year. The other questions raised in parts. (b) and (c) do not arise.

Facilities for Training in Nursing in India

5258. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that adequate facilities for training in nursing are available in India ;

(b) if so, whether Government have under consideration any proposal to open new Training Centres in view of the increasing demands of trained nurses in the country ; and

(c) the reasons for which 240 Christian girls from India were sent to Germany for training ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Government of India did not send any person for training in nursing to Germany last year and hence the question does not arise.

Recommendations of Administrative Reforms Commission on Service Conditions of Income Tax Officers

5259. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Ram Avtar Sharma :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Administrative Reforms Commission has made certain recommendations in regard to service conditions and duties of the Income-tax Officers ; and

(b) if so, the decision taken by Government in regard to the said recommendations ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) The Administrative Reforms Commission has made no recommendations and duties of the Income-tax officers.

(b) Does not arise.

Promotion of Income Tax Officers

5260. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Ram Avtar Sharma :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that putting in 5 years of service was an essential condition for promoting Class II Income-tax Officers as Class I Officers ;

(b) whether it is also a fact that the Class II Income-tax Officers who have put in 12 years of service, have not so far been promoted as Class I Officers ;

(c) whether it is also a fact that previously the class II Officers with 5 years of service to their credit were promoted as class I Officers ; and

(d) if so, whether Government have framed some new policy in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Income-tax Officers, Class II, have to put in a **minimum** of 5 years' service in the grade as one of the conditions for becoming eligible to be considered for promotion as Income-tax Officers, Class I.

(b) Among the Class II Income-tax Officers awaiting promotion, some have put in 12 years service.

(c) Previously also Class II Officers with 5 years' service in the grade were not promoted automatically as Class I Officers. Promotion depends on availability of vacancies, suitability of the officer under consideration and the condition of minimum service qualification being satisfied.

(d) There has been no change in the policy.

Convening of Departmental Promotion Committee Meeting to consider Promotion of Income-Tax Officers Class II to Class I

5261. **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no meeting of the Departmental Promotion Committee has been convened since 1965 for the promotion of Class II Income-tax Officers to Class I posts ;

(b) whether it is also a fact that the said meeting was not convened because certain cases are pending in the court ;

(c) if so, whether in the meantime Assistant Commissioners have been promoted to the posts of Commissioners ; and

(d) if so, the reasons for discrimination against the Income-Tax Officers in matters of promotions ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) The last Departmental Promotion Committee for promotion of Class II Income-tax Officers to Class I was held in December 1965 and the officers selected were promoted with effect from 1.1.1966.

(b) The writ petitions, filed by the Direct Recruits to Income Tax Service Class I in the Punjab High Court, were decided in 1964. The matter went up to the Supreme Court and was decided by their judgment in February 1967. It is correct that upto February 1967, no Departmental Promotion Committee was held because of the appeal etc. pending in the Supreme Court. Thereafter, the Departmental Promotion Committee was not convened because in pursuance of the Supreme Court judgment the seniority of Class I was revised leaving no vacancy in the quota for promotion. Instead 154 surplus officers were left to be absorbed against future vacancies.

(c) Promotions to the rank of Commissioners of Income Tax were made against the available vacancies.

(d) There has been no discrimination, in the matter of promotion of Class II Income-tax Officers to Class I Income-tax Service.

राष्ट्रीयकृत बैंकों के बचत बैंक खाते में जमा राशि

5262. **श्री मधु लिमये :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों के बचत बैंक खातों में दिसम्बर, 1967, दिसम्बर, 1968 तथा दिसम्बर, 1969 में कितनी राशि जमा थी ;

(ख) 18 जुलाई, 1969 को बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद खातेदारों को दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या बचत बैंक खातों में जमा राशि वर्ष 1969 में वर्ष 1967 और 1968 की तुलना में बढ़ी है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) भारत के, चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों के बचत बैंक खातों में दिसम्बर, 1967 के अन्त में 611.94 करोड़ रुपया, दिसम्बर, 1968 के अन्त में 686.82 करोड़ रुपया और दिसम्बर, 1969 के अन्त में 800.74 करोड़ रुपया जमा था।

(ख) बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद, बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के लिए, चाहे वे बड़े हों या छोटे, सेवाओं में सुधार करने पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के अभिरक्षकों ने, बैंकों की शाखाओं के कर्मचारियों पर इस बात का जोर दिया है कि उन्हें इन परिवर्तित परिस्थितियों में, समाज की पहले की अपेक्षा अधिक अच्छी तथा और अधिक शिष्टतापूर्वक सेवा करनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान ने, गत दिसम्बर में मद्रास में 'ग्राहक सेवा' नामक विषय पर एक गोष्ठी, आयोजित की थी जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। इस गोष्ठी का उद्देश्य यह था कि ग्राहकों को मुहैया की जाने वाली सेवाओं में सुधार करने के तरीकों का पता लगाया जाय। उपर्युक्त गोष्ठी में जो सिफारिशें की गयीं, उनका संक्षिप्त ब्योरा इस प्रकार है :

(i) बैंकों द्वारा अच्छी सेवा मुहैया किये जाने के लिये मानवीय और अमानवीय पहलुओं में सुधार करने के उद्देश्य से आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए ;

(ii) तेजी से भुगतान करने की प्रणाली अपनायी जानी चाहिए ;

(iii) पहले की अपेक्षा अधिक शोधन-गृह खोले जाने चाहिए ;

(iv) ग्राहकों के साथ मानवीय सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण देना चाहिए ; और

(v) अधिक काम-काज वाले इलाकों में ग्राहकों की भीड़ कम करने के उद्देश्य से बैंकों को शहरी क्षेत्रों में, अधिक शाखाएं खोलने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए।

जहां तक सम्भव है, इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और इससे, जमाकर्ताओं के लिये उपलब्ध की जाने वाली सेवाओं में सुधार होने की सम्भावना है।

(ग) जी, हां। भारत के राष्ट्रीयकृत बैंकों के बचत खातों में जमा की जाने वाली रकमों में 1969 में 113.92 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जबकि 1968 और 1967 में इन रकमों में क्रमश: 74.88 करोड़ रुपये और 82.93 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा खोली गई शाखाएं तथा एकत्रित जमा राशि

5263. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से प्रत्येक द्वारा वर्ष 1969 के पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध में कितनी शाखायें खोली गईं ;

(ख) स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा उसके प्रत्येक सहायक बैंक द्वारा कितनी शाखायें खोली गईं ; और

(ग) वर्ष 1969 में सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक द्वारा कितनी राशि जमा की गई और हाल में खोली गई शाखाओं द्वारा कुल कितनी राशि के ऋण दिये गये ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है जिसमें सबसे हाल की उपलब्ध सूचना दी गयी है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3110/70**]

(ग) मांगे गये आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं। ये आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं और जैसे ही ये प्राप्त हो जायेंगे वैसे ही सभा की मेज पर रख दिये जायेंगे।

प्रमुख बैंकों के कृत्य

5264. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रमुख बैंकों के कृत्य क्या हैं ; और

(ख) वर्ष 1970, 1971 तथा 1972 में सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक द्वारा हर अग्रगामी जिले में कितनी शाखायें खोली जायेंगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) रिजर्व बैंक द्वारा बनाई गई "बैंक नेतृत्व" योजना के अनुसार नेता बैंक के मुख्य कार्यों का संक्षिप्त ब्योरा इस प्रकार है :

(1) बैंक को अलाट किये गये जिलों में साधनों, ऋण की आवश्यकताओं और बैंक कारबार के विकास की सम्भावनाओं का सर्वेक्षण करना ;

(2) कृषि उत्पादों और अन्य उत्पादों के विपणन की सुविधाओं, संग्रहण और गोदामों के लिये स्थान की जांच करना और जिले में ऋण को विपणन से जोड़ना ;

(3) छोटे ऋणकर्ताओं और किसानों को परामर्श देने और उसके बाद की कार्रवाई करने और ऋणों के अन्तिम उपयोग का निरीक्षण करने के लिये कर्मचारियों की भर्ती और प्रशिक्षण ;

(4) अन्य प्राथमिक ऋणदाता अभिकरणों की सहायता करना ;

(5) सरकारी और अर्ध-सरकारी अभिकरणों से सम्पर्क बनाये रखना ।

नेता बैंक से यह आशा की जाती है कि वह जिले में बैंकों के समूह के नेता के रूप में काम करे और उसे सर्वेक्षण द्वारा ऐसे क्षेत्रों का पता लगाने के बाद, जिनमें शाखाएं खोलने की आवश्यकता हो और जहां ऋण सुविधाओं की कमी हो, शाखाएं खोलने और ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जिले में काम करने वाले अन्य बैंकों का सहयोग प्राप्त करना चाहिये ।

(ख) रिजर्व बैंक द्वारा 1970 के लिये बड़े-बड़े बैंकों के शाखा विस्तार के लिये बनाई गयी योजना के अधीन भारत में 1350 नये कार्यालय खोलने की परिकल्पना की गई है जो मुख्यतः बैंक-रहित केन्द्रों में खोले जायेंगे । इनमें से 1300 कार्यालय सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा खोले जायेंगे । इस सम्बन्ध में, रिजर्व बैंक ने 1961 की जनगणना में परिभाषित बैंक-रहित "नगरों" और बैंक व्यवस्था रहित राजकोष/उप-राज कोष केन्द्रों की एक सूची परिचालित की है । इसके अलावा, बैंकों को, ऐसे केन्द्रों में कार्यालय खोलने के सुझाव पेश करने की छूट होगी जिनका पता उनके द्वारा लगाया गया हो । बैंक नेतृत्व योजना के अधीन कुल 335 जिलों में से 331 जिले सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों को अलाट कर दिये गये हैं । इन बैंकों से यह आशा की जाती है कि वे, उन्हें सौंपे गये जिलों में ऐसे सम्भावित केन्द्रों का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण करेंगे, जहां बैंकों की शाखाएं खोली जा सकती हों । सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप आगामी महीनों में, जिलों में खोली जाने वाली शाखाओं की संख्या का पता, बैंक नेतृत्व योजना के अधीन परिकल्पित उक्त सर्वेक्षण के पूरा हो जाने और सम्बद्ध बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिये जाने के बाद ही लगेगा । बैंकों से पहली तिमाही रिपोर्ट निकट भविष्य में प्राप्त होने वाली है ।

यूनेस्को, नयी दिल्ली के श्री एस० पी० दीवान द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का कथित उल्लंघन

5265. **श्री मधु लिमये :** क्या **वित्त** मंत्री 17 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 46 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र के भारत स्थित विशेषीकृत अभिकरणों द्वारा आयोजित विदेश यात्रा का किराया सम्बन्धित अभिकरण द्वारा सदा चैक से दिया जाता है ताकि अधिकारियों को इस बात का प्रमाण मिल जाये कि यात्रा वास्तव में सरकारी है तथा उसके लिये सम्बन्धित अभिकरण द्वारा धन दिया जा रहा है ।

(ख) क्या यह भी सच है कि जून, 1966 में भारत स्थित "यूनेस्को" मिशन के एक अधिकारी श्री एस० पी० दीवान, जिन्होंने यात्रा एजेन्टों को किराया का नकद भुगतान किया है, की विदेश यात्रा के मामले में इस प्रथा का पालन नहीं किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो किराये का नकद भुगतान किये जाने की स्थिति में श्री दीवान को विदेश जाने की अनुमति देने से पहले अधिकारियों को यह विश्वास कैसे हुआ था कि श्री दीवान की यात्रा सरकारी थी ; और

(घ) सम्बन्धित व्यक्तियों/यात्रा एजेंटों के विरुद्ध किराये का नकद भुगतान करके ऐसी यात्राओं के बारे में विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ). विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों में यह निर्धारित नहीं किया गया है कि भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष अभिकरणों द्वारा प्रायोजित विदेशी यात्रा के भाड़े की अदायगी चेकों के जरिये ही की जानी चाहिये। इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र संघीय शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संगठन (यूनेस्को) के कार्यालय से पता चला है कि प्रश्न में श्री एस० पी० दीवान की जिस यात्रा विशेष का उल्लेख किया गया है, वह अधिकृत यात्रा थी और यूनेस्को के कार्यालय द्वारा उन्हें इस दौरे के लिये नकदी में अदायगी की गयी थी। इन परिस्थितियों में, किन्हीं व्यक्तियों/यात्रा अभिकर्ताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

Payees of Income Tax in Allahabad

5566. **Shri Janeshwar Misra :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of persons in Allahabad who pay Income-tax ;

(b) the number of persons who have not so far paid the said tax ;

(c) the names of the said persons and the arrears of the said tax due on them ; and

(d) the steps taken by Government to recover the said arrears ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) 10,900

(b) 3,200

(c) As there are 3,200 persons from whom arrears of Income-tax is due, the collection of information regarding the names of such persons and the amount of arrears due from them would involve considerable time and labour.

(d) All possible steps as provided under the law and depending upon the facts and circumstances of each case are being taken to recover the arrears of taxes in these cases.

Class IV Employees Working in the Excise and Income-tax Department at Patna

5267. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of chowkidars, sanitation employees and farrashes, separately, working in the Central Excise and Income-tax offices located at Patna ;

(b) the length of their Government service ;

(c) whether it is a fact that inspite of their having put in long service they have neither been categorized as Class IV employees nor any facilities admissible to Class IV employees have been provided to them ;

(d) if so, the reasons therefor ; and

(e) whether it is also a fact that the said employees have submitted a representation to the higher authorities of the said Department in this regard ; and if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) The present complement of chowkidars, sanitation employees and farrashes working in the Income-tax and Central Excise Departments at Patna are shown below :

	Chowkidars	Sanitation employees	Farrashes
Income-tax Department	10	4	3
Central Excise Department	—	7	3

(b) and (c).

Income-tax Office : 3 chowkidars are regular Class IV employees enjoying all facilities admissible to Class IV officials. Of the remaining 14, the one with the longest spell of service has been working only since January 1969 and as such there is none within the category of having rendered long service.

Central Excise Office : Of the 10 employees shown above, 9 are whole-time employees paid from office contingencies but not entitled to concessions like leave, pension, etc., admissible to regular Class IV employees. They have rendered about 5 to 10 years of service.

(d) and (e). Due to the ban on recruitment to regular Class IV establishment, contingency paid staff had to be employed to meet the needs of expanding revenue departments of Central Excise and Income-tax. The absorption of such staff in the regular Class IV establishment can be effected only to the extent of available vacancies and subject to fulfilment of the conditions prescribed by the Ministry of Home Affairs.

No representation has been received on the Income-tax side. However, on the Central Excise side, representations have been submitted by the concerned employees of the Patna Central Excise Department and these are receiving sympathetic consideration.

दिल्ली राज्य अस्पताल कर्मचारी संघ से ज्ञापन

5268. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 8 मार्च, 1970 को दिल्ली राज्य अस्पताल कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें एक ज्ञापन दिया था और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस ज्ञापन पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । मांगों की विस्तृत सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3111/70]**

(ग) और (घ). मामले की जांच की जा रही है ।

Possession of Pure Gold by the Employees of Ministry of Finance

5269. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of employees in her Ministry about whom Government know that they possess pure gold 'Yantra' :

(b) whether these employees have made a declaration about these 'Yantras' under the Gold Control Act and if so, the provisions of the said Act under which the declaration has been made ;

(c) the number of 'Yantras' about which declaration was made by each of the employees mentioned in part (a) above as also the weight and value thereof ; and

(d) the purpose for which these employees kept these 'Yantras' and the basis on which they have been permitted to keep them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) One.

(b) Yes, under Rule 126 I of Part XII-A of the Defence of India Rules, 1962 corresponding to Section 16 of the Gold (Control) Act, 1968.

(c) The particulars of the individual declarations cannot be divulged in view of the provisions contained in Section 107 of the Gold (Control) Act, 1968.

(d) A gold 'Yantra' being a thing in a finished form is, for the purposes of Gold Control law, classifiable as 'article' as distinct from 'primary gold' and does not, therefore, attract the ban on possession which applies to primary gold.

Long Wait for Test Reports in Hospitals of Delhi

5270. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the patients who are required to get their stools, urine and blood tested and X-ray taken in big hospitals like Willingdon and Safdarjang hospital have to go there for months together for obtaining the reports thereof ;

(b) whether it is also a fact that on many occasions the test reports are lost and the patients have to waste a lot of time in getting stools etc. tested again ; and

(c) whether Government propose to bring about an improvement in this position, particularly in the cases of M.Ps. and their wards ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). No, Sir. In Willingdon and Safdarjang Hospitals, samples of blood, urine and stool received by the laboratory are tested on the same day and the reports are despatched to the departments from where the requisitions for such tests are received through messengers on the next day or a day after depending on the time needed to complete the tests. Similar procedure is followed in regard to the despatch of X-ray films.

Permanent records of all tests done in the laboratory and special X-ray examinations done in the X-Ray Departments are kept in the respective departments. If on any rare occasion a report is misplaced, a duplicate report is made available.

(c) Constant efforts are being made to improve the working conditions of the Government Hospitals in Delhi. There is no proposal for making separate arrangements for laboratory services for M.Ps. and their wards.

Special Aid for the Treatment of Cataract and Sabalwayu Diseases

5271. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the cataract and 'Sabalwayu' diseases are increasing in the country, if so, the details for the last three years in this regard ;

(b) whether the disease of 'Sabalwayu' is incurable or Government have achieved some success in respect of the treatment of the said diseases ;

(c) the steps taken by Government at district level for the treatment of the said diseases ;

(d) whether Central Government have allocated some funds as special aid to the Uttar Pradesh Government for the treatment of the said diseases ; and

(e) whether Bundelkhand back-ward area has been neglected in respect of the treatment of the said two diseases ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) There have been very few organised surveys in connection with incidence and prevalence of Cataract and Glaucoma (Sabalwai). However, the surveys under taken by the National Society for the Prevention of Blindness at Dr. Rajindra Parshad Centre for Ophthalmic Sciences, New Delhi do not indicate any noticeable increase in the prevalence of these diseases.

(b) No, Sir. 'Sabalwai' (**Glaucoma**) can be treated both medically and surgically.

(c) The treatment facilities are already available in several Central and State Hospitals as well as in the Government aided hospitals run by voluntary organisations. In addition, eye capms are arranged in towns and rural areas by some of the State Governments and voluntary organisations.

(d) No special aid to the Government of Uttar Pradesh has been given for the treatment of cataract and 'Sabalwayu' diseases. However, during the Fourth Plan period, there is a provision of Rs. 45.30 lakhs in the Uttar Pradesh State Plan to attach 20 mobile eye clinics to Medical colleges for providing additional facilities for the treatment of eye diseases.

(e) The required information is not readily available.

चिकित्सा (मेडिकल) कालिज खोलने से पहले पूरी की जाने वाली शर्तें

5272. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चिकित्सा परिषद् (मेडिकल काउन्सिल) द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार चिकित्सा कालिज खोलने से पहले क्या शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं ;

(ख) क्या जनरल अस्पताल मनीपुर ने ये शर्तें अभी तक पूरी नहीं की हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) भारतीय चिकित्सा परिषद् ने चिकित्सा कालेज के लिये उपयुक्त (स्टैंडर्ड) अपेक्षाओं के विषय में सिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें (i) कालेज एवं अस्पताल

के लिये आवास (ii) शैक्षणिक तथा तकनीकी कर्मचारियों की व्यवस्था और (iii) शिक्षण विभागों तथा अस्पताल के लिये उपकरणों के बारे में है ।

परिषद् की सिफारिशों के अनुसार 100 सीटों वाले कालेज को एक ही भवन में और शैक्षणिक अस्पताल के समीप स्थित होना चाहिये । इसमें चार व्याख्यान-कक्षों की व्यवस्था होनी चाहिये जिनमें से तीन में 150 से 200 तक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता हो तथा एक में 350 -400 तक की । इसमें 600 से 800 तक व्यक्तियों की क्षमता वाले एक सभागार की भी व्यवस्था होनी चाहिये । अस्पताल में एक वहिरंग रोगी विभाग क्लिनिकी विशिष्टताएं तथा 700 पलंगों वाला एक अंतरंग रोगी विभाग भी होना चाहिये । कालेज तथा अस्पताल के लिये कर्मचारी एवं उपकरण एक निश्चित प्रतिमान के अनुसार होने चाहिये ।

(ख) जनरल अस्पताल मणिपुर की, एक शैक्षणिक अस्पताल के रूप में उपयुक्तता केवल भारतीय चिकित्सा परिषद् के निरीक्षण के पश्चात् ही निश्चित की जा सकती है । तथापि, यह बता दिया जाये कि इस अस्पताल में पलंगों की संख्या, जो लगभग 300 है, परिषद् द्वारा सुझाये गये एक शैक्षणिक अस्पताल के लिये 450 बिस्तरों की न्यूनतम संख्या से कम पड़ती है ।

(ग) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आरम्भ करने अथवा वहां पर जनरल अस्पताल को शैक्षणिक अस्पताल के स्तर तक उन्नयित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । मणिपुर का संघीय क्षेत्र, इसकी जनसंख्या के आधार पर चिकित्सा कालेज का पात्र नहीं है ।

मनीपुर में खुले सिक्कों की अत्यधिक कमी

5273. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मनीपुर में खुले सिक्कों की अत्यधिक कमी है जिसका कारण स्टेट बैंक आफ इंडिया, इम्फाल को ऐसे सिक्कों की कम सप्लाई करना प्रतीत होता है ;

(ख) यदि हां, तो खुले सिक्कों की नियमित सप्लाई करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) वर्ष 1969 में मनीपुर को कितनी राशि के खुले सिक्के भेजे गये थे और 1970 में कितनी राशि के सिक्के भेजने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक, कलकत्ता में प्राप्त केवल एक व्यक्ति की शिकायत को छोड़कर, मणिपुर में रेजगारी के कमी के सम्बन्ध में कोई अन्य शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग). जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए और इस प्रकार का माल भेजने के लिये हवाई जहाजों में उपलब्ध भारयोग (पे लोड) के अनुरूप, भारतीय स्टेट बैंक, इम्फाल को मांग पत्रों (इंडेंट) के आधार पर किस्तों में रेजगारी सप्लाई की जाती है ।

स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा व्यापारियों को दिया गया ऋण

5274. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष में आज तक स्टेट बैंक आफ इण्डिया, इम्फाल से कितने व्यापारियों को ऋण दिया गया है और कितनी राशि का ;

(ख) क्या हाल में ऋण की मंजूरी निलम्बित रखी गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या यह सच है कि ऋण बड़े व्यापारियों को दिया गया है यद्यपि आवेदन-पत्र छोटे व्यापारियों के नाम पर रख दिये गये थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे जितनी जल्दी हो सकेगा, सभा की मेज पर रख दिया जायगा ।

राज्यों को सहायक अनुदान

5275. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 तथा 1969-70 में केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र को कितना सहायक अनुदान तथा ऋण दिया है ;

(ख) उपर्युक्त वर्षों में करों में राज्यों का कितना भाग था ; और

(ग) 1969-70 में संघ राज्य क्षेत्रों तथा नागालैण्ड से केन्द्रीय सरकार ने करों के रूप में कितनी-कितनी राशि वसूल की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है जिसमें उपलब्ध जानकारी दी गई है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3112/70**]

(ग) जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है, पर एकत्रित की जा रही है ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में कार्य करने वाले डाक्टरों को विशिष्ट अध्ययन के लिये दी जाने वाली सुविधाएं

5276. **श्री एम० मघचन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत नियोजित डाक्टरों के लिये विशिष्ट अध्ययन हेतु क्या सुविधाएं हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या मनीपुर संघ राज्यक्षेत्र में नियुक्त डाक्टरों को भी ये सुविधाएं प्रदान की गई हैं ; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) ये सुविधाएं मंत्रालय के पत्र संख्या एफ० 32-63/68 सी० एच० एस (सी० एच० एस० 3) दिनांक 31 दिसम्बर (प्रति संलग्न) के आदेशानुसार दी गई हैं। ये आदेश जी० डी० ओ० ग्रेड एक एवं जी० डी० ओ० ग्रेड दो के सभी केन्द्रीय स्वास्थ्य अधिकारियों पर जिसमें मनीपुर में काम कर रहे डाक्टर भी शामिल हैं, लागू होते हैं।

गोआ उर्वरक परियोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम से सहायता

5277. **श्री जे० के० चौधरी :**
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ उर्वरक परियोजना के लिये अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम से सहायता की राशि बढ़ाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो कुल पूंजी व्यय के कितने प्रतिशत तक ; और

(ग) इस समूची परियोजना का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). सरकार ने गोआ उर्वरक परियोजना की वित्त व्यवस्था के पैटर्न का 31-12-1969 को अन्तिम रूप से अनुमोदन कर दिया था। तबसे परियोजना में ईक्विटी तथा ऋण के रूप में, अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के अंशदान में कोई वृद्धि नहीं हुई है। परियोजना की कुल पूंजीगत लागत में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के अंशदान की प्रतिशतता 24.32 प्रतिशत है।

(ग) गोआ परियोजना प्रतिवर्ष 2,20,000 मीटरी टन अमोनिया, 3,40,000 मीटरी टन यूरिया और 1,50,000 मीटरी टन कम्पाउंड उर्वरक उत्पादित करने के लिये रूपांकित है। परियोजना पर 56.55 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत का अनुमान है जिसमें विदेशी मुद्रा अंश 26.17 करोड़ रुपये है।

Outstanding amount of Taxes against Shri Shankar Dayal Singh

5278. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shri Shankar Dayal Singh, a Bihar Minister, is the proprietor of many collieries ;

(b) if so, the names of the said collieries ;

(c) whether it is a fact that a large amount of taxes is due from him ;

(d) if so, the details thereof ; and

(e) the steps taken or proposed to be taken by Government to recover the said arrears ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (e). The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

Talks of State Bank of India with A. I. S. B. I. S. F.

5279. **Shri Shri Chand Goyal :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the State Bank of India has had talks with A. I. S. B. I. S. F. ;

(b) the out come of the talks ;

(c) whether the overtime limit has been reduced to the extent of 60 hours ; and

(d) the reasons for the mid-term settlement ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Yes, Sir.

(b) An agreement has been signed on 24th February, 1970 by the State Bank of India with its recognised union, All India State Bank of India Staff Federation.

(c) No, Sir.

(d) The period of earlier settlement having lapsed on 31st December, 1968, fresh negotiations became necessary.

Opening of a Medical College at Chandigarh

5280. **Shri Shri Chand Goyal :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether there has been a persistent demand for opening a Medical College at Chandigarh ;

(b) whether Government have received a proposal that the Medical College at Chandigarh will cost much less than a Medical College elsewhere ; and

(c) the reasons for not accepting the proposal and for not expediting the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes.

(b) and (c). The proposal received by the Government is that if a Medical College is started at Chandigarh as a wing of the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research or with teaching assistance drawn from the Institute, the expenditure involved would be less than that on a New Medical College. The Institute has, however, not agreed to the proposal. Besides, the Union Territory of Chandigarh does not qualify for a medical college on the basis of its population.

Health Infra-Structure for the Country

5281. **Shri Beni Shanker Sharma :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the steps taken by Government for developing a health infra-structure for the country ;

(b) the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor and the steps proposed to be taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The establishment of Primary Health Centres and Sub-centres has been taken up for developing a health infra-structure for the country.

(b) A Primary Health Centre is intended to provide integrated health care which includes curative and preventive care to the rural population living in about 100 villages. At present, there are 5010 community development block in operation where 4938 primary health centres and 23,075 sub-centres are functioning.

It is proposed that during the Fourth Five Year Plan period all the blocks which have not so far been covered (i.e. 451) should be provided with Primary Health Centres. A provision of Rs. 76.49 crores (Rs. 43.98 crores in the Centrally Sponsored Sector with 100% assistance for strengthening of Basic Health Services and Rs. 32.51 crores in the State Sector for the establishment of Primary Health Centres) has been provided for these programmes in the Fourth Five Year Plan.

(c) Does not arise.

Assurance regarding Promotion of Income-tax Officers

5282. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the then Finance Minister had given certain assurances in regard to the service conditions and promotions of Income-tax Officers during his inaugural addresses in Annual Session of the Associated Chamber of Commerce at the February 1958 and the All India Federation of Income-tax Officers Association in the years 1968 and 1969 ; and

(b) if so, the details thereof, as also the action taken by Government for their implementation ?

The Minister of State in the Ministy of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Government do not have the text of any of the three inaugural addresses said to have been delivered by the then Finance Minister. Accordingly, it is not possible to say whether any assurance in regard to service conditions and promotions of Income-tax Officers was given by him.

(b) Does not arise.

Akhil Bharat Netra Sudhar Sangh, New Delhi

5283. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8423 on the 5th May, 1969 and state :

(a) the terms on which two acres of land have been given on lease to Akhil Bharat Netra Sudar Sangh, Lajpat Nagar, New Delhi ;

(b) whether permission for the transfer of the said land has been given and if so, whether Government would lay a copy thereof on the Table ; and

(c) the name of the institution in whose name the said land has been transferred and the value on which Stamp-duty has been paid on its registration ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) A plot of land measuring 1.56 acres, and not 2 acres, was leased out by the Ministry of Rehabilitation to the All India Blind Relief Society for a period of 99 years. The main terms of allotment are :

(i) The institution will be of a secular and non-communal character.

(ii) The society shall pay as premium for the land at Rs. 2,000/- per acre **plus** 5% thereof as annual ground rent.

(iii) The society shall deposit a sum of Rs. 20,000/- only against which Government will supply, as far as possible, building materials, if desired by the society.

(iv) The society shall complete the construction of its building within two years from the 1st January, 1953.

(v) The building shall be used for the purpose of the institution only and shall not be sublet, transferred and assigned without the prior sanction of the lessor.

(b) and (c). Yes, in the name of Dr. Bhagwan Dass Memorial Trust. A copy of the Land and Development Officers' letter No.·L&DO/PSII/987, dated 1st April, 1970 on the subject is placed on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-3114/70].** Formal transfer of land to Dr. Bhagwan Dass Memorial Trust is being processed. The All India Blind Relief Society has executed the surrender deed but the premises have not yet been mutated in the name of Dr. Bhagwan Dass Memorial Trust. The value on which the stamp duty is payable shall be determined by the Collector of Stamps at the appropriate time.

Auditing of Accounts of Adarsh Netra Hospital, New Delhi

5284. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 147 on the 17th November, 1969 and state :

(a) whether the information regarding the objection raised during the course of auditing accounts for the years 1967-68, and 1968-69 of Adarsh Netra Hospital, New Delhi by the Examiner, Local Fund Accounts, Delhi Administration, asked for in parts (b) and (c) of the above Question, has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c). The information furnished by the Delhi Administration on the relevant parts of the Question No. 147 is given in the statement laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See. No. LT-3115/70].**

Deficit Accounts of Dr. Bhagwan Das Trust and Akhil Bhartiya Netra Sudhar sangh

5285. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 144 on the 17th November, 1969 and state :

(a) whether the information regarding Dr. Bhagwan Das Trust and Akhil Bhartiya Netra Sudhar Sangh has since been collected from the Delhi Administration, Delhi ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c). The information furnished by the Delhi Administration on the relevant parts of the Question No. 144 is given in the attached statement laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See. No. LT 3116/70].**

भारत के बाहर काम कर रही भारतीय कच्चे तेल की कम्पनियां

5286. **श्री समर गुह** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे तेल की कोई भारतीय कम्पनियां भारत से बाहर काम कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों की काम करने की शर्तें क्या हैं ;

(ग) इन कम्पनियों की वास्तविक उत्पादन शक्ति कितनी है और वे कितना उत्पादन कर सकती हैं ; और

(घ) भारतीय कच्चे तेल की कम्पनियों तथा विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा भारत में आयात किये गये कच्चे तेल का तुलनात्मक मूल्य क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां। हाइड्रोकार्बन्स इंडिया प्राइवेट लि० (एच आई पी एल), जो तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की पूर्णतया स्वामित्व अनुषंगी कम्पनी है, इटली के ए जी आई पी, अमरीका की फिल्पिस पेट्रोलियम कम्पनी और नेशनल ईरानियन आयल कम्पनी के सहयोग से ईरान के अतटीय जल में काम कर रही है।

(ख) ज्वाइंट स्ट्रक्चर एग्रीमेन्ट, जिसके अन्तर्गत एच आई पी एल ईरान में काम करती है, की मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं :—

(1) करार, उन क्षेत्रों के लिये जिन में व्यापारिक सनुपयोजन क्षेत्र उपलब्ध हो पायेंगे, व्यापारिक उत्पादन शुरु होने की तारीख से लेकर 25 वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा, द्वितीय पार्टी (एच आई पी एल, ए जी आई पी और फिल्पिस) की इच्छा पर प्रत्येक पांच वर्षों की तीन और अवधियों के लिये नवीकरण किया जा सकेगा।

(2) यदि पहले 12 वर्षों में व्यापारिक उत्पादन प्राप्त न हुआ तो क्षेत्र पहली पार्टी (एन आई ओ सी) को वापिस कर दिये जायेंगे।

(3) परिचालनों का व्यय (अन्वेषी परिचालनों के व्यय के सिवाय जो दूसरी पार्टी द्वारा पूरा किया जाना है) प्रत्येक पार्टी द्वारा बराबर अनुपात में अदा किया जायेगा।

(4) कूप-मुख पर दोनों पार्टियों का उत्पादित पैट्रोलियम पर बराबर हिस्से में स्वामित्व होगा।

(5) पैट्रोलियम परिचालनों के लिये ग्रुप को 5 संरचनाओं सहित 4 ब्लाक आवांटित किये गये हैं।

(6) लागू होने वाले करार के पहले महीने में ही दूसरी पार्टी पहली पार्टी को 34 मिलियन अमरीकी डालर का नकदी बोनस अदा करेगी।

(7) पहले 12 वर्षों में दूसरी पार्टी को न्यूनतम 48 मिलियन अमरीकी डालर खर्च करने पड़ेंगे। पहले चार वर्षों में इस राशि में से न्यूनतम व्यय 24 मिलियन अमरीकी डालर होगा और शेष आगामी 8 वर्षों में खर्च किया जायेगा।

(8) जिन ब्लाकों में व्यापारिक उत्पादन स्थापित हो गया है उनके लिए किराया देय होगा।

(ग) कच्चे तेल के वर्तमान उत्पादन में से एच आई पी एल का हिस्सा 0.53 मिलियन मीटरी टन है। क्षेत्रों में पूर्ण उत्पादन पर ही प्राप्त होने वाले कच्चे तेल के उत्पादन दर का ठीक ठीक अनुमान नहीं बताया जा सकता। परन्तु ऐसा अन्दाज है कि एच आई पी एल का हिस्सा उस समय तक लगभग 1.22 मिलियन मीटरी टन होगा।

(घ) एच आई पी एल ने एक भारतीय शोधनशाला को कच्चे तेल के केवल दो परीक्षण जहाज उन मूल्यों पर भेजे हैं ; जो विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा अपनी शोधनशालाओं में साफ करने के लिए आयातित कच्चें तेल के लिए अदा किये गये हैं।

विदेशी तेल कम्पनियों के साथ किये गये करारों की शर्तें

5287. **श्री समर गुह** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में काम कर रही विदेशी तेल कम्पनियों के साथ किये गये करारों की शर्तें क्या हैं ;

(ख) ये करार कब तक लागू रहेंगे ;

(ग) क्या आमूल परिवर्तित स्थिति तथा भारत के नियन्त्रण में, देश के भीतर तथा बाहर, बढ़ते तेल संसाधनों को दृष्टि में रखते हुए, विदेशी कम्पनियों के साथ करारों की इन शर्तों का पुनरीक्षण किया जायेगा ;

(घ) क्या यदि भारत के तेल संसाधनों का समुचित रूप में उपयोग किया जाये, तो उससे भारत तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकता है ; और

(ङ) यदि हां, तो भारत के निरन्तर विदेशी तेल कम्पनियों पर आश्रित रहने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). सम्बद्ध करारों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। इन करार के अन्तर्गत विदेशी तेल कम्पनियों को दी गई अधिक महत्वपूर्ण हस्तांतरण पत्र और रियायतें निम्न प्रकार हैं।

(1) वे अपनी इच्छानुसार स्रोतों से कच्चे तेल के आयात के लिए स्वतन्त्र हैं।

(2) उन्हें इस कच्चे तेल के आयात के लिए विदेशी मुद्रा दी जायेगी।

(3) उत्पादों के शोधनशाला-द्वारा मूल्य, समय-समय पर उस स्तर पर निर्धारित किये जायेंगे, जो तुलनात्मक उत्पादों के आयातित लागत से अधिक नहीं होंगे।

(4) व्यापारिक संचालन के आरम्भ से 25 वर्ष की अवधि में, सरकार शोधनशाला कम्पनियों को किसी प्रकार भी न अपने नियन्त्रण में लेगी और न ही अर्जित करेगी।

(5) डालर ऋणों पर ब्याज और लाभ को भेजने के लिए, भारत सरकार विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करेगी ।

(ग) जी हां ।

(घ) और (ङ). कुछ अवसादीय क्षेत्र अन्वेषित किये जा चुके हैं । भारत की वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए वर्तमान उत्पादन अपर्याप्त है । तट और अतटीय दोनों ही क्षेत्रों से अधिक खोज की जा रही है । परन्तु इतना पहले अनुमान लगाना कठिन है कि इस प्रकार अनुमोदित संसाधन भारत को कच्चे तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनायेंगे ।

Seizure of Gold in Bombay

5288. **Shri Shri Gopal Saboo :** **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Jagan Nath Rao Joshi : **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Customs officers recovered contraband gold worth Rs. 15 lakhs from a flat in Andheri, North Bombay in the month of March, 1970 ; and

(b) the number of persons arrested in this connection and the action taken by Government against them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Customs officers of the Bombay Central Excise Collectorate recovered 81.6 kg. of gold with foreign markings valued Rs. 14 lakhs at Indian market rate from a flat in Andheri (West), Bombay, on 6th March, 1970.

(b) Two persons found in the premises were arrested. They have been released by the Magistrate on a bail of Rs. 50,000/- each, pending completion of investigations.

राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशि में कमी

5289. **डा० सुशीला नैयर :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकरण के बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशियां कम हो गई हैं ;

(ख) प्रत्येक में राष्ट्रीयकरण की तिथि को तथा 31 दिसम्बर, 1969 को कितनी राशियां जमा थीं ; और

(ग) जमा राशियों को बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं । राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा रकमें जो 18 जुलाई, 1969 को 2626. 2 करोड़ रुपये थीं, बढ़कर 6 मार्च, 1970 को,

अर्थात् वह सबसे हाल की तारीख जिसके संबंध में सूचना उपलब्ध है, 2812.5 करोड़ रुपये हो गयी थी।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) यद्यपि राष्ट्रीयकरण के बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमा रकमों में, वास्तव में वृद्धि हुई है फिर भी राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा और शाखाएं, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलकर रकमें जुटाने के जोरदार प्रयत्न किये जा रहे हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान द्वारा नवम्बर, 1969 में जमा रकमों को जुटाने के संबंध में नयी दिल्ली में एक वर्कशाप (गोष्ठी) का आयोजन किया गया था। वर्कशाप ने, जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, बैंकों द्वारा कुछ उपाय अपनाये जाने की सिफारिशें की थी, जैसे अच्छी सेवा मुहैया करने पर अधिक ध्यान देना, जमाकर्ताओं का उनके क्षेत्रों (सेजमेंट) के अनुसार वर्गीकरण करना और बैंकिंग सेवाओं के विपणन के लिए उपाय ढूंढना, विस्तार प्रणाली को अपनाना, जमा रकमों और अग्रिमों के लिये ब्याज दर नीति की समीक्षा करना, चेकों आदि का जल्दी समाशोधन करने के तरीके निकालना। जहां तक जमा रकमों के ब्याज की दर का संबंध है रिजर्व बैंक ने, हाल में, बैंकों को निदेश दिया है कि जमा के लिये अधिक रकमों को जुटाने के उद्देश्य से 2 वर्ष या इससे अधिक अवधि में पकने वाली जमा रकमों पर ब्याज की दरों में वृद्धि की जाय। आशा है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अन्य सुझावों के लागू किये जाने से जमा के लिये अधिक रकमों को जुटाने में सहायता मिलेगी।

विवरण

राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा रकमें

(करोड़ रुपयों में)

राष्ट्रीयकृत बैंक	18 जुलाई, 1969	दिसम्बर 1969 का अन्तिम शुक्रवार
1 सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	441.6	459.2
2 बैंक आफ इण्डिया	357.8	373.5
3 पंजाब नेशनल बैंक	357.5	361.5
4 बैंक आफ बड़ौदा	282.7	291.8
5 यूनाइटिड कमर्शियल बैंक	204.1	210.3
6 कनारा बैंक	147.8	161.8
7 यूनाइटिड बैंक आफ इण्डिया	146.4	152.4
8 देना बैंक	125.0	130.6
9 सिण्डीकेट बैंक	109.7	121.2
10 यूनियन बैंक आफ इण्डिया	115.0	118.6
11 इलाहाबाद बैंक	113.8	118.2
12 इण्डियन बैंक	79.3	83.3
13 बैंक आफ महाराष्ट्र	78.2	82.9
14 इण्डियन ओवरसीज बैंक	67.3	69.1
जोड़ : (1 से 14 तक)	2626.2	2734.4

राजस्व तथा बीमा विभाग में अवर सचिवों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

5290. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क/सीमा शुल्क/आयकर के मामलों पर विचार करने के लिये राजस्व तथा बीमा विभाग में अवर सचिवों के पदों पर केवल उसी सेवा के अधिकारियों में से नियुक्तियां की जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों की, जो ऐसे कार्यों को काफी लम्बे समय से करते आ रहे हैं, उपेक्षा की गई है ;

(ग) क्या कम से कम अवर सचिवों के अवकाश से रिक्त पदों पर इन अनुभव प्राप्त अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ). राजस्व विभाग में प्रशासनिक और संस्थापन पक्ष से भिन्न तकनीकी पक्ष में अवर सचिवों के पद उनकी अपनी-अपनी मूल सेवाओं में से उपयुक्त वरिष्ठता वाले श्रेणी I के अधिकारियों की नियुक्ति करके भरे जाते हैं। यह आवश्यक होता है कि इन पदों का कार्यभार संभालने वाले अधिकारियों को सीमा शुल्क/केन्द्रीय उत्पादन शुल्क/आयकर कानूनों तथा कार्यविधियों का गहरा ज्ञान हो और उस क्षेत्र में पर्याप्त वास्तविक अनुभव हो।

अवर सचिवों के इन संवर्ग-बाह्य तकनीकी पदों पर नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के मामलों पर, नियमतः विचार नहीं किया जाता है क्योंकि उनके पास न तो क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव होता है और न ही अपेक्षित विशेषज्ञ तथा विशिष्ट ज्ञान। लेकिन, प्रशासनिक पक्ष में अवर सचिवों के पदों पर नियुक्ति के लिये उनके मामले पर विचार किया जाता है और राजस्व विभाग में मौजूदा स्थिति यह है कि ऐसे पदों में से बहुत से पदों पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की नियुक्तियां की जा रही हैं।

दिल्ली में दौरे पर आय मद्रास/कलकत्ता/बम्बई सीमा शुल्क कार्यालयों के अधिकारियों को दैनिक भत्ता देना

5291. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास/कलकत्ता/बम्बई के सीमा शुल्क कार्यालयों के कुछ अधिकारी 30 दिन से भी अधिक अवधि के लिये दिल्ली के दौरे पर हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें दिल्ली में किस काम पर लगाया हुआ है ;

(ग) क्या दैनिक भत्ता देने के बारे में नियम की उनके पक्ष में छूट दे दी गई है और कितना तथा कितने समय के लिये दैनिक भत्ता देने की अनुमति दी गई है ; और

(घ) इसके क्या कारण हैं और क्या अस्थायी रूप से दिल्ली को उनका मुख्यालय नहीं बनाया जा सकता था ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) वर्तमान में, सीमाशुल्क गृह, कलकत्ता का एक मूल्यांकन अक्तूबर 1969 से दिल्ली के दौरे पर है।

(ख) यह अधिकारी प्रति अदायगी दरों के निर्धारण सम्बन्धी कार्य पर नियोजित है।

(ग) और (घ). इस अधिकारी ने अभी तक कोई यात्रा-भत्ता दावा प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए दैनिक भत्ते की मंजूरी के सम्बन्ध में नियमों में ढील देने के प्रश्न पर अभी तक विचार नहीं किया गया है। जहां तक प्रधान-कार्यालय को अस्थायी तौर पर बदलने का प्रश्न है, प्रति-नियुक्ति के मामलों को छोड़ कर, मूल्यांककों को उनके सीमाशुल्क गृहों से बाहर सामान्यतः स्थानान्तरित नहीं किया जाता। चूंकि यह कार्य अत्यावश्यक था अतः इस प्रयोजन के लिए दिल्ली में एक नियमित पद की मंजूरी दिये जाने तक, सीमाशुल्क-गृह का एक अधिकारी विशेष रूप से मांगा गया था।

केन्द्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पादन-शुल्क बोर्ड

5292. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निरीक्षण निदेशालय (सीमाशुल्क एवं उत्पादन शुल्क) में निरीक्षण अधिकारियों के कुछ पदों की मंजूरी दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इन पदों की किस प्रयोजन के लिये मंजूरी दी गई थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि ये अधिकारी वास्तव में केन्द्रीय सीमा-शुल्क एवं उत्पादन शुल्क बोर्ड में साचविक कार्य कर रहे हैं ;

(घ) यदि हां, तो इन अधिकारियों को उस कार्य की बजाय इस कार्य पर लगाने के क्या कारण हैं और निरीक्षण निदेशालय (सीमाशुल्क एवं उत्पादन-शुल्क) में उस कार्य की स्थिति क्या है जिसके लिये ये पद मंजूर किये गये थे ; और

(ङ) (एक) वेतन तथा अन्य सामान्य भत्तों, और (दो) प्रतिनियुक्ति अथवा विशेष भत्ते अथवा किसी अन्य भत्ते के अन्तर्गत प्रतिमास कितना व्यय होता है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). निरीक्षण अधिकारियों का मुख्य काम आमतौर पर निरीक्षण निदेशक (सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क) की क्षेत्रीय यूनिटों के निरीक्षण में और ऐसे विशेष अध्ययनों के आयोजन करने में सहायता करना है, जो बोर्ड द्वारा सौंपे जायं। परन्तु, निरीक्षी अधिकारियों के कुछ पद निदेशालय के प्रधान कार्यालय संस्थापन में रखे जाते हैं जिनका खास प्रयोजन केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमाशुल्क बोर्ड और सरकार की सहायता करना है।

(ङ) निदेशालय के प्रधान-कार्यालय संस्थापन के निरीक्षी अधिकारियों पर मार्च 1970 में हुए खर्च के अलग-अलग आंकड़े इस प्रकार हैं :—

(i) वेतन तथा अन्य सामान्य भत्ते—38318 रुपये।

(ii) विशेष वेतन जो सभी निरीक्षी—3747 रुपये।
अधिकारियों को देय है

मैसूर सरकार के वित्त मंत्री द्वारा की गई टिप्पणियां

5293. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर के वित्त मंत्री ने हाल ही में कहा था कि उन्हें इस बात की आशंका है कि केन्द्रीय सरकार जैसा कि अब उसका गठन है केन्द्रीय नेताओं का विरोध करने वाली राज्य सरकारों के विरुद्ध राष्ट्रीयकृत बैंकों का प्रयोग एक सुविधाजनक तथा शक्तिशाली माध्यम के रूप में करेगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). सरकार ने, समाचार-पत्रों में, मैसूर के वित्त मंत्री के एक भाषण से सम्बन्धित समाचार देखे हैं। सरकार की यह इच्छा है कि ऐसी किन्हीं बातों का, राष्ट्रीयकृत बैंकों के काम पर प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाना चाहिए जिन का लोक-कल्याण या आर्थिक विकास से कोई सम्बन्ध न हो। इसलिये, जिस प्रकार की आशंका का उल्लेख किया गया है उसका कोई आधार नहीं है।

सामान्य बीमे के प्रस्ताविक राष्ट्रीयकरण के क्षेत्राधिकार से सहकारी बीमें को बाहर रखने के बारे में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष द्वारा दिया गया सुझाव

5294 .**श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष ने प्रधान मंत्री को सुझाव दिया है कि प्रस्तावित सामान्य बीमे के राष्ट्रीयकरण के क्षेत्राधिकार से सहकारी (बीमा) समितियों को बाहर रखा जाए ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) जी नहीं। परन्तु इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि सहकारी बीमा समितियों को विविध बीमा के राष्ट्रीयकरण से सम्बन्धित किसी भी प्रस्ताव के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिये।

(ख) माननीय सदस्य यह तो जानते ही हैं कि ऐसे मामलों में, सरकार द्वारा आगे की जाने वाली कार्यवाही के बारे में किसी प्रकार की सूचना देने का रिवाज नहीं है ; ऐसी सूचना देना वांछनीय भी नहीं है।

गर्भाशयान्तर गर्भ निरोध विधि (लूप) कार्यक्रम

5295. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महिला डाक्टरों की कमी के कारण गर्भाशयान्तर गर्भ निरोध विधि कार्यक्रम का विस्तार-कार्य पीछे पड़ता जा रहा है ;

(ख) पर्याप्त संख्या में महिला डाक्टरों की नियुक्ति करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ताकि गर्भाशयान्तर गर्भ निरोध विधि कार्यक्रम के विस्तार कार्य में कोई बाधा न पड़े ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) जी हां, किसी हद तक ।

(ख) और (ग). जी हां, परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए महिला डाक्टर नियुक्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) एक केन्द्रीय परिवार नियोजन दल, जिसमें मुख्यतः लेडी डाक्टर हैं, का गठन किया गया है ।

(2) चिकित्सा छात्रों, अधिकतर महिलाओं को 100 रुपये प्रति मास की छात्रवृत्ति इस शर्त पर दी जाती है, कि वह परीक्षा पास करने के पश्चात उतने समय तक परिवार नियोजन कार्यक्रम में कार्य करेंगे जितने समय तक उन्होंने छात्रवृत्ति प्राप्त की है ।

(3) निजी चिकित्सा व्यवसाइयों, जिनमें महिला डाक्टर भी शामिल हैं, की सेवाओं का, स्थायी और चलते-फिरते एकांशों में, उचित पारिश्रमिक पर, अंशकालिक उपयोग के लिए योजनाएं तैयार की गई हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Social Evils in the Country on Account of Excessive use of Aphrodisiac Pills

5297. **Shri Shiv Charan Lal :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that social evils are increasing in the country on account of a aphrodisiac pills and other articles ;

(b) whether it is also a fact that since these are easily available in the market, the student class has started their excessive use ;

(c) if so, whether Government propose to impose restrictions on them ;

(d) the States in which these articles are used extensively ; and

(e) whether Government propose to allow the sale of these articles only through those doctors who have been granted special licences in this respect and if so, the details in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (e). Government have no information that there has been an inerease in the use of aphrodisiac pills in the country. Reports on sale of barbiturates as sex-stimulating pills in certain parts of Punjab and Haryana and their use by youngmen and students had been received. However, barbiturates which are sedatives

cannot be considered as aphrodisiac drugs. The sale of barbiturates is at present permitted only on the prescription of a Registered Medical Practitioner. A statement indicating the steps taken by Government to control the sale of Barbiturates is placed on the Table of the Sabha. [**Placed in Library. See No. LT 3117/70**].

नई दिल्ली स्थित विलिंगडन तथा सफदरजंग अस्पताल के भौतिक चिकित्सा विभागों के कर्मचारियों में असन्तोष

5298. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सफदरजंग अस्पताल तथा विलिंगडन अस्पताल और नर्सिंग होम (नान-मेडिकल राज-पत्रित पद) भर्ती नियम, 1965 में संशोधन किये जाने के फलस्वरूप दोनों अस्पतालों के भौतिक चिकित्सा विभागों के कर्मचारियों में बहुत असंतोष है ;

(ख) क्या इन नियमों में किये गये संशोधनों के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) सरकार द्वारा इन नियमों में किन कारणों हेतु संशोधन किये गये हैं ; और

(ङ) क्या यह सच है कि इन संशोधनों से अच्छी अर्हता प्राप्त कर्मचारियों की तुलना में अनेक कम अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को लाभ हुआ है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). संशोधित नियमों के विरोध में कुछ अभ्यावेदन मिले हैं ।

(ग) मामले की जांच की जा रही है ।

(घ) 1965 के भर्ती नियमों में 100 प्रतिशत सीधी भरती की व्यवस्था थी । विभागीय कर्मचारियों के लिये पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त करने के हेतु इन नियमों को संशोधित किया गया जिससे वरिष्ठ भौतिक चिकित्सकों के पदों को 100 प्रतिशत विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा भरा जा सके और सीधी भरती विभागीय पात्र कर्मचारी के न होने पर ही की जाय । सीधी भर्ती के लिये भी अर्हताओं का स्तर कम कर दिया गया है ।

(ङ) जी नहीं । संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती किये जाने की हालत में उच्च अर्हताधारी स्टाफ भी आवेदन भेज सकता है तथा अवसर का लाभ उठा सकता है । पदोन्नति की हालत में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पात्र स्टाफ में से चयन किया जायेगा ।

विदेशों में पूंजी विनियोजन

5299. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी आर्थिक क्षेत्रों में यह प्रबल भावना है कि यदि यहां की सहयोग सम्बन्धी नीति को कम कठोर बना दिया जाये तो भारत में विदेशों द्वारा अधिक पूंजी लगाई जाने की गुंजाइश है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है कि भारत में अधिक विदेशी विनियोजन हो सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). सरकार की नीति यह है कि उन क्षेत्रों में चयनात्मक आधार पर विदेशी निवेश और तकनीकी सहयोग की अनुमति दे दी जाय, जिनमें विदेशी निवेश से ऐसी उन्नत विदेशी तकनीकी जानकारी तथा निर्माण और प्रबन्ध सम्बन्धी ऐसी योग्यताएं प्राप्त करने में योगदान मिल सकता हो, जो देश में उपलब्ध नहीं हैं, और जहां पूंजीगत माल आयात करने की अधिक आवश्यकता हो। बैंकिंग, वाणिज्य, वित्त, बागान और व्यापार या उपभोक्ता वस्तु उद्योगों तथा बहुत लाभ कमाने वाले उद्योगों के क्षेत्र में प्रायः विदेशी पूंजी लगाने की अनुमति नहीं दी जाती, जिनमें प्रारम्भ में विदेशी मुद्रा की होने वाली बचत लाभांशों और लाभों के रूप में अधिक मात्रा में विदेश भेजी जाने वाले विदेशी मुद्रा से न केवल प्रतिसन्तुलित हो जाती है, बल्कि देश से और अधिक विदेशी मुद्रा बाहर चली जाती है, विदेशी निवेशकों को जो महत्वपूर्ण सुविधाएं दी जाती हैं वे हैं—करों की अदायगी के बाद लाभों और लाभांशों को विदेश भेजने की स्वतन्त्रता, स्वीकृत पूंजी निवेशों को बाहर भेजने की अनुमति, सरकार द्वारा अपने अधिकार में ले लिये जाने की स्थिति में उचित मुआवजा तथा कर सम्बन्धी कानूनों के अन्तर्गत कुछ लाभ तथा रियायतें। यद्यपि कुछ विदेशियों की यह राय है कि यह चयनात्मक नीति, अधिक मात्रा में विदेशी पूंजी आकर्षित करने की दृष्टि से काफी कड़ी प्रतीत होती है, किन्तु सरकार ऐसा नहीं मानती। चूंकि यह नीति संतोषजनक ढंग से चल रही है इस लिए इसमें कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

केन्द्रीय सरकार के आय-व्यय में कराधान सम्बन्धी प्रस्तावों का राज्यों के आय-व्ययक प्रस्तावों पर प्रभाव

5300. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1970-71 के लिये प्रस्तुत किये गये आय-व्ययक ने राज्यों के आयव्ययक सम्बन्धी प्रस्तावों को गड़बड़ा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो किन राज्य सरकारों ने कराधान सम्बन्धी केन्द्रीय प्रस्तावों पर चिंता व्यक्त की है, किन राज्य सरकारों के आय-व्ययक गड़बड़ा गये हैं ; और उनके आय-व्ययक कितने गड़बड़ा गये हैं ; और

(ग) क्या केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के लिये अपने आय-व्ययक एक साथ प्रस्तुत करने हेतु किसी तिथि विशेष को निश्चित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). सरकार को किसी राज्य सरकार से ऐसा कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला है।

(ग) जी, नहीं।

मिट्टी के तेल में आत्मनिर्भरता

5301. **श्री रवि राय :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1971 तक देश के मिट्टी के तेल में आत्म-निर्भर हो जाने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार विद्यमान तेलशोधक कारखानों में उन्नत औद्योगिकी विधियों को अपना कर इस उद्देश्य की पूर्ति करने की सम्भावनाओं की जांच करेगी ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी नहीं । मामूली कमी रहेगी ।

(ख) और (ग). फालतू अवशेष तेलों के उत्पादन को कम करके, मिट्टी के तेल को शामिल करते हुए मध्य आसुतों के उत्पादन को बढ़ाने के विचार से, हाइड्रोक्रेकिंग, कोकिंग आदि जैसी गौण शोधन प्रक्रियाओं के प्रयोग के बारे में सरकार विचार कर रही है ।

भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण नीति

5302. **श्री रवि राय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक की सतर्कतापूर्ण ऋण नीति तब तक जारी रहेगी जब तक गेहूं की आगामी फसल के परिणामों का निर्धारण नहीं कर लिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). रिजर्व बैंक द्वारा 21 जनवरी, 1970 को जारी किये गये एक निदेश के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम के विधिवत रूप से नियुक्त किये गये अभिकर्ताओं (जिनके लिये न्यूनतम मार्जिन 25 प्रतिशत है) से भिन्न पार्टियों को गेहूं के एवज में दिये जाने वाले बैंक-ऋणों के लिये न्यूनतम मार्जिन 50 प्रतिशत है। इसके अलावा, जनवरी 1970 और फरवरी 1970 से शुरू होने वाली दो-दो महीनों की प्रत्येक अवधि में प्रत्येक बैंक द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की रकम, 1968 की दो-दो महीनों की इन्हीं अवधियों में दिये गये ऐसे ही ऋणों के औसत समूचे स्तर के 80 प्रतिशत की उच्चतम सीमा के अन्दर-अन्दर रहेगी । इसके साथ-साथ, बैंकों से यह कहा गया है कि वे गेहूं के एवज में ऋण लेने वाले अपने असामियों से 10 प्रतिशत की न्यूनतम दर के हिसाब से ब्याज लें । लेकिन भारतीय खाद्य निगम, राज्य सरकारों और उनके विधिवत रूप से अधिकृत वसूली-अभिकर्ताओं को दिये जाने वाले ऋणों पर यह बात लागू नहीं होगी ।

रिजर्व बैंक गेहूं की पूर्ति की स्थिति और इस सम्बन्ध में ऋण की प्रवृत्तियों की लगातार समीक्षा कर रहा है और यदि भविष्य में पूर्ति और मूल्यों सम्बन्धी स्थिति को देखते बैंकों को दिये गये निदेश में परिवर्तन करने जरूरी होंगे तो उपयुक्त परिवर्तन कर दिये जायेंगे ।

Letters received in Ministry of Finance from Members of Parliament

5303. **Shri Bansh Narain Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of letters received in his Ministry from the Members of Parliament from 1st January, 1969 to 31st December, 1969 and the points raised in them ;

(b) the number of letters out of them finally replied to and the approximate time taken in the said replies ;

(c) the reasons for not making any replies to the remaining letters ;

(d) whether the replies to the letters from the Members of Parliament are delayed unnecessarily or the letters containing important points are not replied to at all so that the points raised in the said letters lose their importance with the passage of time ; and

(e) whether it is a fact that some of the letters received from the Members of Parliament concerning corrupt practices adopted by the Administration and other important points are not replied to at all and if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (e). The information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

Letters received from M.Ps. in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals and Disposal thereof

5304. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the number of letters received in his Ministry from the Members of Parliament from 1st January, 1969 to 31st December, 1969 and the points raised in them ;

(b) the number of letters out of them finally replied to and the approximate time taken in the said replies ;

(c) the reasons for not making any replies to the remaining letters and whether he is aware of the orders of the Prime Minister in this regard ;

(d) whether the replies to the letters from the Members of Parliament are delayed unnecessarily or the letters containing important points are not replied to at all so that the points raised in the said letters lose their importance with the passage of time ; and

(e) whether it is a fact that some of the letters received from the Members of Parliament concerning corrupt practices adopted by the Administration and other important points are not replied to at all ; and if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) to (e). The information is being collected and will be placed on the Table of the House in due course.

Insanitary Conditions near Sarojini Nagar, New Delhi

5305. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2103 on the 9th March, 1970 and state :

(a) whether Government propose to issue orders to the New Delhi Municipal Committee and Sarojini Nagar Police Station to deploy some employees and police personnel respectively in the said area from 4 A.M. to 7 A.M. daily to ensure that the people residing in the places adjacent to the said area do not use it as an open lavatory and that the entire Sarojini Nagar area is checked from being engulfed by disease ;

(b) whether Government propose to modify the draft Zonal plan of the said area and construct a library, a Barat Ghat or a community hall in the said area ; and

(c) if so, the time by which the said proposals would be implemented and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a). The New Delhi Municipal Committee has already deployed two sweepers to look after the sanitation of the area and has also decided to construct 3 sets of latrines with total 8 seats and provide two water taps for ensuring cleanliness of the area. The question of eradication of the nuisance on a permanent basis is being examined by the Central Public Works Department. In view of these measures, issuing of any other orders is not considered necessary.

(b) No.

(c) Does not arise.

Excise Duty on Tabacco

5306. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total value of the tobacco consumed for chewing and smoking purposes in the Districts of Bulandshahr, Meerut, Muzaffar Nagar and Ghazipur and the quantity of tobacco produced in the said Districts separately ;

(b) the total amount of revenue realised in the shape of excise duty ;

(c) the names of the wholesale dealers of tabacco in the said districts ; and

(d) whether Government propose to conduct sudden raids on the godowns of the wholesale dealers of tabacco in the said Districts in order to find out the quantity of tobacco in respect of which no excise duty has been paid by them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Scheme for Construction of Houses in Delhi/New Delhi to be given to Central Government Employees

5303. **Shri Onkarlal Bohra :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have formulated a scheme for the construction of houses in Delhi and New Delhi ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) the extent to which and the manner in which the Central Government employees would be benefited thereby ;

(d) whether any scheme for giving built houses to various categories of the Central Government employees other than D. D. A. Scheme has been or is being considered ; and

(e) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The following social housing Schemes formulated by the Department of Works, Housing and Urban Development are being implemented in the Union Territory of Delhi :

(i) Integrated Subsidised Housing Schemes for Industrial Workers and Economically weaker Sections of community.

(ii) Low Income Group Housing Scheme.

(iii) Slum Clearance and Improvement Scheme.

(iv) Village Housing Projects Scheme.

(v) Middle Income Group Housing Scheme.

(vi) Jhuggi and Jhopries Removal Scheme (in Delhi).

In addition, the Central Government employees can obtain house building advances under the scheme known as "Rules to regulate the grant of advance to Central Government servants for the building etc. of houses."

This Department also builds houses for Central Government employees as part of general pool accommodation for allotment on rental basis. Similarly the Delhi Administration and various other Departments of the Central Government also build houses for allotment to their employees on rental basis.

(b) The details of the social housing schemes have been furnished in the annual report of this Department for the year 1968-69.

(c) Members of the public including the Central Government employees can avail of the benefits of the social housing schemes provided they fulfil the prescribed conditions.

(d) No.

(e) Does not arise.

Smuggling of Gold

5309. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that despite Government's efforts to check gold smuggling from abroad, reports regarding gold smuggling are appearing very often in the news-papers, as is clear from a news-item, published in the 'Times of India' dated the 11th March ;

(b) whether this gold smuggling is in any way beneficial to the economy of the country and if so, the extent to which it is beneficial ; and

(c) if not, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) News-paper reports regarding seizures of gold reflect the vigorous efforts that the Government are making to contain gold smuggling.

(b) Gold smuggling is distinctly harmful to the economy of the country.

(c) The Government have taken various steps to prevent smuggling of gold into the country such as enactment of Gold Control Act, systematic collection and follow up of information, keeping a watchful eye on the suspected smugglers, rummaging of suspected vessels or aircrafts, patrolling of vulnerable sectors at coastal and land frontiers.

रूसी दूतावास को नारियल 'फेनी' की सप्लाई के लिये ठेका

5310. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास ने अपने समारोहों के लिये अपेक्षित नारियल 'फेनी' की सप्लाई के लिये गोआ के एक सप्लायर के साथ किये गये एक बड़े ठेके को रद्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो सप्लायर का नाम क्या है और नारियल 'फेनी' की कितनी मात्रा खरीदने का प्रस्ताव था तथा ठेके को रद्द किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि उत्पादन शुल्क विभाग छोटे निर्माताओं की तुलना में बड़े निर्माताओं का पक्ष लेता है ; और

(घ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि शराब के सभी निर्माताओं से समान व्यवहार हो ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी ।

वित्त मंत्रालय के कब्जे के अन्तर्गत नार्थ ब्लाक के एक भाग में सफाई की कमी

5311. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नार्थ ब्लाक के जिस भाग पर वित्त मंत्रालय का कब्जा है वह गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले उसी ब्लाक के भाग से अधिक गन्दा है ;

(ख) यदि हां, तो उनके इस विभेद को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि कम से कम वे दोनों साफ दिखाई दें ; और

(ग) क्या अन्य मंत्रालयों के पालन के लिये ऐसे ही आदेश जारी किये जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सरकार ऐसा नहीं समझती कि सफाई की दृष्टि से इस इमारत के दोनों पक्षों में कोई अन्तर है ।

(ख) और (ग). ये सवाल नहीं उठते ।

प्रस्तावित मुद्रा प्रिंटिंग प्रेस, देवास का दूसरे स्थान पर लगाना

5312. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संसद् सदस्यों ने प्रस्तावित मुद्रा प्रिंटिंग प्रेस को देवास के बदले बेतुल में लगाये जाने के लिये उनसे सम्पर्क स्थापित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) नया बैंक नोट प्रेस देवास में स्थापित करने का निर्णय, स्थलों के सापेक्षिक गुणावगुणों पर विचार करने के बाद ही किया गया था, और इसे बदला नहीं जा सकता ।

दिल्ली में एस्सो सेवा स्टेशनों द्वारा अधिक दर पर पेट्रोल को बेचा जाना

5313. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली में एस्सो के सेवा स्टेशन पेट्रोल 1.20 रुपये प्रति लिटर की बजाय 1.21 रुपये प्रति लिटर बेच रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). सभी कम्पनियों ने सूचित किया है कि इस समय दिल्ली में पेट्रोल पम्प केवल 1.20 रुपये प्रति किलो लीटर ले रहे हैं । परन्तु पहली मार्च और 17 मार्च के बीच दिल्ली में कुछ पेट्रोल पम्प केन्द्रों ने दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसियेशन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के आधार पर आगामी पूर्ण पैसे तक मूल्य (बिक्री टैक्स को शामिल करते हुए) का पूर्णांकन करने के लिये 1.21 रुपये प्रतिलिटर लिया था ।

(ग) 17-3-1970 से मूल्य को 1.20 रुपये प्रति लिटर कर दिया गया है ।

बिहार के दरभंगा जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना

5314. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री 9 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2121 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दरभंगा जिले की जनसंख्या बिहार तथा भारत में सब जिलों से अधिक है ; और

(ख) यदि हां, तो नई शाखाएं खोलने वाले स्थानों की सूची में से दरभंगा को बिल्कुल ही निकाल देने के क्या कारण हैं और इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) 1961 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के जिलों में दरभंगा जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है। परन्तु भारत के जिलों में इस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक नहीं है।

(ख) 1970 के वर्ष में बैंक-शाखाओं का विस्तार करने का कार्यक्रम तैयार करते समय, रिजर्व बैंक ने, उन सभी बैंक रहित नगरों (1961 की जनगणना के वर्गीकरण के अनुसार 'नगर') और राज कोष। उप-राजकोष वाले ऐसे अन्य केन्द्रों को, जहां बैंक न हों, बैंक कार्यालय खोलने के लिए प्राथमिकता दी है। दरभंगा जिले में इस प्रकार का कोई केन्द्र नहीं है। फिर भी 'बैंक नेतृत्व' योजना के अन्तर्गत दरभंगा जिला सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया को सौंप दिया गया है और आशा है कि यह बैंक उन इलाकों का पता लगाने के लिए, जहां बैंकों की शाखाएं खोलने की आवश्यकता है, और उन इलाकों में बैंकिंग सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए इस जिले का सर्वेक्षण करेगा।

क्लोरो-टेट्रासाइक्लीन का पशुओं के आहार के रूप में प्रयोग

5315. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री 9 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2122 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों को क्लोरो टेट्रासाइक्लीन के पशु आहार रूप में उपयोग और उपयोगिता के बारे में रेडियो, विकास खंडों में व्यावहारिक प्रदर्शन तथा पशु कल्याण डिपो द्वारा शिक्षित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). अब तक उल्लिखित किस्म के कोई कदम नहीं उठाये गये हैं क्योंकि क्लोरो-टेट्रासाइक्लीन का पशुओं के आहार के प्रयोग के बारे में आशंका व्यक्त की गई है।

Disposal of Letters received from the Members of Parliament

5316. **Shri Ram Swarup Vidyarthi**: Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) the number of letters received in this Ministry from Members of Parliament from 1st January, 1969 to 31st December, 1969 and the points raised in them ;

(b) the number of letters out of them finally replied to and the approximate time taken in the said replies ;

(c) the reasons for not making any replies to the remaining letters;

(d) whether the replies to the letters from the Members of Parliament are delayed unnecessarily or the letters containing important points are not replied to at all so that the points raised in the said letters lose their importance with the passage of time ; and

(e) whether it is a fact that some of the letters received from the members of Parliament concerning corrupt practices adopted by the Administration and other important points are not replied to at all; and if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (e). The requisite information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

Seizure of Smuggled Goods in Bombay

5317. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total value of the smuggled goods seized by the Customs authorities in Bombay since the month of November, 1969 ;

(b) the total value of the gold seized out of the said smuggled goods ; and

(c) the total number of persons arrested in this regard and the action taken against them by Government ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) The total value of the smuggled goods seized by Customs officers of the Customs and Central Excise Departments in Bombay during the period from November, 1969 to February 1970 was about Rs. 344 lakhs.

(b) The total value of the gold seized out of the above goods was approximately Rs. 134 lakhs at the international monetary rate.

(c) 146 persons were arrested in this regard. Prosecutions against 27 persons have already been launched. Of these 16 have been convicted. Cases against 11 persons are pending in courts.

Value of Smuggled Goods

5318. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the extent of smuggled goods and gold seized in each of the years 1967 to 1970 uptill-now ;

(b) the value thereof in terms of Indian rupees ; and

(c) the number of persons arrested in this connection and the number of them prosecuted ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) and (b). The value of the smuggled goods and gold seized by the Customs and Central Excise authorities in each of the years 1967 to 1970 (up to January, 1970) is as under:—

Year	Value of gold Rs. (at the International rate)	Value of other goods Rs.
1967	410 lakhs	1230 lakhs
1968	333 ,,	1606 ,,
1969	530 ,,	1971 ,,
1970 (up to January)	51 ,,	109 ,,

(c) Information in this regard is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Seizure of Smuggled Goods in Delhi

5319. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the total value of smuggled goods recovered by the Customs Officers and the police in Delhi in each of the months since November, 1969;

(b) the value in rupees of the foreign cloth and gold and also the quantity seized during this period; and

(c) the number of persons arrested and prosecuted in this connection?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) The value of smuggled goods recovered by the customs and police in Delhi in each of the months since November, 1969 is as indicated below:

November, 1969	Rs. 47,016/-
December, 1969	Rs. 96,893/-
January, 1970	Rs. 1,33,431/-
February, 1970	Rs. 1,47,240/-
March, 1970	Rs. 42,824/-

(b) The value and quantity of foreign cloth and gold seized during this period are :—

Commodity	Month & Year	Quantity (metres)	Value (Rs.)
Foreign Cloth	November, 69	2689	47,283/-
	December, 69	1556	27,360/-
	January, 70	329	2,360/-
	February, 70	771	13,550/-
	March, 70	123	1,575/-
Gold	November, 69	25 gms.	211/-
	December, 69	533 gms.	4,495/-
	January, 70	3031 gms.	25,586/-
	February, 70	266 gms.	2,194/-
	March, 70	Nil	Nil

(c) Number of persons arrested and prosecuted during the period November, 1969 to March, 1970 are 19 and 3 respectively.

Looting of Calcutta State Bank by Dacoits

5320. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that armed dacoits had looted about Rs. 4,50,000 from the Calcutta State Bank in the first-half of December, 1969;

(b) whether it is also a fact that the dacoits had thrown some leaflets containing the slogan 'Mao's thoughts are our thoughts';

(c) whether it is also a fact that the dacoits had raised slogans of 'Inqalab Zindabad'; and

(d) whether Government suspect that some political party had a hand in this dacoity?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) A sum of Rs. 4,62,218.65 was taken away by the armed dacoits when they raided the Russel Street Branch of the State Bank of India, Calcutta, on 12th December, 1969.

(b) No leaflets containing a reference to Mao's thoughts were thrown by the dacoits within the bank's premises.

(c) According to the State Bank, employees of the bank who were present at the time of the dacoity, did not hear the dacoits raising slogans of 'Inqalab Zindabad'.

(d) West Bengal Government has informed the Central Government that there was no political motive behind this dacoity.

विश्व बैंक में राज्य मन्त्री (वित्त) की नियुक्ति

5321. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) को विश्व बैंक में एक पद पर नियुक्त किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). विश्व बैंक करार के अनुच्छेदों के अनुसार, प्रत्येक सदस्य देश को, उक्त बैंक के गवर्नरों के बोर्ड में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार है, जिसे 'गवर्नर' कहा जाता है। वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री प्रकाश चन्द सेठी को, 24 फरवरी 1970 से, विश्व बैंक के गवर्नरों के बोर्ड में, भारत की ओर से गवर्नर नियुक्त किया गया है।

परिवार नियोजन में निरोध का प्रभाव

5322. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा 'निरोध' की जांच किये जाने पर उसे परिवार नियोजन में प्रभावी पाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) जी हां।

(ख) निरोध रबड़ का बना होता है जिसका आसानी से निपटारा किया जा सकता है। यह परिवार नियोजन का एक सरल, सुरक्षित और गुप्त तरीका है। इसके लिए डाक्टरी सलाह

और सेवाओं की जरूरत नहीं होती है। इसे प्रयोग करते समय या बाद में कोई कठिनाई नहीं होती है। भारत में बांटे गये निरोधों और उनका उपयोग करने वालों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है जैसा कि सभा पटल पर रखे गये विवरण से स्पष्ट है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3118/70]**

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान के लिये जल सम्भरण योजना

5324. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने जयपुर नगर में जल सम्भरण की स्थिति में सुधार करने के लिये कोई योजना भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब प्राप्त हुई थी तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या इस योजना के मंजूर किये जाने की सम्भावना है और यदि हां, तो कब तक ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) ऐसी कोई योजना नहीं मिली है।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

Out-of-turn allotment of quarters on medical grounds

5325. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri P. L. Barupal :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of Government employees who have applied for out-of-turn allotment of quarters on medical grounds more than four years ago ;

(b) the number out of them who have been sanctioned houses and the number of the remaining employees ; and

(c) the number of those who have actually been allotted houses after their being sanctioned ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The medical priority for allotment on out-of-turn basis was suspended in January, 1964 and the allotment of accommodation on out-of-turn basis was oblished with effect from 17th July, 1964. It was decided that the decision would also apply to cases where out-of-turn allotments had been sanctioned but no allotment could be made by then. No application for out-of-turn allotment was entertained during that period and as such no application/sanction is pending for out-of-turn allotment for more than four years ago.

(b) and (c). Do not arise.

Hospitals without Doctors and Medicines in the country

5326. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Work, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are many hospitals in the country where either the medicines or the doctors are not available ;

(b) whether it is also a fact that the patients in the said hospitals are supplied only mixtures and inferior quality drugs and not the superior quality drugs and the injections ;

(c) whether it is also a fact that good quality medicines and injections from the hospitals are generally sold in the market ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (d). By and large the efforts of Government and Private Bodies are to render best medical aid. However, due to limitations of resources and trained medical personnel there may be occasional shortages of medicines, drugs and doctors. It is also the endeavour to provide medicines and drugs to patients who require them and to stop their unauthorised sale. Suitable remedial measures are taken as and when such defects are brought to the notice of Government.

Development of Pavement Vegetable Market in Jheel Kuranja by D. D. A.

5327. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has heen invited to the pavement vegetable market in Jheel Kouranja across Jammuna in Delhi which the Delhi Development Authority propose to develop into a park ;

(b) if so, whether the said Authority proposes to construct shops and allot them to the said shopkeepers before the said place is developed into a park ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The area is marked 'green' in the draft zonal development plan. The adjoining area is earmarked for a neighbourhood park. The zonal development plan has not yet been finalised. The question of development of a park, etc., will arise after the zonal development plan is finalised.

(b) and (c). Do not arise at present.

यू० के० के विश्वविद्यालयों में पटना मेडिकल कालेज, पटना की डिग्री को मान्यता न देना

5328. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना स्थित पटना मेडिकल कालेज के स्नातकों को यू० के० में

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने से पूर्व पुनः स्नातक पाठ्यक्रम पढ़ना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो यू० के० स्थित विश्वविद्यालयों द्वारा पटना मेडिकल कालेज की स्नातक डिग्री के वस्तुतः न माने जाने के क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) तथा (ख). मेडिकल अर्हताओं को मान्यता देने के सम्बन्ध में भारतीय मेडिकल परिषद् एवं ग्रेट ब्रिटेन मेडिकल परिषद दोनों में साम्य है। सरकार को इस बात का पता नहीं है कि ग्रेट ब्रिटेन मेडिकल परिषद पटना मेडिकल कालेज द्वारा दी गई अर्हताओं को मान्यता प्रदान नहीं करती।

बैंकों द्वारा दिया गया ऋण

5329. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री 9 मार्च, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 315 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष के गत चार महीनों में तथा वर्ष 1968-69 में विभिन्न बैंकों के द्वारा दिये गये ऋण की वास्तविक राशि क्या है तथा एक लाख रुपयों से अधिक की राशि का ऋण लेने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं ; और

(ख) चालू व्यस्त कार्यविधि में बैंक ऋण में वृद्धि करने का क्या कारण है और क्या उसके लिये किसी व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) 20 मार्च, 1970 तक अधिक काम-काज के चालू मौसम में बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों में 458.7 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जबकि पिछले मौसम की इसी अवधि में 410.0 करोड़ रुपये की मुकाबले वृद्धि हुई थी। मुख्य वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में आंकड़े इकट्ठे किये जायंगे और सभा की मेज पर रख दिये जायंगे। परन्तु ऋण लेने वालों के सम्बन्ध में ब्योरा देना सम्भव नहीं होगा क्योंकि बैंकों में प्रचलित रीति और प्रथा के अनुसार इस प्रकार की सूचना गोपनीय रखी जाती है।

(ख) पिछले कुछ महीनों के दौरान बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों में वृद्धि के कई कारण हैं, जैसे चीनी के पहले से अधिक स्टाक के लिये वित्त-व्यवस्था करना और पिछले वर्ष से औद्योगिक गतिविधियों का फिर से शुरू हो जाना। यह वृद्धि अंशतः बैंकों द्वारा, कृषि, सड़क परिवहन चालकों और अपना काम आप करने वाले लोगों आदि क्षेत्रों सहित अब तक अपेक्षाकृत उपेक्षित क्षेत्रों को अधिक ऋण देने के कारण भी हुई है। मौसम की प्रारम्भिक अवधि में बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों में वृद्धि होने का कुछ कारण तेलहनों, वनस्पति तेलों आदि जैसी मौसमी जिन्सों के बदले अग्रिमों का दिया जाना था। ऋणों की रकमें उपर्युक्त जिन्सों के सट्टे के लिये इस्तेमाल न हों, इस बात की व्यवस्था करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने 21 जनवरी, 1970 को जारी किये गये एक निदेश के अनुसार ऐसे अग्रिमों पर चुनाव के आधार पर दिये जाने वाले ऋणों पर लगाये गये नियंत्रणों को और कड़ा कर दिया। रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों

द्वारा पुनर्वित्त की सुविधाएं देने पर भी काफी रोक लगा दी है। नकदी या नकदी जैसी परिसम्पत्तियों के वास्तविक अनुपात और इनके सांविधिक अनुपात में वृद्धि कर दी गयी है और अप्रैल, 1970 के अन्त तक इनमें और वृद्धि कर दी जायगी। इन उपायों के परिणामस्वरूप बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों में वृद्धि की गति कम हो गयी। 20 फरवरी से 20 मार्च, 1970 तक की अवधि में वृद्धि की रकम केवल 89 करोड़ रुपया थी जबकि 1968-69 के अधिक काम-काज के मौसम की इसी अवधि में यह रकम 194 करोड़ रुपया थी।

भारत के उर्वरक निगम की ट्राम्बे विस्तार योजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी संस्था के ऋण

5330. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के उर्वरक निगम की ट्राम्बे विस्तार योजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी संस्था ने 36 मिलियन डालर का ऋण देने का जो वचन दिया था उसकी अवधि 31 दिसम्बर, 1969 को समाप्त हो गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ट्राम्बे विस्तार के लिए भारत के उर्वरक निगम द्वारा आयातित एमोनिया पर आधारित बनाई गई पुनरीक्षित योजना के लिए उपरोक्त ऋण के मिलने की सम्भावना नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो ऋण का निर्धारित अवधि के अन्तर्गत इस्तेमाल न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) परियोजना के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिये क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किये गये हैं और परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (घ). नेफ्था की प्रत्याशित कमी और ट्राम्बे में फालतू कार्बन-डायाक्साइड की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए, ट्राम्बे परियोजना के विस्तार की मूल योजना का संशोधन किया गया है तथा यह अब आयातित अमोनिया पर आधारित है। यू० एस० ऐड (U.S. AID) द्वारा बचनबद्ध मूल ऋण एक विभिन्न किस्म की परियोजना अर्थात नेफ्था-आधारित परियोजना के लिए था और वह पुनरीक्षित योजना के लिए स्वतः उपलब्ध नहीं है। अतः यह निर्णय किया गया है कि यू० एस० ऐड स्रोतों के अलावा अन्य साधनों से इसकी विदेशी मुद्रा पूरी की जाए। इतना पहले बताना कठिन है कि किस समय तक पुनरीक्षित योजना पूरी हो जायेगी।

लन्दन स्थित टैन्कर ब्रोकर्ज एसोसियेशन द्वारा तेल वाहक जहाजों के लिये भाड़े की दरों का नियत किया जाना

5331. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लन्दन स्थित टैन्कर ब्रोकर्ज एसोसिएशन द्वारा प्रतिमास

तेलवाहक जहाजों के लिये भाड़े की दरों की घोषणा की जाती है ;

(ख) क्या अधिकांश अन्तर्राष्ट्रीय तेल समवाय इस एसोसिएशन के सदस्य हैं ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि भारत में काम कर रही इस एसोसिएशन की सदस्य कम्पनियां सरकार द्वारा उनसे अशोधित तेल के मूल्यों में हाल में जबरन कमी कराये जाने के बदले में यदि वे चाहें तो टैन्कर ब्रोकर्ज एसोसिएशन पर भाड़े की दरों में वृद्धि करने के लिये दबाव डाल सकती हैं ; और

(घ) क्या फरवरी और मार्च, 1970 के लिये तेलवाहक जहाजों के भाड़े की घोषित दरों में कोई वृद्धि ध्यान में आई है और यदि हां, तो क्या वह सभा को आश्वासन दे सकते हैं कि अशोधित तेल के कम मूल्यों से प्राप्त लाभ केवल कल्पित लाभ ही न रह जाएं।

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) :(क) और (ख) . लण्डन टैन्कर ब्रोकर्स पैनल, जिसमें प्रत्येक, 6 लण्डन टैन्कर ब्रोकर्स के प्रतिनिधि शामिल हैं, मूल पर्लड स्केल भाड़ा दरों पर हर महीने लागू बट्टा दरों की मासिक घोषणा करती है। पैनल के अनुसार किसी तेल कम्पनी का इसमें प्रतिनिधित्व नहीं है।

(ग) ऐसा विचार करने के लिये सरकार के पास कोई कारण नहीं है। मासिक छूट सारे देशों पर लागू होती है ; केवल भारत पर नहीं।

(घ) जनवरी, 1970 की तुलना में फरवरी, 1970 में लार्ज रेन्ज—1 और मीडियम रेन्ज (जहाज) का भाड़ा अधिक था। परन्तु फरवरी की तुलना में मार्च, 1970 में लार्ज रेन्ज—1 का भाड़ा कम हो गया और मीडियम रेन्ज जहाज का स्थिर रहा। भाग (ग) में दिये गये उत्तर की दृष्टि से, सरकार यह नहीं समझती है कि एफ० ओ० बी० मूल्यों की कमी का लाभ केवल काल्पनिक हो गया है।

भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नरों की नियुक्ति

5332. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व मंत्री, श्री मोरार जी देसाई ने संसद में कहा था कि भविष्य में भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नरों का चयन व्यावसायिक बैंकरों में से किया जायेगा और श्री एल० के० झा के पश्चात् इण्डियन सिविल सर्विस के किसी अधिकारी को गवर्नर नियुक्त नहीं किया जायेगा ; और

(ख) क्या सरकार का विचार अब भी वही है और यदि नहीं, तो परिवर्तन के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) राज्य सभा में, बेकारी विधियां (संशोधन) विधेयक, 1968 पर हुई बहस का उत्तर देते हुए इस बात का उल्लेख किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नरों की नियुक्ति अधिकतर सरकारी कर्मचारियों में से करने की परम्परा में, वर्तमान पदधारी के पद की अवधि समाप्त होने पर, परिवर्तन कर दिया जायगा। सरकार का मत है कि जिस व्यक्ति को भारतीय रिजर्व बैंक का

गवर्नर नियुक्त किया जाय उसे वित्तीय और आर्थिक मामलों का व्यापक ज्ञान और अनुभव होना चाहिये और चुनाव के क्षेत्र को किसी भी तरह से सीमित नहीं किया जाना चाहिए।

फिल्म उद्योग में लोगों द्वारा आयकर का अपवंचन

5333. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय फिल्म उद्योग में आयकर तथा अन्य प्रत्यक्ष करों का कितना अपवंचन किया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : भारतीय फिल्म उद्योग में, कर-अपवंचन की सीमा का अनुमान लगा सकना सम्भव नहीं है।

स्टाक एक्सचेंजों में प्रतिनिधित्व को व्यापक बनाना

5334. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के स्टाक एक्सचेंजों का प्रबन्ध केवल शेयर दलालों के हाथों में है और प्रबन्धक बोर्ड में अंशधारियों, व्यापारियों तथा पूंजी लगाने वाले और अर्थशास्त्रियों के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं होता ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे बोर्डों में सरकारी प्रतिनिधित्व को व्यापक बनाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) . यह ठीक है कि देश में स्टाक एक्सचेंजों के प्रबन्ध का काम मुख्य रूप से उनके अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में है, जो निदेशक बोर्डों के सदस्य होते हैं। किन्तु इन बोर्डों में केन्द्रीय सरकार के एक या दो नामजद सदस्य और जनता का एक प्रतिनिधि भी होता है जिनसे यह आशा की जाती है कि वे मिल कर गैर सदस्यों के हितों का ध्यान रखते हैं। सरकार के नामजद सदस्य सरकारी कर्मचारी होते हैं और जनता का प्रतिनिधि ऐसा गैर-सरकारी व्यक्ति होता है जिसका चुनाव केन्द्रीय सरकार की पूर्व-अनुमति से उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और प्रतिभूतियों के व्यापार से उसका कोई संबंध न होने के आधार पर किया जाता है। निदेशक मण्डलों को पूरी तरह से, स्टाक एक्सचेंजों के नियमों और विनियमों आदि के अन्तर्गत काम करना होता है और ये नियम सरकार की पूर्वानुमति से अपनाये गये हैं। इसके अलावा, कुछ अन्य प्रशासनिक प्रबन्ध भी किये गये हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियमों का कड़ाई से पालन होता है और जनता के हितों को कोई खतरा नहीं है।

Designation of class III employees of Reserve Bank of India

5335. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state

(a) whether it is a fact that class III employees of the Reserve Bank of India are designated as 'Clerk', while the employees in the Life Insurance Corporation and in other Public Sector offices receiving equal amount of pay are designated as Assistants ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether it is proposed to designate them as Assistants ;

(d) if so, the time by which it is likely to be done ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b). In the Reserve Bank, class III comprises 42 different categories of employees including Clerks, classified into 8 groups for the purpose of scales of pay. The scale of pay of Rs. 192-540 for Clerks Grade II in the Reserve Bank is higher than that of Assistants in the Life Insurance Corporation of India, namely, Rs. 130-370. However, one of the categories in Class III service of the Reserve Bank designated as Assistants, is on the scale of pay Rs. 315-715.

(c) and (d). There is no such proposal.

(e) Employees engaged on clerical work have been designated in the Bank as Clerks since its inception and no need for effecting any change has been felt.

श्री सी० वी० श्रीदास को विदेशी मुद्रा

5336. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "धरती" फिल्म के निर्माता श्री सी० वी० श्रीदास को गत तीन वर्षों में कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई ;

(ख) विदेशी मुद्रा किस उद्देश्य के लिये दी गई थी ; और

(ग) क्या फिल्म निर्माता ने उस विदेशी मुद्रा का पूरा उपयोग किया और यदि नहीं, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) . मेसर्स चित्रालय पिक्चर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, मद्रास को, "धरती" (हिन्दी) और "शिवंधा मान" (तमिल) नामक दो फिल्मों की स्थान विशेष पर जाकर शूटिंग करने के लिये पिछले वर्ष 75,000 रुपये की विदेशी मुद्रा दी गयी थी । फिल्म के निदेशक के रूप में श्री सी० वी० श्रीधर विदेश में स्थान विशेष पर जाकर शूटिंग करने वाली पार्टी के नेता थे । पिछले तीन वर्षों की अवधि में श्री सी० वी० श्रीधर को इस राशि के अलावा कोई और विदेशी मुद्रा नहीं दी गयी । मैसर्स चित्रालय पिक्चर्स (प्राइवेट) लिमिटेड ने उन्हें दी गयी 75,000 रुपये की विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल कर लिया है ।

दिल्ली में वायु का दूषित होना

5337. **डा० कर्णी सिंह :**

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को विदित है कि मोटर गाड़ियों, विशेष कर डी० टी० यू० को पुरानी बसों से निकलने वाले धुंए से वायु के दूषित होने के कारण दिल्ली के नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरा हो गया है, और यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव करती है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : मोटर गाड़ियों, विशेष कर डी० टी० यू० की पुरानी बसों से निकलने वाले धुएं से वायु के दूषित होने के कारण स्वास्थ्य को खतरा हो गया है। इस बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि वायु दूषण तथा श्वास के रोगों के बीच निश्चित सम्बन्ध सिद्ध करने के बारे में कोई सर्वेक्षण अथवा विशेष अध्ययन नहीं किया गया है। केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इन्जीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर के द्वारा दिल्ली के पांच रिहायशी क्षेत्रों में एक महीने तक केवल एक अल्पकालिक सर्वेक्षण किया गया था। परिणाम से पता चलता है कि प्रातःकाल तथा सायंकाल के समय जब लोगों तथा गाड़ियों का आना जाना आमतौर पर अधिक होता है तो सलफर डाइआक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइआक्साइड के मामले में दूषण का स्तर कुछ अधिक रहता है। दूषण निरन्तर अक्षुण्ण बना रहेगा, इस बारे में कोई ठोस राय देना तब तक कठिन होगा जब तक इस सम्बन्ध में एक या दो वर्ष के आवृत्तिमूलक निष्कर्ष प्राप्त न कर लिये जांय। वैसे, भारत के बड़े-बड़े शहरों में बढ़ते हुए औद्योगीकरण तथा गाड़ियों की संख्या में वृद्धि होने से संभवतया आने वाले वर्षों में वायु दूषण की समस्या बढ़ जायेगी।

दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि वे बम्बई के धूम अनुत्रास अधिनियम (स्मोक न्यूसन्स एक्ट) के आधार पर कानून बनाने का विचार कर रहे हैं।

विदेशों में फिल्मों की शूटिंग के लिये भारतीय फिल्म उद्योग को दी गयी विदेशी मुद्रा

5338. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1970 तक गत तीन वर्ष में भारतीय फिल्म उद्योग को विदेशों में फिल्मों की शूटिंग और कच्ची फिल्मों तथा उपकरणों के आयात के लिये कितनी विदेशी मुद्रा दी गई ;

(ख) उक्त अवधि में जिन व्यक्तियों और फर्मों को विदेशी मुद्रा दी गयी, उनके नाम तथा पते क्या हैं और वह विदेशी मुद्रा किस उद्देश्य के लिये दी गयी ;

(ग) क्या उन्होंने विदेशी मुद्रा का पूर्ण रूप से उपयोग किया और यदि नहीं तो प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ;

(घ) इन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उद्योग ने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित और उद्योग द्वारा व्यय की गई विदेशी मुद्रा की तुलना में अर्जित राशि कितनी थी ; और

(ङ) क्या भारतीय फिल्म निर्माण भारत के शूटिंग के स्थानों की अपेक्षा स्थानों को अधिमान देने लगे हैं जिससे देश की विदेशी मुद्रा निधि पर बोझ पड़ता है और यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने की दिशा में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). एक विवरण (1) सभा की मेज पर रख दिया गया है जिसमें दी गयी विदेशी मुद्रा का, तथा जिन पार्टियों को विदेशों में स्थान विशेष पर जाकर फिल्मों को शूटिंग करने के लिये अनुमति दी गयी थी, उनका ब्योरा दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-3119/70**]

सिनेमा की फिल्मों और उपकरणों के आयातकों के नामों की सूची इतनी बड़ी होगी कि इसे तैयार करने में जितना परिश्रम करना पड़ेगा, वह उद्देश्य को देखते हुए कहीं अधिक होगा। इसके अतिरिक्त, यह सूचना उस साप्ताहिक बुलेटिन में भी प्रकाशित की जाती है जिसमें जारी किये गये लाइसेंसों का ब्योरा दिया जाता है। उक्त बुलेटिन की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) वर्तमान विनियमों के अनुसार, यह आवश्यक नहीं है कि जिन व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा के परमिट दिये जायं, वे स्वीकृत रकम का पूरा-पूरा उपयोग करें। इसलिये केवल इस बिना पर किसी प्रकार की कार्रवाई करने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

(घ) एक विवरण (II) सभा की मेज पर रख दिया गया है जिसमें अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्योरा दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-3119/70]**

(ङ) भारत में जितनी फिल्में तैयार की जाती हैं, उनकी तुलना में, विदेशों में स्थान विशेष पर जाकर फिल्मों की शूटिंग करने के लिये प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों की संख्या बहुत कम है।

तारकोल के ढोलों का निर्माण करने के लिये इस्पात के आकार का मानकीकरण

5339. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री 23 फरवरी, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 143 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तारकोल के ढोलों के निर्माण के लिये आवश्यक इस्पात के आकार के मानकीकरण न किये जाने के क्या कारण हैं, जैसा कि 'ल्यूब' ढोलों के निर्माण के लिये इस्पात की सप्लाई के बारे में किया गया है ताकि सभी तेल शोधन कारखानों पर समान आकार का इस्पात का आयात करने पर जोर दिया जा सके और इस प्रकार एक मीटरी टन इस्पात में से तारकोल के ढोलों की अपेक्षित मात्रा से कम सप्लाई की जाने की निर्माताओं के लिये कोई गुंजाइश न रहे ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : सुझाव पर जांच की जा रही है।

जी० डी० ओ० की पदोन्नति

5340. **श्री कृ० मा० कौशिक :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जी० डी० ओ० ग्रेड दो के अधिकारियों की जी० डी० ओ० ग्रेड एक में पदोन्नति करने के लिये उपयुक्तता का निर्णय करने के मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या हैं ;

(ख) क्या इस मामले पर 1960 से विचार किया जा रहा है, यदि हां, तो जी० डी० ओ० ग्रेड दो के अधिकारियों की जी० डी० ओ० ग्रेड एक में पदोन्नति की सूची प्रकाशित करना कब तक संभव होगा ;

(ग) क्या यह सच है कि सुपर टाइम ग्रेड एक और दो में अधिकारियों की पदोन्नति और स्थायीकरण सूची लगभग तैयार है और शीघ्र ही प्रकाशित की जाने वाली है ; और

(घ) यदि हां, तो यह कब तक प्रकाशित की जायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी० डी० ओ० ग्रेड दो के अधिकारियों की जी० डी० ओ० ग्रेड एक में पदोन्नति करने के लिए उपयुक्तता का निर्णय करने के मार्गदर्शी सिद्धान्त निम्नलिखित हैं :—

(1) जी० डी० ओ० ग्रेड दो में पांच वर्ष की सेवा पूरी करना।

(2) वरिष्ठता, एवं

(3) सेवा का रिकार्ड

(ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के संशोधित ग्रेडों का प्रारम्भिक गठन 9 सितम्बर, 1966 से प्रभावी हुआ था। जी० डी० ओ० ग्रेड दो के अधिकारियों की जी० डी० ओ० ग्रेड एक में पदोन्नति करने का मामला संघ लोक सेवा आयोग को भेजा गया है।

(ग) तथा (घ). केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सुपर टाइम ग्रेड एक के नौ अधिकारियों एवं सुपर टाइम ग्रेड दो के 16 अधिकारियों की स्थायीकरण सम्बन्धी अधिसूचना क्रमशः 29 जुलाई, 1969 एवं 24 फरवरी, 1970 को जारी की गई थी। सुपर टाइम ग्रेड एक एवं सुपर टाइम ग्रेड दो की पदोन्नति का मामला विचाराधीन है और उसको अन्तिम रूप देने के पश्चात् सूचियों को प्रकाशित कर दिया जाएगा।

टैंकर ब्रोकर्स एसोसिएशन द्वारा तेलवाहक जहाजों के भाड़े में वृद्धि

5341. **श्री के० रमानी :** **श्री पी० राममूर्ति :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री के० अनिरुद्धन :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टैंकर ब्रोकर्स एसोसिएशन, लन्दन ने तेलवाहक जहाजों के भाड़े की दरों में वृद्धि कर दी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसा भारत सरकार के कच्चे तेल के मूल्य में कटौती करने के निर्णय के बाद किया गया है ;

(ग) क्या सरकार ने इस वृद्धि के प्रति विरोध प्रकट किया है ; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार विरोध प्रकट किया गया है और उस पर टैंकर ब्रोकर्स एसोसिएशन की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). वर्ल्डस्केल में भाड़े में भाड़े की दरों का हिसाब करने का आधार

है जबकि लंदन टैंकर ब्रोकर्स पेजल उस पर लागू मासिक छूट की घोषणा करता है। पिछले कुछ महीनों से, अर्थात् कच्चे तेल के जहाज तक नि:शुल्क मूल्यों में कमी करने के पहले ही से भाड़े की दरों में आमतौर से वृद्धि हुई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अलौह धातुओं का खनन

5342. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में जिन स्थानों से अलौह धातुओं का खनन हो सकता है, उनके वस्तुवार नाम क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): वह स्थान जहां से अलौह-धातु अयस्कें निकाली जा रही हैं, नीचे बताये गये हैं :—

तांबा :

मोसाबानी, सुरडा तथा पत्थरघोडा।

सीसा-जस्ता :

राजस्थान का जावर क्षेत्र।

बाक्साइट :

लोहारडागा (बिहार), अमरकंटक (मध्य प्रदेश), शेवाराय (तमिल नाडु)।

बिहार में राखा तांबा प्रायोजना, आंध्र प्रदेश में अग्निगुन्डला के तांबा-सीसा निक्षेपों तथा सुखिन्दा निकल निक्षेपों के संबंध में खनन के लिये सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

वह क्षेत्र जिनमें अलौह धातु अयस्कों के मुख्य निक्षेपों का पता लगाया गया है, इस प्रकार है : तांबा—खेतड़ी (राजस्थान) तथा सिंघभूम (बिहार) : सीसा-तांबा : अग्निगुन्डला (आन्ध्र प्रदेश); सीसा-जस्ता : दरिबा-राजपुरा (राजस्थान); निकल : सुखिन्दा (उड़ीसा); बाक्साइट : फुटका-पहाड़ तथा अमरकंटक क्षेत्र (मध्य प्रदेश), उदगिरि, घंगरवाड़ी क्षेत्र (महाराष्ट्र), रांची (बिहार), शेवराय पहाड़ियां (तमिल नाडु), बेलगाम, चित्रदुर्ग (मैसूर), कालाहन्डी तथा कोरापुट (उड़ीसा) तथा बांदा (उत्तर प्रदेश)।

मयलरम (आंध्र प्रदेश) : तांबा ; ममन्दुर (तमिल नाडु) : सीसा-जस्ता-तांबा ; खान्दिया और अम्बामाता (गुजरात) : सीसा-जस्ता-तांबा ; कल्यादि (मैसूर) : तांबा ; सरगी-पल्ली (उड़ीसा) : सीसा; पुर-दरिबा तथा खो-दरिबा (राजस्थान) : तांबा। यह निक्षेप समन्वेषण की विभिन्न अवस्थाओं पर हैं।

मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में खनिजों के लिये सर्वेक्षण

5343. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में खनिज-सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्य पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) और (ख). खनिज सर्वेक्षण एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है तथा जिले का बहुत बड़ा भाग व्यवस्थित मानचित्रण के अन्तर्गत लिया गया है। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा अब तक किये गये अन्वेषणों के परिणामस्वरूप ऐस्बेस्टास, कोयला, तांबा, सोना, डोलोमाइट, लौह अयस्क, चांदी तथा सेलखड़ी के प्राप्ति स्थलों का पता लगाया गया है।

पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक ईंधन के लिए योजना बनाना

5344. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** :

श्री अबिचन :

श्री राजदेव सिंह :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ी हुई खपत के कारण चूंकि देश के तथा विश्व के वर्तमान तेल भंडारों के समय से पहले समाप्त हो जाने की सम्भावना है, अतः क्या सरकार ने वैकल्पिक ईंधन के लिये कोई योजना बनायी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) विश्व के तेल भंडारों में वृद्धि होने की स्पष्ट प्रवृति दिखाई दी है। देश में भी शुरू किये जा रहे प्रबल अन्वेषी कार्यक्रम से निकट भविष्य में भंडारों में वृद्धि होने की संभावना है। अतः इस समय वैकल्पिक ईंधन के लिये कोई योजना बनाने की जरूरत नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तारकोल बालू (टार सैण्ड्स) शिला-तैल (आयल शेल्स) तथा अन्य ईंधन के लिये सर्वेक्षण

5345. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तारकोल बालू, शिला तैल तथा अन्य ईंधन के लिये सर्वेक्षण आरम्भ हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है, तथा उसके अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) और (ख). कोयले, लिग्नाइट, तेल एवं गैस जैसे ईंधन के लिये देश में व्यवस्थित सर्वेक्षण भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा पिछली शताब्दी में प्रारम्भ किया गया था। कोयले के लिये समन्वेषण अब भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम तथा कुछ राज्य सरकारों द्वारा जारी रखा जा रहा है। तेल एवं प्राकृतिक गैस के सम्बन्ध में समन्वेषण तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किया जा रहा है।

भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने देश में कोयला क्षेत्रों के सर्वेक्षण, मानचित्रण, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक निर्धारण किया है। भारत में लगभग 113 कोयला क्षेत्र ज्ञात हैं। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा असम, नागालैंड, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल कोयला क्षेत्रों में धातुकर्मीय एवं अन्य कोयलों के लिये विस्तृत समन्वेषण जारी है। उपलब्ध राशियों का अनुमान 9,60,000 लाख मैट्रिक टन है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने गुजरात एवं असम में वाणिज्यिक महत्व के तेल निक्षेपों का पता लगाया है। इन क्षेत्रों से उत्पादन का वर्तमान स्तर लगभग 36.5 लाख मैट्रिक टन वार्षिक है।

आयल इंडिया लिमिटेड असम एवं नेफा के कुछ क्षेत्रों में क्रियाशील है तथा उनका उत्पादन 30 लाख मैट्रिक टन प्रति वर्ष है।

उत्तर प्रदेश में यूरिया प्लांट के लिये एक बड़े व्यापार गृह को लाइसेंस देना

5346. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि, जैसा कि 22 फरवरी, 1970 के बम्बई के 'इकानामिक टाइम्स' में छपा है, देश में दो सबसे बड़े व्यापार गृहों में से एक को जिसे पश्चिमी तट पर एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये हाल में लाइसेंस दिया गया है, उत्तर प्रदेश में एक यूरिया प्लांट लगाने के लिये एक और लाइसेंस दिया जा रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि उस पार्टी को परियोजना के लिये पहले ही आशयपत्र मिल चुका है और उसने एक अमरीकी फर्म के साथ वित्तीय तथा तकनीकी सहयोग की व्यवस्था कर ली है ;

(ग) यदि हां, तो उस व्यापार गृह का नाम क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने इस व्यापार गृह के नियंत्रण में कम्पनियों के मामलों की जांच का आदेश दिया है ; और

(ङ) लाइसेंस देने के बारे में क्या ब्यौरा है, और इस बड़े व्यापार गृह को एक और लाइसेंस देने के क्या विशेष कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर नामक स्थान पर एक उर्वरक कारखाने की स्थापना के लिए, बिरला ग्रुप के मैसर्स हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन लि० को एक आशय पत्र जारी किया गया था। पार्टी ने विदेशी सहयोग के ब्यौरों और परियोजना के लिये वित्तीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है। इस परियोजना के लिए कोई औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

(घ) कमीशन्स आफ इन्क्वायरी एक्ट 1952 के अन्तर्गत 18-2-1970 को सरकार द्वारा नियुक्त जांच आयोग, और बातों के साथ-साथ बिरला ग्रुप के उद्यमों के बारे में आरोपों की जांच करेगा।

(ङ) जैसा कि उपर्युक्त (क), (ख) और (ग) भागों के उत्तर में कहा गया है, मिर्जापुर उर्वरक परियोजना के लिये कोई लाइसेंस मंजूर नहीं किया गया है।

नाभा के महाराजा की मूल्यवान वस्तुओं का देश प्रत्यावर्तन

5347. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नाभा के महाराजा को अथवा उनके द्वारा नियुक्त किये किसी व्यक्ति को किसी समय जेवरात और मूल्यवान रत्नों को देश से बाहर ले जाने की अनुमति दी थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का ध्यान लन्दन के समाचार-पत्रों में हाल ही में प्रकाशित लन्दन के एक जौहरी के पास रखे नाभा के महाराजा के परिवार के जेवरात से सम्बन्धित विवाद की ओर दिलाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) जी, हां।

(घ) यह पारिवारिक विवाद है और इससे सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं।

भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ द्वारा कम्पनियों को दिये गये ऋणों को इक्विटी शेयरों के बदलने का विरोध

5348. **श्री दे० अमात** :

श्री हिम्मतसिंहका :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ ने अपने हाल के अधिवेशन में

कम्पनियों को दिये गये ऋणों को इक्विटी शेयरों में बदलने के प्रस्ताव का विरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण दिये गये हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). औद्योगिक लाइसेंस विषयक जांच समिति की सिफारिशों के अनुसार, सरकार ने हाल में निर्णय किया है कि वित्तीय संस्थाओं को, उनके द्वारा औद्योगिक कम्पनियों को दिये गये ऋणों और भविष्य में उन्हें जारी किये जाने वाले ऋण-पत्रों को, एक निश्चित अवधि के अन्दर-अन्दर, पूर्णतः अथवा अंशतः सामान्य शेयरों में परिवर्तित करने के विकल्प का उपयोग करना चाहिये। इस निर्णय के अनुसार, भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ ने हाल में हुये अपने सम्मेलन में एक प्रस्ताव पास किया है जिसका एक उद्धरण नीचे प्रस्तुत किया गया है :—

"ऊंचे कराधान और अन्य कारणों से उद्योगों को लम्बी अवधि के ऋणों के लिए वित्तीय संस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। यह प्रस्ताव, कि वित्तीय संस्थाओं को ऋण की रकमों को सामान्य शेयरों में परिवर्तित करने का अधिकार होना चाहिये, उद्यम-कर्ताओं और व्यापारियों को हतोत्साहित करेगा और सरकार तथा गैर-सरकारी उद्यम कर्ताओं की ओर से औद्योगिक विकास के लिये किये जा रहे प्रयासों को निष्फल बना देगा।"

(ग) सरकार का मत है कि यदि वित्तीय संस्थाओं ने इस निर्णय का पालन समझदारी से किया तो उत्पादक उद्यमों में लगे उद्यम-कर्ता और व्यापारी किसी प्रकार से हतोत्साहित नहीं होंगे और न ही इससे सामान्य औद्योगिक विकास की गति धीमी होगी। इस बारे में, सरकार वित्तीय संस्थाओं के साथ परामर्श करके उपयुक्त मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार कर रही है।

दूसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन के पश्चात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि

5349. **श्री अदिचन** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन के पश्चात् महंगाई भत्ते में किन-किन तिथियों को और कितनी वृद्धि की गई है ; और

(ख) प्रत्येक बार वृद्धि करते समय निर्वाह व्यय में वृद्धि के कितने भाग की प्रतिपूर्ति नहीं की गई है और अब तक कुल कितने भाग की प्रतिपूर्ति नहीं की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) एक विवरण-पत्र सदन की मेज पर रख दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3120/70]**

(ख) दूसरे वेतन आयोग द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में वृद्धियां 1.2.64 तक मंजूर की गयी थीं। आयोग ने निराकरण के किसी विशेष प्रतिशत अनुपात की सिफारिश नहीं की। उसने यह अभिमत दिया कि आय के

निम्नतम स्तर पर भी 100 प्रतिशत निराकरण न्यायोचित नहीं है। उसका विचार था कि महंगाई भत्ते को मूल्य सूचकांक के साथ कड़ाई से सम्बद्ध नहीं किया जाना चाहिये और महसूस किया कि संशोधन के समय विद्यमान परिस्थितियों जैसे आर्थिक स्थिति, कीमतों में वृद्धि का कारण, वृद्धियां मंजूर करने अथवा न करने के सामाजिक और आर्थिक परिणाम के सन्दर्भ में प्रतिपूर्ति की मात्रा का निश्चय सरकार पर ही छोड़ दिया जाना चाहिये। इन सिद्धान्तों का पालन करते हुये, सरकार ने महंगाई भत्ते में 1.2.64 तक वृद्धियां मंजूर की। दुबारा न तो एस० के० दास स्वतन्त्र निकाय ने और न ही श्री पी० वी० गजेन्द्र गडकर की अध्यक्षता में महंगाई भत्ता आयोग ने ही जिन्होंने बाद में इस प्रश्न पर विचार किया, जीवन निर्वाह में वृद्धि के शत-प्रतिशत निराकरण के पक्ष का समर्थन किया है क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि विशेषाधिकारों से जो सरकारी कर्मचारियों को डाक्टरी सेवा के मामलों में मिलते हैं और अन्य वेतनेतर लाभों के मामलों में जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं, उनसे कुछ सीमा तक जीवन निर्वाह के खर्चे में वृद्धियों का निराकरण हो जाता है। उन्होंने निम्नतम स्तर पर केवल 90 प्रतिशत निराकरण की सिफारिश की। इसलिये, दूसरे वेतन आयोग के समय से लेकर हर बार मंजूर की गयी वृद्धियों द्वारा जीवन निर्वाह खर्चे में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति किये बिना छोड़ दिये जाने का प्रश्न वास्तव में उठता ही नहीं। फिर भी, विभिन्न वेतन खण्डों में कर्मचारियों के लिये 1959 से लेकर आज तक शत-प्रतिशत आधार पर निराकरण के लिये अपेक्षित रकम, जीवन निर्वाह खर्च में वृद्धि और मंजूर की गयी महंगाई भत्ते में वास्तविक वृद्धियां, वेतन सहित नीचे दी गयी हैं :—

वेतन खण्ड	सूचकांक 215 पर 100% निराकरण के आधार पर महंगाई भत्ता सहित वेतन (रु०)	सूचकांक 215 के आधार पर मंजूर किया गया महंगाई भत्ता सहित वेतन (रु०)	कालम 2 और 3 में अन्तर (रु०)
(1)	(2)	(3)	(4)
70.109	149.56	141	8.56
110.149	224.35	208	16.35
150.209	317.83	272	45.83
210.399	430.00	356	74.00
400.449	747.82	560	187.82
450.499	841.30	614	227.30

सोडा ऐश के उत्पादन का संवर्धन

5350. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश को सोडा ऐश की आवश्यकता है क्योंकि बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिये वर्तमान उत्पादन पर्याप्त नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में इसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिये किन एककों की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या राजस्थान (जयपुर जिले) में साम्भर लैक में गैर-सरकारी या सरकारी क्षेत्र में ऐसा कोई कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) इस समय देश सोडा-राख में आत्मनिर्भर है। परन्तु चौथी योजना के अन्त तक मांग में वृद्धि हो जाने की आशा है।

(ख) उन पार्टियों के नाम, जिन्हें लाइसेंस / आशय पत्र जारी किये गये हैं, तथा प्रत्येक की क्षमता निम्नलिखित है :—

	वार्षिक क्षमता
(1) मैसर्स सौराष्ट्र केमीकल्स, पोरबन्दर, गुजरात में उनके वर्तमान यूनिट का पर्याप्त विस्तार	36,000 मीटरी टन
(2) मैसर्स सौराष्ट्र सीमेन्ट एण्ड केमीकल्स लि०, रानावाव (गुजरात)—एक नये यूनिट के लिये	132,000 मीटरी टन
(3) मैसर्स न्यू सेण्ट्रल ज्यूट मिल्स कम्पनी लि०, वाराणसी (उ० प्र०) में उनके वर्तमान यूनिट का पर्याप्त विस्तार	110,400 मीटरी टन
(4) मैसर्स महाराष्ट्र कोआपरेटिव फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमीकल्स लि० बम्बई—महाराष्ट्र में एक नये यूनिट के लिये	66,000 मीटरी टन
(5) मैसर्स टाटा केमीकल्स लि०, बम्बई मिठापुर (गुजरात) में उनके वर्तमान यूनिट का पर्याप्त विस्तार	144,000 मीटरी टन

(वर्तमान यूनिटों के बारे में दर्शायी गई क्षमता केवल विस्तार की है)

(ग) और (घ). जी नहीं। इस समय केन्द्रीय सरकार का किसी राज्य में सरकारी क्षेत्र में कोई सोडा-राख यूनिट लगाने का प्रस्ताव नहीं है और राजस्थान में प्राइवेट सेक्टर में एक यूनिट की स्थापना के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। चौथी योजना के अन्त तक अनुमानित मांग को पूरा करने के लिये वर्तमान अनुमोदित क्षमता पर्याप्त समझी जाती है।

Japanese Loan to India

5351. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Bharat Singh Chauhan : **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri T. P. Shah : **Shri R. R. Singh Deo :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Japan has announced to advance a loan of 70 lakh dollars to India ;

(b) if so, the terms and conditions as also the period thereof ; and

(c) the projects for which the said loan is proposed to be utilized ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (c). Letters were exchanged between the Government of India and the Government of Japan on 6th March, 1970 for the extension of a loan of $7 million (Rs. 5.25 crores) for financing the import of goods and services for the implementation of the Visakhapatnam Outer Harbour Project and the Bailadilla Iron Ore Mine No. 5 Deposit Development Project. A formal Loan Agreement between the Government of India and the Export-Import Bank of Japan is expected to be signed shortly.

The loan is to be repaid in 18 years, including a grace period of 5 years and will carry an interest of 5.5% per annum.

स्मार्ट्स चिट फंड दिल्ली द्वारा जाली डिग्रियां प्राप्त करने के बारे में शिकायतें

5352. **श्री रा० बरुआ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्मार्ट्स चिट फण्ड दिल्ली के विरुद्ध विशेषकर सरकारी कर्मचारियों को तंग करने तथा उनसे डरा धमका कर धन वसूल करने के उद्देश्य से, दिल्ली के न्यायालयों से इनके विरुद्ध जाली डिग्री प्राप्त करने के बारे में बहुत सी शिकायतें की गई हैं ;

(ख) क्या इस फर्म के ऐसे कार्यों के विरुद्ध जांच की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो अब तक इस फर्म के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है, और क्या इस फर्म को बन्द करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). उपलब्ध सूचना के अनुसार, अक्टूबर, 1969 में एक सरकारी कर्मचारी ने दिल्ली पुलिस को शिकायत की थी। जिसमें उसने यह आरोप लगाया था कि स्मार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने उसके सामान की कुर्की के लिये मई, 1969 में दिल्ली न्यायालय के आदेश की एक प्रति पेश की थी और उसके परिणाम-स्वरूप उसने समझौते के रूप में कम्पनी को कुछ मूल्यवान वस्तुएं सौंप दी थीं। इस शिकायत की जांच के दौरान यह पता चला था कि यह आरोप झूठा है। जाली डिगरियों के बारे में, इस फर्म की कोई जांच नहीं की जा रही है।

मैसर्ज खेमजी पून्जा एण्ड कम्पनी बम्बई के नाम बकाया धनकर

5353. **श्री रा० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के मैसर्ज खीमजी पूनजा एण्ड कम्पनी के नाम धनकर की बड़ी राशि बकाया है और यह फर्म इसके भुगतान को टालती आ रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय फर्म के नाम कब से और कितनी राशि बकाया है और इसे वसूल न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उक्त फर्म द्वारा तब तक धनकर का भुगतान न करने के कारण सरकार ने उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं। मैसर्ज खीमजी पूंजा एण्ड कम्पनी, बम्बई को धनकर नहीं देना होता क्योंकि यह एक रजिस्टर्ड फर्म होने से धन-कर अधिनियम 1957 की धारा 3 के अधीन यह कर लगने योग्य इकाई नहीं है।

(ख) और (ग). उपर्युक्त को देखते हुए, ये प्रश्न नहीं उठते ।

भारतीय तेल निगम के खाना बनाने के लिये प्रयोग की जाने वाली गैस के सिलेन्डरों के लिये जमानत की राशि बढ़ाना

5354. **श्री रा० बरुआ** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाना बनाने के लिये प्रयोग की जाने वाली गैस के सिलेन्डरों के लिये उपभोक्ताओं द्वारा दी जाने वाली जमानत की राशि आरम्भ में 50 रुपये थी और अब यह 100 रुपये कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो हाल ही में जमानत की राशि को दो बार बढ़ाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या भारतीय तेल निगम इस जमानत की राशि के लिये उपभोक्ताओं को कोई ब्याज देता है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) तरल पेट्रोलियम गैस के सिलेन्डरों के लिये जमा की जाने वाली रकम के बढ़ने के पहले अर्थात 16-2-70 से पूर्व, सिलेण्डरों के लिये ये रकम प्रति सिलेन्डर 60 रुपये और प्रति प्रैशर रेगुलेटर 10 रुपये थी। सिलेण्डरों के लिये अब प्रति सिलेन्डर 90 रुपये की रकम जमा की जा रही है और प्रैशर रेगुलेटर के लिये कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ख) श्रम व्यय के अलावा तरल पेट्रोलियम गैस के सिलेन्डर बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली इस्पात की लागत में भी वृद्धि हो गई है। अतः सिलेन्डर की कीमत बढ़ गई है। सप्लाई को निरन्तर बनाये रखने के लिये तेल कम्पनी को उपभोक्ता को दिये गये प्रत्येक सिलेन्डर के

लिये एक अतिरिक्त सिलेन्डर की व्यवस्था करनी पड़ती है। अतः कम्पनी का निवेश बहुत बढ़ गया है। इन बातों को ध्यान में रखते हुये, तेल उद्योग ने 16-2-1970 से जमा की जाने वाली रकम को 60 रुपये से बढ़ाकर 90 रुपये कर देने का फैसला किया।

(ग) उपभोक्ताओं को ब्याज देने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि जमा की जाने वाली रकम केवल सिलेण्डरों, जो उपभोक्ताओं के पास रहते हैं, की पूंजी की लागत को केवल पूरा करती है।

भारत बैरल एण्ड ड्रम मैनुफैक्चरिंग कम्पनी के काली सूची में शामिल किये जाने के बावजूद भारतीय तेल निगम द्वारा इससे ढोल खरीदना

5355. **श्री रा० बरुआ** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत बैरल एण्ड ड्रम मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई को सरकार द्वारा काली सूची में शामिल किये जाने के बावजूद भारतीय तेल निगम इस फर्म से ढोलों की खरीद कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इस काली सूची में शामिल फर्म को क्रयादेश देने के कारण भारतीय तेल निगम के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, भारत सरकार और सरकारी उपक्रमों के बीच काली सूची से सम्बन्धित पारस्परिक ठहराव समाप्त हो गया है। इस दृष्टि से मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैनुफैक्चरिंग कम्पनी से ढोलों की खरीद, भारतीय तेल निगम की सक्षमता के अन्तर्गत है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सीमाशुल्क तथा प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्डों के अधिकारियों की पदोन्नति

5356. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमाशुल्क तथा प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्डों के ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनकी वर्तमान पदों पर पदोन्नति के समय उनके यहां छापे मारे गये थे अथवा जिनके विरुद्ध सतर्कता के मामले थे अथवा जांच अनिर्णीत पड़ी थी अथवा उनके विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणियां थीं ;

(ख) उनकी पदोन्नति क्यों की गई थी ;

(ग) क्या इन विभागों के ऐसे अथवा कम गम्भीर मामलों वाले प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की भी पदोन्नति कर दी गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो भेदभाव के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ). जिस अवधि के बारे में सूचना मांगी गयी है उसका उल्लेख नहीं किया गया है। इस बात का भी उल्लेख नहीं किया

गया है कि सूचना किस वर्ग अथवा श्रेणी के अधिकारियों के सम्बन्ध में मांगी गयी है। इसके अलावा, किसी अधिकारी की गोपनीय आचरण-पंजी में कोई एक प्रतिकूल टिप्पणी होते हुए भी, वह कुल मिलाकर संतोषप्रद हो सकती है और इस प्रकार की सभी गोपनीय रिपोर्टों का पता लगाना श्रमसाध्य कार्य होगा। प्रश्न का विषय-क्षेत्र इतना विस्तृत है कि तत्संबंधी सामग्री इकट्ठी करना और किसी भी हद तक सही उत्तर देना मुश्किल होगा।

यहां यह बता देना मुनासिब होगा कि पदोन्नति करने के लिये स्पष्ट रूप से निर्धारित कार्यविधियां हैं, जो किसी एक अधिकारी द्वारा किये जाने वाले मूल्यांकन पर नहीं, अपितु विधिवत बनाई गयी विभागीय पदोन्नति समितियों की सिफारिशों पर किये जाते हैं। जिन अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता सम्बन्धी औपचारिक जांच चल रही हो उनके मामलों में कार्यवाही करने के संबंध में इन समितियों के मार्गदर्शन के लिये विशेष हिदायतें हैं। श्रेणी I के पदों के लिये, विभागीय पदोन्नति समितियों की अध्यक्षता संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य द्वारा की जाती है। दोनों बोर्डों में संवर्ग वाह्य पदों पर नियुक्ति के लिये, केन्द्रीय संस्थापन बोर्ड/मन्त्रिमण्डल की नियुक्ति समिति की मंजूरी लेना आवश्यक होता है। पदोन्नतियों और चुनावों के मामले में यथार्थता का इतमीनान करने के लिये यह सब किया जाता है।

दिल्ली में घटिया खाद्य पदार्थ बनाना

5357. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली प्रोवीजन मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा 28 दिसम्बर, 1969 के एक विज्ञापन में लगाये इस आरोप की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली में उपभोक्ता वस्तुओं के विख्यात निर्माताओं जैसे मोहन्स, चैम्पियन, पैरीस, मार्टन्स, स्पेन्सर्स, किस्सान्स, ब्राउन एण्ड पालसन आदि के उत्पादों को विश्लेषण में घटिया किस्म का पाया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस आरोप की जांच करायी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां

(ख) कुछ ऐसे मामलों का पता लगाया गया है और न्यायालय में मुकदमे चलाये जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

चांदी का चोरी छिपे भारत से बाहर ले जाया जाना

5358. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत से चोरी छिपे बाहर ले जायी जाने वाली चांदी की कुल मात्रा का अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने भारत से ब्रिटेन को चांदी की तस्करी को रोकने में सहायता करने के लिये वहां के अधिकारियों से कहा है ;

(घ) यदि हां, तो कब और किस से सहायता के लिए कहा गया है ; और

(ङ) उसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). देश से तस्कर निर्यात की जाने वाली चांदी की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए सरकार के पास कोई विश्वसनीय सामग्री नहीं है ।

(ग) जी नहीं । भारत से सीधे ब्रिटेन को किया जाने वाला चांदी का तस्कर-निर्यात भी सरकार के ध्यान में नहीं आया है ।

(घ) और (ङ). ये सवाल नहीं उठते ।

तस्करी

5359. **श्री जार्ज फरनेण्डीज** : क्या **वित्त** मंत्री 23 फरवरी 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 118 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व आसूचना विभाग द्वारा बम्बई में गिरफ्तार किये गये तस्कर व्यापारियों के कोई मामले इस बीच न्यायालयों में दायर किये गये हैं ; और

(ख) उन संसद सदस्यों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध उपरोक्त प्रश्न के भाग (घ) तथा (ङ) के उत्तर के अनुसार तस्कर व्यापार में अन्तर्ग्रस्त होने के अस्पष्ट आरोप लगाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी नहीं क्योंकि जांच पड़ताल अभी भी चल रही है ।

(ख) जिन संसद सदस्यों के खिलाफ अस्पष्ट आरोप लगाये गये हैं, उनके नाम अथवा इस सम्बन्ध में किसी का भी, नाम बताना उचित नहीं होगा ।

कर ढांचे के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

5360. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रत्यक्ष करों के प्रवर्तन तथा प्रक्रिया में सुधार की सिफारिश करने के लिये प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा श्री महाबीर त्यागी की अध्यक्षता में नियुक्त कार्यकारी दल की रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखेगी ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) श्री महाबीर त्यागी की अध्यक्षता में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर प्रशासन पर कार्यकारी दल की रिपोर्ट की प्रतियां 21-11-1968 को संसदीय ग्रंथालय में रख दी गयी थीं।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

कच्चे तेल का आयात तथा सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र की शोधन शालाओं द्वारा उसका प्रयोग

5361. **श्री दे० अमात** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितने मूल्य के कच्चे तेल का आयात किया गया और वर्षवार इस पर कितनी लागत आयी ;

(ख) सरकारी क्षेत्र की तथा गैर सरकारी क्षेत्र की शोधन शालाओं द्वारा इस आयातित तेल का कितनी मात्रा में प्रयोग किया गया ; और

(ग) वर्ष 1970-71 के दौरान सरकारी क्षेत्र की तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की शोधनशालाओं के लिये कितने और कितने मूल्य के कच्चे तेल का आयात किया जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग). सरकारी क्षेत्रीय और गैर सरकारी क्षेत्रीय शोधनशालाओं द्वारा प्रयोग के लिये, 1967-68 और 1968-69 में कच्चे तेल का वास्तविक आयात और 1969-70 तथा 1970-71 में अनुमानित आयात निम्न प्रकार है :

	सरकारी क्षेत्र		गैर सरकारी क्षेत्र		कुल	
	मिलियन मीटरी टन	करोड़ रुपये	मिलियन मीटरी टन	करोड़ रुपये	मिलियन मीटरी टन	करोड़ रुपये
1967-68	2.4	21.76	6.6	61.01	9.0	82.77
1968-69	2.6	23.08	8.0	71.77	10.6	94.85
1969-70	3.9	36.06	7.3	61.62	11.2	97.68
1970-71	5.3	49.03	7.7	64.29	13.0	113.32

कर अपवंचन के बारे में शाह आयोग की सिफारिशें

5362. **श्री अदिचन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर अपवंचन के बारे में शाह आयोग की सिफारिशों पर सरकार ने कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

महंगाई भत्ते को वेतन के साथ मिलाने का प्रतिकूल प्रभाव

5363. **श्री अदिचन :**

श्री दे० अमात :

क्या **वित्त** मंत्री 16 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3150 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किराये की रसीद दिये बिना मकान किराया भत्ते तथा नगर प्रतिकर भत्ते के बारे में उन सरकारी कर्मचारियों को, जिन पर महंगाई भत्ते को वेतन में हाल मिला दिये जाने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, पूर्व स्थिति का लाभ देने में क्या कठिनाइयां हैं ;

(ख) क्या सरकार को किराया-रसीद पाने में लोगों की, विशेषतः किराये के गैर-सरकारी मकानों में और अन्य सरकारी कर्मचारियों को एलाट मकानों में रहने वालों की व्यावहारिक कठिनाइयों की जानकारी है ;

(ग) यदि हां, तो 390-500 रुपये (बिना महंगाई भत्ता) के मूल वेतन के वर्ग में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो किराया रसीद पेश न करने से वास्तव में मकान के किराया भत्ता से वंचित हो गये हैं ;

(घ) इस श्रेणी के कितने प्रतिशत लोगों को सरकारी आवास स्थान नहीं दिये गये हैं और क्या उन्हें रिहायशी आवास स्थान न दिये जाने के कारण प्रतिकर के रूप में ही मकान दिया जाता है ; और

(ङ) यदि हां, तो उन्हें दोनों वैकल्पिक सुविधाओं से वंचित रखने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) किराये की रसीद पेश किये बिना मकान किराया भत्ता प्राप्त करने की सुविधा, 1949 से ऐसे सरकारी कर्मचारियों को दी जाती थी जिनका वेतन 250 रुपये मासिक से अधिक नहीं था। प्रशासनिक कार्यभार को कम करने के उद्देश्य से 1965 में, यह सीमा 250 रुपये प्रतिमाह से बढ़ा कर 500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। लेकिन, 1967 में सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई कि इस रियायत का दुरुपयोग किया जा रहा है और इसलिये सरकार इस सीमा को घटा कर पहले की तरह 250 रुपया करने के प्रश्न पर विचार कर रही थी। महंगाई भत्ते के शामिल किये जाने से यह सीमा घट कर 390 रुपये हो गई। सरकार भी इसी दिशा में विचार कर रही थी। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूर्वस्थिति को फिर से लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि कुछ सरकारी कर्मचारी किराया रसीदें प्राप्त करने में असमर्थ हैं लेकिन सरकार ऐसा नहीं समझती कि किराया रसीदें पेश करने से छूट दे देना इस समस्या का कोई समुचित हल हो सकता है।

(ग) ऐसे कोई आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) तथा (ङ). सरकारी आवास की व्यवस्था, सेवा की कोई शर्त नहीं है। फिर भी, जिन स्थानों पर सरकारी कर्मचारियों का काफी जमाव होता है सरकार वहां आवास की व्यवस्था करने की कोशिश करती है। सरकार उन स्थानों पर भी आवास की सुविधा जुटाने की कोशिश करती है जहां रिहायशी आवासों की आम तंगी होने के कारण सरकार के लिये ऐसी आवास व्यवस्था करना वांछनीय होता है। इसलिये सरकारी आवास रहित कर्मचारियों का प्रतिशत अनुपात निकालने का प्रश्न नहीं उठता। मकान किराया भत्ता, जैसा कि दूसरे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश की गई है, कुछ वर्गीकृत शहरों/कस्बों में मंजूर किया जाता है और इसका उद्देश्य उन शहरों/कस्बों में विद्यमान विशेष रूप से ऊंचे किरायों के सम्बन्ध में कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति के लिये आर्थिक सहायता देना होता है।

बम्बई में फर्मों के नाम आयकर की बकाया राशि

5364. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई के ऐसे व्यक्तियों, फर्मों तथा कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके नाम आयकर की एक लाख रुपये से अधिक राशि बकाया है ;

(ख) उनमें से प्रत्येक से कितनी राशि वसूल की जाती है ;

(ग) प्रत्येक मामले में ये राशियां कब से बकाया हैं और प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) लम्बे समय से बकाया आयकर की राशियों को वसूल करने की दिशा में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). जिन व्यक्तियों, फर्मों तथा कम्पनियों की ओर 1 लाख रुपये से अधिक आयकर की बकाया है, उनके नामों के सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। लेकिन, बम्बई नगर I, II, III तथा बम्बई सेन्ट्रल के आयकर आयुक्तों के कार्य क्षेत्रों के अन्तर्गत जिन निर्धारितियों का कर-निर्धारण हुआ और जिनकी ओर 30-6-1969 को आयकर की 5 लाख रुपये से अधिक की बकाया थी, उनकी सभी श्रेणियों के बारे में (जिनमें व्यक्ति, फर्म तथा कम्पनियां भी शामिल हैं) सूचना उपलब्ध है और अनुबन्ध में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-3121/70]**

(ग) ये बकाया रकमें विभिन्न कर-निर्धारण वर्षों से सम्बन्धित हैं और अलग अलग तारीखों से बाकी पड़ी हैं।

(घ) बकाया की वसूली के लिये, हर मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों के अनुसार सभी कानून-सम्मत उपाय किये जा रहे हैं अथवा किये जाने का प्रस्ताव है।

पंजाब और दिल्ली के फिल्म वितरकों द्वारा आयकर का भुगतान

5365. **श्री काशी नाथ पाण्डय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और दिल्ली के उन फिल्म वितरकों के नाम क्या हैं जो पचास हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक आयकर का भुगतान कर रहे हैं और गत तीन वर्षों में उनमें से प्रत्येक ने कुल कितना आयकर दिया ;

(ख) क्या यह सच है कि वे इस अवधि में आयकर अपवंचन करते रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). जो फिल्म वितरक पचास हजार रुपये से एक लाख रुपये तक आय कर देते हैं, उनके सम्बन्ध में मांगी गई सूचना केवल तब ही इकट्ठी की जा सकती है जब कर-निर्धारण सम्बन्धी बहुत सारे रिकार्डों की छान-बीन की जाय और इसमें काफी समय तथा श्रम लगेगा। लेकिन, यदि माननीय सदस्य किसी खास वितरक (वितरकों) के बारे में सूचना चाहते हों, तो वह प्रस्तुत की जायगी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाया जाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अरब सागर तक पहुंचने के लिए ईरान में से होकर एक राजपथ का निर्माण करने में अफगानिस्तान की सहायता करने की भारत की पेशकश

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : I call the attention of the Minister of External Affairs to the following matter of urgent public importance and request him to make a statement thereon :

"India's reported offer to help Afghanistan in building a highway through Iran providing an outlet to Arabian Sea."

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : अफगानिस्तान ने आधुनिक सड़कों का एक जाल विकसित कर लिया है, जिसकी वजह से काबुल अब अफगानिस्तान के अन्य महत्वपूर्ण नगरों से तथा पाकिस्तान और सोवियत संघ से भी जुड़ गया है। अब कन्धार से जहीदान के पास ईरानी सीमा तक तत्काल एक सड़क बनने पर ध्यान दिया जा रहा है जिससे कि इसे ईरान की जहीदान-बन्दर अब्बास सड़क से मिलाया जा सके। इस सड़क के बन जाने से अफगानिस्तान को न सिर्फ समुद्र तक पहुंचने का एक और मार्ग मिल जाएगा बल्कि उन क्षेत्रों की अर्थ-व्यवस्था के विकास में भी बहुत सहायता मिलेगी जिससे होकर यह यातायात होगा, विशेष रूप से इस क्षेत्र की खनिज संपदा का पता लगाने में। चूंकि यह समुद्र के लिये नजदीक का रास्ता होगा इसलिए कन्धार से बन्दर अब्बास तक सड़क बन जाने से अफगानिस्तान से आयात-निर्यात होने वाले माल के परिवहन में समय कम लगेगा और खर्च भी कम होगा, खास तौर से पश्चिम की ओर के इलाकों के लिए।

नई दिल्ली में 16 से 18 मार्च, 1970 के बीच आर्थिक, व्यापारिक और तकनीकी सहयोग सम्बन्धी सम्मिलित भारत अफगान आयोग की मंत्री स्तर की पहली बैठक के दौरान अफगानी पक्ष ने यह बताया था कि वे कन्धार-जहीदान मार्ग को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं और यह आशा भी व्यक्त की थी कि भारतीय पक्ष इस परियोजना को पूरा करने में सहयोग देगा। भारतीय पक्ष ने इस सड़क के महत्व को पूरी तरह स्वीकार किया था और अफगान विशेषज्ञों तथा अन्य विशेषज्ञों के परामर्श से इस परियोजना के क्रियान्वयन से सम्बद्ध विभिन्न मसलों पर विचार करने के लिए भारतीय विशेषज्ञों के एक दल की प्रतिनियुक्त करने पर सहमति भी व्यक्त की थी।

Shri Kanwar Lal Gupta : I welcome the statement of the Hon. Minister as it would help in increasing our ties as well as trade with Afghanistan. The construction of this road will provide to Afghanistan an alternative route and she will not have to depend entirely on Pakistan. I want to know whether Afghanistan have asked for expert advice only or for financial help also ?

Pakistan becomes jealous when we make friends with other countries and she starts making protests with a view to obstructing our way.

Afghanistan has been trading with India through land route *via* Pakistan but now Pakistan does not allow it and has asked for trading through sea route, which takes 40 days for the fresh fruits to reach India. Besides, we are not getting adequate shipping facilities and the goods get blocked up at Karachi port. The proposed road will remove all these difficulties. May I, therefore, know whether Government of India would provide for some financial help if asked for ? Also may I know whether the Pakistani representative in Asian Development Bank opposed any kind of help to Afghanistan for the construction of this road and also what attitude was adopted by the Indian representatives and whether they would support the demand of Afghanistan for financial help ? Is it also a fact that Pakistan, in her protest, termed the construction of this road as a conspiracy against her by India and Afghanistan ? May I also know whether the Government of India would not come under any pressure from Pakistan and also see that Afghanistan is not pressurised in this regard ?

What is the reaction of the USSR in this connection since she will also be connected with this and interested in this road ?

Shri Surendra Pal Singh : We have got very good relations with Afghanistan and we are always anxious to help them in different matters, but they have not asked for any financial assistance for this purpose. They have asked for expert advice. They have asked for a study team to be sent there for survey and for a preliminary report and we have agreed to their request.

This road will be of great use to both India and Afghanistan. It would certainly help in the expeditious transportation of goods between Afghanistan and India.

As regards obstacle put by Pakistan, we are not aware of their attitude officially. But as per articles published in certain newspapers in Pakistan, they feel worried over it.

It is true that Afghanistan has asked for financial assistance from Asian Development Bank but we are not aware of Pakistan's objections in this regard. However we will support Afghanistan's demand.

There is no question of any pressure from Pakistan. We would do whatever is necessary in the interest of India and Afghanistan. As regards USSR, why should they object to it?

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमन्, मैं आपका ध्यान आज के **स्टेट्समैन** के सम्पादकीय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि जिन उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग चलाने का प्रस्ताव था उन्होंने त्यागपत्र देने या सेवा-निवृत्त होने की पेशकश की है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुख्य न्यायाधीश ने इस सम्बन्ध में सरकार को लिखा है ? ···(**व्यवधान**)

श्री कंवर लाल गुप्त : सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध यह गम्भीर अभियान है। हम इसका विरोध करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अनेक सदस्य व्यवस्था के नाम पर खड़े हो जाते हैं और अन्य बातें कहने लगते हैं। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे कोई विवादास्पद प्रश्न न उठायें। यह सब कुछ कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायेगा। (**व्यवधान**)**

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

आकाशवाणी पर व्यक्तियों द्वारा प्रसारणों सम्बन्धी संहिता

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): मैं श्री सत्यनारायण सिंह की ओर से आकाशवाणी पर व्यक्तियों द्वारा प्रसारणों सम्बन्धी संहिता (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये एल० टी० संख्या 3091/70]**

पैट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन बनाये रखना) आदेश

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत, पैट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन बनाये रखना) आदेश, 1970 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो दिनांक 18 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1100 में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3092/70]**

भेषज तथा सौन्दर्य प्रसाधन (पहला संशोधन) नियम

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : मैं श्री ब० सू० मूर्ति की ओर से भेषज तथा सौन्दर्य-प्रसाधन अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अन्तर्गत, भेषज तथा सौन्दर्य प्रसाधन (पहला संशोधन) नियम, 1970 की एक

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।
**Not recorded.

प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो दिनांक 21 फरवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 642 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 3093/70]**

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं श्री प्र० चं० सेठी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 की धारा 56 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, आसाम पुनर्गठन (मेघालय) राजस्व का वितरण आदेश, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 2 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 585 में प्रकाशित हुआ था।

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962, की धारा 159 के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 489 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 19 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात-शुल्क वापसी (सामान्य) 12वां संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 14 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 441 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात-शुल्क—वापसी (सामान्य) 13वां संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 21 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 487 में प्रकाशित हुए थे।

(4) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 280 जेड ई की उपधारा (4) के अन्तर्गत कर-प्रत्यय प्रमाण-पत्र (ईक्विटी शेयर) (संशोधन) योजना 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 21 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 492 में प्रकाशित हुई थी।

(5) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 488, जो दिनांक 21 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) जी० एस० आर० 499, जो दिनांक 21 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। **[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये एल० टी० संख्या 3995, 96, 97 तथा 98/70]**

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमन्, मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना देनी है :—

राज्य सभा ने 2 अप्रैल, 1970 को हुई अपनी बैठक में जांच आयोग, (संशोधन) विधेयक, 1969 पर दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में शामिल होने की लोक-सभा की सिफारिश पर सहमति प्रकट की है और उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिए राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को नामनिर्दिष्ट किया है :—

1. श्री फूल सिंह
2. श्री गुलाम नबी उन्टू
3. श्री नारायण प्रसाद चौधरी
4. श्री टी० जी० देशमुख
5. श्री कोटा पुन्नैया
6. श्री शीलभद्र याजी
7. श्री मलप्पा लिंगप्पा कोल्लूर
8. कुमारी शान्ता वशिष्ठ
9. श्री वी० टी० केम्पराज
10. श्री चन्द्रमौलि जगरलामूडी
11. श्री रूद्र नारायण झा
12. श्री को० प० सुब्रह्मण्य मनोन
13. श्री बालचन्द्र मेनन
14. श्री जयन्त श्रीधर तिलक
15. श्री प्रणब कुमार मुकर्जी

राज्य सभा ने लोक-सभा को यह भी सिफारिश की है कि संयुक्त समिति को वर्षाकालीन सत्र, 1970 के पहले सप्ताह में प्रतिवेदन देने के लिए अनुदेश दिये जायें।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमन्, नियम 340 के अधीन मैं एक प्रस्ताव पेश करता हूं.....

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा...(**व्यवधान**)** मैं सभा को 14.10 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजकर दस मिनट म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till ten minutes past fourteen of the Clock

---

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर बारह मिनट म० प० पर पुनः समवेत् हुई

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at twelve minutes past fourteen of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

स्थगन प्रस्ताव
MOTION FOR ADJOURNMENT

पटेल चौक, नई दिल्ली के समीप पुलिस द्वारा कुछ संसद सदस्यों तथा अन्य लोगों के विरुद्ध बल प्रयोग

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये...(**व्यवधान**) श्री जार्ज फरनेन्डीज...(**व्यवधान**) श्री राम सेवक यादव...(**व्यवधान**) आदि संसद सदस्यों के कथित पीटे जाने के बारे में डा० रामसुभग सिंह, श्री ही० ना० मुकर्जी तथा श्री जे० एच० पटेल की ओर से मुझे विशेषाधिकार के प्रस्ताव की तीन सूचनायें प्राप्त हुई हैं...(**व्यवधान**) मैं डा० राम सुभग सिंह तथा सूचना देने वाले अन्य सदस्यों को सुनूंगा।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने डा० रामसुभग सिंह को पुकारा है जिन्होंने प्रस्ताव की सूचना दी है। मैं श्री मुकर्जी तथा अन्य को भी पुकारूंगा...(**व्यवधान**) यदि आप चिल्लायेंगे तो मैं कुछ नहीं समझ सकूंगा...(**व्यवधान**) श्री समर गुह कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं।

श्री समर गुह : श्रीमन् हमें अभी-अभी जानकारी मिली है कि सरकार को एक ज्ञापन पेश करने के लिये आते समय तीन संसत्सदस्यों को निर्दयता से पीटा गया...(**व्यवधान**) मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इसकी जानकारी आपको दी है? ऐसी जानकारी देना सरकार का कर्त्तव्य है...(**व्यवधान**)

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार की ओर से मुझे कोई जानकारी नहीं मिली है। नियम 229 के अधीन संसत्सदस्यों की गिरफ्तारी तथा उन पर चलने वाले मुकदमे की जानकारी अध्यक्ष को दी जाती है। ऐसी कोई बात नहीं हुई है... (**व्यवधान**)

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : मैं गृह-कार्य मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि संसद भवन के अहाते में भी धारा 144 लगाई गयी है। यह कैसे किया जा सकता है ? यह तो, श्रीमन, आपका तथा संसत्सदस्यों का ही यह अपमान है। हम ऐसे आदेश को फाड़-कर फेंक देंगे। वह संसत्सदस्यों की अनुमति बिना संसद भवन के अन्दर भी ऐसे आदेश कैसे लागू कर सकते हैं। और जो कुछ श्री मधु लिमये तथा अन्य कई सदस्यों के साथ हुआ है, उससे इस सभा के मान को धक्का पहुंचता है। हम अन्य सभी कार्य रोककर इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं... (**व्यवधान**)। जिस दण्ड नायक ने यह आदेश दिया है, उसे एक अपराधी की भांति हथकड़ियों के साथ यहां लाया जाये। यह आदेश संसद भवन में श्रीमन, आपकी अनुमति बिना कैसे लागू किया जा सकता है ? उस आदेश के अनुसार तो हम यहां बैठ भी नहीं सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सबकी बात बारी-बारी से सुनूंगा और सबको सुनकर आपको उत्तर दूंगा।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : सैकड़ों महिलाओं को पुलिस ने मारा और उन्हें हस्पताल में भी नहीं ले जाया गया। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा की कार्यवाही को स्थगित किया जाये और इस मामले पर चर्चा की जाय।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हमने अभी सुना है कि एक माननीय संसद-सदस्य और संयुक्त सोशलिस्ट दल के अध्यक्ष श्री कर्पूरी ठाकुर और दल के अन्य अनेक सदस्य ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए संसद भवन तक आये थे परन्तु उन्हें यह पता नहीं था कि यह सदन लोगों के लिए नहीं है। यह लोक सभा नहीं है बल्कि यह वह सदन है, जहां लोगों का निर्दयता से बध करने का निर्णय लिया जाता है। यहां तक कि लड़कियों को भी पीटा जाता है। इसलिए इन बातों की जांच की जानी चाहिए। मैं नियम 340 के अन्तर्गत सभा स्थगित करने का प्रस्ताव करता हूं और यह भी प्रस्ताव करता हूं कि वैदेशिक कार्य मंत्रालय की मांगों पर चर्चा बाद में की जाये। गृह-मंत्री महोदय ने पार्लियामेंट स्ट्रीट को बन्दी-गृह में परि-वर्तित कर दिया है।

श्री म० ला० सोंधी खड़े हुए।

श्री समर गुह खड़े हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं किसी माननीय सदस्य की बात नहीं समझ पा रहा हूं। मुझे बोलने दीजिए।

श्री म० ला० सोंधी : आपको गृह मंत्री महोदय के अनुदेशों का पालन नहीं करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी के अनुदेश का पालन नहीं करता । अपितु मैं नियमों के अन्तर्गत ही सदन की कार्यवाही चलाता हूं ।

डा० रामसुभग सिंह : आपको सभा स्थगित करनी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप तो मुझे एक वाक्य भी पूरा नहीं कहने देते । नियमों के अन्तर्गत किसी प्रस्ताव के लिए पहले सूचना दी जाती है । नियम 22 के अन्तर्गत डा० रामसुभग सिंह तथा अन्य माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार के प्रस्तावों की सूचनाएं मुझे प्राप्त हो गई हैं जिनको, सदन में विचार के लिए मैंने स्वीकार कर लिया है । अब मैं इस विषय से सम्बन्धित अन्य कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता । विशेषाधिकारों के उल्लंघन के सम्बन्ध में डा० राम सुभग सिंह बोलेंगे ।

डा० राम सुभग सिंह : सभा स्थगित करने के लिए मैं अपना प्रस्ताव पहले से ही प्रस्तुत कर चुका हूं । मैं नियम 56 के अन्तर्गत तथा नियम 340 के अन्तर्गत जो भी आप उचित समझें, प्रस्ताव करता हूं, "कि यह सभा अब स्थगित हो ।"

शान्ति पूर्ण जलूस में भाग लेने के लिए यहां आए सौ से अधिक महिलाओं तथा बच्चों पर पुलिस ने लाठियों से निर्मम प्रहार किया और अश्रु गैस छोड़ी । इसके पश्चात् श्री राज नारायण, श्री मधुलिमये, श्री जार्ज फर्नेन्डीज, श्री जे० एच० पटेल, श्री मोलहू प्रसाद तथा अन्य व्यक्तियों को पीटा गया । श्री जार्ज फरनेन्डीज का तो अभी तक यह पता नहीं कि पुलिस उन्हें कहां ले गई है । इस कांड के लिए यह सरकार जिम्मेदार है और इसके पीछे प्रधान मंत्री और गृह-मंत्री का षड़यंत्र है, क्योंकि बिना किसी उत्तेजना के पुलिस ने लाठी प्रहार किया । सैकड़ों महिलाएं अभी भी लहूलहान हैं । उनकी साड़ियां फाड़ी गई हैं, उनके शरीर पर लाठियों के प्रहार के निशान देखे जा सकते हैं । इस पर भी प्रधान मंत्री का यह कहना कि महिलाएं उनके साथ हैं, ठीक नहीं है ।

अत: मेरा सरकार से तत्काल सभा को स्थगित करने का अनुरोध है ताकि हम अपने साथियों को उपचार के लिए अस्पताल ले जा सकें और उनकी जान बच सकें ।

श्री म० ला० सोंधी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्बद्ध मैजिस्ट्रेट को तत्काल गिरफ्तार कर उसको हथकड़ी लगाकर यहां लाया जाए । और यह कार्यवाही कल तक के लिए नहीं छोड़नी चाहिए । इस बारे में मैं डा० रामसुभग सिंह का पूर्ण समर्थन करता हूं ।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) **:** मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 56 के अन्तर्गत डा० रामसुभग सिंह अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुके हैं । नियम 58 के अन्तर्गत एक बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जा सकते ।

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) **:** मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत हो गया है । इस पर सभा में तुरन्त मतदान होना चाहिए । यदि विलम्ब हुआ तो यही माना जायेगा कि आप सरकार का पक्ष लेते हैं ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : जब प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया है जिसका समर्थन समस्त विपक्षी दलों के नेताओं ने किया है तो आपको इस स्थगन प्रस्ताव को तुरन्त स्वीकार करना चाहिए। अतः आपका यह कहना गलत है कि आप सदन की इच्छा से कार्य करते हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : पहले भी अनेक अवसरों पर स्थगन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : दबाव में आकर मैं कोई निर्णय नहीं करूंगा।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : जब इस निन्दनीय घटना के बारे में सदन में इतना अधिक असन्तोष और रोष है तो इस प्रस्ताव पर तुरन्त ही चर्चा होनी चाहिए और इसके लिए कोई कार्य प्रणाली अपनानी चाहिए जिसके अनुरूप यह सदन कार्य कर सके। कई सदस्यों ने विशेषाधिकार की सूचना दी। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमें अवसर मिलना ही चाहिए। क्योंकि जब मैं सदन से बाहर निकलकर लाबी में गया तो मैंने श्री लिमये को अपनी कमर पर लाठियों के प्रहार के निशान दिखाते हुए देखा जिनका मैं वर्णन नहीं कर सकता। उसी समय मैं आपके पास आया और इस मामले को विशेषाधिकार समिति में भेजने के लिए अनुरोध किया। श्री लिमये ने हमें बताया कि किस निर्ममता से पुलिस ने उन्हें लाठियों से पीटा। जब अपनी शिकायतों की सूची लेकर अध्यक्ष महोदय से मिलने के लिए संसद भवन में आते हुए संसद सदस्यों के साथ अत्याचार किया जाये और उन्हें पीटा जाये तब हमारे लिये यह नितान्त आवश्यक हो जाता है कि हम बैठकर इस मामले पर ध्यान दें। सत्रावधि के दौरान संसद भवन आने वाले संसदसदस्यों के साथ होते ऐसे बर्बर और पाप कर्मों को देखते हुए, इन कर्मों की निन्दा करने के लिए और चर्चा करने के लिए सदन को कोई कार्य पद्धति अवश्य अपनानी पड़ेगी। क्योंकि जब संसद सदन के बिलकुल निकट इस प्रकार के बर्बरता-पूर्ण और घृणित कांड होने लगे तो देश के भविष्य की रक्षा कैसे हो सकेगी ? इस बात पर शांत भाव से चर्चा करनी चाहिए।

श्री जे० एच० पटेल (शिमोगा) : आज लगभग एक बजे दोपहर हमारा प्रदर्शन बड़ी शान्ति के साथ हुआ और सारा जलूस पटेल चौक में बैठ गया। और लोग आये जा रहे थे। पटेल चौक में एक बैठक का आयोजन करने के लिए हमने स्वीकृति भी ले ली थी। वहां एक मंच भी बना लिया गया था। सारे देश के लोग, यहां तक कि आदिवासी भी आकर प्रदर्शन में इकट्ठे हुए थे जिनमें स्त्रियां और बच्चे भी थे। वह यहां धारा 144 का उल्लंघन करने के उद्देश्य से नहीं आये थे और यदि ऐसा इरादा होता तो स्त्रियां और बच्चे नहीं आते। पुलिस द्वारा किया गया यह निन्दनीय कार्य और अत्याचार पूर्व नियोजित था जिसकी हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। मैं कर्नाटक के अपने एक मित्र के साथ बैठा था कि अचानक अश्रु गैस के गोले छोड़े जाने लगे। लोग भयभीत हो गये। वे अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। महिलाएं चिल्लाने लगीं और पुलिस उन पर अत्याचार करने लगी ? पुलिस ने कुछ संसद सदस्यों को भी पीटा, भागते लोगों का पुलिस ने बुरी तरह पीछा किया। श्री मधु लिमये को पुलिस पीटने लगी। जब मैंने उन्हें बचाने के लिए पुलिस वालों से कहा कि हम संसद सदस्य हैं

और संसद भवन जाकर अध्यक्ष से मिलना चाहते हैं तो उन्होंने एक नहीं सुनी और फिर मारपीट करने लगे। हमें कुछ समझ में नहीं आया कि सरकार द्वारा इस प्रकार का अत्याचार करने का क्या कारण था। जब लोगों ने कानून ही भंग नहीं किया तो इस प्रकार के अत्याचार करने का क्या कारण। सरकार ने जो कुछ भी किया सब अन्याय और बर्बरतापूर्ण है। श्री जार्ज फरनेन्डीज को इतनी बर्बरता और क्रूरता से मारा कि उनका जीवन ही खतरे में पड़ गया है। मैं अपने विशेषाधिकार के प्रस्ताव की बजाय डा० रामसुभग सिंह के स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। यदि लोक-तंत्र की रक्षा करनी है तो इस सभा को इस प्रस्ताव पर पूर्ण रूप से चर्चा करनी चाहिए। इस निन्दनीय तथा भयावह घटना की जांच होनी चाहिए। सरकार को केवल संसद सदस्यों की ही रक्षा नहीं करनी है बल्कि उन हजारों महिलाओं और बच्चों की भी रक्षा करनी है जो भारत के विभिन्न भागों से इस अपराधी, बहरी और अन्धी सरकार से अपनी शिकायतें व्यक्त करने यहां आई थीं...(**व्यवधान**)।

श्री म० ला० सोंधी : इस समय आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है। दिल्ली में जो धारा 144 लगाई गई है, वह हमारे संविधान के लिए चुनौती है। इस आदेश की जांच की जानी चाहिए। दण्डाधिकारी ने यह आदेश इतनी असंयत भाषा में दिया है कि यदि इसे स्वीकार किया जाये तो इससे तो संसद सदस्यों को भी संसद भवन के भीतर आने नहीं दिया जायेगा। अतः मैं फिर कहता हूं कि जिस दण्डाधिकारी ने यह आदेश दिया है, उसको गिरफ्तार किया जाये और हथकड़ी लगाकर यहां लाया जाये।

श्री सेझियान : इस घटना के बारे में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जिसकी पहले से ही अनुमति मांगी गई है। अतः अन्य मामलों को उठाने से पूर्व इस प्रस्ताव पर पूरी चर्चा की जानी चाहिए क्योंकि जब इस पर चर्चा आरम्भ हो जायेगी तो हम सब अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे।

Shri Rabi Ray (Puri) : Sir, I rise on a point of order. At present a decision is to be taken on the adjournment motion moved by Shri Banerjee and Dr. Ram Subhag Singh. After that the Hon. Members can express their views. (**Interruptions**).

Shri Molahu prasad (Bansgaon) : Sir, to-day the incidents of the year 1942 are being repeated. I do not understand what kind of democracy is this wherein the peace loving people are being lathi charged. Section 144 is imposed only on those people who do not support Shrimati Indira Gandhi....(**Interruptions**).

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : महोदय ! यह अत्यन्त लज्जाजनक कार्यवाही थी। मैं समझता हूं कि यह किसी एक माननीय सदस्य की इज्जत का प्रश्न नहीं है वरन् सारे सदन की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिये। मेरा निवेदन है कि स्वयं गृह-कार्य मंत्री इस मामले की जांच करें।

डा० राम सुभग सिंह : महोदय ! सभा के समक्ष स्थगन प्रस्ताव है। इसका निर्णय किया जाना है। इस सम्बन्ध में आप का क्या निर्णय है ?

श्री समर गुह : महोदय ! आपका कर्तव्य है कि आप सभा के सदस्यों की प्रतिष्ठा, उनके सम्मान और अधिकारों की रक्षा करें। क्या आप नहीं मानते कि आप इसके लिये नैतिक रूप से बाध्य हैं ? (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक किसी समस्या का पूरा ज्ञान नहीं हो जाता, आप मुझे किसी प्रकार का निर्णय करने के लिये बाध्य नहीं कर सकते। डा० राम सुभग सिंह के विशेषाधिकार के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिये मैं सहमत हो गया हूं। नियम 56 के अन्तर्गत एक स्थगन प्रस्ताव भी लाया गया है (**व्यवधान**) मैं इस प्रकार किसी के प्रभाव में नहीं आऊंगा।

श्री समर गुह: यदि आपको एक माननीय सदस्य का रक्त भी प्रभावित नहीं कर सकता तो आपको कोई भी बात प्रभावित नहीं कर सकती। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : जितना आपको दुःख है, उतना मुझे भी है किन्तु समस्या यह है कि मुझे सभा द्वारा बनाये गये इन नियमों के अन्तर्गत ही चलना है। यहां केवल नियम 56 ही लागू होता है नियम 340 लागू नहीं होता। नियम 56 में स्पष्ट व्यवस्था है कि इस प्रकार के प्रस्ताव की सूचना सभा की बैठक प्रारम्भ होने से पहले दी जानी होती है।

श्री समर गुह : महोदय ! मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस नियम को निलम्बित कर दिया जाय।

डा० राम सुभग सिंह : महोदय ! आपको इस मामले में नियम की बात इस आवश्यकता से अधिक नहीं सोचनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : निर्णय करने से पहले मैं गृह-कार्य मंत्री की बात भी सुनना चाहता हूं।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : महोदय, मैंने इस प्रस्ताव की सूचना दी है कि नियम 57 को निलम्बित किया जाय। कृपया उस प्रस्ताव को मतदान के लिये रखिये। यदि वह स्वीकृत हो जाता है तो सारी समस्या का समाधान हो जायेगा। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम 57 को निलम्बित किया जाय तथा नियम 56 के अर्न्तगत डा० राम सुभग सिंह को प्रस्ताव रखने के लिये अनुमति दी जाये।

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : महोदय ! सभा में विपक्षीदल के नेता द्वारा इससे भी पूर्व एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव प्रस्तावित किया है (**व्यवधान**) अतः इस समय स्थगन का प्रश्न नहीं है (**व्यवधान**), जिन्होंने अत्याचार या भूलें की हैं, उन्हें दण्ड मिलना चाहिये। (**व्यवधान**)। एकमात्र विशेषाधिकार समिति ही ऐसी उचित समिति है, जिसको यह कार्य सौंपा जाये।

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : जब सभा के समक्ष एक नियम को निलम्बित करने का प्रस्ताव है तो मेरे विचार से सबसे पहले उसी पर विचार होना चाहिये (**व्यवधान**)

डा० सुशीला नैयर (झांसी) : स्थगन प्रस्ताव अन्य सभी प्रस्तावों से पहले लिया जाता है तथा दूसरे विशेषाधिकार का प्रस्ताव सभा में प्रस्तावित नहीं हुआ है। अतः श्री रा० ढो० भण्डारे का तर्क यहां लागू नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या गृह-मंत्री इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवंत राव चह्वाण) खड़े हुए ।

Shri Janeshwar Misra (Phulpur) : After such a bestial incident Mr. Chavan cannot be allowed to remain here. He will have to resign. When I was coming to the Parliament he got me dragged by the police. It cannot be tolerated any more. Will you kindly ask the Prime Minister whether she will make him resign ? (**Interruptions**)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि गृह-कार्य मंत्री महोदय कुछ नहीं कहना चाहते तो मैं प्रस्ताव को मतदान के लिये रखता हूं । (**व्यवधान**)

श्रीमती इन्दिरा गांधी खड़ी हुईं ।

श्री रंगा : इन्हें इस समय बोलने का कोई अधिकार नहीं है । (**व्यवधान**)

श्री सेझियान : महोदय ! मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 60 (2) के अनुसार आपको यह प्रस्ताव मतदान के लिये रखना ही होगा । महोदय ! मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 57 का डा० राम सुभग सिंह के स्थगन प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित किया जाये ।"

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं केवल इतना कहना चाहती थी कि हमें नियम 57 के निलम्बित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि हमें भी इस घटना पर समान रूप से दुःख है । (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 57 का डा० राम सुभग सिंह के स्थगन प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

डा० राम सुभग सिंह : में प्रस्ताव करता हूं :

"कि अब सभा स्थगित हो ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि अब सभा स्थगित हो ।"

डा० राम सुभग सिंह : यह सरकार लोगों के रक्त की प्यासी है तथा देश की जनता के हितों को विदेशों में बेच रही है । इसने निर्दयतापूर्वक देश के विभिन्न भागों से आये निर्दोष व्यक्तियों तथा महिलाओं को पिटवाया है तथा संसद सदस्यों को भी पिटवाया है । सर्वश्री जार्ज फरनेन्डीज, राज नारायण, मधु लिमये, मोलहू प्रसाद, यादव, एच० जे० पटेल तथा अन्य माननीय सदस्यों को भी पुलिस ने पीटा है । दिल्ली और देश के अन्य अनेक भागों में इस समय किसी प्रकार की शांति और व्यवस्था नहीं है । सरकार शान्ति और व्यवस्था बनाये रखना

जानती ही नहीं है। प्रधान मंत्री हिंसा को प्रोत्साहन दे रहीं हैं तथा हर प्रकार से ऐसे लोगों की संख्या कम करने पर तुली हैं जो उनका राजनीतिक रूप से विरोध करते हैं। आकाशवाणी और समाचार पत्र उनके अधिकार में हैं। मैं उन पर आरोप लगाता हूं कि उन्होंने 30 लाख रुपयों की लागत से यहां कुछ प्रेस स्थापित किये हैं। उनके पास इतना रुपया कहां से आया ? उन्होंने यहां भी श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा तथा अन्य माननीय सदस्यों को पुलिस और गुंडों से पिटवाया। आज भी उन्होंने शान्तिपूर्वक प्रदर्शन करने वालों पर बिना कारण पुलिस का आक्रमण कराया है। माननीय गृह-कार्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री महोदया यह प्रमाणित करें कि क्या किसी प्रदर्शनकारी ने किसी पर कोई पत्थर फैंका था अथवा किसी पुलिसवाले को कोई अभद्र शब्द कहा था। मैं उन पर आरोप लगाता हूं कि उन्होंने बिना किसी कारण प्रदर्शन कारियों को पिटवाया है। इतना ही नहीं अश्रु गैस छोड़ी गई तथा महिलाओं को घसीटा गया। उनकी साड़ियां फट गयीं। आप स्वयं देख रहे हैं कि लगभग दो दर्जन से अधिक व्यक्ति खून से लथपथ हैं। श्री नन्दा जी दो दिन पहले कह रहे थे कि मैं इस सरकार के कार्य से बहुत संतुष्ट हूं। क्यों न हो, उन्होंने भी कुछ पहले इस प्रकार का रक्तपात कराया था।

उक्त प्रदर्शन इस बजट के कारण किया गया था। कुछ वस्तुओं के मूल्यों में 30% वृद्धि हो गई है। साधारण व्यक्ति भी सभी आवश्यक वस्तुओं का प्रयोग करता है तथा इन सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है। निर्धनता से दुःखी जनता ने यह प्रदर्शन किया था। वे इस सम्बन्ध में अपना ज्ञापन देना चाहते थे। महोदय ! बड़े खेद की बात है कि उस दुःखी और निर्धन जनता को इस प्रकार पीटा गया। उन्हें मार्ग में रोक दिया जहां उन्हें कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं था और उन्हें बुरी तरह से पीटा गया। पुलिस की मार से गिरे हुये किसी बच्चे या महिला को उठाया तक नहीं गया। क्या वह सरकार की शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने की नियत थी ? सरकार ने बिना धारा 144 लगाये उन निर्दोष व्यक्तियों, महिलाओं और बच्चों को पीटा है, उन पर अश्रु गैस छोड़ी है, मैं इस सरकार पर आरोप लगाता हूं कि उसने अत्यन्त लज्जाजनक कार्य किया है जो भारत विरोधी, प्रजातांत्रिक प्रणाली विरोधी तथा समाजवाद विरोधी है।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : महोदय ! पहले मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमारी ऐसी कोई भावना नहीं थी कि आप को किसी कार्य के लिये बाध्य करें।

हम सभा के स्थगन पर बल क्यों दे रहे हैं। मैंने स्वयं तो घटना को नहीं देखा किन्तु यह अवश्य है कि इस प्रकार की घटनाएं देश के सभी भागों में घट रही हैं। इसी के परिणाम-स्वरूप अदालती जांच आदि की मांग भी की जाती है। वास्तव में इन घटनाओं का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि सरकार का पुलिस पर पूरा नियंत्रण नहीं है। पुलिस को कहां और किस प्रकार की कार्यवाही करनी चाहिये, सरकार यह बताने में असफल रही है। सरकार पुलिस को यह नहीं समझा सकी कि उसका कार्य शान्ति बनाये रखना है। वैसे सरकार इस प्रकार की हिंसात्मक कार्यवाही कराने में पूर्ण समर्थ है।

इस सभा को यह निर्णय करने का अवसर नहीं दिया जाता कि धारा 144 कहां लगानी

है। सरकार स्वयं अपनी इच्छा से धारा 144 लगा देती है। आज भी यही हुआ। हम भी प्रजातंत्र प्रणाली में विश्वास रखते हैं। अतः किसी प्रकार का आतंक उत्पन्न करना हम भी नहीं चाहते। इस प्रदर्शन के सम्बन्ध में अनुमति ले गयी थी, ऐसा मुझे पता चला है। उन्होंने अपनी बैठक की तथा उसमें एक ज्ञापन तैयार किया जिसे वे आप को और सरकार को देना चाहते थे। उनके प्रतिनिधि ज्ञापन देने की तैयारी कर रहे थे। हमने भी इस प्रकार का प्रदर्शन किया था किन्तु हमें इतनी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा था। यह प्रदर्शन किस राजनीतिक दल की ओर से किया गया था। इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता किन्तु यह अवश्य है कि यह दल भी प्रजातंत्र प्रणाली में पूर्ण विश्वास रखता है। अतः वे लोग यहां आना चाहते थे।

इतनी ही देर में पुलिस पागल हो उठी। इसका अवश्य कोई कारण होगा। यह तो नहीं कहा जा सकता, यह पागलपन आकाश से उतर आया था।

सरकार ने यह सोचा होगा कि पुलिस ने एक जलूस को शान्तिपूर्ण कैसे निकलने दिया और वह जलूस इतना सफल कैसे रहा? अतः पुलिस ने स्वभावतया यह सोचा होगा कि यदि एक जलूस को शान्तिपूर्ण ढंग से निकलने पर उसे परेशान किया जाता है तो वह अन्य किसी जलूस को शान्तिपूर्ण ढंग से नहीं निकलने देगी।

पुलिस ने वहां संसद् सदस्यों को भी बुरी तरह पीटा। पुलिस को यह बताने पर भी कि वह संसद् सदस्य हैं, पुलिस ने इस बात की कोई परवाह नहीं की। इस बात का प्रमाण हमारे सामने विद्यमान है। श्री मधु लिमये जब सभा में आये तो वे लंगड़ा रहे थे। उनको बुरी तरह पीटा गया था।

श्री मधु लिमये, श्री जार्ज फरनेन्डीज और श्री राज नारायण प्रसिद्ध संसद् सदस्य हैं और उनके फोटो समाचार-पत्रों में अक्सर प्रकाशित होते रहते हैं। इसके बावजूद भी पुलिस ने सामान्य व्यक्ति और संसद् सदस्य में कोई फर्क नहीं समझा। उन तीनों संसद् सदस्यों को बुरी तरह पीटा गया। पुलिस ने शायद यह सोचा होगा कि हमें इस बारे में उसे मंत्री महोदय और प्रधान मंत्री की मौन सम्मति प्राप्त है और वह सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रही है। इसी भावना से पुलिस ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और स्थिति पर गलत ढंग से काबू किया।

यह सरकार हृदयहीन, आत्माहीन और अयोग्य सरकार है। यह सरकार जितनी जल्दी समाप्त हो जाये, उतना ही अच्छा है। इस सरकार की जब पराजय होगी और इसके सदस्य विपक्ष में बैठेंगे तब ही सरकार को अपनी गलतियों का बोध होगा। हम स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये लड़े। हम इस तानाशाही सरकार से भी स्वतन्त्रता प्राप्त करेंगे।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : हमारे हृदय इस दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों के लिये चिन्ता से भरे हुए हैं। हमें इस गम्भीर विषय पर अपने विचार अवश्य प्रकट करने चाहिये।

आज जो कुछ हुआ है, वह पुलिस की मनमानी का परिणाम है। संसद् सदस्यों ने अपना परिचय दे दिया था और उन्होंने अपने परिचय-पत्र भी दिखा दिये थे। वे वहां शान्तिपूर्ण नागरिक की हैसियत से गये थे।

हमारे देश की कुछ अपनी परम्पराएं हैं। यदि सरकार का व्यवहार इस प्रकार का रहता है तो वह अपने को उत्तरदायी सरकार कैसे कह सकती है। धारा 144 किसी समस्या का हल नहीं है। कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये इसकी व्यवस्था की गई है। देश की हालत बहुत खराब है। करों में वृद्धि हो रही है। हमारी माताओं, बहनों और बच्चों को भर पेट भोजन नसीब नहीं हो रहा है। देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है।

देश में विद्यमान समस्याओं का समाधान करने की हमारे संविधान में व्यवस्था की जानी चाहिये। देश में जब करों में वृद्धि हो रही है, जनता में गरीबी है तो लोगों को शान्तिपूर्ण तरीके से एकत्रित होकर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

देश में हिंसा का वातावरण विद्यमान है। इससे हमारे लोकतन्त्र को धक्का लगता है। यदि संसद् सदस्यों को इस प्रकार परेशान किया जायेगा तो हमारे लोकतन्त्र का क्या बनेगा।

सरकार को उक्त घटना की न्यायिक जांच करने का आदेश तुरन्त देना चाहिये ताकि ऐसी घटनाओं के सब पहलुओं पर विचार किया जा सके।

लोगों को अपनी शिकायतें प्रकट करने के लिये संसद भवन जाने का अधिकार होना चाहिये।

दिल्ली में पुलिस आयुक्त की नियुक्ति की जानी चाहिये ताकि एक व्यक्ति पर जिम्मेदारी डाली जा सके अन्यथा किसी एक व्यक्ति पर जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती और दोषी व्यक्ति जिम्मेदारी से बरी हो जायेगा।

जनता की आवश्यकताओं की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। हम दिल्ली में पुलिस राज्य नहीं चाहते, देश में चाहे किसी भी दल की सरकार हो हम चाहते हैं कि जनता के लोकतन्त्रात्मक अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिये और उसे शान्तिपूर्ण ढंग से एकत्रित होकर अपनी कठिनाइयां प्रकट करने का अधिकार होना चाहिये। अश्रु गैस के प्रयोग से हिंसा भड़कती है और यह सिद्धान्त गलत है। जनता को संसद भवन जाने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

जितना सरकार का जनता में विश्वास होगा उतना ही जनता का सरकार में विश्वास रहेगा। यदि कुछ सत्तारूढ़ सदस्य संसद् को युद्ध का गढ़ बनाना चाहते हैं तो लोकतंत्र की रक्षा नहीं की जा सकती। हम ऐसा लोकतन्त्र चाहते हैं जिसका जनता की भावनाओं और आकांक्षाओं से सम्बन्ध हो।

वर्तमान स्थिति में सरकार को त्याग पत्र दे देना चाहिये। जनता के शान्तिपूर्ण एकत्रित होने और शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करने के अधिकारों को नहीं छीना जाना चाहिये। उक्त घटना की जांच की जानी चाहिये और दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया जाना चाहिये।

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए
Shri Vasudevan Nair in the Chair]

प्रधान मंत्री को संयुक्त जिम्मेवारी के आधार पर त्याग पत्र देना चाहिए। सरकार को इस घटना की न्यायिक जांच करनी चाहिए।

बजट के बारे में जनता में भारी असन्तोष है। लोगों को दिये गये बचनों का पालन नहीं किया गया है। इससे लोगों में भारी असन्तोष की भावना है।

लाला लाजपतराय ने साइमन आयोग के समय कहा था कि लाठी का प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ताबूद में एक और कील का काम करेगा। इसी प्रकार श्री मधु लिमये या किसी अन्य संसद् सदस्य या साधारण जनता पर किया गया प्रत्येक लाठी का प्रहार सत्तारूढ़ दल के ताबूत में एक और कील का काम करेगा। सरकार को इस घटना के बारे में कार्यवाही करनी चाहिये और इस सम्बन्ध में सचाई को सभा के सम्मुख लाना चाहिये। सभा को यह निश्चय करना चाहिये कि भविष्य में ऐसी घटनाएं कभी नहीं घटेंगी जिससे लोकतन्त्र पर कलंक लगे।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : I rise on a point of order. Although such an important issue is being discussed yet the Home Minister and his colleagues are not here.

सभापति महोदय : उनके विचारों से गृह-मंत्री को सूचित कर दिया जायेगा।

श्री बेदब्रत बरुआ (कलियाबोर) : संसद् सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा की जानी चाहिये। इस घटना के लिये दोषी व्यक्तियों को सजा दी जानी चाहिये। घटना के बारे में ध्यान-पूर्वक विचार किया जाना चाहिये और इस बारे में सम्बन्धित व्यक्तियों से पूछताछ की जानी चाहिये ताकि हम किसी परिणाम पर पहुंच सकें। प्रदर्शनकारी शान्तिपूर्ण थे। अतः यह बहुत दुख की बात है कि कानून और व्यवस्था की रक्षा करने वालों ने उन पर आक्रमण किया।

उक्त घटना से राजनीतिक लाभ नहीं उठाया जाना चाहिये। यदि ऐसा किया जाता है तो लोकतन्त्र को बहुत हानि होगी।

मुझे विश्वास है कि सरकार इस मामले पर शीघ्र गम्भीरता से विचार करेगी और घटना की शीघ्र न्यायिक जांच करने का आदेश देगी। यदि यह विशेषाधिकारों का मामला है तो इसे संसद् की विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिये। हम चाहते हैं कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

जैसे एक संसद् सदस्य को कुछ विशेषाधिकार मिले हुए हैं वैसे ही सामान्य नागरिक और मजिस्ट्रेट को भी कुछ विशेषाधिकार मिले हुये हैं। उसको भी कानून के अधीन रहते हुए कार्य करने का अधिकार है। इसलिये तब तक कोई भी दण्ड नहीं दिया जा सकता जब तक उचित और पूरी तरह मुकदमा न चलाया जाये, इसके साथ अपील करने का भी अधिकार हो। संसद सदस्य और सत्तारूढ़ दल में होने के नाते सदन के प्रति मेरी जिम्मेदारी है जिसको निभाना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं।

लोगों की इच्छा ही सर्वप्रधान होती है लेकिन प्रत्येक नागरिक के कुछ अधिकार हैं। इसी सन्दर्भ में इस मामले की जांच होनी चाहिये। यदि कानून का उल्लंघन होता है तो किसी पर दया करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कानून और व्यवस्था का तंत्र गम्भीर रूप से

बिगड़ा हुआ है। सदस्यों के विशेषाधिकार का प्रश्न विशेषाधिकार समिति द्वारा मैजिस्ट्रेट, सदस्यों और अन्य लोगों जिन पर गैर-कानूनी हमला हुआ है, इन सबकी गवाहियां लेकर ही समिति किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकती है कि क्या हुआ है। इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए और इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाना चाहिए।

लोकतंत्रीय पद्धति के संचालन का यह एक अंग है कि संसद् सदस्यों को बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कार्य करने दिया जाये।

स्थगन प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं क्योंकि जो प्रश्न उठाया गया है वह देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, सदस्यों के विशेषाधिकारों और अन्य बातों से सम्बन्धित है और जिसका विषयों से सम्बन्धित गम्भीर विश्लेषण न होकर अपितु एक प्रकार का भावात्मक, संवेगात्मक और स्थिति की प्रतिक्रिया वाला विश्लेषण होगा जो लोकतंत्रीय धारणा के प्रतिकूल होगा। इस समस्त घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता अपितु दोषी वह तंत्र है जो पिछले बीस वर्षों से स्थापित किया गया है। अतः माननीय सदस्यों को इस बारे में गम्भीरता से सोचना चाहिए।

प्रधान मन्त्री, वित्तमन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : हमें आज घटी घटना के सम्बन्ध में खेद है। किसी को भी पहुंचाई गई शारीरिक चोट हमारे लिए दुःख की बात होती है, विशेषकर जब कि किसी ऐसे व्यक्ति को पहुंचाई जाये जिन्हें हम जानते हों और वे हमारे सहयोगी हों।

जैसे ही मुझे समाचार मिला, मैं स्वयं घायल सहयोगियों को मिलने के लिये गई जो कि यहां मौजूद हैं। चूंकि मैं तुरन्त अस्पताल नहीं जा सकती थी मैंने किसी को वहां उन्हें देखने के लिए भेजा। मुझे सब तथ्य ज्ञात नहीं है कि वहां क्या घटित हुआ। अतः सब तथ्यों को जानने के लिए सबसे अच्छा ढंग यही है कि इसकी जांच कराई जाये और सरकार इस सम्बन्ध में न्यायिक जांच कराये जाने के लिये तैयार है।

डा० राम सुभग सिंह : आपने घायलों को स्वयं देखा है तो फिर इसके लिये किसी जांच की क्या आवश्यकता है ? आपको त्याग पत्र दे देना चाहिए क्योंकि आप सदस्यों को, स्त्रियों को तथा अन्य लोगों को सुरक्षण प्रदान करने में असमर्थ रही हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : डा० राम सुभग सिंह ने जो कुछ कहा है मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहती हूं। यदि मेरे सहयोगी गृह-मंत्री को माननीय सदस्यों ने बोलने दिया होता तो वह उसी समय न्यायिक जांच कराने के लिए तैयार हो जाते।

श्री सेझियान : एकत्रित हुए व्यक्तियों पर जो अत्याचार हुआ है उसकी मैं घोर निन्दा करता हूं। कुछ संसद सदस्यों पर भी अमानुषिक हमला हुआ है जो कि इस सदन के विशेषाधिकार के उल्लंघन का मामला है। यह एक ऐसा विषय है जो सारी सभा और देश से सम्बन्धित है। यह केवल श्री मधु लिमये नहीं हैं जिन्हें पीटा गया है अपितु वे सामान्य नागरिक

हैं जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी मार पीट की गई है । हमें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं और वे विशेषाधिकार वैयक्तिक गरिमा से सम्बन्धित न होकर, हमें अपने कार्यों को उचित ढंग से पूरा करने के लिये दिये गये हैं ।

संसोपा ने जनता की मांग दिवस के रूप में आयोजन किया और जलूस निकालने और पटेल चौक में सभा करने के लिये पुलिस से अनुमति ली । हमें अभी यह बताया जाना है कि वहां कोई अव्यवस्था थी । जैसा कि श्री पाटिल ने सभा को बताया है और उससे हमें यह पता लगता है कि वहां शान्तिपूर्ण लोगों की सभा हुई । किस बात ने पुलिस को क्रुद्ध किया और क्या स्थिति ऐसी मारपीट के लिए अनुकूल थी ? इस बात का पता नहीं चला । ब्रिटिश राज्य के समय में सत्तारूढ़ पक्ष के सदस्यों के साथ ऐसा ही अमानुषिक अत्याचार किया जाता था । अतः जब वह सत्ता में आ गये हैं तो वही अत्याचार अब इन्हें नहीं दोहराना चाहिये । प्रजातन्त्र में, यदि लोगों को अनुशासित ढंग से अपनी शिकायतों और दिक्कतों को प्रकट करने के लिये पर्याप्त अवसर न दिये जायें, तो लोग हिंसा का मार्ग अपनाने लगेंगे । वह एक बुरा दिन होगा जब लोकतंत्र, संसद और संसदीय कार्य-विधि को भुला दिया जायगा ।

दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति सदैव शोचनीय रही है । प्रत्येक दिन हम पढ़ते हैं कि बच्चों का अथवा कालिज में जा रही लड़कियों का अपहरण कर लिया जाता है । पुलिस की कार्यक्षमता यहां क्या है और वे अहहरण करने वालों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं । वे तो निरीह जनता पर लाठी बरसाने में अपनी शान समझते हैं । अतः प्रधान मन्त्री द्वारा न्यायिक जांच का कराया जाना ठीक प्रतीत होता है । इसके अतिरिक्त, जो कुछ घटित हुआ है, उसकी सारी पृष्ठभूमि पर भी विचार किया जाना चाहिये । न्यायिक जांच के अलावा, इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाना चाहिये क्योंकि संसद सदस्यों द्वारा सताया गया है और उन्हें अपने कर्त्तव्य को पूरा करने में बाधा डाली गई है । हमें सदन के सदस्यों के ही नहीं बल्कि समस्त देश के विशेषाधिकारों की रक्षा करनी चाहिये । जनता की कठिनाइयों पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये । यदि हम उनकी कठिनाइयों की ओर ध्यान नहीं देते हैं और उसका कोई हल नहीं निकालते हैं तब निश्चय ही मांगें निरन्तर बढ़ती जायेंगी और प्रति-दिन प्रदर्शन होंगे । यदि समस्या के कारणों को खोजे बिना लाठी का सहारा लिया जायगा तब जनता भी हिटलर तथा मसोलिनी के मार्गों का अनुसरण करेगी । परन्तु ऐसी स्थिति देश के लिये हानिकर होगी ।

इस मामले की केवल न्यायिक जांच कराना ही पर्याप्त नहीं होगा इसे सदन की विशेषा-धिकार समिति को भी सौंपा जाना चाहिये तथा न्यायिक जांच का प्रतिवेदन इस समिति को दिया जाना चाहिये । सरकार के पास इस सम्बन्ध में जो भी सूचना उपलब्ध है वह विशेषा-धिकार समिति को दी जानी चाहिये तथा इस समिति का निर्णय केवल सदन को ही नहीं वरन् सरकार तथा समस्त देश को मानना चाहिये ।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : It is good that the Prime Minister has announced a Judicial inquiry. A serving High Court Judge should hold this inquiry.

Some of the Parliament members have been beaten. This is a disgrace not only to any individual but to the House and the Country as a whole. I would like the case to be referred to Privileges Committee.

The beating of M.Ps. is a Cognizable offence and suitable action should be taken under law. Such malpractices, which are the order of the day, should be stopped forthwith. Any individual, whatever be his status, should not be allowed to act against the law. If somebody tries to usurp our privileges and impedes the execution of our duties, he must be punished under the provisions of I. P. C.

The matter deserves serious attention of the Government but I faild to understand as to what concern, has it got with adjournment motion. The feelings of the opposition are also shared by treasury benches and the Government has announced Judicial enquiry. Therefore, nobody should be allowed to make a political capital out of it. I oppose this adjournment motion and want my suggestions to be implemented.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : यह बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है और इसके फलस्वरूप जो कड़वाहट पैदा हुई है उसे दूर करने में बहुत समय लगेगा ।

यद्यपि प्रधान मंत्री ने आग पर तेल छिड़कने का कार्य किया है परन्तु हमें प्रसन्नता है कि उन्होंने न्यायिक जांच कराने के लिये कहा है । न्यायिक जांच का हम स्वागत करते हैं परन्तु मैंने तो यह सोचा था कि सरकार अपने दिये गये उत्तर से कुछ मिला ही कहेगी ।

इस प्रकार के लाठी चार्ज हमें पराधीनता के दिनों की याद दिलाते हैं जब हमारे नेताओं को बेरहमी से पीटा जाता था ।

श्री मधु लिमये को पीटा जाता देखकर ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि जैसे हम उन परिवेशों में कार्य कर रहे हैं जो एक स्वतन्त्र देश के प्रतिकूल हैं । मैं इसीलिये यह कहता हूं कि सरकार, जो घटना हुयी है उसके प्रति उदासीन है । समस्त सदन के क्रोध एवं घृणा को देखकर सरकारी पक्ष ने एक भद्दा सन्तुलन दिखाया । यह घटित होने वाली घटना के बिल्कुल विपरीत है । उपाध्यक्ष महोदय ने सरकारी पक्ष से जब बोलने के लिये कहा तो पहले तो ये लोग एक दूसरे की ओर देखते रहे कि कौन बोलना आरम्भ करे । लगभग 90 मिनिट पश्चात प्रधान मंत्री ने आरम्भ किया और कहा कि जो कुछ हुआ है, खेद पूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि जो कुछ श्री रणधीर सिंह तथा बेद ब्रत बरुआ ने कहा है सरकार का व्यवहार ऐसा नहीं रहा है ।

गृह कार्य मंत्री को आज इतना अवश्य कहना चाहिये था कि जब तक न्यायिक जांच होगी उससे पूर्व यदि कुछ बदमाशों को पहचाना गया तो अवश्य ही तुरन्त दंडित किया जायेगा । जैसा कि अन्य सदस्यों ने भी कहा है, आज की घटना से संबन्धित कुछ अधिकारियों के निलम्बन का आदेश दिया जाना चाहिये। जो कुछ हुआ है सरकार को उसके लिये सभा के समक्ष क्षमा-याचना करनी चाहिये, क्योंकि संसद के विशेषाधिकारों का बहुत भद्दे ढंग से उल्लंघन किया गया है । इस बात को सिद्ध करने के लिये कि विशेषाधिकारों का उल्लघंन हुआ अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं । इस समय की घटना को देखते हुये मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपना चाहिये चाहे इस सम्बन्ध में सरकार अन्य कोई प्रशासनिक कार्यवाही क्यों न करे ।

संसद के निकट वर्तीक्षेत्र में धारा 144 लागू करने का विचार सरकार को छोड़ देना चाहिये। जनता की अपने प्रतिनिधियों तक पहुंच होनी चाहिये। जनता की अपने प्रतिनिधियों तक पहुंच एक प्रकार से उसका मौलिक अधिकार है। अंग्रेजी राज्य के समय में भी इसके विपरीत कार्यवाही की अवहेलना की गयी थी।

शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये हम कुछ नियम बना सकते हैं, परन्तु हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि लोगों के अधिकारों पर तो कोई आंच नहीं आई है। संसद सदस्यों के अधिकारों पर ऐसा तो कोई आक्रमण नहीं किया जाता है जैसा कि दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों ने किया है।

****श्री ई० के० नायनार** (पालघाट) : सभापति महोदय, आज जो कांड संसद भवन के बाहर घटा वह बहुत ही गम्भीर है। मैं वहां 1 बजकर 45 मिनट पर गया था और श्री मधु लिमये को देखा था। उनके पैरों और पीठ पर चोट लगी थी। उनके अतिरिक्त सैकड़ों अन्य लोग वहां सड़क पर लेट रहे थे और उन सबको चोटें लगी थीं। इन लोगों पर पुलिस ने लाठी प्रहार किया था और उन पर अश्रु गैस के गोले छोड़े थे। संयुक्त समाजवादी दल के कुछ लोग और शेष उनके हितैषी और समर्थक लोग जो प्रदर्शन में सम्मलित थे, शान्तिपूर्ण ढंग से संसद भवन जाकर एक ज्ञापन माननीय अध्यक्ष महोदय को देना चाहते थे। उन शान्त प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने नृशंस रूप से लाठी-प्रहार किया। कई लोग खून से लथपथ हो रहे थे। ज्ञापन में संसोपा की ओर से यह शिकायत की गई थी कि नये बजट के कारण सभी अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो रही। अत: मूल्य-वृद्धि पर रोक लगायी जानी चाहिये। इन शान्त प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा किये गये अत्याचार को किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं बताया जा सकता। उसकी सबको भर्त्सना करनी चाहिये।

इस मामले में पुलिस ने संसद सदस्यों के अधिकारों का हनन किया है। भारत की राजधानी दिल्ली में भी ऐसी विधि-व्यवस्था है। न केवल इस बार बल्कि पुलिस ने पहले कई बार भी ऐसा अत्याचार किया है। जहां तक इस प्रदर्शन का सम्बन्ध है, दल की ओर से शान्ति-पूर्ण प्रदर्शन की घोषणा पहले ही कर दी गई थी। अत: अधिकारियों को स्थिति से ठीक ढंग से निपटने के लिये पहले से ही प्रबन्ध कर लेना चाहिये था। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा किये गये अत्याचारों को सरकार प्राय: यह कहती है कि प्रदर्शनकारी हिंसा करने पर उतारू हो गये थे। इससे ऐसा अनुमान होता है कि सरकार जानबूझ कर ऐसा कराती है।

धारा 144 के बारे में भी मैं एक-दो बातें कहना चाहता हूं चाहे संसद का सत्र चल रहा हो अथवा सत्रावसान हो धारा, 144 यहां लगी रहती है। यदि लोग अपने निर्वाचित प्रति-निधियों से मिलना चाहते हैं तो उन्हें पहले धारा 144 को पार करना होगा। तो यह किस प्रकार का लोकतंत्र है जहां पर लोग अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से भी न मिल पायें ?

**मलयालम में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

**Summarised translated version based on English translation of speech delivered in Malayalam.

क्या यह समाजवाद है ? क्या लोगों को अपने प्रतिनिधियों से मिलने का भी अधिकार नहीं है ? क्या वे शान्तिपूर्वक जलूस भी नहीं निकाल सकते । अतः मेरा अनुरोध है कि श्री चह्वाण धारा 140 को समाप्त कर दें ।

यह तो ठीक है कि प्रधान मंत्री ने उक्त मामले में न्यायिक जांच का आदेश दिया है । इसके अतिरिक्त इस मामले की जांच के लिये संसद सदस्यों की एक समिति बनाई जानी चाहिये, जो यह देखेगी कि क्या पुलिस ने ऐसा जानबूझकर किया था । मैं चाहता हूं कि उक्त नृशंस कांड के लिए जिम्मेदार सभी अधिकारियों को दंडित किया जाये ।

Shri S. M. Joshi (Poona) : Sir, what happened to day is a matter of anger, sorrow and shame. Unfortunately I was not there when the Police resorted to lathi-charge. As a matter of fact, our party had already decided not to violate section 144. As regards the procession, the permission was already obtained for taking out the procession and holding the demonstration. After the processionists sat down calmly in the Patel Chowk, there was some disturbance at a place. Some of our party workers were having discussions with the police officials. Shri George Fernandes went there to calm all concerned. But the police attacked Shri Fernandes with lathis and he fell down. There were about 11 injuries on the body of Shri Fernandes. There was a 2 to 3 inch deep wound also and it was profusely bleeding. When the S. S. P. workers wanted to take the body towards the stage, they were beaten by the police. Shri George Fernandes, alongwith other workers, was taken to Parliament Street Police Station. There it was told to police that there was a Member of Parliament among these people. But the police paid no heed to those injured. Medical relief was not given to Shri Fernandes whose body was bleeding. The police acted so carelessly that Shri Fernandes was sent to the Hospital about 45 minutes after the incident. Not only Shri Fernandes, but Sarvashri Ramanand Tiwary, Bhadoria, Bagri, Ram Bilas Mishra and many others also sustained injuries. Shri Patnaik suffered fracture.

It is very difficult for me to comprehend what mode the police act in this barbarous manner. In total 250 people were injured, 16 of them seriously. There are some oldmen and women too among those injured. So I request that the judicial inquiry should be conducted by a sitting judge of a High Court or Supreme Court. Those who are responsible for these happenings should be suspended. With these words I support the adjournment motion.

श्री जे० एच० पटेल (शिमोगा) : मुझे अभी-अभी सूचना मिली है कि विलिंगडन अस्पताल में दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। पुलिस अधिकारी तथ्यों को छिपाना चाहते हैं । मैं गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि मामले की तत्काल जांच करायें ।

श्री हेम बरुआ : सदन की बैठक को स्थगित किया जाय और प्रत्येक संसद सदस्य अस्पताल में जाकर अपने मित्रों को देखें ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : संसद भवन के एक कमरे में कुछ घायल व्यक्ति हैं । उनमें सर्वश्री मधु लिमये, राजनारायण और कर्पूरी ठाकुर भी हैं । मैंने उन्हें देखा है । अन्य घायलों को मैं अस्पताल में देखना चाहता हूं ।

Shri Rabi Ray : It has been reported that two party workers from Kanpur have died. He should have informed about them also.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : सही स्थिति का पता लगाने के लिये मैंने कुछ अधिकारी अभी भेजे हैं। सूचना प्राप्त होते ही मैं सदन को अवश्य ही सूचित करूंगा।

श्री जी० भा० कृपालानी : किसी को शीघ्र ही जांच करने के लिये भेजा जाय।

सभापति महोदय : उन्होंने मामले में शीघ्र ही कार्यवाही करने का वचन दिया है।

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : ऐसा कौनसा व्यक्ति है, जो हमले के परिणाम-स्वरूप दो व्यक्तियों के मरने की खबर सुनकर शोकाकुल नहीं हो उठेगा। पुलिस-अत्याचारों की घोर निन्दा की जानी चाहिये। यह अत्यन्त दुःख की बात है कि देश की सर्वोच्च संस्था—संसद के समक्ष शिकायत करने के लिये आये हुए व्यक्तियों को पुलिस ने निर्दयतापूर्वक पीटा। माननीय सदस्यों को संसद भवन आने से रोका गया और उन्हें पीटा गया। अतः डा० राम सुभग सिंह जी और प्रो० मुकर्जी का यह प्रस्ताव न्यायोचित ही है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाये। प्रधान मंत्री के इस सुझाव से मैं पूर्णतया सहमत हूं कि इस मामले की न्यायिक जांच कराई जाये। जांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कराई जाय और सम्बद्ध अधिकारियों को तत्काल निलम्बित किया जाये।

श्री रणधीर सिंह और श्री मुकर्जी ने सुझाव दिया है कि न्यायिक जांच करने के साथ-साथ मामले को विशेषाधकार समिति को भी सौंपा जाय परन्तु संविधान के अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को दो-दो बार दण्ड नहीं दिया जा सकता। मैं फिर भी मामले को न्यायिक जांच के साथ-साथ विशेषाधिकार समिति को सौंपने का समर्थन करता हूं ? परन्तु स्थगन प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया जा सकता।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : महोदय, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट पुलिस अत्यधिक बर्बर है, और उनके विरुद्ध कोई कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये। यह सब पहली बार नहीं हुआ है। 7 नवम्बर 1966 को भी उसने इसी प्रकार का बर्बर व्यवहार किया था और तब श्री नन्दा को मन्त्रिण्डल से त्यागपत्र देना पड़ा था। प्रधान मंत्री स्वयं अश्रुपूरित नेत्रों से अस्पताल से लौटी हैं।

दो संसद सदस्य—श्री पटेल और श्री मधु लिमये ने अपने परिचय-पत्र भी दिखाये मगर फिर भी इन्हें संसद भवन आने से रोका गया।

यदि जनता प्रधान मंत्री भवन पर प्रदर्शन करके अपना समर्थन प्रकट कर सकती है, तो वह प्रदर्शन करके उसे अपनी शिकायत प्रकट करने का भी लोकतान्त्रिक अधिकार है। परन्तु इन व्यक्तियों को पुलिस ने मारा पीटा। ब्रिटिश शासन काल में गांधी जी इस प्रकार के पुलिस अत्याचार को बर्बर हिंसा की संज्ञा देते थे। शान्त और निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने असभ्य और बर्बर हमला किया। ब्रिटिश राज्य में पुलिस को आंतक का प्रतीक माना जाता था और स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भी उसकी यही स्थिति है।

प्रधान मंत्री ने मामले की न्यायिक जांच करने का आश्वासन दिया है ; परन्तु जांच होने तक इस जघन्य घटना के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों को निलम्बित किया जाय ।

हमारी प्रधान मंत्री स्वयं महिला हैं और इस प्रदर्शन में न केवल पुरुष प्रदर्शनकारियों को, बल्कि महिलाओं और बच्चों को भी निर्ममता पूर्वक पीटा गया । अतः उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से घटना की जांच कराई जाय और अपराधी व्यक्तियों को दण्ड दिया जाय ।

श्री जी० भा० कृपालानी : इस हिंसक दुर्घटना का मूल कारण यह है कि सत्ताधारी व्यक्तियों ने सभी नियमों और कानूनों को ताक पर रख दिया है ।

प्रधान मंत्री के निवास स्थान पर रोजाना ही प्रदर्शन होते हैं । किराये की टैक्सियों में लोग आते हैं और प्रधान मंत्री का समर्थन करते हैं, भले ही मेरी या प्रधान मंत्री निवास के पास के अन्य पड़ोसियों की नींद खराब हो । इस पर कोई भी एतराज नहीं करता ; परन्तु आज एक शान्त प्रदर्शन को तितर-बितर कर दिया गया ।

कुछ समय पहले संसद भवन के बिल्कुल निकट—उसके दरवाजे पर प्रदर्शन किया गया और संसद सदस्या श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा को पीटा गया । 15 मिनट बाद उसी प्रदर्शन के समक्ष प्रधान मंत्री ने भाषण दिया ।

मैं पुलिस के माथे दोष नहीं मढ़ सकता । वास्तविक दोषी और अपराधी तो राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने जीवन के प्रत्येक पावन नियम का अवमूल्यन कर दिया है । सदस्यों को दल-बदल करने और उन्हें पथभ्रष्ट करने के लिये हजारों रुपये खर्च किये जाते हैं । पुलिस का प्रेरणा-स्रोत तो यह भ्रष्ट सरकार ही है, जिसके नियन्त्रण में रेडियो आदि साधन हैं, जो दिन-रात सरकार की प्रशंसा करते नहीं थकते । जब हममें से किसी की जोरदार पिटाई होती है, तभी हमारी आंखें खुलती हैं ।

जब केवल दण्ड संहिता ही होगी और कोई नियम या आचरण संहिता नहीं होगी, तो कोई भी व्यक्ति किसी की हत्या कर सकेगा । मुझे अफसोस है कि आजकल न्यायाधीशों की आलोचना की जाती है और उनके विरुद्ध महाभियोग की बात की जाती है । ऐसी बात प्रायः वे लोग करते हैं, जिनको उच्चतम न्यायालय ने इस सरकार के पंजों से छुड़ाकर मुक्त किया था ।

हमने कभी इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि भविष्य में कभी यहां आने पर पुलिस सदस्यों की पिटाई भी करेगी । कानून भंग करने पर तो हम पर लाठी बरसाई जाती थी, परन्तु केन्द्रीय विधान सभा में आते समय कभी ऐसा व्यवहार सदस्यों के साथ अंग्रेजों के शासन काल में नहीं किया गया । जनता को अपील करने और मंत्रियों को याचिका प्रस्तुत करने का मौलिक अधिकार है । मुझे अफसोस है कि इन मौलिक अधिकारों को भंग करने की कोशिश की जाती है । क्या हमने संविधान इसीलिये बनाया था कि देशवासी विदेशियों से भी अधिक बर्बर और निम्नस्तर का व्यवहार करें । मैं इस सरकार के विरुद्ध कानून तोड़ने का आरोप लगाता हूं और अगर उसमें जरा सी भी लज्जा बाकी है, तो श्री नन्दा की तरह इस सरकार को त्याग पत्र दे देना चाहिये ।

Shri G. Venkataswamy (Siddipet) : Mr. Chairman, I am very much shocked to know the news of the police lathi-charge. Several members had raised the question of firing in Hyderabad by the same police and Home Minister had also said that enquiry was being held, but no report has been received so far. When this is the treatment of police with M.Ps., what would be its treatment with general public, it can be well imagined.

Is this the method of maintaining law and order? Every member of Parliament should codemn the beating of Sarvashri Madhu Limaye and George Fernandes and as Shri Joshi has said judicial enquiry should be held in the matter either by a High Court or Sdpreme Court working Judge. The officers involved in this incident should be suspended. These people were demonstrating against the rising prices in the country.

For the last one and a half years, we have been experiencing the same bitter treatment by the C. R. P. sent by the Central Government to Andhra Pradesh. More than 300 persons have been shot dead and 50 thousand people have been arrested during the last six months.

Under democracy, we have freedom of speech and expression and a right to demonstrate. These fundamental rights can not be suppressed through police.

I condemn lathi charge and beating by police and request the Home Minister to institute a judicial inquiry into the incident.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Mr. Chairman. The Government had to agree to admit adjournment motion after much criticism and discussion for one and half hours.

I condemn the brutal lathi charge made by police on Sarvashri George Fernandes, Madhu Limaye and Raj Narain. What would be the feelings of the family-members of those two persons who have died in this demonstration as a result of police atrocities. If this system of taking political revenge is continued and people are beaten mercilessly, it may happen tomorrow with ruling party as well.

We have to frame a code of conduct for politicians also. We will have to consider some means to check the tendency of supressing political opponents.

Secondly, I would like to suggest that a code of conduct should be framed for Police also. It is absolutely necessary to have a code of conduct for Delhi Police, because it has acted like the police under British rule.

Section 144 was first imposed, when there was a demonstration for ban on cow-slaughter and it was argued in support of this imposition of 144, that there was a danger to the security of All India Radio and Yojna Bhavan. If Government have really such fear, it could have prescribed another route near chelmsford club for holding demonstrations, but it is not proper on its part to suppress fundamental rights guaranteed under constitution. Government should immediately lift the ban on demonstration near Parliament House.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री के० नारायण राव (बोब्बिली) : जो कुछ आज हुआ, विशेषकर जब हमारे कुछ सहयोगियों को घायल किया गया है, उसके लिए हम सबको बहुत ही दुख है। लेकिन हमें

क्रोध और भावावेश में नहीं, बल्कि ठीक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। हमें यह अनुभव करना चाहिए कि जब हमारे राजनीतिक जीवन में अधिक से अधिक आन्दोलनपूर्ण कार्यवाहियां होंगी, तो पुलिस पर अधिक निर्भरता बहुत ही आवश्यक है।

जहां तक भाषण की स्वतन्त्रता और शान्तिपूर्ण एकत्र होने के मूल अधिकार का सम्बन्ध है, उच्चतम न्यायालय ने इस अधिकार की व्याख्या के अन्तर्गत प्रदर्शन करने के अधिकार को माना है। लेकिन उसने एक शान्तिपूर्ण और हिंसात्मक प्रदर्शन में विभेद करने का प्रयत्न किया है। साधारणतः जो कुछ होता है, वह यह है कि शान्तिपूर्ण ढंग से यह आरम्भ होता है, लेकिन जनसमूह के मनोविज्ञान के कारण किसी प्रकार यह हिंसा में फूट पड़ता है। अतः यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सामान्य नागरिक की हिंसात्मक कार्यवाहियों से रक्षा की जाय।

मैं संसद सदस्यों के अधिकारों से पूर्णतया अवगत हूं। संसद भवन से बाहर संसद सदस्य और सामान्य नागरिक के समान अधिकार हैं। प्रत्येक सदस्य को संसद में आने का तो अधिकार है, परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि वह प्रदर्शनकारियों को भी संसद भवन के अन्दर ले आये। मुझे आशा है कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

श्री बाकर अली मिर्जा (सिकंदराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, जब किसी संसद सदस्य को गिरफ्तार किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना अध्यक्ष को देनी होती है। आज की घटना लगभग 1 बजे हुई थी, परन्तु अभी तक गृह मन्त्री ने यह नहीं कहा कि यह एक गम्भीर मामला है और हम इस पर चर्चा करने को तैयार हैं।

प्रत्यक्षदर्शी व्यक्तियों ने घटना का पूरा विवरण प्रस्तुत किया है। फिर भी उन्होंने एक तथ्य को छोड़ दिया। पुलिस ने गाड़ियों में बैठकर लोगों का पीछा किया और उन पर लाठियों से प्रहार किया। पुलिस का यह तर्क प्रस्तुत करना भी थोथा है कि वह श्री जार्ज फरनेन्डीज और श्री मधु लिमये को नहीं जानती थी। मेरा विश्वास है कि जान बूझकर आतंक का राज्य स्थापित करने का प्रयास किया गया।

यह घटना संसद भवन के समीप घटित हुई है, अतः इसका महत्व हो गया है। इसके विपरीत जब ऐसी घटनायें राज्यों में होती हैं, तो कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती। तेलंगाना आन्दोलन के सिलसिले में 300 व्यक्तियों की गोली चलने से मृत्यु हुई, परन्तु उन मामलों की न्यायिक जांच क्यों नहीं कराई जाती?

यदि भाषण करने और विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का हनन होता है, तो प्रजातन्त्र अर्थहीन हो जाता है। हम चाहते हैं कि अपने भावों की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता और अपनी शिकायतें और याचिकाओं को प्रस्तुत करने के लिये संसद भवन तक आने की स्वतन्त्रता लोगों को होनी चाहिए। संसद भवन के पास धारा 144 क्यों लागू होनी चाहिए, अधिक से अधिक प्रदर्शन हेतु एक विशेष मार्ग नियत किया जा सकता है।

आज की घटनाओं की न्यायिक जांच होनी चाहिए। सरकार को यह आश्वासन भी देना चाहिए कि जब भी गोली चलाई जायेगी, तो सदैव ही आम मामले की न्यायिक जांच का आदेश दिया जाया करेगा।

डा० सुशीला नैयर (झांसी) : उपाध्यक्ष महोदय! आज 6 अप्रैल है तथा आज से राष्ट्रीय सप्ताह का आरम्भ हो रहा है। लगभग 50 वर्ष पहले भी राष्ट्रीय सप्ताह मनाने के लिये भारतवासी जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुये थे। उन्होंने जब स्वतंत्रता की मांग की थी तो उन पर गोलियां चलाई गईं थीं। अब भी भारत की जनता भूख से मुक्ति पाने के लिये संसद् के समक्ष एकत्रित होती किन्तु उन पर पुलिस के डंडे पड़ते हैं तथा अश्रु गैस छोड़ी जाती है।

प्रधान मंत्री ने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा था कि इन करों से जीवन निर्वाह व्यय में कोई वृद्धि नहीं होगी। किन्तु क्या उन्हें तथा उनके सहयोगियों को पता है कि साधारण लोगों को आज जीवन निर्वाह करना कितना कठिन हो रहा है? खेद है, जब जनता अपनी मांगें रखती है तो उन पर लाठी चलाई जाती है। फिर भी जनता प्रजातंत्र प्रणाली में विश्वास जमाये है।

पुलिस अधिकारी हमारा उपहास करते हैं जब हम उन्हें बताते हैं कि हम संसद्-सदस्य हैं। क्योंकि उन्हें विश्वास है कि सरकार उनकी पीठ पर है। श्री निजलिंगप्पा के साथ की गई हाथापाई में सरकार का ही हाथ था। श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा के मुंह पर तमाचा मारे जाने की घटना को भूला नहीं जा सकता। किन्तु खेद है, प्रधान मंत्री ने इन घटनाओं पर कोई खेद व्यक्त नहीं किया।

अब सरकार ने अदालती जांच का प्रस्ताव रखा है क्योंकि उसे ज्ञात हो गया है कि पूरे सदन में इस विषय पर कितना क्षोभ है। सदन के क्षोभ का तात्पर्य है, पूरे राष्ट्र का क्षोभ। यदि सरकार अदालती जांच कराती है तो यह कार्य सराहनीय है।

पुलिस ने गम्भीर रूप से ज्यादती की है किन्तु इसका उत्तरदायित्व सरकार पर है। सरकार ने जानबूझ कर देश में अव्यवस्था उत्पन्न की है किन्तु ऐसी स्थिति में भी दयनीय व्यक्तियों और बच्चों पर नृशंसता करने से पूर्व सरकार को बहुत बार सोचना चाहिये था।

अत्यन्त दुःख की बात है कि सरकार भिन्न दलों के व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले प्रदर्शनों पर भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाने में जरा भी नहीं सकुचाती। कुछ दिन पहले श्री शशि भूषण ने जब एक प्रदर्शन का नेतृत्व किया तो कोई अप्रिय घटना नहीं घटी किन्तु जब एस० एस० पी० ने प्रदर्शन किया तो उनके साथ इतना अत्याचार किया गया कि उनके रक्त से लथपथ वस्त्र आपके सामने हैं।

मेरी मांग है कि अश्रु गैस के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये। अश्रु-गैस एक

रासायनिक गैस है तथा इसका ऐसे अवसरों पर उपयोग करना जंगलीपन का प्रतीक है। भारत में इस पर अवश्य ही प्रतिबन्ध लगना चाहिये।

संसद् स्वतंत्र भारतवर्ष का उच्चतम संस्थान है किन्तु इसकी छाया में ही शान्तिप्रिय जनता पर अत्याचार किये जाते हैं, यह अत्यंत खेद की बात है। श्री कृपलानी जी ने ठीक ही कहा है कि स्वयं प्रधान मंत्री प्रदर्शनों को प्रोत्साहन दे रही हैं। नित्य उनके निवास स्थान पर प्रदर्शन किये जाते हैं। किन्तु क्या वही प्रदर्शन न्यायसंगत हैं, जो सरकार के समर्थकों द्वारा किये जाते हैं? विरोध में किये जाने वाले प्रदर्शनों से सरकार इतना क्यों चिढ़ती है कि उन पर लाठी और गोलियां बरसाई जाती हैं।

हम सभी ने स्वतंत्रता के लिये संघर्ष किया है। अतः हम सभी को अपनी समस्याएं व्यक्त करने का अधिकार है। हम सभी के मौलिक अधिकार हैं। कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है। किन्तु खेद है सरकार कुछ व्यक्तियों के साथ एक प्रकार का रवैया अपनाती है तथा अन्य व्यक्तियों के साथ दूसरी प्रकार का।

समय-समय पर सरकारें बदल सकती हैं किन्तु जो स्तर या जो रवैया वर्तमान सरकार अपना रही है, आने वाली सरकारें भी उनके पदचिह्नों पर चल सकती हैं। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार अच्छी मान्यताएं निर्धारित करे तथा सभी व्यक्तियों के हितों की रक्षा करे।

मेरा यह भी निवेदन है कि केवल अदालती जांच से समस्या का कोई हल नहीं मिल सकता। सरकार स्वयं अपने दिल पर हाथ रख कर देखे और महसूस करे कि उसने क्या रवैया अपना रखा है।

शक्ति का उपयोग जनता के जीवन में सुविधाएं भरने के लिये होना चाहिये। किन्तु सरकार जनता को कोई सुविधा प्रदान करने में असमर्थ है। उत्तम यही होगा कि सरकार स्वयं सत्ता छोड़ दे। भारत के विभिन्न भागों में जो कुछ हो रहा है, उससे हम अनभिज्ञ नहीं हैं। जब केन्द्र सरकार स्वयं जनता और संसद्-सदस्यों के रक्त से हाथ धो रही है तो उसे पश्चिम बंगाल में हो रहे अत्याचारों के बारे में किसी प्रकार का निर्णय देने का क्या अधिकार है? सरकार को सत्ता छोड़ ही देनी चाहिये। किन्तु मैं जानती हूं कि वह ऐसा नहीं करेगी। श्री नन्दा जी को 1966 में पद त्यागने को सरकार कह सकती है किन्तु स्वयं वह सत्ता मुक्त नहीं हो सकती। मेरा निवेदन है कि इन सभी बातों के लिये स्वयं मंत्रि मण्डल, प्रधान मंत्री ही उत्तरदायी हैं।

मैं यह भी कहना चाहती हूं कि प्रधान मंत्री जान-बूझकर अथवा अनजाने में संविधान को समाप्त करने का प्रयत्न कर रही हैं। देश में उन्होंने ऐसा वातावरण उत्पन्न किया है जिससे संविधान तथा प्रजातंत्र प्रणाली को आघात लगता है। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार को अपना यह रवैया बदलना पड़ेगा।

श्री एम० मुहम्मद इसमाइल (मंजरी) : आज प्रातःकाल जो घटना घटी है, उसकी व्याख्या करने की मैं आवश्यकता नहीं समझता, क्योंकि इस विषय में बहुत कुछ पुलिस की ज्यादती के बारे

में कहा जा चुका है। इस घटना पर मैंने यह निश्चित किया था कि संसद में सभी परिस्थितियों पर तुरंत विचार-विमर्श किया जाना चाहिये।

इस प्रकार की घटनाएं तथा इससे भी कारुणिक घटनाएं देश के विभिन्न भागों में घटी हैं। अल्प संख्यकों के व्यक्तियों का संहार किया गया है, महिलाओं तथा शिशुओं पर पशुतापूर्ण अत्याचार किये गये हैं तथापि उन अवसरों पर सदन में इतना क्षोभ नहीं देखा गया जितना आज देखा जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधान मंत्री महोदया ने अदालती जांच कराने का वायदा किया है। आशा है सरकार ऊंचे स्तर की जांच करायेगी तथा संसद-सदस्यों और जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करेगी।

श्री समर गुह (कंटाई) : मैं यही सोच रहा था कि आखिर पुलिस को हो क्या गया है जो उसने इतनी निर्दयतापूर्वक शान्ति से प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों पर गोली बरसाई है। जहां तक मैं समझता हूं, यह केवल पुलिस की ही ज्यादती नहीं है वरन् इसके पीछे स्वयं कांग्रेस में पड़ने वाली फूट का हाथ है। कांग्रेस के दोनों दल एक दूसरे को नीचा दिखाने पर तुले हुये हैं। इस घटना से सम्पूर्ण देश के जीवन पर आघात हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या प्रदर्शनकारी पूंजीपतियों के दलाल थे अथवा क्या वे माओ के भगत थे। क्या चक्र और हल का प्रतीक पूंजीवाद या माओवाद का प्रतीक है? नहीं, यह समाजवाद का प्रतीक है तथा यह भारतीय किसानों और मजदूरों की कामनाओं का परिचायक है।

सम्पूर्ण देश से लोग प्रदर्शन में भाग लेने आये थे तथा समाजवादी नारे लगा रहे थे। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि ये लोग प्रधान मंत्री द्वारा समाजवाद लाये जाने के संकल्प का पुनः आश्वासन पाने के लिये आये थे। किन्तु खेद है, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। श्री शशि भूषण ने एक प्रदर्शन का नेतृत्व किया था तथा प्रधान मंत्री ने उनका हृदय से स्वागत किया था। किन्तु यह प्रदर्शन भी समाजवाद के पक्ष में किया गया था और प्रधान मंत्री को इनकी भी बात अवश्य सुननी चाहिये थी।

केवल इतना ही नहीं पांच माननीय संसद सदस्यों को पुलिस ने संसद् भवन में नहीं आने दिया। उन्होंने अपने पहचान पत्र भी दिखाये किन्तु पुलिस ने उनकी कोई चिंता नहीं की। उन्हें इतना पीटा गया कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। क्या यही समाजवाद है? क्या इसी प्रकार सरकार समाजवाद लाना चाहती है? मैं सत्तारूढ़ कांग्रेस के सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या उनके मस्तिष्क में समाजवाद का यही चित्र है कि संसद-सदस्यों के रक्त से हाथ रंग कर, उन पर गोली और अश्रु गैस छोड़कर सही समाजवाद आयेगा? मैं उन्हें सचेत कर देना चाहता हूं कि यह खून केवल कुछ माननीय सदस्यों का नहीं है, यह अपमान केवल कुछ व्यक्तियों का अपमान नहीं है वरन् समस्त देश का है, स्वयं संविधान का है। जनता की आवाज का लाठी और अश्रु-गैस के बल से दमन नहीं किया जा सकता। आज संसद्-सदस्यों की प्रतिष्ठा, उनके अधिकार और उनका जीवन दांव पर लगा है। आज देश का संविधान दांव पर लगा है।

इसीलिये मेरी मांग है कि इस घटना की अदालती जांच होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि

यह कार्य केवल पुलिस का नहीं है। इस अत्याचार में कुछ षड़यंत्रकारियों का अवश्य हाथ है। मैं यह मांग करता हूं कि केवल अदालती जांच से काम नहीं चलेगा। इस पूरी घटना की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा होनी चाहिये कि वास्तव में किसने षड़यंत्र रचकर इस समाजवादी आंदोलन का दमन कराया है।

अन्त में मेरा निवेदन है कि इस घटना से देश की प्रजातन्त्र प्रणाली को खतरा पैदा हुआ है तथा हमारे संविधान की प्रतिष्ठा को चुनौती दी गई है।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : Sir, I rise to express my feeling that the dignity of a common agriculturist and a labourer is not less than that of a Member of Parliament.

At the time of the incident occurred at Indraprastha Estate on 19th September, 1968 when Arjun Singh was killed due to the police atrocities, I had felt that a day would certainly come when the dead bodies of certain people would be seen in the Parliament street also. The poor fellow was hurled on the ground from the fourth storey of the building by the Police and yet no judicial inquiry was held into the matter.

I am sorry to say that the Government is encouraging the police officers to perpetrate atrocities. When people and there representatives come to submit their representations they are treated with lathi charge and tear gas shells. I would like to bring to the notice of Shri Piloo Mody that since we are the real representatives of the workers and labourers we are supposed to ventilate their grievances even at the risk of our lives.

With the judicial inquiry and the suspension of the police officials, the Home Minister should also resign immediately. He is responsible for these barbarous activities of the police officers, and therefore, it would be much better if he himself resigns his office.

If it is not done, I warn the Government that a day will certainly come when the policy of tit for tat will be adopted by the people of the country.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : माननीय सदस्यों ने यहां जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं उनका पूरी तरह अनुभव कर रहा हूं। जिन माननीय सदस्यों को चोटें लगी हैं, वे केवल हमारे सहयोगी ही नहीं वरन् जनता के प्रसिद्ध नेता भी हैं। श्री फरनेंडीज के सर में चोटें लगी है तथा उनका अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अन्य माननीय सदस्यों को भी चोटें लगी हैं। मुझे इस घटना पर अत्यन्त दुःख है।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह भावना व्यक्त की है कि इस घटना के पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य था। वास्तव में पिछले तीन वर्षों से सत्रकाल में कुछ सड़कों पर धारा 144 लगाई जाती रही है जिससे कि संसद् के कार्य में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित न हो। मैं समझता हूं, कुछ माननीय सदस्य इस प्रकिया का समर्थन नहीं करते। फिर भी कुछ राजनीतिक दलों ने इस सम्बन्ध में हमें सहयोग दिया है। कल भी एक प्रदर्शन किया गया था और भाग्य से कल कोई अप्रिय घटना नहीं घटी।

श्री फरनेन्डीज ने कुछ दिन पहले मुझे एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया

था कि धारा 144 हटा ली जाये तथा उन्हें संसद्-भवन पर प्रदर्शन करने दिया जाये। मैंने उनसे उत्तर में निवेदन किया था कि वह इसके लिये हमें विवश न करें। मैंने उन्हें पत्र में धारा 144 लगाने के उद्देश्य भी लिखे थे। मैंने उन्हें यह भी सुझाव दिया था कि यदि उन्हें अध्यक्ष महोदय या प्रधान मंत्री महोदया को ज्ञापन अवश्य ही देना है तो वह चार या पांच व्यक्तियों को लेकर आ सकते हैं। मैंने उप-आयुक्त से भी व्यक्तिगत-रूप से बात चीत की थी तथा उन्हें बताया था कि वह श्री फरनेन्डीज से इस बारे में बातचीत कर लें।

गत रात को श्री फरनेन्डीज ने मुझे टेलीफोन पर बताया कि उन्होंने प्रदर्शन करने का निर्णय कर लिया है तथा वह पटेल चौक पर बैठक करना चाहते हैं। यह स्थान भी धारा 144 के अन्तर्गत आता है। मैंने उनसे बहुत अनुरोध किया कि वह प्रदर्शन करने के लिए हठ न करें किन्तु वह नहीं माने। उन्होंने यह भी कहा कि उनका प्रदर्शन शान्तिपूर्ण होगा। मैंने उनसे यह भी कहा था कि यदि हम एक राजनीतिक दल को प्रदर्शन करने की अनुमति देते हैं तो अन्य दल भी इसकी मांग करेंगे। **(व्यवधान)** श्री शशि भूषण से भी मैंने यही कहा था कि वह केवल सड़क पार कर सकते हैं और हम इसे अनदेखा कर देंगे।

मैंने उनसे कहा था कि वह उपायुक्त से सम्पर्क बनाये रखें। उपायुक्त श्री जार्ज फरनेन्डीज से परेड ग्राउन्ड में मिले थे और उनसे चौक में बैठक न करने का अनुरोध किया लेकिन श्री फरनेन्डीज ने अपनी बात पर जोर दिया।

श्री जी० भा० कृपालानी : वह बैठक कहां हुई थी जिसमें श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा को पीटा गया था।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं इस बारे में पहले ही बता चुका हूं। ऐसा कुछ गैर-जिम्मेदार व्यक्तियों के कारण हुआ।

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह (जूनागढ़) : आपका विभिन्न दलों के लिये स्तर भिन्न-भिन्न है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : ऐसा कदापि नहीं है।

श्री म० ला० सोंधी : दूध के मूल्य बढ़ाये जाने के विरुद्ध प्रदर्शन करने के कारण मेरे ऊपर मुकदमा चलाया गया और मुझसे प्रतिदिन तीस हजारी न्यायालय में उपस्थित रहने को कहा गया। क्या इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य नहीं था ?

श्री जी० भा० कृपालानी : श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा को संसद भवन के बाहर लोहे के दरवाजे के बाहर की गई एक बैठक में पीटा गया था। उस समय धारा 144 कहां गई थी ? आप इस प्रकार हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Shrimati Tarkeshwari Sinha was slapped just out side the iron gate. 144 was in force there. The Prime Minister came there after a short while and she gave a speech. This is double standard.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस प्रकार के आरोप लगाना उचित नहीं। किसी भी दल के साथ भेद-भाव करने का प्रश्न नहीं उठता। जिस दिन यह घटना घटी, उस दिन दिल्ली में धारा 144 नहीं लगी थी।

श्री म० ला० सोंधी : आप हमें बैठकें करने की अनुमति क्यों नहीं देते ? आधी रात को बैठकें करने की अनुमति दी जाती है। मैं राजनीतिक और लोकतांत्रिक अधिकार चाहता हूं। हम प्रजातांत्रिक देश में रह रहे हैं, तानाशाही देश में नहीं। आपको हमारी बातें सुननी होंगी।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मुझे अपने दायित्व की जानकारी है। मैंने किसी भी दल से भेदभाव नहीं किया है। इस बारे में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच की जायेगी। आज जो भी हुआ है, मैं उसके लिये क्षमा मांगता हूं। कोई नहीं चाहता कि ऐसी घटनाएं घटें। जांच के बाद दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस स्थगन प्रस्ताव पर जोर न दें।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : मैं इस बारे में स्पष्टीकरण चाहती हूं कि क्या संसद् भवन के पास एक कोने में जहां बैठक हो रही थी, वहां कानूनी रूप से बैठक की जा सकती थी ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं इस बारे में पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि जिस जगह उस दिन बैठक हो रही थी, वहां उस दिन धारा 144 लागू नहीं थी।

Shri Gunanand Thakur (Saharsa) : I want to raise a point of order. I want to know what arrangements have been made for the treatment of the councillors of Bihar, U. P., Assam, West Bengal and other States and for those persons who have been beaten severely. (**interruptions**)

I also want to know whether ther persons connected with this incident will immediately be suspended ? (**interruptions**)

The Hon. Home Minister has not made any clarification regarding the death of two of our colleagues (**interruptions**).

What action Government is going to take to know the whereabout of Shri Vinayak Prasad Yadav ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैंने इस बारे में जांच की है और मुझे यह पता लगा है किसी भी ऐसे व्यक्ति की जिसे गिरफ्तार किया गया था या जिसे अस्पताल ले जाया गया था, मृत्यु नहीं हुई। मुझे बताया गया है कि किसी और व्यक्ति की, जिसे अस्पताल में दो तीन दिन पहले भर्ती किया गया था, मृत्यु हुई थी। प्रदर्शनकारियों में से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। मैंने इस बारे में कई बार जांच की है। विधान सभा के सदस्यों के उपचार की ओर अन्य नागरिकों के समान ध्यान दिया जायेगा।

जहां तक अधिकारियों को मुअत्तिल करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में घटना की जांच किये बगैर मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता।

श्री पीलु मोडी (गोधरा) : श्री चह्वाण ने यह उल्लेख किया है कि जिस दिन बैठक में श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा घायल हुईं, उस दिन वहां धारा 144 लागू नहीं थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि इससे पूर्व वहां धारा 144 लागू थी या नहीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसा कैसे हुआ कि उस विशेष दिन ही वहां धारा 144 लागू नहीं थी ?

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : The Hon. Home Minister has not given any information regarding the cause of the incident and he did not mention whether the permission

to hold a public meeting at Patel Chowk was taken. I want the Hon. Home Minister should throw light in this connection.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जब हम मामले की न्यायिक जांच कराने के लिये सहमत हैं तो यह मेरे लिये उचित नहीं होगा कि मैं एक पक्ष की बात कहूं। समस्त स्थिति की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जांच की जानी है। न्यायाधीश का निर्णय आने दीजिये। मैं भी तथ्यों से विश्वस्त होना चाहता हूं।

Shri Jagannath Rao Joshi (Bhopal) : The Police Commissioner was asked to contact Shri George Fernandes, what was the decision taken by them?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : वह उन्हें समझाने के लिये गये कि वहां पर सभा का आयोजन न किया जाय। उन्होंने यह भी कहा कि सभा के आयोजन करने की अनुमति नहीं दी जायगी।

जब तक सभा चली, पुलिस ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। उसके पश्चात कुछ ऐसी बात हुयी कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। मैं तथ्यों के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, समस्त बातों की जांच न्यायाधीश द्वारा की जायगी।

श्री ही० ना० मुकर्जी : न्यायिक जांच समाप्त होने में बहुत समय लगेगा। इसकी समाप्ति से पूर्व ही प्रशासनिक कार्यवाही की जानी चाहिये और जिन अधिकारियों को दोषी पाया जाय, उन्हें निलंबित किया जाना आवश्यक है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जहां तक अधिकारियों को निलंबित करने का प्रश्न है, यह एक ऐसा मामला है जिसकी जांच करनी होगी। इस प्रश्न का उत्तर तुरन्त नहीं दिया जा सकता। निस्सन्देह मैं अन्य प्रशासनिक कदमों के उठाये जाने के मामले पर विचार करूंगा।

उस दिन वहां पर धारा 144 लागू न होने के बारे में पूछा गया है। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि नवम्बर 1966 से हमने यह व्यवस्था प्रारम्भ की थी कि संसद सत्र आरम्भ होने के एक दो दिन पहले इस क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी जाय। इस बार धारा 144 अगले दिन से लागू की गयी।

डा० राम सुभग सिंह : राष्ट्रीय शपथ के दिन पुलिस द्वारा हमारे साथियों को बड़ी निष्ठुरता से पीटा गया। इस से संकेत मिलता है कि प्रधान मंत्री देश को किस ओर ले जा रही हैं। लाठी चार्ज का कोई कारण नहीं बताया गया है और उसके लिये यह तर्क दिया गया है कि सरकार एक न्यायिक जांच कराने वाली है। परन्तु इसमें कौन सी ऐसी बात है जिसकी न्यायिक जांच करायी जायगी। प्रधान मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री ने सभी को बताया है कि उन्होंने श्री मधु लिमये, श्री राज नारायण, श्री जार्ज फरनेन्डीज, श्री मोलहू प्रसाद, श्री पाटिल, श्री कर्पूरी ठाकुर और अन्य लोगों की चोटों को देखा है।

यह भी सुना गया है कि राज्य विधान मंडल के निर्वाचन के लिये उम्मीदवार श्री रमणिका गुप्त को सड़क पर घसीटा गया। जब राज्य विधान परिषद के निर्वाचन के उम्मीदवार के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया तब आप स्वयं सोच सकते हैं कि दूसरे प्रदर्शनकारियों की क्या दशा हुयी होगी।

अमृतसर के जलियां वाले बाग में जनरल डायर ने शान्ति पूर्वक चलती हुयी एक सभा पर गोली चलाने का आदेश दिया था। राष्ट्रीय सप्ताह की अवधि में श्रीमती गांधी द्वारा ऐसी ही घटना की पुनरावृत्ति की गयी है। न्यायिक जांच की ओर में बनावटी आंसू बहाना हमारी समझ में नहीं आता है। प्रधान-मंत्री को इसी समय श्री जार्ज फरनेन्डीज तथा श्री मधु लिमये की स्थिति के बारे में सभा के सामने तथ्य प्रस्तुत करने चाहियें। ये लोग सभा को साहस बंधाने का प्रयत्न कर सकते हैं परन्तु तथ्य के बारे में कोई विवरण प्रस्तुत करने को तैयार नहीं हैं। श्री जोशी ने बताया है कि श्री जार्ज फरनेन्डीज के शरीर पर दो इंच का घाव हो गया है, इस कार्यवाही के लिये कौन उत्तरदायी है।

आपकी नीति के कारण ही ऐसा हुआ है। मेरे विचार से कोई भी अधिकारी, मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी, प्रधान मंत्री अथवा उनकी सरकार की अनुमति के बिना लाठी चार्ज नहीं करा सकते थे। सरकार अपने विरोधियों को समाप्त करना चाहती है। इसीलिये यह निष्ठुर व्यवहार किया गया। इसके लिये उत्तरदायी प्रधान मंत्री तथा उनके समर्थक हैं।

पटना में श्री ज्योति बसु पर गोली चलायी गयी और आपकी पुलिस अपराधी को पकड़ने में भी असमर्थ रही, यहां पर पुलिस ने संसद सदस्यों को पीटा है, इस प्रकार सारे देश के वातावरण को दूषित करने के लिये केवल आप जिम्मेदार हैं।

प्रधानमंत्री के बजट प्रस्तावों के कारण बढ़ती हुयी कीमतों से कठिनाइयां सहन करने वाले लोगों की ओर से संसद सदस्य याचिका पेश करने आ रहे थे। यदि संसद सदस्यों को इतनी भी स्वतंत्रता नहीं होगी तो इस देश का क्या हाल होगा। यदि लोगों के अधिकारों तथा संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों का इसी प्रकार उल्लंघन होता रहा तो सरकार को यहां नहीं बैठने दिया जायगा।

संसद भवन के निकटवर्ती क्षेत्र से धारा 144 हटाई जाय, क्योंकि इससे स्वतंत्रता का हनन होता है।

न्यायिक जांच निरर्थक है। सरकार को त्याग पत्र दे देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि सभा अब स्थगित हो।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sahha divided

पक्ष में 113	:	**विपक्ष में 152**
Ayes 113	:	**Noes 152**

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The motion was negatived

श्री रंगा : हम इसके विरोध में सभा से बाहर जा रहे हैं।

[इसके पश्चात् **श्री रंगा तथा कुछ अन्य सदस्य सभा से उठकर चले गये**
Shri Ranga and some other Members then left the House]

रबी उपज मूल्य नीति के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE. RABI PRICE POLICY

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : सरकार ने कृषि मूल्य आयोग की विपणन मौसम 1970-71 के रबी खाद्यान्नों की मूल्य नीति सम्बन्धी सिफारिशों और 22 मार्च, 1970 को हुए रबी राज्यों के मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में अभिव्यक्त विचारों पर विचार करने के बाद 1970-71 के मौसम के लिए निम्नलिखित निर्णय लिए हैं :

(1) कि कृषि मूल्य आयोग द्वारा अभिस्तावित गेहूं की 37 लाख मीटरी टन की अधिप्राप्ति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न किए जाएंगे ।

(2) कि 1969-70 के मौसम के लिए निर्धारित गेहूं की अधिप्राप्ति के मूल्य 1970-71 में बनाए रखे जाएंगे ।

(3) कि गेहूं की लाल (देसी और मेक्सिकन) और आयातित किस्मों का निर्गम मूल्य 78 रुपये प्रति क्विंटल के मौजूदा स्तर पर बनाए रखा जाएगा । अम्बर रंग की देसी किस्मों के गेहूं का निर्गम मूल्य 84 रुपये प्रति क्विंटल होगा ।

(4) कि गेहूं के लिए सारा देश (पश्चिमी बंगाल और महाराष्ट्र के सांविधिक राशन व्यवस्था वाले क्षेत्र छोड़कर) एक क्षेत्र बनाया जायगा ।

अम्बर रंग की देसी किस्म के गेहूं के निर्गम मूल्य में बढ़ोतरी करने सम्बन्धी निर्णय को छोड़कर, अन्य सभी निर्णय तुरन्त लागू किए जा रहे हैं । अम्बर रंग की देसी किस्मों के गेहूं के निर्गम मूल्य में बढ़ोतरी करने का निर्णय पहली मई, 1970 या इसके आस-पास लागू किया जायगा ।

राज्यसभा के सदस्य न रहने वाले तीन मंत्रियों के पदस्थ रहने के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE. CONTINUANCE OF THREE MINISTERS WHO HAVE CEASED TO BE MEMBERS OF RAJYA SABHA

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : तीन मंत्री डा० (श्रीमती) फुलरेणु गुह, डा० एस० चन्द्र शेखर और श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह 3 अप्रैल, 1970 से राज्य सभा के सदस्य नहीं रहे । प्रधान मंत्री ने उनसे कुछ और समय तक पदस्थ रहने के लिये कहा है, अतः वे मंत्रियों के रूप में पदस्थ हैं ।

प्रश्न उठाया गया है कि क्या इन मंत्रियों का पद पर बना रहना संवैधानिक है । संविधान के अनुच्छेद 75 के खण्ड (5) में जो उपलब्ध है, उसको ध्यान में रखते हुये इन मंत्रियों के पद पर बने रहने में कोई असंवैधानिक या अनुचित बात नहीं है । महान्याय वादी ने भी इसी मत की पुष्टि की है ।

संयुक्त समितियों के बारे में प्रस्ताव
MOTIONS REGARDING JOINT COMMITTEES

लाभ के पद

श्री के० नारायण राव (बोब्बिली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति में, श्री नारायण पत्रा के राज्य सभा से निवृत हो जाने के कारण रिक्त हुये स्थान पर, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार राज्य सभा का एक सदस्य निर्वाचित करे और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्य का नाम इस सभा को बताये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति में श्री नारायण पत्रा के राज्य सभा से निवृत हो जाने के कारण रिक्त हुये स्थान पर, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार राज्य-सभा का एक सदस्य निर्वाचित करे और राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति में इस प्रकार किये गये सदस्य का नाम इस सभा को बताये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियों तथा सेवा की शर्तें) विधेयक

Shri S. M. Joshi (Poona) : I move :

"That this House to recommend to Rajya Sabha to appoint two members of Rajya Sabha to the Joint Committee on the Bill to determine the conditions of service of the Controller and Auditor General of India and to prescribe his duties and powers and matters connected therewith or incidental thereto, in the vacancies caused by the retirement of Pandit Bhawani Prasad Tiwary and Smt. Sarla Bhadoria from Rajya Sabha and communicate to this House the names of the members so appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सेवा की शर्तों को निर्धारित करने और उसके कर्तव्यों तथा शक्तियों एवं तत्संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों को निर्धारित करने वाली विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में, पंडित भवानी प्रसाद तिवारी और श्रीमती सरला भदौरिया के राज्य सभा से निवृत हो

जाने के कारण रिक्त हुये स्थानों पर, राज्य सभा के दो सदस्य नियुक्त करे और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 7 अप्रैल, 1970/17 चैत्र, 1892 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुयी ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, April 7, 1970/Chaitra 17, 1892 (Saka).

Tej Kumar Press Lucknow—29-9-70—340